दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवम्बर, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 11
- द एडवोकेट्स एक्ट, 1961 12
- भारत में व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा 13
- राष्ट्रीय एकता परिषद 15
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 15
- ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया 16
- जम्मू और कश्मीर का विभाजन 17
- केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन 19
- राष्ट्रीय जल नीति समिति 20
- केरल की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना 21
- उपासना स्थल अधिनियम, 1991 22
- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 22
- साइकिल उद्योग के लिये विकास परिषद 23
- न्यायालय की अवमानना 24
- वित्त अधिनियम, 2017 25
- ओडिशा में विधानपरिषद 26
- विश्व प्रतिभा रैंकिंग- 2019 28
- एंटीबायोटिक साक्षरता 29
- जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 29
- समीक्षा/पुनर्विचार याचिका 30
- मुद्रा ऋण 32
- दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 33
- राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल 34
- नियम 12 34
- मिज़ोरम में वन अधिकार कानून 35

नोट :

- तारांकित प्रश्न 35
- लोकसभा अध्यक्ष और अनियंत्रित सांसद 36
- रक्षा अधिग्रहण परिषद 37
- राज्य स्तरीय राजनीतिक दल 38
- गैर-सरकारी विधेयक 39

आर्थिक घटनाक्रम 41

- दूरसंचार क्षेत्र में चुनौतियाँ 41
- बेरोज़गारी दर रिपोर्ट- CMIE 42
- रिज़र्व बैंक के NBFCs के लिये नए तरलता निर्देश 43
- आइसडैश एवं अतिथि 44
- EIU की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट 45
- विश्व व्यापार संगठन और सब्सिडी मुद्दा 46
- श्रम उत्पादकता और भारत 47
- मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटाई 48
- सरकार द्वारा आयातित प्याज के धूम्र-उपचार नियम में छूट 48
- क्लॉबैक मैकेनिज़्म 49
- ईरान का नया तेल क्षेत्र 50
- अनरेटेड ऋण और बैंक NPA 51
- भारत में कृषि उत्पादकता 52
- GDP की गणना के लिये नया आधार वर्ष 53
- वैकल्पिक निवेश कोष 54
- अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि 56
- इस्पात/स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 57
- हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड 58
- मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड 58
- घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 59
- 'सोना' तीसरा सबसे लोकप्रिय निवेश का विकल्प 60
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्ज़ा 61
- राष्ट्रीय कौशल अध्ययन 62
- भारत में न्यूनतम वेतन की आवश्यकता 63
- उड़ान 4.0 65
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 65

नोट :

- औद्योगिक गलियारे 66
- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम 68
- सार्वजनिक उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश 68
- उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 69
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट- 584 71
- रक्षा औद्योगिक गलियारा 72
- चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 73
- भारत : स्वर्ण तस्करी का हब 73

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **75**

- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 75
- भारत-जर्मनी 76
- पाकिस्तान में आज़ादी मार्च 77
- RCEP में शामिल नहीं होगा भारत 78
- SCO शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक 80
- प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा 81
- भारत-US आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी 83
- फेनी नदी 84
- दोहरा कराधान अपवंचन समझौता 85
- बर्लिन की दीवार 86
- ईरान का यूरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रम 87
- OECD डिजिटल कराधान प्रारूप मसौदा 88
- बोलीविया में राजनीतिक संकट 89
- जॉर्डन-इज़राइल शांति संधि का अंत 89
- संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियाँ 91
- पेरिस पीस फोरम 92
- यूरोपियन निवेश बैंक का निर्णय 94
- मैच-फिक्सिंग : आपराधिक कृत्य 94
- अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन 95
- आसियान के रक्षामंत्रियों की छठी बैठक 96
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 97
- वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियाँ 98
- चीन की अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाएँ 99

नोट :

- सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA) 100
- मुद्रा विनिमय समझौता 101
- भारत और सऊदी अरब 102
- विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी 103
- भारत-म्याँमार 104
- भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- 2019 105
- वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 107
- अमेरिका ने घटाया अपना नाटो बजट 108
- ऑर्गनॉइड 109
- पेगासस स्पाइवेयर 110
- क्वांटम सुप्रीमेसी 111
- ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस 112
- ग्रहों पर दिन की अवधि 113
- नाविक का व्यवसायीकरण 114
- हाइगिया: सौर मंडल का छठा बौना ग्रह 116
- एज कंप्यूटिंग 117
- जी.वी.-971 117
- अंतरिक्ष टैक्सी 118
- इंडिया इंटरनेट 2019- IAMAI 119
- भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस-100 120
- मेघ बीजन तकनीक 120
- माइटोकॉन्ड्रियल DNA 121
- राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन 122
- स्पेस इंटरनेट 123
- 'पेटेंट प्रॉसिक्यूशन हाइवे' कार्यक्रम 124
- कार्टोसेट-3 125
- सूर्य के वायुमंडल का तापमान 125
- नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 126

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **128**

- कॉप-25 जलवायु सम्मेलन 128
- BASIC देशों की बैठक 129
- पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क 129

नोट :

- ग्लाइफोसेट 130
- कीटों के प्रतिरक्षा स्तर में वृद्धि 131
- बढ़ता हुआ समुद्र जल स्तर 132
- तीव्र श्वसन संक्रमण (ARI) 133
- पेरिस समझौते से अमेरिका का अलगाव 134
- आर्थिक मंदी और कार्बन उत्सर्जन 135
- इंडएयर 136
- RO सिस्टम के संबंध में NGT का निर्देश 137
- ज़ीरो कार्बन बिल 138
- राष्ट्रीय राजमार्ग-766 138
- मैंग्रोव वनों का घटता क्षेत्र 139
- साइक्लोफाइन एयर 140
- नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ता स्तर 141
- वन अधिनियम, 1927 141
- जर्मनी का जलवायु संरक्षण अधिनियम 142
- जहाज़ों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 143
- प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिये उपग्रह 144
- प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 145
- सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध 146
- उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 147
- समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत 148
- ग्लोबल सल्फर कैप 149

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **151**

- मानसूनी वर्षा की मात्रा में विविधता 151
- राष्ट्रीय जलमार्ग-2 153
- रेड एटलस एक्शन प्लान मैप 155
- डेलाइट सेविंग टाइम 156
- पम्बा-अचनकोविल-वैपर नदी जोड़ो परियोजना 157
- एक्वा अल्ता 158
- बंजर भूमि रूपांतरण 159
- मेघालय वर्षावन 160
- विद्युत उत्पादन के लिये परमाणु ऊर्जा संयंत्र 161

नोट :

- कोलबेड मीथेन 162
- एटालिन जलविद्युत परियोजना 162
- भूकंप आपदा जोखिम इंडेक्स रिपोर्ट 163
- भोपाल गैस त्रासदी 164

सामाजिक मुद्दे **166**

- फेफड़ों के स्वास्थ्य पर यूनियन विश्व सम्मेलन 166
- अनैच्छिक गर्भधारण से खतरा 167
- स्वास्थ्य आपातकाल 168
- सामाजिक-आर्थिक संकेतक 169
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 170
- ईट-लांसेट आयोग : प्लैनेटरी हेल्थ डाइट 172
- मातृत्व मृत्यु दर 173
- भारत में बंधुआ मज़दूरी 174
- नेशनल हेल्थ स्टैक तथा नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट 175
- HIV के नए उप-प्रकार की खोज 176
- पुरुषों में बढ़ता एनीमिया 177
- निमोनिया तथा डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 178
- वैश्विक आपूर्ति शृंखला और बाल श्रम 178
- हाथ से मैला उठाने की प्रथा (मैन्युअल स्कैवेंजिंग) 179
- ईको एंज़ायटी 180
- OCSAE रोकथाम/जाँच इकाई 181
- 'साँस' अभियान 182
- भारतीय पोषण कृषि कोष (BPKK) 183
- जनसंख्या स्थिरता कोष 184
- उइगर तथा चीन 185
- अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 186
- किशोरों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता 187
- नए साइकोएक्टिव पदार्थों पर नियंत्रण 188
- छत्तीसगढ़ पंचायतों में दिव्यांग कोटा 189
- अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 190
- शहरी बेरोज़गारी दर 192
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संसद की मंज़ूरी 193

नोट :

- भारत में एक्सलेरेटर प्रयोगशाला 193

कला एवं संस्कृति **195**

- यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क 195
- कुंग फू नन्स 195
- तिरुवल्लुवर 196
- विश्व स्मारक निगरानी सूची 197
- 2000 वर्ष पुरानी बस्ती की खोज 197
- चवांग कुट महोत्सव 199
- 5वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2019 199
- तवांग महोत्सव 200
- बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन 200
- भीमिली उत्सव-2019 201
- ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव 201
- महाबोधि मंदिर 201

आंतरिक सुरक्षा **202**

- इनर लाइन परमिट और मेघालय 202
- गुजरात आतंकवादरोधी क़ानून 203
- 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन 204
- ब्रू जनजाति समस्या 205
- भारत में निगरानी कानून 206
- वैश्विक साइबर अपराध 207
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 208
- कुकी और ज़ोमी समूह 208
- बोडोलैंड विवाद 210

विविध **211**

- झारखंड स्थापना दिवास-बिरसा मुंडा जयंती 213
- रानी लक्ष्मीबाई 214
- इदरीस एल्बा 214
- देश का पहला प्लास्टिक पार्क 215
- लद्दाख में विंटर ग्रेड डीज़ल 215

नोट :

- जम्मू-कश्मीर में 'मिशन हिमायत' 216
- गोंडावन के आवास स्थलों का संरक्षण 216
- कालापानी क्षेत्र 217
- रानोंग बंदरगाह 217
- बंगाल विभाजन 217
- कृष्णापट्टनम पोर्ट 218
- विलिंग्डन द्वीप 218
- नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व 218
- दुधवा नेशनल पार्क 219
- जयकवाड़ी बांध 219
- पावूर उलिया द्वीप 219
- श्रीशैलम बांध 220
- पन्ना टाइगर रिज़र्व 220
- अटापका पक्षी अभयारण्य 220
- अल्बानिया 221

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (Central Bureau of Health Intelligence -CBHI) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (National Health Profile- NHP) का 14वाँ संस्करण और इसकी ई-बुक (डिजिटल संस्करण) जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- CBHI वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल और वर्ष 2015 से इसका डिजिटल संस्करण प्रकाशित कर रहा है।
- इस प्रकाशन का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सूचना का एक बहुउपयोगी डेटाबेस बनाना और इसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध कराना है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य समुदाय के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में संलग्न योजनाकारों, नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य प्रशासकों, अनुसंधानकर्त्ताओ और अन्य लोगों को सूचित आधार पर योजना बनाने एवं निर्णय-निर्माण के लिये प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है।
- NHP निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियों पर प्रकाश डालता है:
  - **जनसांख्यिकीय संकेतक:** जनसंख्या और महत्त्वपूर्ण आँकड़े
  - **सामाजिक-आर्थिक संकेतक:** शिक्षा, रोज़गार, आवास और अन्य सुविधाएँ, पेयजल एवं स्वच्छता।
  - **स्वास्थ्य स्थिति संकेतक:** सामान्य संचारी एवं गैर-संचारी रोगों का प्रसार और व्यापकता।
  - **स्वास्थ्य वित्त संकेतक:** स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य पर व्यय।
  - **मानव संसाधनों की स्थिति:** स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे मानव बल की उपलब्धता।
  - **स्वास्थ्य अवसंरचना:** मेडिकल और डेंटल कॉलेजों, आयुष संस्थानों, नर्सिंग पाठ्यक्रमों और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण।

तथ्यात्मक बिंदु

- **जीवन प्रत्याशा:** भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970-75 के 49.7 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2012-16 में 68.7 वर्ष हो गई है।
  - वर्ष 2012-16 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.2 वर्ष और पुरुषों की 67.4 वर्ष थी।
- **शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate- IMR):** शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है (वर्ष 2016 में प्रति 1,000 जीवित शिशुओं में 33), हालाँकि ग्रामीण (37) और शहरी (23) के बीच अंतर अभी भी अधिक हैं।
- **जनसंख्या वृद्धि दर:** भारत में वर्ष 1991 से वर्ष 2017 तक जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।
  - वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार, भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्म दर 20.2 और मृत्यु दर 6.3. दर्ज की गई, जबकि प्राकृतिक विकास दर 13.9 थी।
- **जनसांख्यिकी:** इसमें युवा और आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई।
  - रिपोर्ट के अनुसार 27% जनसंख्या 14 वर्ष से कम, 64.7% जनसंख्या 15 से 59 के आयु वर्ग में और 8.5% जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर है।
  - **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR):** NHP के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 2.3 है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रजनन दर 2.5 और शहरी क्षेत्रों के लिये 1.8 आँकी गई है।

नोट :

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस Central Bureau of Health Intelligence (CBHI)

- सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की स्थापना वर्ष 1961 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा "पूरे देश में एक मज़बूत स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System-HMIS)" की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी।

प्रमुख परिभाषाएँ

कुल प्रजनन दर: प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु (जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है) वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई पर जीवित जन्में बच्चों की संख्या।

शिशु मृत्यु दर: शिशु मृत्यु दर किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में जन्मे प्रति 1,000 जीवित शिशुओं पर एक वर्ष के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

जीवन प्रत्याशा: जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य वर्षों की उस संख्या से है जो किसी व्यक्ति का सांख्यिकीय गणना द्वारा अनुमानित औसत जीवनकाल है।

जन्म दर: प्रतिवर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या।

मृत्यु दर: किसी समुदाय, क्षेत्र या समूह में प्रति हजार जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृत्यु की संख्या।

प्राकृतिक वृद्धि दर: एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या एवं उस वर्ष होने वाली मौतों की संख्या के अंतर को उसी वर्ष के मध्य में मौजूद जनसंख्या से विभाजित कर 1000 से गुणा करने पर हमें **प्राकृतिक वृद्धि दर** ज्ञात होती है।

द एडवोकेट्स एक्ट, 1961

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (Bar Council of Delhi) ने फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं को कदाचार संबंधी नोटिस जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली द्वारा जारी किये गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता पर 'द' एडवोकेट्स एक्ट, 1961 (The Advocates Act, 1961) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भारत में अधिवक्ताओं को विज्ञापन की अनुमति प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान:

- 'द' एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 49 की उपधारा 1(c), 'बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया' को अधिवक्ता के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।
- बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित किये गए 'अधिवक्ता के व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार मानक' के खंड 4 की धारा 36 के अनुसार अधिवक्ता के व्यावसायिक आचरण संबंधी निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं-
  - एक अधिवक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन और व्यवसाय को लुभाने वाले कार्य नहीं करेगा चाहे उसका माध्यम सर्क्युलर, विज्ञापन, दलाल, व्यक्तिगत संचार ही क्यों न हो। कोई भी अधिवक्ता किसी अख़बार की ऐसी टिप्पणियों तथा फोटोग्राफ का उपयोग नहीं करेगा, जिनका संबंध उस अधिवक्ता से जुड़े किसी मामले से हो।
  - किसी भी अधिवक्ता के साइन-बोर्ड या नेमप्लेट उचित आकर की होनी चाहिए तथा साइन-बोर्ड, नेमप्लेट और लेखन सामग्री से यह संकेत नहीं मिलना चाहिये कि वह किसी बार काउंसिल या किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष या सदस्य है या वह किसी व्यक्ति तथा संस्था से किसी विशेष कारण के बिना जुड़ा हुआ है या वह कभी जज या महाधिवक्ता रहा है।
  - अगर कोई अधिवक्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस अधिवक्ता पर द एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के अनुसार, किसी भी राज्य की बार काउंसिल को यह अधिकार है कि वह किसी शिकायत को ख़ारिज कर सकती है। साथ ही अधिवक्ता को फटकार लगाने के साथ-साथ उसे सीमित समय के लिये प्रैक्टिस से वंचित कर सकती है तथा उसका नाम राज्य की अधिवक्ता सूची से बाहर भी कर सकती है।

नोट :

अन्य देशों में प्रावधान:

- यूनाइटेड किंगडम में सॉलीसिटर्स 'कोड ऑफ कंडक्ट' 2007 (Solicitors' Code of Conduct 2007) के प्रावधानों के अनुसार, अधिवक्ताओं को अपनी फर्म तथा प्रैक्टिस का विज्ञापन करने की अनुमति है।
- सिंगापुर के लीगल प्रोफेशन एक्ट (Legal Profession Act), यूरोपियन यूनियन (European Union) के 'काउंसिल ऑफ बार एंड लॉ सोसायटीज़ ऑफ़ यूरोप' के अनुसार, अधिवक्ताओं को अपनी फर्म तथा प्रैक्टिस का विज्ञापन करने की अनुमति है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1977 के बेट्स बनाम स्टेट बार ऑफ एरिज़ोना (Bates vs State Bar of Arizona) ऐतिहासिक मामले में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विज्ञापन करने के अधिकार को बरकरार रखा तथा कहा कि इस तरह के विज्ञापनों के लिये अलग -अलग राज्यों के बार एसोशिएसन नियम तय करेंगे।
- ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिवक्ताओं को विज्ञापन करने का अधिकार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India):

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय वकालत को विनियमित तथा प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये 'द' एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।
- यह संस्था अधिवक्ताओं के लिये पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को तय करती है तथा अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके विनियमन करती है।
- यह संस्था कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है तथा ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये योग्य होती है।
- यह संस्था अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके हितों की रक्षा करती है तथा उनके लिये प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये कोष का सृजन करती है।

'द' एडवोकेट्स एक्ट, 1961:

- 'द' एडवोकेट्स एक्ट वर्ष 1961 में अधिनियमित हुआ था।
- इस अधिनियम के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल की परिभाषा, स्थापना तथा उनके कार्यों तथा उनसे जुड़े अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है।
- इस अधिनियम में अधिवक्ता की परिभाषा तथा उसके विभिन्न स्तरों के बारे में चर्चा की गई है। यह अधिनियम अधिवक्ताओं के आचरण और योग्यताओं तथा निर्योग्यताओं के बारे में प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की सूची में नामांकन की विधि, एक सूची से दूसरी सूची में स्थानांतरण की विधि के बारे में चर्चा करता है।

भारत में व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

इंफोसिस कंपनी में अनियमित लेखांकन से संबंधित गतिविधियों की व्हिसलब्लोइंग के बाद व्हिसलब्लोअर (Whistle Blowers) और इनकी सुरक्षा से संबंधी मुद्दे प्रकाश में आ गए।

भारत में व्हिसलब्लोइंग की परिभाषा

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार- व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing) एक ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य किसी संगठन में अनैतिक प्रथाओं (जैसे कि अनियमित लेखांकन) के लिये हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना हैं। केंद्रीय कानून के तहत, यह लोकसेवको के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार या शक्ति या स्वविवेक के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने का एक तंत्र है। व्हिसलब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो गलत प्रथाओं को उजागर करता है। ये संगठन के भीतर या बाहर से हो सकते हैं, जैसे- वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, शेयरधारक, बाहरी लेखा परीक्षक और अधिवक्ता।

नोट :

व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के प्रावधान

- भारत में व्हिसलब्लोअर को व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 (WhistleBlowers Protection Act, 2014) द्वारा संरक्षित किया जाता है। कानून में उनकी पहचान की सुरक्षा के साथ-साथ उत्पीड़न को रोकने के लिये कठोर मानदंडों को शामिल किया गया है।
- व्हिसलब्लोअर द्वारा लगाये गए आरोपों की जाँच लंबित रहने तक उसके खिलाफ संगठन द्वारा कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती है।
- कंपनी अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के गवर्नेंस मानदंडों द्वारा इन प्रावधानों को अपनाया गया है।
- यह अधिनियम सभी सूचीबद्ध और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों से व्हिसलब्लोअर नीति की अपेक्षा रखता है, जो शिकायतकर्त्ताओं के लिये प्रक्रियाओं को रेखांकित करती हो और उनका मार्गदर्शन करती हो।

व्हिसलब्लोइंग से संबंधित मुद्दे:

- व्हिसलब्लोइंग का उपयोग कभी-कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध या शेयर बाज़ार में हेर-फेर करने के लिये किया जा सकता है।
- इन गतिविधियों को रोकने के लिये ऑडिट समिति शिकायतों की जाँच करती है। यदि कोई शिकायत गलत साबित होती है, तो शिकायतकर्त्ता के लिये दो वर्ष की जेल और 30000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रावधान

- इनसाइडर ट्रेडिंग से निपटने के मामले में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। हाल ही में सफलता दर में सुधार के लिये, सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने टिपिंग प्रणाली (यह इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित सूचना देने वालों को पुरुस्कृत करने अर्थात् टिप देने की प्रणाली है) की शुरुआत की है।
- सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडर्स के खिलाफ सफल कार्यवाही की जाएगी साथ ही इससे संबंधित सूचना देने पर 1 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
- सेबी द्वारा एक 'सहयोग और गोपनीयता' तंत्र भी बनाया गया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्रतिभूति कानून के उल्लंघन करने का दोषी है और जाँच में सहायता करने के लिये तैयार है तो व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी जाएगी तथा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून की सीमाएँ:

- अभी तक व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को क्रियान्वित नहीं किया गया है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।
- इसके साथ ही 2015 का संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार के साथ-साथ व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के साथ भी समझौता करता है।
- 2014 के अधिनियम में व्हिसलब्लोअर के साथ होने वाले अत्याचार (Victimization) को परिभाषित नहीं किया गया है जो इससे व्हिसलब्लोअर के खिलाफ हेरफेर की संवेदनशीलता बनी रहती है।
- यद्यपि भारत में व्हिसलब्लोअर को कानून के तहत संरक्षित किया गया है, लेकिन यह अमेरिका की तरह प्रभावी नहीं है, जहाँ एक अलग इकाई इस तरह की घटनाओं का निपटारा करती है।

आगे की राह

- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को जल्द-से-जल्द क्रियान्वित किया जाना चाहिये।
- 2015 के संशोधन विधेयक को पारित करने से पूर्व व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।
- व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अमेरिका जैसे देशों की तर्ज़ पर संस्थागत उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के तहत अत्याचार को परिभाषित किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त व्हिसलब्लोअर के लिये वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान के साथ-साथ पहचान रहित शिकायतों को स्वीकार कर इसे व्यापक बनाया जाना चाहिये।

नोट :

राष्ट्रीय एकता परिषद

संदर्भ:

राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाने की मांग की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में:

पृष्ठभूमि:

- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन के पश्चात् वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council- NIC) की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया।

उद्देश्य:

- वर्ष 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्य की घोषणा की गई जो इस प्रकार है- " हमारे संविधान आधार आम नागरिकता (Common Citizenship), विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता (Freedom of Religions), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), समानता, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है।"
- राष्ट्रीय एकता परिषद इन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता है।
- इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना है।

संगठन:

- यह एक सरकारी सलाहकार निकाय है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
- परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियाँ, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता आदि शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

चर्चा में क्यों ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) के मसौदे में 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार (Right to Education- RTE) अधिनियम को बढ़ाने के प्रावधान में संशोधन और तीन वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है।

- अंतिम नीति दस्तावेज़ में कहा गया है कि RTE अधिनियम के विस्तार पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। नई शिक्षा नीति RTE अधिनियम के कवरेज को कक्षा 12 तक बढ़ाने के प्रावधान में संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा:

- NEP का मसौदा विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया जिसका नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन द्वारा किया गया।
- इस मसौदे को सार्वजनिक फीडबैक के लिये ऑनलाइन अपलोड किया गया था। इससे सरकार को लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे, अंत में इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये रखा गया है।
- इस मसौदे में पढ़ने (Reading) और गणितीय कौशल (Mathematics Skill) को मज़बूत करने के लिये नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम (National Tutors Programme- NTP) एवं रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड प्रोग्राम (Remedial Instructional Aid Programme- RIAP) जैसे सुझावों को भी अंतिम मसौदा नीति में संशोधित कर दिया गया है।

नोट :

NTP और RIAP:

- NTP के तहत प्रत्येक स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों द्वारा कमज़ोर छात्रों को सप्ताह में पाँच घंटे ट्यूशन दिया जाएगा।
- RIAP प्रशिक्षकों (विशेष रूप से महिलाओं) को आकर्षित करने का एक 10 वर्षीय प्रोजेक्ट था जिसमें पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया जाता।

अंतिम मसौदा:

- मसौदे में उच्च शिक्षा के लिये एक नई त्रि-स्तरीय संस्थागत प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक सभी संस्थान या तो अनुसंधान विश्वविद्यालय (Research University) या शिक्षण विश्वविद्यालय (Teaching University) या स्नातक कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेज (Colleges Running Undergraduate Programmes) बन जाएंगे।
- अंतिम मसौदे में एक पदानुक्रमित संरचना के तहत संस्थानों का वर्गीकरण अनुसंधान और शिक्षण के आधार पर किया गया है।

संबद्ध कॉलेज:

- सरकार ने संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को समाप्त करने की कस्तूरीरंगन समिति द्वारा निर्धारित सख्त सीमा को भी हटा दिया है।
- मसौदे में सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2032 तक वर्तमान में संबद्ध सभी कॉलेजों को स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेजों के रूप में विकसित किया जाना चाहिये या संबंधित विश्वविद्यालय के साथ उनका विलय कर देना चाहिये या एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना चाहिये।
- अंतिम मसौदे में केवल संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करने की बात कही गई है।

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश पत्रकार और लेखक आतिश तासीर (Aatish Taseer) के ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को निरस्त कर दिया है।

- इस संदर्भ में गृह मंत्रालय का कहना है कि उनके OCI कार्ड को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरस्त किया गया है, क्योंकि अपने आवेदन में उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो कि OCI कार्ड हेतु एक अयोग्यता है।

क्या है ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया ?

- ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया या OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
- गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
- OCI कार्ड नियमों की धारा 7(A) के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी, परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

OCI कार्ड के लाभ

- OCI कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा (Multipurpose Lifelong Visa) प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के साथ पंजीकृत कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
- साथ ही OCI कार्डधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आव्रजन काउंटर (Special Immigration Counters) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

नोट :

- OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति (आवासीय व व्यावसायिक) खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि (इसमें खेत/फार्म एवं किसी भी तरह की वृक्षारोपण संपत्ति शामिल है) की खरीद करने का अधिकार नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
- हालाँकि OCI कार्डधारियों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

OCI कार्ड की अयोग्यता

- इस संबंध में गृह मंत्रालय प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जाँच करता है और उसके पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- उल्लेखनीय है कि यदि कोई कार्ड धोखाधड़ी के माध्यम से या किसी जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया गया हो तो गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी OCI कार्ड को अयोग्य करार दिया जा सकता है या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
- यदि कोई OCI कार्डधारक भारतीय संविधान का अपमान करता हुआ पाया जाता है, तो भी OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है।

नागरिकता

- चूँकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिये कोई भी OCI कार्डधारक भारत का नागरिक नहीं होता है।
- हालाँकि एक व्यक्ति जो OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है वह OCI का दर्जा दिये जाने के पाँच साल बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन कर सकता है।
  - साथ ही नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को बारह महीनों के लिये भारत में निवासी होना चाहिये।

NRIs कौन होते हैं ?

- अनिवासी भारतीय (NRI) ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिये किसी अन्य देश में रहता है।
- NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।

PIOs कौन होते हैं ?

- भारतीय मूल का व्यक्ति (Persons of Indian Origin-PIO) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है।
- PIOs जिनके पास बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट था, को पहले एक पहचान पत्र जारी किया जाता था, परंतु 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया गया।

जम्मू और कश्मीर का विभाजन

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories-UT) में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया।

- सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्तूबर का प्रतीकात्मक महत्व है, इसलिये इस दिन को दोनों नवगठित संघशासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिये चुना गया।
- 5 अगस्त से 31 अक्तूबर के बीच की अवधि का उपयोग जम्मू-कश्मीर के राज्य के प्रशासन तथा गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (J&K Reorganization Act) को लागू करने के लिये नौकरशाही के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने हेतु किया गया।

नोट :

विभाजन के बाद परिवर्तन

31 अक्तूबर को क्या हुआ ?

- दोनो केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलवाई गई।
- केंद्र सरकार द्वारा गुजरात कैडर के सेवारत IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर तथा त्रिपुरा कैडर के सेवानिवृत्त नौकरशाह राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उप-राज्यपाल (Lt. Governors) नियुक्त किया गया है।
- दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्य सचिव, अन्य शीर्ष नौकरशाह, पुलिस प्रमुख तथा प्रमुख पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।
- दिलबाग सिंह जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक होंगे जबकि एक आई.जी. स्तर का अधिकारी लद्दाख में पुलिस का प्रमुख होगा। दोनों UT की पुलिस जम्मू और कश्मीर कैडर का हिस्सा बनी रहेंगी एवं इनका विलय अंतत: AUGMET कैडर में हो जाएगा।
- पूर्ण रूप से विभाजन के लिये जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में एक वर्ष की अवधि का प्रावधान है।
- राज्यों का पुनर्गठन एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई वर्षों का समय लग जाता हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश का आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में विभाजन किया गया जिसके पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे अभी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष समाधान के लिये विचाराधीन है।

अविभाजित राज्य में पहले से ही तैनात अन्य अधिकारियों का क्या होगा ?

- दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में पदों की संख्या का विभाजन किया जा चुका है। जबकि राज्य प्रशासन के कर्मचारियों को विभाजित किया जाना अभी शेष है।
- सरकार ने सभी कर्मचारियों को दोनो केंद्रशासित प्रदेशों में से किसी एक में अपनी नियुक्ति लिये आवेदन भेजने को कहा था, यह प्रक्रिया अभी जारी है।
- कर्मचारियों की नियुक्ति में बुनियादी विचार यह है कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य न्यूनतम विस्थापन हो एवं क्षेत्रीय घनिष्ठता को प्राथमिकता दी जाये।
- सरकारी सेवा में कार्यरत लद्दाख के मूल निवासी इस क्षेत्र में तैनात रहना पसंद करते हैं जबकि कश्मीर और जम्मू के मूलनिवासी इस क्षेत्र में तैनात रहना चाहते हैं।
- लद्दाख क्षेत्र के सभी पदों को भरने के लिये लद्दाख के स्थानीय कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। इसलिये जम्मू-कश्मीर के कुछ लोगों को वहाँ नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को नियंत्रित करने वाले कानूनों का क्या होगा ?

- राज्य के विधायी पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के 153 कानूनों को निरस्त किया गया है और 166 कानूनों को यथावत रखा गया है।
- इसके बाद ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने का कार्य किया जायेगा जो संपूर्ण भारत में तो लागू होते है लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे।
- राज्य प्रशासन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम में उल्लेखित सभी कानूनों को यथावत लागू कर दिया है।
- लेकिन 108 केंद्रीय कानूनों में राज्य के विशिष्ट मुद्दों को शामिल करना बड़े पैमाने पर विधायी प्रक्रिया होगी जबकि ये कानून दोनो केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होंगे।

नए कानून

- राज्य का अपनी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code-CrPC) थी जिसे अब केंद्रीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Central CrPC) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- कश्मीर के CrPC में कई प्रावधान केंद्रीय CrPC से अलग हैं।
- CrPC में संशोधन राज्य की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा लेकिन इन सभी पहलुओं पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जायेगा।

नोट :

- केंद्र के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम द्वारा (Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act) प्रतिस्थापित महिलाओं और बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून में राज्य से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।
- यदपि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण के प्रावधान को पहले ही एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है परंतु केंद्र सरकार केंद्रीय अधिनियम से कुछ प्रावधान इसमें जोड़ सकता है।

वे कानून जो राज्य की विशिष्टता के आधार पर शामिल किये जा सकते है:

- केंद्र और राज्य के किशोर न्याय अधिनियमों में किशोरों की उम्र सीमा का निर्धारण विवाद का प्रमुख बिंदु है।
- केंद्रीय अधिनियम 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोर को वयस्क मानता है जबकि राज्य अधिनियम में यह आयु सीमा 18 वर्ष है।
- यह तर्क दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर में विशेष स्थिति को देखते हुए जहाँ किशोरों को अक्सर हिंसक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते पाया जाता है इस स्थिति में केंद्रीय अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में लागू करने पर वहां के बहुत से किशोरों का भविष्य ख़राब हो सकता है।
- राज्य के आरक्षण कानून जाति के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं देते हैं।
- राज्य ने नियंत्रण रेखा (Line of Control-LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों के नागरिकों के लिये क्षेत्र-वार आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया है।
- हालाँकि राज्य की आबादी में 8% अनुसूचित जाति और 10% अनुसूचित जनजाति शामिल हैं परंतु राज्य में क्षेत्रीय विभिन्नता विद्यमान है जैसे लद्दाख में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है परन्तु अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है।

संपत्ति कैसे साझा की जाएगी ?

- राज्य की परिसंपत्तियों के बँटवारे की तुलना में राज्य का वित्तीय पुनर्गठन करना कहीं अधिक जटिल कार्य है।
- अगस्त, 2019 में राज्य के विभाजन को संसद की अनुमति मिलने के कारण प्रशासन वर्ष के मध्य में वित्तीय पुनर्गठन की कार्यवाई में व्यस्त है जो कि एक जटिल प्रशासनिक गतिविधि है।
- सरकार ने पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है जो राज्य की संपत्तियों और देनदारियों को दो केंद्रशासित प्रदेशों के बीच विभाजित करने के लिये सुझाव देगी। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
- पुनर्गठन के उद्देश्य से राज्य स्तर पर तीन और समितियों का गठन किया गया है जो राज्य के कर्मियों, वित्त एवं प्रशासनिक मामलों पर सुझाव देंगी।
- तीन समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है लेकिन उनकी सिफारिशों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- विशेष रूप से जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के लिये कुल केंद्रीय बजट 7,500 करोड़ रुपए है, जम्मू और कश्मीर के लिये बजट 90,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

उपरोक्त स्थितियों में गृह मंत्रालय कश्मीर के विभाजन की प्रक्रिया को लंबे समय से जारी रख सकता है।

केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 27वाँ वार्षिक सम्मेलन कोलकाता में संपन्न हुआ।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के 27वें वार्षिक सम्मेलन (Conference of Central and States Statistical Organizations- COCSSO) में केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अकादमिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों के साथ-साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
- इस वर्ष COCSSO का विषय (Theme) 'सतत् विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals- SDGs) है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1971 में COCSSO के प्रथम सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
- COCSSO का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry Of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- COCSSO, केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिये एक प्रमुख राष्ट्रीय फोरम है, जिसका उद्देश्य नियोजकों एवं नीति निर्माताओं को अधिक विश्वसनीय आँकड़े प्रदान करना है।
- COCSSO सांख्यिकी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु सभी हितधारकों को एकजुट करने का एक महत्त्वपूर्ण फोरम है।
- सितंबर 2016 में MoSPI ने सतत् विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिये एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क विकसित किया, जिसके अंतर्गत 306 सांख्यिकीय संकेतकों को शामिल किया गया।
- नीति आयोग द्वारा 13 सतत् विकास लक्ष्यों (सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक- 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर) के आधार पर सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) ज़ारी किया जाता है।

27वें COCSSO से संबंधित तथ्य:

- 27वें COCSSO के आयोजन के दौरान तकनीकी क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ-साथ विभिन्न बदलावों को ध्यान में रखते हुए पेशेवर सांख्यिकीविदों की तेजी से बदलती हुई भूमिका पर चर्चा की गई।
- इस सत्र के दौरान MoSPI की नई पहलों जैसे अनेक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों, इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयोगों को साझा करने, वास्तविक समय पर SDGs की निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी की भूमिका, डेटा संबंधी चुनौतियों एवं सतत् विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) में सामंजस्य सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission):

- 1 जून 2005 के एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी।
- वर्ष 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्विलोकन के लिए गठित रंगराजन आयोग द्वारा दी गईं अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी।
- इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होते हैं जो कि सांख्यिकी के विशेषज्ञ होते हैं।
- इसका प्रमुख कार्य सांख्यिकी के क्षेत्र में नीतियाँ, प्राथमिकताएँ और मानक तय करना है।

राष्ट्रीय जल नीति समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिये **मिहिर शाह** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- मिहिर शाह योजना आयोग के पूर्व सदस्य तथा जल संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।
- इस समिति में 10 मुख्य सदस्य होंगे तथा यह समिति अनुमानत: 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
- नई राष्ट्रीय जल नीति के माध्यम से जल शासन संरचना तथा उसके नियामक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण बदलाव होंगे।
- विशेष रूप से घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिये 'राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो' का गठन प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy):

- स्वतंत्रता के बाद देश में तीन राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण हुआ है।

नोट :

- पहली, दूसरी तथा तीसरी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण क्रमश: वर्ष 1987, 2002 और 2012 में हुआ था।
- राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।

राष्ट्रीय जल नीति-2012 के प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2012 की राष्ट्रीय जल नीति के प्रमुख नीतिगत नवाचारों में से एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण की अवधारणा थी, जिसके अंतर्गत जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन की इकाई के रूप में नदी बेसिन/उप-बेसिन को लिया गया था।
- वर्ष 2012 की राष्ट्रीय जल नीति में नदी के एक भाग को पारिस्थितिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संरक्षित किये जाने का प्रावधान है तथा एक और प्रावधान के अनुसार गंगा नदी में वर्ष भर जल-स्तर को बनाए रखने के लिये एक स्थान पर जल जमा करने से बचना चाहिये, जिससे नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल के लिये पीने योग्य जल की आपूर्ति हो सके।
- वर्ष 2012 की राष्ट्रीय जल नीति में जल के अंतर्बेसिन स्थानांतरण का प्रयोग केवल उत्पादन बढ़ाने के लिये ही नहीं बल्कि मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है।

केरल की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा 1,548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना (Fibre Optic Network Project- KFONP) को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

परियोजना के बारे में:

- KFONP को दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 2 मिलियन गरीब (Below Poverty Line- BPL) परिवारों को मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड (Kerala State Electricity Board) और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Kerala State Information Technology Infrastructure Limited- KSITIL) की एक सहयोगात्मक पहल है।

परियोजना के लाभ:

- इस परियोजना के क्रियान्वयन से देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को मदद मिलने के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ब्लॉकचेन (Blockchain) तथा स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों को विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये KFONP में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अलावा लगभग 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को इस परियोजना के तहत हाई-स्पीड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
- KFON से परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

अन्य तथ्य:

- इस परियोजना की मान्यता है कि इंटरनेट का उपयोग एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जो कि एक सराहनीय कदम है।
- किसी अन्य भारतीय राज्य ने अब तक इस प्रकार की परियोजना नहीं प्रारंभ की है।
- इस परियोजना के पूरे होने पर, केरल राज्य जो पहले से ही मानव विकास संकेतकों में शीर्ष पर है, डिजिटल विकास के क्षेत्र में भी विकास करेगा।
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India) और नील्सन (Nielsen) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 451 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं।
- हालाँकि इन आँकड़ो के बावजूद इंटरनेट उपयोग की पहुँच में कई अंतर विद्यमान हैं, जैसे-
  - ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच अधिक है।

नोट :

- पुरुषों की तुलना में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुँच कम है।
- अध्ययन के अनुसार, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली (69% लोगों की इंटरनेट तक पहुँच) तथा इसके बाद केरल (54% लोगों की इंटरनेट तक पहुँच) है।

आगे की राह

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार को इस अंतर को कम करने में एक हस्तक्षेपकर्त्ता की भूमिका निभाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रयासों में केरल एक उदाहरण स्थापित करता है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद मामले (Ayodhya verdict) में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 {Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991} का उल्लेख किया, जो स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक उपासना स्थलों को बदलने (Conversion of Religious Places) पर रोक लगाता है।

- यह अधिनियम बाबरी मस्ज़िद (वर्ष 1992) के विध्वंस से एक वर्ष पहले सितंबर 1991 में पारित किया गया था।

उद्देश्य

- इस अधिनियम की धारा 3 (Section 3) के तहत किसी पूजा के स्थान या उसके एक खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा के स्थल में बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- यह अधिनियम राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व (Positive Obligation) भी प्रदान करता है कि वह स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे।
- सभी धर्मों में समानता बनाए रखने और संरक्षित करने के लिये विधायी दायित्व राज्य की एक आवश्यक धर्मनिरपेक्ष विशेषता (Secular Feature) है, यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।

छूट (Exemption)

- अयोध्या में विवादित स्थल को अधिनियम से छूट दी गई थी इसलिये इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले पर मुकदमा लड़ा जा सका।
- यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक हो अथवा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Archaeological Sites and Remains Act, 1958) द्वारा कवर एक पुरातात्विक स्थल है।

दंड

- अधिनियम की धारा 6 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष की कैद का प्रावधान है।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों का एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA) के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- 1800 से अधिक गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान जो कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उनके विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नोट :

- FCRA के तहत जिन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद कृषि संस्थान, यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, तमिलनाडु (Young Mens Christian Association-YMCA) और स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी, कर्नाटक भी शामिल हैं।
- मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण रद्द करने का प्रमुख कारण संस्थाओं द्वारा FCRA कानून का उल्लंघन करना है।
- FCRA के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 9 महीने के भीतर आय और व्यय का विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाते, बही खाते इत्यादि की स्कैन प्रतियों के साथ एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है।
- जिन पंजीकृत संगठनों को जिस वर्ष विदेशी योगदान नहीं मिलता, उन्हें भी उक्त अवधि के तहत उस वित्त वर्ष के लिये निल रिटर्न (Nil Return) भरना होता है।

विदेशी योगदान (Foreign contribution)

व्यक्तिगत उपयोग के लिये मिले उपहार के अलावा विदेशी स्रोत से मिली वस्तुएं, मुद्रा और प्रतिभूतियाँ विदेशी योगदान के अंतर्गत आती हैं।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA)

- भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लागू किया।
- वर्ष 2010 में इस अधिनियम को प्रमुखता से संशोधित किया गया। एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों को आमतौर पर बरकरार रखते हुए इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गये।
- इसके तहत राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन, ऑडियो, ऑडियो विजुअल न्यूज या करंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण में लगे किसी भी संगठन को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है।
- FCRA, 2010 के तहत दिया गया प्रमाण-पत्र पाँच साल तक के लिये वैध होगा तथा पूर्व अनुमति, विशेष कार्य या विदेशी योगदान जिसके लिए अनुमति दी गई है, उस विशेष राशि की प्राप्ति के लिए वैध होगा।
- नए प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति जो FCRA के प्रावधानों के अनुसार विदेशी योगदान प्राप्त करता है, उस राशि को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि वह व्यक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिये अधिकृत न हो।
- FCRA के तहत पंजीकृत होने के लिये एक गैर सरकारी संगठन को पूर्व में कम से कम तीन वर्षों के तक सक्रिय होना चाहिये। इसके अलावा इसकी गतिविधियों पर इसके आवेदन की तारीख से पूर्व के तीन वर्षों में 1,000,000 रुपए तक खर्च किये गए हों।
- नए प्रावधानों के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक या उसके समकक्ष विदेशी योगदान की प्राप्ति होने पर आँकड़ों को तथा उस साल के साथ-साथ अगले वर्ष के विदेशी योगदान के प्रयोग को भी सार्वजनिक करना होगा।

साइकिल उद्योग के लिये विकास परिषद

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Prmotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा साइकिल उद्योग क्षेत्र के विकास के लिये एक विकास परिषद की स्थापना को मंज़ूरी दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- DPIIT द्वारा हल्की, सुरक्षित, तेज़, मूल्यवर्द्धित और स्मार्ट साइकिलों के निर्माण की योजना बनाने के लिये विकास परिषद की स्थापना की गई है।
- इस विकास परिषद का उद्देश्य ऐसी साइकिलों का निर्माण करना है जो निर्यात और घरेलू स्तर पर प्रयोग के लिये वैश्विक मानकों के अनुरूप हों।
- इस 23 सदस्यीय विकास परिषद की अध्यक्षता DPIIT के सचिव द्वारा की जाएगी।

नोट :

- इस विकास परिषद की कार्यावधि 2 वर्ष की होगी।
- DPIIT के प्रकाश अभियांत्रिकी प्रभाग (Light Engineering Industry Division) के संयुक्त सचिव इस विकास परिषद के सदस्य सचिव होंगे।
- इस विकास परिषद में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित 9 पदेन सदस्य (Ex-officio Members) होंगे।
- इस विकास परिषद में सात डोमेन (Domain) विशेषज्ञ तथा चार नामांकित सदस्य होंगे।

साइकिल उद्योग के लिये स्थापित विकास परिषद निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम तथा साइकिल उद्योग को बढ़ावा देगी-

- विकास परिषद के माध्यम से साइकिल निर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा तथा सेवाओं के स्तर में सुधार करना।
- भारतीय साइकिल प्रौद्योगिकी तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में बदलाव लाना।
- विभिन्न हितधारकों को समन्वित रूप से निरंतर प्रोत्साहन देते हुए समग्र पर्यावरण प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना।
- साइकिल की मांग बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास करना तथा साइकिल उद्योग क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास और इसके उचित संचालन को सुनिश्चित करना।
- विभिन्न योजनाओं और व्यापार अनुकूल नीतियों के माध्यम से साइकिल उद्योग क्षेत्र में निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर क्रमशः स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण से मुक्ति, ऊर्जा बचत, विसंकुचन से लाभ संबंधी जानकारी देकर लोगों को साइकिल के अविश्वसनीय लाभों की जानकारी देना।
- अभिनव योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नए रूप में विकसित करना।
- साइकिल निर्माण और मरम्मत की दुकानों के लिये कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
- भारत में साइकिल के निर्माण, पुनर्चक्रण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रयोगों और उदाहरणों की पहचान और अध्ययन करना।

न्यायालय की अवमानना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी (Ranbaxy) के पूर्व प्रमोटरों को अपने आदेश के उल्लंघन के लिये अवमानना का दोषी ठहराया है।

मुख्य बिंदु:

- जापानी दवा निर्माता कंपनी दाइची (Daiichi) द्वारा दायर याचिका के अनुसार, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों ने न्यायालय की रोक के बावजूद फोर्टिस हेल्थकेयर (Fortis Healthcare) के शेयरों की बिक्री की।
- दाइची कंपनी द्वारा 3,500 करोड़ रूपए के आर्बिट्रेशन (Arbitration) अवार्ड मामले में रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी।
- दाइची ने वर्ष 2008 में रैनबैक्सी को खरीदा था। बाद में दाइची ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में शिकायत करते हुए कहा कि रेनबेक्सी 'यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' (US Food and Drug Administration) द्वारा की जा रही जाँच के दायरे में थी तथा कंपनी के प्रमोटर्स ने दाइची के साथ हुए सौदे के दौरान इस जाँच के बारे में नहीं बताया था।

न्यायालय की अवमानना:

- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) के अनुसार, न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है।

नोट :

- इस अधिनियम में अवमानना को 'सिविल' और 'आपराधिक' अवमानना में बाँटा गया है।
  - न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट, अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है।
  - न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक चिह्नित , चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो।
- हालाँकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन, न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष और उचित आलोचना तथा न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है।

न्यायालय की अवमानना के लिये दंड का प्रावधान:

- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिये दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह दंड छह महीने का साधारण कारावास या 2000 रूपए तक का जुर्माना या दोंनों एक साथ हो सकता है।
- वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि उसके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है।
- उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिये दंडित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है।

अवमानना अधिनियम की आवश्यकता:

- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्त्व को बनाए रखना है।
- अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियाँ न्यायाधीशों को भय, पक्षपात आदि की भावना के बिना कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करती हैं।

संवैधानिक पृष्ठभूमि:

अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय को स्वंय की अवमानना के लिये दंडित करने की शक्ति देता है।

- **अनुच्छेद 142 (2):** यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जाँच तथा उसे दंडित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 215:** उच्च न्यायालयों को स्वंय की अवमानना के लिये दंडित करने में सक्षम बनाता है।

अवमानना से जुड़े अन्य मुद्दे :

- संविधान का अनुच्छेद-19 भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है परंतु न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया है।
- कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अत: अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिये किया जा सकता है।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971):

- यह अधिनियम अवमानना के लिये दंडित करने तथा न्यायालयों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति को परिभाषित करता है।
- इस कानून में वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत 'सत्य की रक्षा' (Defence of Truth) को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2017

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने संशोधित वित्त अधिनियम 2017 (Finance Act 2017) में सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में वर्णित नियमों को रद्द कर, नए मानक तय करने का निर्देश दिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में वित्त अधिनियम की धारा 184 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जो केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को फ्रेम करने का अधिकार देता है।
- न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को रद्द करते हुए नए नियम बनाने का निर्देश दिया है।
- इसके अलावा न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने के मामले को उच्च पीठ के पास भेजने का आदेश दिया।

विवादास्पद बिंदु

- इस विधेयक में 40 से अधिक अति महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये गए थे।
- इन संशोधनों के लिये दोनों सदनों में व्यापक और सार्थक बहस तथा सहमति आवश्यक थी।
- परंतु अंतिम समय में सरकार ने इस विधेयक को धन विधेयक का दर्जा दिलवा कर बिना बहस के ही पारित करवा दिया।

धन विधेयक (Money Bill)-

संविधान के अनुच्छेद 110 में किसी विधेयक के धन विधेयक होने की निम्नलिखित शर्तें हैं-

- करारोपण, कर के उन्मूलन, परिवर्तन और विनियमन संबंधी प्रावधान।
- सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित विनियमन।
- भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना।
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
- भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना।

अनुच्छेद 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)-

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है।
- ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं।
- इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है।
- इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017 में सरकार द्वारा वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया. सरकार ने इस विधेयक में चुनावी बॉण्ड के प्रावधान होने के कारण इसे धन विधेयक के रूप में पारित करने का अनुमोदन किया।
- जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करके पारित करवा लिया।
- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस प्रक्रिया को न्यायोचित ठहराते हुए कहा था कि न्यायाधिकरण के अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से आते हैं, अत: इसे धन विधेयक की श्रेणी में रख सकते हैं।
- लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्र की बहुलता और शक्ति के संतुलन के लिये राज्य सभा को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

ओडिशा में विधानपरिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से ओडिशा में एक विधानपरिषद की स्थापना के लिये राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- ओडिशा विधानसभा ने 7 सितंबर, 2018 को विधानपरिषद की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव पारित किया था।
- ओडिशा सरकार के अनुसार, राज्य में विकास की गति में वृद्धि के लिये विधानपरिषद के माध्यम से व्यापक परामर्श की आवश्यकता है।

विधानपरिषद

विधानपरिषद का गठन एवं विघटन (Creation and Abolition of Legislative Council):

- संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधानपरिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। राज्यसभा की तरह विधानपरिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, किसी राज्य में विधानपरिषद के गठन तथा उत्सादन/समाप्ति (Abolition) के लिये राज्य विधानसभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा उत्सादन का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात् संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधानपरिषद के निर्माण व उत्सादन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- हालाँकि इस प्रकार के संशोधन से संविधान में परिवर्तन आता है किंतु इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

विधानपरिषद की संरचना (Composition of Legislative Council):

- संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं चाहिये।
- राज्यसभा सांसद की ही तरह विधानपरिषद सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, जहाँ प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पर इसके एक-तिहाई सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार, विधानपरिषद के एक-तिहाई सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, एक-तिहाई सदस्य एक विशेष निर्वाचक-मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं जिसमें नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य शामिल होते हैं, इसके अतिरिक्त, सदस्यों के बारहवें भाग का निर्वाचन राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों के निर्वाचक-मंडल द्वारा और एक अन्य बारहवें भाग का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचक-मंडल द्वारा किया जाता है, जो कम-से-कम तीन वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं।
  - ⅙ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा एवं सहकारिता से जुड़े होते हैं।

सदस्यता हेतु अर्हताएँ (Qualifications for Membership):

- संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद सदस्यता के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिये-
  - भारत का नागरिक हो।
  - 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
  - मानसिक रूप से विकृत न हो अर्थात् न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो।

विधानपरिषद वाले राज्य (States with Legislative Council):

- वर्तमान में छह राज्यों में विधानपरिषद अस्तित्व में हैं।
- जम्मू-कश्मीर में भी इसके विभाजन (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश) के पूर्व विधानपरिषद मौजूद थी।
- तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने विधानपरिषद गठित करने के लिये एक अधिनियम पारित किया था, लेकिन वर्ष 2010 में सत्ता में आई नई सरकार ने इसे वापस ले लिया।
- वर्ष 1958 में गठित आंध्र प्रदेश विधानपरिषद को वर्ष 1985 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2007 में इसका पुनर्गठन किया गया।
- ओडिशा विधानसभा ने वर्ष 2018 में विधानपरिषद के गठन के लिये संकल्प पारित किया है।
- राजस्थान और असम में विधानपरिषद के गठन के प्रस्ताव संसद में लंबित हैं।

नोट :

विधानपरिषद की सीमाएँ: (Limitations of Legislative Council):

- विधानपरिषद की शक्तिविहीन और प्रभावहीन भूमिका के कारण विशेषज्ञों द्वारा इस सदन की आलोचना की जाती रही है।
- आलोचक इसको द्वितीयक चैंबर, सफेद हाथी, खर्चीला सदन आदि की संज्ञा देते हैं।
- यह ऐसे व्यक्तियों की शरणस्थली है जिनकी सार्वजनिक स्थिति कमज़ोर होती है तथा जो लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं होते हैं अथवा जनता द्वारा नकार दिये जाते हैं ऐसे लोगों को सरकार में शामिल करने अर्थात् मुख्यमंत्री या मंत्री बनाने हेतु इस सदन का उपयोग किया जाता है।

विश्व प्रतिभा रैंकिंग- 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलेपमेंट (International Institute For Management Development- IMD) द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग-2019 (World Talent Ranking-2019) में भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष सूची में 63 देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूची में स्विट्ज़रलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसके बाद रैंकिंग में क्रमश: डेनमार्क और स्वीडन हैं।
  - अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा निवेश और विकास पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक विकास पर ज़ोर दिया गया है।

रैंकिंग के मानदंड:

- यह रैंकिंग तीन मुख्य कारकों के प्रदर्शन पर आधारित है-
  - निवेश तथा विकास (Investment and Development)
  - अपील (Appeal)- यह इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई देश किस सीमा तक स्थानीय और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करता है।
  - तत्परता (Readiness)- यह कारक किसी देश में उपलब्ध कौशल और दक्षताओं की गुणवत्ता को निर्धारित करता है।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलेपमेंट (International Institute For Management Development- IMD)

- IMD स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक बिज़नेस एजूकेशन स्कूल है। इसके द्वारा तीन रिपोर्ट जारी की जाती हैं।
  - विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग (World Competitiveness Ranking)
  - विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग (World Digital Competitiveness Ranking)
  - विश्व प्रतिभा रैंकिंग (World Talent Ranking)

भारत की स्थिति:

- एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट देखी गई है।
  - वर्ष 2018 में भारत का स्थान 53वां था।
- ब्रिक्स देशों की श्रेणी में भी भारत की स्थिति खराब हुई है, इस सूची में चीन को 42वां, रूस को 47वां और दक्षिण अफ्रीका को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण:

- जीवन की निम्न गुणवत्ता ।
- शिक्षा पर व्यय (प्रति छात्र) और शिक्षा की गुणवत्ता, जो कि जीडीपी वृद्धि से जुड़ी हो सकती है।
- प्रतिभा पलायन को रोकने में सरकार की विफलता।
- स्वास्थ्य प्रणाली की कम प्रभावशीलता और श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी।
- भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दे,अपील कारकों से संबंधित है।

नोट :

एंटीबायोटिक साक्षरता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल राज्य ने एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाओं के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिये एक महा अभियान की शुरुआत की है।

मुख्य बिंदु:

- यह अभियान 'केरल एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान' (kerala Antimicrobial Resistance Strategic Action Plan-KARSAP) के तहत विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह (World Antibiotic Awareness Week- WAAW), (18-24 नवंबर) के साथ प्रारंभ किया गया है, ताकि केरल वर्ष 2020 तक 'एंटीबायोटिक साक्षर' (Antibiotic Literate) बन सके।
- यह अभियान केरल में चल रहे आर्द्रम (Aardram) कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है।

आर्द्रम कार्यक्रम (Aardram Programme):

- केरल सरकार द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था।
- यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिये प्रारंभ किया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों को अधिक रोगी अनुकूल बनाकर उन्हें उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- KARSAP के अनुसार, जब तक स्कूली बच्चों सहित आम जनता को एंटीबायोटिक दवाओं की बुनियादी जानकारी नहीं दी जाती है और उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि इन जीवन रक्षक दवाओं का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिये तब तक एंटीबायोटिक का दुरुपयोग जारी रहेगा।
- यह अभियान 'एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस' (Antimicrobial Resistance- AMR) को लागों के बीच गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में शामिल करने तथा इससे बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिये प्रारंभ किया गया है।

विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह (World Antibiotic Awareness Week- WAAW):

- WAAW का उद्देश्य एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार से बचने के लिये आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच उचित प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance):

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध का अर्थ विभिन्न रोगों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया द्वारा उन रोगों के इलाज के लिये प्रयोग की जाने वाली कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध को विकसित करना है।
- KARSAP के तहत स्थानीय प्रशासन और मूलभूत स्तर के कार्यकर्त्ता लोगों को इस अभियान द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा इनके कारण होने वाले संक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारी देंगे।

जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा द्वारा जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 [Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019] पारित किया गया है।

मुख्य बिंदु

इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 2 अगस्त, 2019 को पारित कर दिया गया था, अत: यह विधेयक अब संसद द्वारा पारित हो गया है।

- वर्ष 2019 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है।

नोट :

- इस घटना के 100 साल बीत जाने के बाद यह आवश्यक है कि जलियाँवाला बाग स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया जाए।
- यह विधेयक जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम,1951 में संशोधन का प्रावधान करता है।

विधेयक में प्रावधान:

- जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 के अनुसार इस स्मारक के न्यासियों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
  - भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष
  - संस्कृति मंत्रालय का प्रभारी मंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष का नेता
  - पंजाब का राज्यपाल
  - पंजाब का मुख्यमंत्री
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति
- इस विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का स्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर गैर राजनीतिक व्यक्ति को इसके संचालन हेतु न्यासी बनाने का प्रयास किया गया है।
- विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा विपक्ष का ऐसा कोई नेता न होने की स्थिति में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यास के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।
- इस विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन न्यासियों को पाँच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा तथा इन्हें पुन: नामित भी किया जा सकता है।
- इस विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि नामित न्यासी को पाँच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

- 9 अप्रैल, 1919 को (कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल भी) रोलैट एक्ट का विरोध करने के आरोप में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया।
- इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, 1919 को बैशाखी के दिन अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया।
- जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना तथा सभास्थल पर पहुँचकर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया।
- आंकड़ों के अनुसार, मरने वालों की संख्या 379 थी लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे।
- इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'नाइटहुड' की उपाधि त्याग दी।
- इस हत्याकांड की जाँच के लिये कॉन्ग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।
- ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जाँच के लिये हंटर आयोग गठित किया।

समीक्षा/पुनर्विचार याचिका

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court-SC) के हाल के निर्णयों में समीक्षा/पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर करने की बात की जा रही है। जहाँ एक ओर याचिकाकर्त्ताओं ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्ज़िद-राम जन्मभूमि और दूरसंचार राजस्व मामले में दिये गए निर्णय की समीक्षा करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला निर्णय की समीक्षा करने पर तो सहमति जताई लेकिन राफेल मामले की जाँच करने से इंकार कर दिया।

नोट :

ऐसे में समीक्षा याचिका के संदर्भ में बहुत से मुद्दे चर्चा का विषय बन गए हैं:

समीक्षा याचिका (Review petition) क्या है ?

संविधान के अनुसार, SC द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हालाँकि अनुच्छेद 137 के तहत SC को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इसका कारण यह है कि किसी भी मामले में SC द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य में सुनवाई के लिये आने वाले मामलों के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है।

- समीक्षा याचिका में SC के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने पूर्व के निर्णयों में निहित 'स्पष्टता का अभाव' तथा 'महत्त्वहीन आशय' की गौण त्रुटियों की समीक्षा कर उनमें सुधार कर सकता है।

पेटेंट त्रुटी (Patent Error)

एक त्रुटी जो स्वयं स्पष्ट है अर्थात् जिसे किसी भी जटिल तर्क या तर्क की लंबी प्रक्रिया में शामिल किये बिना प्रदर्शित किया जा सकता है।

- वर्ष 1975 के एक फैसले में, तत्कालीन न्यायमूर्ति कृष्ण/कृष्णा अय्यर ने कहा था कि एक समीक्षा याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब न्यायालय द्वारा दिये गए किसी निर्णय में भयावह चूक या अस्पष्टता जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो।
- SC द्वारा समीक्षाओं को स्वीकार करना दुर्लभ होता है, इसका जीवंत उदाहरण सबरीमाला और राफेल मामलों में देखने को मिलता है।
- पिछले वर्ष SC ने केंद्र सरकार की याचिका पर मार्च 2018 के फैसले की समीक्षा करने की अनुमति दी थी, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमज़ोर कर दिया था।

किस आधार पर याचिकाकर्त्ता SC के फैसले की समीक्षा की माँग कर सकता है ?

- वर्ष 2013 में SC ने अपने निर्णय की समीक्षा करने के तीन आधार स्पष्ट किये थे-
  1. नए और महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज, जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था।
  2. दस्तावेज़ में कोई त्रुटि अथवा अस्पष्टता रही हो।
  3. कोई अन्य पर्याप्त कारण (अर्थात् ऐसा कारण जो अन्य दो आधारों के अनुरूप हो)।

समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है ?

- नागरिक प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो फैसले से असंतुष्ट है, समीक्षा याचिका दायर कर सकता है भले ही वह उक्त मामले में पक्षकार हो अथवा न हो।

नोट:

- हालाँकि न्यायालय प्रत्येक समीक्षा याचिका पर विचार नही करता है। यह (न्यायालय) समीक्षा याचिका को तभी अनुमति देता है जब समीक्षा करने का कोई महत्त्वपूर्ण आधार दिखाता हो।
- SC अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने के लिये बाध्य नहीं है, सामुदायिक हितों और न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले कर सकता है।
- संक्षेप में SC एक स्वयं सुधार संस्था है।
  - उदाहरण के तौर पर, केशवानंद भारती मामले (1973) में SC ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले (1967) से हटकर फैसला दिया।

समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिये न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- उच्चत्तम न्यायालय द्वारा निर्मित वर्ष 1996 के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिये।
- कुछ परिस्थितियों में, न्यायालय समीक्षा याचिका दायर करने की देरी को माफ़ कर सकती है यदि याचिकाकर्ता देरी के उचित कारणों को अदालत के सम्मुख प्रदर्शित करे।
- न्यायालय के नियमों के मुताबिक "वकीलों की मौखिक दलीलों के बिना याचिकाओं की समीक्षा की जाएगी।
- समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई उन न्यायधीशों द्वारा भी की जा सकती है जिन्होंने उन पर निर्णय दिया था।
- यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त या अनुपस्थित होता है तो वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन किया जा सकता है।
- अपवाद: (जब न्यायालय मौखिक सुनवाई की अनुमति देता है)
- वर्ष 2014 के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "मृत्युदंड" के सभी मामलों की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा खुली अदालत में की जाएगी।

नोट :

अयोध्या के फैसले की समीक्षा किस आधार पर की जानी है ?

- अभी तक केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह निर्णय समीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्त्ता इस मत पर विभाजित हैं।
- हालाँकि अभी तक इस आधार का खुलासा नहीं किया गया है जिसके आधार पर समीक्षा याचिका दायर की जाएगी।
- हालाँकि ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ ज़मीन का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है जिसे आधार बनाकर समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड:

यह एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1973 में गठित किया गया था जो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) की सुरक्षा और इसको प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिये कार्य करता है।

यदि समीक्षा याचिका असफल हो जाये तो ?

- यदि SC द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो भी SC से दोबारा समीक्षा करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार की याचिका को आरोग्यकर/सुधारात्मक याचिका अर्थात् क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है।
- रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) मामले में SC ने पहली बार सुधारात्मक याचिका शब्दावली का प्रयोग किया।
- सुधारात्मक याचिका को SC में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है।

मुद्रा ऋण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY) के तहत प्रदान किये गए ऋणों का बड़े स्तर पर 'गैर-निष्पादित परिसंपत्ति' (Non Performing Assets- NPA) के रूप में परिवर्तित होने पर चिंता जताई है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के अनुसार, मुद्रा योजना के तहत प्रदान किये गए ऋणों से कई लाभार्थी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं, परंतु कई ऋण प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा समय पर ऋण न चुकाने से NPA का स्तर बढ़ा है।
- PMMY के तहत प्रदान किये गए ऋणों का बड़ी मात्रा में NPA के रूप में परिवर्तन होने के कारण RBI ने बैंकों से इस तरह के ऋणों की बारीकी से निगरानी करने को कहा है क्योंकि अस्थिर ऋण वृद्धि बैंकिंग प्रणाली को जोखिम में डाल सकती है।
- RBI के अनुसार, अनिश्चित ऋण वृद्धि, अत्यधिक अंतरसंबद्धता तथा ऋणों के चक्रीय रूप से NPA में परिवर्तित हो जाने से वित्तीय जोखिम बढ़ता है जो भारत के सूक्ष्मवित्तीय (Microfinance) क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम को बढ़ावा देता है।
- डिजिटल ढाँचे में सुधार के चलते सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies- NBFCs) एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिये आकर्षक ग्राहक के रूप में उभरा है जिससे धन के अनौपचारिक स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हुई है।
- जुलाई, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार, मुद्रा योजना के अंतर्गत 3.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण NPA में परिवर्तित हो चुका है, तथा इस योजना के अंतर्गत NPA में परिवर्तित कुल ऋण वित्तीय वर्ष 2017-18 के 2.52% से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.68% तक पहुँच चुका है।
- जून, 2019 तक मुद्रा योजना के तहत 19 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है तथा मार्च 2019 तक लगभग 3.63 करोड़ खातों को डिफॉल्ट (Default) घोषित किया गया है।
- RTI द्वारा प्राप्त एक सूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैड लोन्स (Bad Loans) में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 126% की वृद्धि हुई।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैड लोन्स (Bad Loans) 9204.14 करोड़ रुपए था जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 16481.45 करोड़ रुपए हो गया।

नोट :

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: (Pradhan Mantri MUDRA Yojana-PMMY)

- इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
- इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों को ज़मानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई:
  - शिशु (Shishu) - 50,000 रुपए तक के ऋण
  - किशोर (Kishor) - 50,001 से 5 लाख रुपए तक के ऋण
  - तरुण (Tarun) - 500,001 से 10 लाख रुपए तक के ऋण
- इसका उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस का उपयोग आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में करना है।
- यह योजना कमज़ोर वर्ग के लोगों, छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों को लक्षित करने, खाद्य सेवा इकाइयों, मशीन ऑपरेटरों, कारीगरों तथा खाद्य उत्पादकों को आय प्राप्ति हेतु अवसर प्रदान करने में मदद करती है।

दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिये लोकसभा में दादरा नगर हवेली और दमन-दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पेश किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक का उद्देश्य दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का आपस में विलय करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश बनाना है।
- केंद्र सरकार द्वारा यह कदम जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन किये जाने के तीन महीने बाद उठाया गया है।
- भारत में अभी 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या आठ हो जाएगी।

विलय का उद्देश्य:

- केंद्र सरकार के अनुसार, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली के विलय का उद्देश्य सेवा दक्षता में सुधार तथा कागज़ी काम को कम करके दोंनों केंद्रशासित प्रदेशों के नागरिकों को सेवाओं का बेहतर वितरण करना है।
- केंद्र सरकार ने अपनी 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की नीति को ध्यान में रखते हुए दोंनों की छोटी आबादी और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए अधिकारियों की सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिये दोंनों केंद्रशासित प्रदेशों के विलय का निर्णय लिया है।
- इन केंद्रशासित प्रदेशों में दो अलग-अलग संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ होने से बहुत अधिक दोहराव, सेवा प्रदान करने में अक्षमता और धन का अपव्यय होता है।

वर्तमान स्थिति:

- दोंनों केंद्रशासित प्रदेश गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित हैं।
- दोंनों केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग सचिवालय हैं।
- दादरा नगर हवेली में सिर्फ एक ज़िला है, जबकि दमन एवं दीव में दो ज़िले हैं।

ऐतिहासिक स्थिति:

- इन दोंनों केंद्रशासित प्रदेशों पर लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा।
- दिसंबर 1961 में दोंनों को पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली।
- 1961 से 1987 तक दमन-दीव गोवा केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा था परंतु 1987 में जब गोवा राज्य बना तो इसे अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

नोट :

राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 'राष्ट्रीय युवा संसद योजना' का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 250वें सत्र पूरे होने पर 250 रुपए मूल्य का सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया।

सिक्का और डाक टिकट के विषय में

- इस सिक्के का वज़न 40 ग्राम और परिधि 44 मिलीमीटर है। इसमें अशोक स्तंभ एवं संसद भवन के चित्रों के साथ-साथ महात्मा गांधी की तस्वीर उभरी हुई है।
- सिक्के पर सत्यमेव जयते लिखा है जबकि डाक टिकट पर संसद के स्थापत्य की जालीनुमा आकृतियों के साथ संसद भवन का चित्र बना हुआ है।

राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल

- भारत के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठन/संस्थान 'राष्ट्रीय युवा संसद योजना' में भाग लेने के लिये पात्र होंगे।
- यह वेब-पोर्टल शिक्षण संस्थानों की भागीदारी और उनके पंजीकरण के लिये आवेदन करने का एकमात्र माध्यम होगा।
- यह पोर्टल ऑनलाइन स्व-शिक्षा के लिये वीडियो, पिक्चर्स/तस्वीरें, स्क्रिप्ट और ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध कराएगा।
- एक बार पंजीकरण हो जाने के पश्चात् पात्र शैक्षिक संगठन/संस्थान अपने संबंधित युवा संसद की बैठक में भाग ले सकेंगे।

नियम 12

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2019 को बगैर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत सरकार (कार्यकरण) नियमावली, 1961 के नियम 12 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा दिया। इसके साथ ही कई प्रश्न चर्चा का विषय बन गए हैं, जैस- नियम 12 क्या है? यह सरकार को क्या-क्या अधिकार प्रदान करता है?

नियम 12 क्या है ?

- भारत सरकार (कार्यकरण) नियमावली, 1961 का नियम 12 प्रधानमंत्री को अपने विवेक के आधार पर सामान्य नियमों से भटकाव की अनुमति है।
- "नियमों से प्रस्थान" (Departure from Rules) शीर्षक को नियम 12 कहा जाता है।
- नियम 12 के तहत लिये गए किसी भी निर्णय के लिये मंत्रिमंडल कुछ समय बाद तथ्यात्मक स्वीकृति दे सकता है।

नियम 12 का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है ?

- आमतौर पर सरकार द्वारा प्रमुख निर्णयों के लिये नियम 12 का उपयोग नहीं किया जाता है।
- हालाँकि पूर्व में इसका उपयोग कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने या एमओयू पर हस्ताक्षर करने जैसे मामलों में किया गया है।
- नियम 12 के माध्यम से आखिरी बड़ा फैसला 31 अक्तूबर, 2019 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में लिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर इसे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया गया है।
- इसके विषय में मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर, 2019 को एक्स-फैक्टो स्वीकृति प्रदान की।

विवादास्पद क्यों ?

- नियम 12 के क्रियान्वित होने से प्रतीत होता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के शीर्ष नेताओं को भी आगे की कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी। जबकि सामान्य नियमों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा समाप्ति के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यक होती है, इसके पश्चात् इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिये भेजा जाता है।

नोट :

मिज़ोरम में वन अधिकार कानून

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2019 को मिज़ोरम सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 [The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006- FRA, 2006] के कार्यान्वयन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- संविधान के अनुच्छेद 371 (G) के तहत मिज़ोरम के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।
- मिज़ोरम में संसद द्वारा पारित भूमि स्वामित्व तथा स्थानांतरण से संबंधित सभी कानूनों का लागू होने से पहले राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया जाना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार ने इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए राज्य में FRA, 2006 के क्रियान्वयन को रोकने का प्रस्ताव पारित किया है।
- जिस प्रकार अनुच्छेद 370 का उपयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर में FRA, 2006 के अधिनियमन को रोका गया था उसी प्रकार संविधान के इस विशेष प्रावधान (371, G) का प्रयोग करके मिज़ोरम सरकार ने राज्य से FRA, 2006 को रद्द करने के लिये प्रस्ताव पारित किया।
- मिज़ोरम सरकार ने अनुच्छेद 371 (G) का प्रयोग भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार करने के शस्त्र के रूप में किया है। राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम, 2006 को रद्द करने के लिये भी इसी अनुच्छेद का प्रयोग कर रही है।
- मिज़ोरम विधानसभा द्वारा 21 दिसंबर, 2009 को एक संकल्प पारित करके FRA, 2006 को पूरे मिज़ोरम में लागू किया गया था।

अन्य तथ्य

- राज्य में वनों का एक बड़ा हिस्सा लाई, मारा और चकमा (Lai, Mara and Chakma) स्वायत्त ज़िला परिषदों के स्वामित्व में है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2017 की राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार, मिज़ोरम में कुल 5,641 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का लगभग 20 प्रतिशत अवर्गीकृत वन के रूप में है जो स्वायत्त ज़िला परिषदों के अधीन है।
- सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मिज़ोरम में अवर्गीकृत वन का क्षेत्र सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि FRA, 2006 के कार्यान्वयन की संभावना मिज़ोरम में सबसे अधिक है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति' (North East Industrial and Investment Promotion Policy) के लागू होने से सभी सरकारों का ध्यान ज़मीन पाने पर केंद्रित होगा। मिज़ोरम जैसे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है तथा उस भूमि पर विभिन्न समुदायों का स्वामित्त्व है।
- हाल ही में प्रारंभ किया गया क्षतिपूरक वनीकरण कोष से भी मिज़ोरम सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय की पुष्टि होती है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- [The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006- FRA, 2006]
- FRA, 2006 हमारे देश के वनवासियों और जनजातीय समुदायों द्वारा वनों पर उनके अधिकारों का दावा करने के लिये किये गए संघर्ष का परिणाम है, जिस पर वे परंपरागत रूप से निर्भर थे।
- यह अधिनियम हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों आदिवासियों और अन्य वनवासियों के वन अधिकारों के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे भारत में वंचित आदिवासियों तथा अन्य वनवासियों के वन अधिकारों की बहाली करता है।

तारांकित प्रश्न

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2019 को लोकसभा में पूछे गए सभी 20 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया।

नोट :

मुख्य बिंदु

- वर्ष 1972 के बाद यह पहली बार है, जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 20 तारांकित प्रश्न उठाए गए तथा सभी 20 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए।
- पूछे गए तारांकित प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय, कोयला, वाणिज्य एवं उद्योग, संचार, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, विदेश, विधि और न्याय, खान, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, रेलवे, अंतरिक्ष तथा सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रियों से संबंधित थे।

पूर्व स्थिति

- 5वीं लोकसभा के दौरान वर्ष 1972 से तारांकित प्रश्नों की सूची में प्रश्नों की संख्या को 20 पर सीमित कर दिया गया था।
- इससे पूर्व, 14 मार्च, 1972 को 5वीं लोकसभा के दौरान एक दिन में सबसे अधिक 14 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया था।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही

- संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा (11 से 12 बजे तक का समय) 'प्रश्नकाल' कहलाता है।
- इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं।
- इस अवधि में पूछे गए प्रश्न की निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं-
  - **तारांकित प्रश्न (Starred Questions):** ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जाने की अनुमति होती है।
  - **अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions):** ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है।
  - **अल्पसूचना प्रश्न (Short Notice Questions):** ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्त्व के तात्कालिक विषय से होता है, इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
  - **निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न:** ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिये उत्तरदायी होते है।

लोकसभा अध्यक्ष और अनियंत्रित सांसद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दो सदस्यों को अनियंत्रित आचरण के कारण सदन से निलंबित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दो सांसदों का उनके अनियंत्रित आचरण तथा लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने के कारण निलंबित किये जाने से सांसदों के आचरण संबंधी मुद्दे पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है।
- लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार 'लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' (The Rules of Procedure and Conduct of Business) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

क्या हैं नियम ?

- लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 378 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में व्यवस्था बनाई रखी जाएगी तथा उसे अपने निर्णयों को प्रवर्तित करने के लिये सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- नियम 373 के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष उस सदस्य को लोकसभा से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है और जिस सदस्य को इस तरह का आदेश दिया जाएगा, वह तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा तथा उस दिन की बची हुई बैठक के दौरान वह सदन से बाहर रहेगा।

नोट :

- नियम 374 (1), (2) तथा (3) के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य ने अध्यक्ष के प्राधिकारों की उपेक्षा की है या वह जान बूझकर लोकसभा के कार्यों में बाधा डाल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेकर उसे अवशिष्ट सत्र से निलंबित कर सकता है तथा निलंबित सदस्य तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा।
- नियम 374 (क) (1) के अनुसार, नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी प्रावधान के बावजूद यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालकर जान बूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिये जाने पर वह लोकसभा की पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिये (जो भी कम हो) स्वत: निलंबित हो जाएगा।

निलंबन से संबंधित कुछ उदाहरण:

- जनवरी 2019 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 45 सांसदों को लगातार कई दिनों तक लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के कारण निलंबित कर दिया था।
- फरवरी 2014 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के 18 सांसदों को निलंबित किया था। ये सांसद तेलंगाना राज्य के निर्माण के निर्णय का समर्थन या विरोध कर रहे थे।
- दिसंबर 2018 में लोकसभा की नियम समिति ने सदन की वेल (Well) में प्रवेश करने वाले तथा पीठासीन के बार-बार मना करने के बावजूद नारे लगाकर लोकसभा के कार्य में बाधा डालने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन की सिफारिश की थी।

हालाँकि आमतौर पर देखा गया है कि सत्ताधारी दल हमेशा सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है तथा विपक्षी दल विरोध करने के अपने अधिकार पर बल देते हैं लेकिन उनकी भूमिकाएँ बदलने के साथ ही उनकी स्थितियाँ भी बदल जाती हैं।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) में तीनों सेनाओं के लिये 22,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिये DAC ने असॉल्ट राइफलों हेतु 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' के स्वदेशी डिज़ाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिये मंज़ूरी दी।

'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' Thermal Imaging Night Sights

- 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' का विनिर्माण भारत के निजी उद्योग द्वारा किया जाएगा और इनका उपयोग अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
- 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' से सैनिकों को अंधेरे के साथ-साथ हर तरह के मौसम में लम्बी दूरी से सटीक निशाना लगाने में मदद मिलेगी, जिससे रात्रि में भी बड़ी तत्परता के साथ जंग करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

'एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल' Airborne Warning and Control System (AWACS)

- सफल स्वदेशी 'एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल' कार्यक्रम के बाद DAC ने अतिरिक्त एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) इंडिया एयरक्राफ्ट की खरीद के लिये आवश्यकता की स्वीकार्यता को दोबारा सत्यापित किया।
- इन विमानों के लिये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा मिशन प्रणालियों और उप-प्रणालियों की स्वदेश में ही डिज़ाइनिंग की जाएगी और फिर इनका विकास किया जाएगा तथा बाद में मुख्य प्लेटफॉर्म पर इन्हें एकीकृत किया जाएगा।
- ये प्लेटफॉर्म विमान पर ही कमांड एवं कंट्रोल तथा 'पूर्व चेतावनी' सुलभ कराएंगे, जिससे भारतीय वायु सेना (IAF) को हवाई क्षेत्र में कम से कम समय में प्रभावकारी वर्चस्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- इन प्रणालियों को शामिल करने से हमारे देश की सीमाओं पर कवरेज बढ़ जाएगी और इससे भारतीय वायु सेना की हवाई रक्षा तथा आक्रामक क्षमता दोनों को ही काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नोट :

'पनडुब्बी-रोधी युद्ध पी8 I' P8I long range patrol aircraft

- DAC ने नौसेना के लिये मध्यम दूरी वाले 'पनडुब्बी-रोधी युद्ध पी8 I' विमान की खरीद को भी मंज़ूरी दे दी है।
- इन विमानों से समुद्री तटों की निगरानी, पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW) और एंटी-सरफेस वेसल (ASV) से हमले करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

'ट्विन इंजन हैवी हेलिकॉप्टर' Twin Engine Heavy Helicopters (TEHH)

- DAC ने भारतीय तटरक्षक के लिये 'ट्विन इंजन हैवी हेलिकॉप्टर' की खरीद को भी स्वीकृति दे दी है।
- इन विमानों से तटरक्षक को समुद्र में आतंकवाद की रोकथाम करने और समुद्री मार्गों के ज़रिये आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के साथ-साथ तलाशी एवं बचाव अभियान चलाने के मिशन शुरू करने में मदद मिलेगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC)

- सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकताओं की शीघ्र ख़रीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी।
- DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि DAC अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।

राज्य स्तरीय राजनीतिक दल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने हरियाणा की जननायक जनता पार्टी (JJP) को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया।

मुख्य बिंदु:

- JJP का गठन दिसंबर 2018 में इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के विभाजन के बाद हुआ था।
- हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में JJP ने दस सीटों पर जीत हासिल की तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर सरकार बनाई।
- ध्यातव्य है कि JJP अब तक एक गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल था जिसे सभी शर्तों को पूरा करने के बाद, निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय दल के तौर पर मान्यता प्रदान की।

राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिये शर्तें:

- किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी एक को पूरा करता हो-
  - दल ने राज्य की विधानसभा के लिये हुए चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया हो।
  - लोकसभा के लिये हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिये निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज की हो।
  - राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो।
  - राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिये हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 8 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिये शर्तें:

- किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी एक को पूरा करता हो-
  - लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतिशत (11 सीट) सीटों पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से हों।

नोट :

- लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे।
- यदि कोई दल चार या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे।

किसी भी राजनीतिक दल के लिये राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने हेतु यह आवश्यक है कि वह आगामी चुनावों में भी उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करे अन्यथा उससे वह दर्जा वापस ले लिया जाएगा।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दल होने के लाभ:

- अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है, वहाँ अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
- यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है तो उसे पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत होती है।
- इसके अलावा उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के वक्त मतदाता सूचियों के दो सेट नि:शुल्क पाने का अधिकार भी होता है। आम चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची का एक सेट नि:शुल्क पाने का हक होता है।
- इसके अलावा आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा भी मिलती है।
- ऐसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के दौरान अपने स्टार-प्रचारक (Star Campaigner) नामित करने की सुविधा भी प्राप्त होती है।
- एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपने लिये अधिकतम 40 स्टार-प्रचारक रख सकता है, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल अधिकतम 20 स्टार-प्रचारक ही रख सकता है। इन स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता जिसके पक्ष में ये प्रचार करते हैं।

गैर-सरकारी विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सदन में कुछ सांसदों द्वारा शुक्रवार के स्थान पर बुधवार को गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने का दिन निर्धारित करने की मांग की गई है।

गैर सरकारी विधेयक क्या है ?

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, उन्हें संसद का गैर-सरकारी सदस्य कहा जाता है।
- इन सदस्यों द्वारा पेश किये गए विधेयक को गैर-सरकारी विधेयक कहते हैं।
- यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है।
- गैर- सरकारी विधेयक किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है।
- यह विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है।

विधेयक प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया:

- गैर-सरकारी विधेयक का मसौदा सांसद या उनके कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। इन विधेयकों के तकनीकी और कानूनी मामलों की जाँच संसद सचिवालय द्वारा की जाती है।
- इस विधेयक को पेश करने के लिये एक माह के नोटिस के साथ विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण की एक प्रति होनी चाहिए।
- वर्ष 1997 तक प्रति सप्ताह 3 विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते थे, जिनकी संख्या बाद में घटा कर प्रति सत्र 3 कर दी गई।
- गैर-सरकारी विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है।

नोट :

आँकड़े:

- एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 से 2014 के बीच कुल 372 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किये गए, जिनमें से केवल 11 विधेयकों पर चर्चा की गई।
- स्वतंत्रता के बाद से आज तक केवल 14 ऐसे गैर-सरकारी विधेयक हैं जिन पर क़ानून बनाया गया है।
- वर्ष 1970 के बाद प्रस्तुत कोई भी गैर-सरकारी विधेयक क़ानून नहीं बन सका है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विधेयक को वर्ष 2014 में राज्यसभा द्वारा 45 वर्षों बाद पारित किया गया।

विधेयकों की असफलता के कारण:

- गैर-सरकारी विधेयकों को स्वेच्छा या अनिच्छा से सत्ता पक्ष द्वारा नज़रअंदाज़ किये गए मुद्दों पर ध्यान देने के लिये अस्तित्व में लाया गया।
- किसी भी गैर-सरकारी विधेयक का सफलतापूर्वक पारित होना, सरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- इस प्रकार के विधेयक को अगर सदन में समर्थन मिल भी जाता है तो सत्ता पक्ष उसे सरकारी विधेयक की तरह पारित करवाने की कोशिश करता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

दूरसंचार क्षेत्र में चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया, ताकि संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज की घोषणा की जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- पैनल में वित्त, कानून और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। जो समयबद्ध तरीके से सिफारिशों का निपटारा किया सके।
- यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उठाया गया है और इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि दूरसंचार कंपनियों की 1.4 लाख करोड़ रुपए की भुगतान राशि हेतु कुछ समाधान निकल सकेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के वार्षिक समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue- AGR) की गणना में गैर-दूरसंचार व्यवसायों से प्राप्त राजस्व को शामिल किया है जिसका कंपनियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
- दूरसंचार कंपनियाँ कई अन्य चुनौतियों जैसे- उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और उन तक बेहतर दूरसंचार सेवाओं की पहुँच का सामना कर रही हैं।

आधारभूत मुद्दे:

- वर्तमान में इस क्षेत्र के ऊपर भुगतान राशि को मिलाकर कुल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण विद्यमान है।
- फ्री वॉयस और सस्ते डेटा से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण, दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व वर्ष 2017-18 और 2018-19 के मध्य और गिर गया।
- भारत में ग्राहकों को 8 रुपए/जीबी डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है जो विश्व में सबसे सस्ती दर है।
- प्रति उपयोगकर्त्ता प्रतिमाह औसत राजस्व की प्राप्ति वर्ष 2014-15 के 174 रुपए के स्तर से घटकर वर्ष 2018-19 में 113 रुपए हो गई।
- इस क्षेत्र की अन्य चुनौतियों में 5जी का क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

क्षेत्र की मांग:

- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (Spectrum Usage Charges) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लेवी (Universal Service Obligation Fund Levy) में कमी की जाए।
- वॉयस और डेटा के लिये व्यवहार्य मूल्य निर्धारण (Viable Pricing) किया जाए, यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) के कार्यक्षेत्र में आता है।
- दूरसंचार क्षेत्र की मांग है कि TRAI द्वारा वॉयस और डेटा सेवाओं के लिये न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिये, जिससे क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और मज़बूत वित्तीय स्थिति सुनिश्चित हो सके।
- इस क्षेत्र की कंपनियों की मांग है कि उनके क्रेडिट पर मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि सरकार के पास जमा है, का समायोजन सरकारी शुल्कों में किया जाए।

समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue- AGR)

- यह उपयोग और लाइसेंस शुल्क है जो दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों पर लगाया जाता है। विभाग द्वारा इसकी दर 3.5%-8% के मध्य निर्धारित की गई है।

नोट :

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (Spectrum Usage Charge- SUC)

- यह वह शुल्क है जो मोबाइल एक्सेस सेवा प्रदान करने वाले लाइसेंसधारियों द्वारा अपने AGR के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। इसी के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड Universal Service Obligation Fund (USOF)

- यह ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में लोगों तक वहन योग्य कीमतों पर गैर-भेदभावपूर्ण गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करता है।
- वर्तमान में इसकी दर 5% है जिसे इस क्षेत्र की कंपनियों द्वारा घटाकर 3% करने की मांग की जा रही है।
- इसका गठन वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत किया गया था।
- इस फंड के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

आगे की राह:

- दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करके सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिये।
- एक बेहतर व्यावसायिक वातावरण के लिये दीर्घकालिक दृष्टि योजना (long-term vision plan) का निर्माण करना चाहिये।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं तक बढ़ती पहुँच भारत को डिजिटली रूप से अधिक सशक्त बनाएगा, इसलिये समग्र दूरसंचार क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिये।

बेरोज़गारी दर रिपोर्ट- CMIE

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Center For Monitoring Indian Economy-CMIE) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में बेरोज़गारी दर पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु:

- CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी बेरोज़गारी दर 8.9% और ग्रामीण बेरोज़गारी दर 8.3% अनुमानित है।
- उल्लेखनीय है अक्तूबर 2019 में भारत की बेरोज़गारी दर बढ़कर 8.5% हो गई, जो अगस्त 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्य स्तर पर सबसे अधिक बेरोज़गारी दर त्रिपुरा (27%) हरियाणा (23.4%) और हिमाचल प्रदेश (16.7) में आंकी गई।
- जबकि सबसे कम बेरोज़गारी दर क्रमश: तमिलनाडु (1.1%), पुद्दूचेरी (1.2%) और उत्तराखंड (1.5%) में अनुमानित की गई थी ।
- CMIE की यह रिपोर्ट नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वे पर आधारित हैं जिसके तहत बेरोज़गारी दर जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान पिछले 45 वर्षों में सबसे बुरे स्तर पर आँकी गई थी।
- इसके अलावा सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (Center For Sustainable Employment) द्वारा 'इंडियाज एंप्लॉयमेंट क्राइसिस' (India's Employment Crisis) शोध के अनुसार, 2011-12 और 2017-18 के बीच,कुल रोज़गार में नौ मिलियन (2%) की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई।वहीं कृषि आधारित रोज़गार में 11.5% की गिरावट का अनुमान लगाया गया।
- शोध के अनुसार इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की रोज़गार दर में 13.4% की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 5.7% की गिरावट दर्ज की गई।

बेरोज़गारी क्या है ?

- किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोज़गार की तलाश किये जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोज़गारी कहलाती है।
- इसे सामान्यत: बेरोज़गारी दर के रूप में मापा जाता है जिसे श्रमबल में शामिल व्यक्तियों की संख्या से बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है।

नोट :

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Center For Monitoring Indian Economy-CMIE)

- CMIE की स्थापना एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में 1976 में की गई।
- CMIE प्राथमिक डेटा संग्रहण, विश्लेषण और पूर्वानुमानों द्वारा सरकारों, शिक्षाविदों, वित्तीय बाजारों, व्यावसायिक उद्यमों, पेशेवरों और मीडिया सहित व्यापार सूचना उपभोक्ताओं के पूरे स्पेक्ट्रम को सेवाएँ प्रदान करता है।

रिज़र्व बैंक के NBFCs के लिये नए तरलता निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ने नॉन- बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (Non Banking Financial Companies) पर प्रभावी संपत्ति देयता प्रबंधन (Asset Liability Management) के मानकों को सुदृढ़ करने के लिये तरलता जोखिम प्रबंधन (Liquidity Risk Management) पर मौजूद दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने तरलता अंतर के संदर्भ में नकारात्मक संपत्ति देयताओं (Negative Assets liabilities) की एक विशेष सीमा निर्धारित की है, साथ ही साथ तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio- LCR) बनाए रखने का निर्देश दिया है।
- संरचनात्मक तरलता (Structural Liquidity) को बनाए रखने के लिये देनदारियों हेतु 1 से 30 दिन के समय अंतराल (Time Bucket) को,1 से 7 दिन, 8 से 14 दिन और 15 से 30 दिन के समय अंतराल में बाँट दिया गया है।
- नए नियम के अनुसार उपर्युक्त समय अंतराल में शुद्ध संचयी अंतर (Net Commulative Mismatch) 1 से 7 दिन के समय अंतराल के लिये 10%, 8 से 14 दिन के लिये 10% और 15 से 30 दिन के समय अंतराल के लिये संचयी नकद बहिर्प्रवाह (Commulative Cash Outflow) के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- इन अवधियों के पीछे मूल विचार यह है कि लघु अवधि में बैंक में नकद का बहिर्प्रवाह (Outflow), नकद के अंतर्प्रवाह (Inflow) से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिये पहले समय अंतराल में नकद बहिर्प्रवाह अपेक्षित अंतर्प्रवाह के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, NBFCs को एक तरलता बफर, तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio) के रूप में बनाये रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर या जोखिम के समय ये सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास अगले 30 दिनों के लिये उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (High Quality Liquidity Asset-HQLA) है ।
- NBFCs के लिये 1 दिसंबर 2020 से LCR का 50% HQLA के रूप में और 1 दिसम्बर 2024 से इसे 100% बनाए रखने का प्रावधान है।
- LCR का प्रमुख उद्देश्य तरलता जोखिम (Liquidity Risk) की स्थिति से निपटने के लिये बैंकों के पास उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का होना सुनिश्चित करना है।
- इन प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज आती हैं जिनका संपत्ति आकार 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।
- टाइप I - NBFC-ND (Non Deposit Taking) इकाइयाँ LCR मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- टाइप I - एनबीएफसी-एनडी इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जो सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार नहीं करतीं।

संपत्ति देयता प्रबंधन-

संपत्ति देयता प्रबंधन के अंतर्गत बैंकों द्वारा तरलता या ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण संपत्ति और दायित्वों के बीच अंतर से उत्पन्न जोखिम का पता चलता है।

नोट :

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (High Quality Liquidity Asset-HQLA)

- उन संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति माना जाता है जो आसानी से और संपत्ति के मूल्य में अपेक्षाकृत कम या बिना किसी ह्रास के नकदी में परिवर्तित हो सकती हैं।
- इसके अंतर्गत नकद, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। ये संपत्तियाँ किसी भी वित्तीय देयता से मुक्त होनी चाहिये।

आइसडैश एवं अतिथि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 'आइसडैश' (ICEDASH) तथा 'अतिथि' (ATITHI) नामक दो नई सूचना तकनीकी पहलें शुरू की गई हैं।

मुख्य बिंदु:

- वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs-CBIC) के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों तथा हवाई-अड्डों पर आयातित वस्तुओं के 'कस्टम क्लियरेंस' (Custom Clearance) को गति प्रदान करने तथा उसकी निगरानी करने के लिये 'आइसडैश' नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड तथा भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिये 'अतिथि' नामक मोबाइल एप लॉन्च किया गया।

'आइसडैश' तथा इसके लाभ:

- 'आइसडैश' सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत में कारोबार की सुगमता की निगरानी करने के लिये CBIC के अंतर्गत शुरू किया गया एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है।
- इस पहल की सहायता से आयातक तथा सामान्य लोग यह देख सकेंगे कि देश के किस बंदरगाह अथवा हवाई-अड्डे पर आयातित सामान के 'कस्टम क्लियरेंस' की क्या स्थिति है।
- CBIC ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) के साथ मिलकर इस डैशबोर्ड को विकसित किया है।
- 'आइसडैश' के माध्यम से 'कस्टम क्लियरेंस' संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के साथ-साथ हस्तक्षेप में कमी आएगी।

'अतिथि' तथा इसके लाभ:

- अतिथि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अग्रिम रूप से सीमा शुल्क विभाग को यह जानकारी दे सकेंगे कि वे अपने साथ कौन-कौन सी कर योग्य वस्तु तथा कितनी मुद्रा लेकर आ रहे हैं।
- 'अतिथि' एप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा त्वरित क्लियरेंस और सुगम आगमन की सुविधा दी जाएगी जिससे हमारे हवाई-अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा अन्य आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी।
- 'अतिथि' एप द्वारा भारतीय सीमा शुल्क विभाग की विश्व में 'टेक सेवी' [(Tech Savvy) तकनीक प्रेमी] छवि बनेगी, जिसके माध्यम से भारत में पर्यटन और व्यापार यात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC):

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है।
- यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST (Integrated Goods and Service Tax) का उद्ग्रहण तथा संग्रह का कार्य करता है।
- सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST तथा नारकोटिक्स से जुड़े तस्करी तथा प्रशासन संबंधी मुद्दे CBIC के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- पूर्व में इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था।

नोट :

EIU की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intelligence Unit- EIU) ने 'ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019: द एनेबलिंग एन्वायरनमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूज़न रिपोर्ट' (Global Microscope 2019-The Enabling Environment On Financial Inclusion) जारी की।

निष्कर्ष:

- उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्तीय समावेशन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।
- भारत वित्तीय समावेशन के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से 5वें स्थान पर है।
- इस सूची में शीर्ष पर कोलंबिया है, इसके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश: पेरू, उरुग्वे और मेक्सिको हैं।
- 55 देशों की इस सूची में सबसे नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (Democratic Republic of Congo) है।
- ज्ञातव्य है कि इन सभी मानदंडों पर सिर्फ 4 देशों को पूरे अंक मिले, इनमे भारत, कोलंबिया, ज़मैका और उरुग्वे शामिल हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

- इस रिपोर्ट में 55 देशों और 5 क्षेत्रकों को शामिल किया गया है:
  1. शासन और नीति समर्थन
  2. उत्पाद और निर्गम
  3. स्थिरता और अखंडता
  4. उपभोक्ता संरक्षण
  5. आधारभूत ढाँचा
- उपर्युक्त रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्नलिखित 4 मानदंडों को शामिल किया गया:
  - गैर-बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति।
  - वित्तीय सेवा एजेंटों की मौजूदगी।
  - आनुपातिक आधार पर ग्राहकों की जाँच-परख।
  - प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण।
- रिपोर्ट के इस संस्करण में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 11 लिंग-आधारित संकेतक भी जोड़े गए।

भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के डिज़िटलीकरण के लिये मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox- RS) के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वित्त, औद्योगिकी और स्टार्टअप्स (Startups) को नई तकनीक एवं सेवाओं के परीक्षण के लिये आधार उपलब्ध कराएगा।

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:

- सैंडबॉक्स एक बुनियादी ढाँचा है जो बैंक द्वारा फिनटेक कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उत्पादों या सेवाओं के तैयार होने के बाद एवं बाज़ार में आने से पहले उनका परीक्षण किया जा सके।
- फिनटेक क्या है ?
- फिनटेक (FinTech) Financial Technology का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है।

नोट :

- दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है।
- पहले बैंक में किसी विवरण को रजिस्टर पर लिखा जाता था जिसमें काफी समय भी लगता था। वर्तमान में अब बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कोर बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में आ गया है और इससे बैंकिंग प्रणाली आसान हो गई है। इस प्रकार की वित्तीय प्रौद्योगिकी को फिनटेक कहा जाता है।
- बैंकों द्वारा फिनटेक के माध्यम से मोबाइल वॉलेट सर्विस तथा UPI और भीम एप लॉन्च करके बैंकिंग प्रणाली को आसान बनाया जा रहा है।
- फिनटेक बैंकों के लिये भुगतान, नकद हस्तांतरण जैसी सेवाओं में काफी मददगार साबित हो रहा है, साथ ही यह देश के दूरदराज़ के इलाकों तक बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध करा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन और सब्सिडी मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के विवाद निपटान पैनल (Dispute Settlement Panel) ने भारत में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताई है।

- पैनल के अनुसार, भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं ने विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मानकों (Subsidies and Countervailing Measures- SCM) से संबंधित समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

SCM:

- SCM समझौता दो मुद्दों से संबंधित है
  1. पहला बहुपक्षीय सब्सिडी के प्रावधानों का विनियमन।
  2. सब्सिडी वाले आयातों के कारण होने वाली हानि से संबंधित काउंटरवेलिंग उपाय।
- बहुपक्षीय सब्सिडी के प्रावधानों के तहत ही किसी देश द्वारा निर्यात सब्सिडी लगाई जाती है।
- इसके विपरीत यदि कोई पक्ष इस निर्यात सब्सिडी से प्रभावित हो रहा है तो वह SCM समझौते में निर्धारित मापदंड के तहत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है।
- पैनल ने फैसला सुनाया कि भारत निर्यात प्रदर्शन पर आकस्मिक सब्सिडी प्रदान करने का हकदार नहीं है क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1,000 डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक हो गया है।
- विश्व व्यापार संगठन के SCM समझौते के अनुच्छेद 3।1 के तहत प्रतिवर्ष 1,000 डॉलर के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वाले विकासशील देशों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
- SCM समझौते के अनुच्छेद 4।7 के अनुसार, यदि निषिद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी का प्रश्न उठता है तो पैनल सब्सिडी देने वाले देश से त्वरित रूप से सब्सिडी वापस लेने की अनुशंसा कर सकता है।
- पैनल के अनुसार, भारत की निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी को SCM समझौते के अनुच्छेद 3।1(a) और 3।2 से असंगत पाया गया है।
- पैनल ने फैसला सुनाया है कि भारत को 90-120 दिनों की समयावधि के भीतर SCM समझौते से असंगत सभी योजनाओं को वापस लेना चाहिये।

इस प्रकार के फैसले का भारत पर प्रभाव:

- इस प्रकार के फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई निर्यात-सब्सिडी योजनाएँ गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। इन योजनाओं में शामिल हैं:
  1. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, बायो-टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम
  2. मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
  3. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम
  4. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

नोट :

- भारत प्रतिवर्ष 7 बिलियन डॉलर (5.4 बिलियन पाउंड) से अधिक की सब्सिडी विभिन्न उत्पादों जैसे- इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, आईटी और वस्त्र आदि पर देता है।

भारत के लिये निर्यात सब्सिडी का महत्त्व:

- भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में है। भारत की आय में जो वृद्धि हुई है उसमें निर्यात से ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है इसलिये भारत के इस प्रकार के प्रावधान अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं, ध्यातव्य है कि भारत काफी समय से इस प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष छूट की मांग कर रहा है।
- वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद और अन्य प्रभावी कारकों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिये ऐसे समय में भारत जैसे विकासशील देशों को इन प्रावधानों से विशेष छूट मिलनी चाहिये।
- भारत का बैंकिंग और उद्योग क्षेत्रक इस समय मंदी से घिरा हुआ है, इसलिये विशेष प्रोत्साहन के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना आसान कार्य नहीं है।

श्रम उत्पादकता और भारत

चर्चा में क्यों ?

एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किये गए विश्लेषण में पाया गया कि विगत आठ वर्षों में भारत की श्रम उत्पादकता में कमी आई है।

- विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2004 से 2008 के दौरान भारत की श्रम उत्पादकता में हर साल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदित हो कि यह वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक पूर्व का समय था।
- वहीं वर्ष 2011 से 2015 के बीच यह दर घटकर मात्र आधी (7.4 प्रतिशत) रह गई और वर्ष 2016 से 2018 के मध्य यह मात्र 3.7 प्रतिशत ही रह गई।

श्रम उत्पादकता और उसका महत्त्व

- सामान्यत: उत्पादकता को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संसाधनों, श्रम, पूंजी, भूमि, सामग्री, ऊर्जा तथा सूचना के कुशल उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि भूमि और पूंजी के अलावा श्रम उत्पादकता भी आर्थिक विकास की दर तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- श्रम उत्पादकता देश की अर्थव्यवस्था के प्रति घंटा उत्पादन को मापती है।
- विदित है कि श्रम उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जैसे-जैसे एक अर्थव्यवस्था की श्रम उत्पादकता बढ़ती है, वह समान समय में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शुरू कर देती है।
- रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर वित्त वर्ष 2017 के दौरान श्रम उत्पादकता में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि के लगभग दो-तिहाई हेतु ज़िम्मेदार थी।

श्रम उत्पादकता में कमी के कारण

- भारत के जटिल श्रम कानूनों को इस गिरावट का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि भारत के जटिल श्रम नियमों को तत्काल सरलीकरण की आवश्यकता है।
- गौरतलब है कि श्रम उत्पादकता मुख्य रूप से नवाचार और ज्ञान पर निवेश तथा सरकार के संरचनात्मक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि देश में श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिये नीतियों तथा कंपनियों दोनों ही स्तरों पर जल्द-से-जल्द काम किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्पादकता न सिर्फ देश के विकास की गति को बनाए रखने में मदद करती है बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता में बने रहने में भी सहायक होती है।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च (State Bank of India Research) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों में भारत की श्रम उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कम थी। रिपोर्ट के अनुसार, इस अंतर को जल्द-से-जल्द नीतिगत उपायों के मध्य से समाप्त करने की आवश्यकता है।

नोट :

आगे की राह

- विशेषज्ञों के अनुसार, देश में श्रम उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारत में श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा और महिला श्रमिकों की कम भागीदारी जैसे मुद्दों को भी संबोधित किया जाना चाहिये।

मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (Credit rating agency) मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को स्थिर (Stable) से घटाकर नकारात्मक (Negative) कर दिया।

- मूडीज़ ने भारत के लिये विदेशी मुद्रा (Foreign-Currency) और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्त्ता (Local-Currency Long-Term Issuer Rating) रेटिंग baa2 की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त भारत की अन्य अल्पकालिक स्थानीय-मुद्रा रेटिंग पी-2 (P-2) की भी पुष्टि की गई। भारत की baa2 रेटिंग असुरक्षित श्रेणी में आती है।

रेटिंग घटने का कारण:

- मूडीज़ के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते जोखिमों और आर्थिक विकास दर पहले की तुलना में कम रहने के कारण ऐसा किया गया है।
- अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में सरकार की नीतिगत विफलता तथा पहले से ही उच्च ऋण के बोझ के स्तर में और वृद्धि जैसे कारकों की वजह से भारत की रेटिंग में अस्थिरता आई है।
- ग्रामीण परिवारों के बीच समय तक वित्तीय तनाव, कम रोज़गार सृजन और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (Non-bank financial institutions) के क्षेत्र में क्रेडिट संकट जैसे कारकों के प्रभावस्वरूप भारत की रेटिंग में कटौती की गई है।

प्रभाव:

- रेटिंग में गिरावट के फलस्वरूप भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- यदि सरकार हिस्सेदारी बिक्री (Stake Sale) के माध्यम से अधिक धन जुटाकर राजकोषीय घाटे को दूर करने में सक्षम होती है तो रेटिंग एजेंसियाँ अपने दृष्टिकोण को संशोधित कर सकती हैं।

आगे की राह:

- मूडीज़ के अनुसार, यदि नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) की वृद्धि दर उच्च नहीं रहेगी तो सरकार को सरकारी बजट घाटे को कम करने और ऋण के बोझ में वृद्धि को रोकने हेतु महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- मूडीज़ ने कहा कि यदि आर्थिक सुधार किया जाएगा तो निवेश, विकास दर और संकीर्ण कर आधार (Narrow Tax Base) जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार का पक्ष:

- भारत ने कहा कि वह विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये वित्तीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप भारत में पूंजी प्रवाह और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार द्वारा आयातित प्याज के धूम्र-उपचार नियम में छूट

चर्चा में क्यों ?

प्याज की बढती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कुछ समय के लिये आयातित प्याज के धूम्र-उपचार (Fumigation) संबंधी मानदंडों में छूट दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सरकार ने प्याज की उपलब्धता बढाने और इसके मूल्य में आई तेजी को रोकने के लिये अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की तथा ईरान से निजी आयात हेतु यह सुविधा देने का निर्णय किया है।
- गौरतलब है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीमित अवधि के लिये प्याज के आयात हेतु फोटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र (Photosanitary Certificate) पर पादप संगरोध (Plant Quarantine- PQ) आदेश, 2003 के अनुरूप धूम्र-उपचार का उल्लेख किये जाने की अनिवार्यता से छूट की अनुमति देने का फैसला किया है।
- मंत्रालय के अनुसार बिना धुम्र-उपचार के आयात किये गए प्याज की मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के जरिये भारत में धूम्र-उपचार करने की अनुमति दी जाएगी।
- आयातित प्याज का पादप संगरोध विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और दूसरे देशों के कीटों और बीमारियों से मुक्त पाए जाने पर ही बाजार में लाया जाएगा।
- वर्तमान समय में प्याज को मिथाइल ब्रोमाइड से धूम्र-उपचार और निर्यातक देशो द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही भारत में आयात करने की अनुमति दी जाती है।
- इन मानदंडों का अनुपालन न होने की स्थिति में भारी शुल्क देना पड़ता है, परंतु संशोधित नियमों के अनुसार इन शुल्कों से छूट दी गई है।

धूम्र-उपचार (Fumigation)

- खाद्य उद्योग में धूम्र-उपचार एक महत्त्वपूर्ण कीट नियंत्रण प्रक्रिया है, इसके तहत खाद्य पदार्थ की आंतरिक संरचना के भीतर गैसीय कीटनाशक या फ्यूमिगैंट्स (Fumigants) का प्रयोग किया जाता है।
- वर्तमान समय में मिथाइल ब्रोमाइड और फोस्फीन का प्रयोग मुख्य रूप से फ्यूमिगैंट्स के रूप में किया जाता है।
- पादप संगरोध (Plant Quarantine- PQ)-
- आयातित बीजों एवं अन्य पादप उत्पादों का रोग, कीट एवं खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को पादप संगरोध कहते हैं।
- नाशक कीट एवं नाशक जीव अधिनियम 1914 के अंतर्गत भारत में आने वाले सभी पादप उत्पादों का रोग, कीट व खरपतवार से मुक्त होना अनिवार्य है।
- आयातित पदार्थों के संगरोध की जिम्मेदारी भारत सरकार के पादप संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की है।
- फोटो सैनिटरी प्रमाणपत्र (Phytosanitary Certificate)
- फोटो सैनिटरी प्रमाण पत्र यह इंगित करने के लिये जारी किये जाते हैं कि आयातित पौधे या कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन (IPPC), 1951 के तहत निर्दिष्ट फोटोसैनेटिक आयात मानकों को पूरा करते है।
  - यह प्रमाण पत्र सामान्यतया निर्यातक देश द्वारा जारी किया जाता है।
  - केवल एक ऐसे सरकारी विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है जो एक राष्ट्रीय संयंत्र संरक्षण एजेंसी (NPPO) द्वारा अधिकृत हो।

क्लॉबैक मैकेनिज़्म

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने गैर निष्पादित संपत्ति (Non Performing Asset- NPA) से निपटने के लिये निजी बैंकों से क्लॉबैक मैकेनिज़्म (Clawback mechanism) के प्रावधान को लागू करने का निर्देश दिया है।

वर्तमान स्थिति:

- कई निजी बैंकों द्वारा अपनी गवर्नेंस से संबंधित रिपोर्ट में NPA से संबंधित आँकड़ो को ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया। बैंकों में NPA की स्थिति के बावजूद उनके CEO (Chief Executive Officer) और पूर्णकालिक निदेशकों को वर्ष दर वर्ष उच्च परिवर्तनीय भुगतान दिया गया।

नोट :

- इस प्रकार की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुप्रबंधन की स्थिति से निपटने हेतु RBI द्वारा परिवर्तनीय भुगतान पर लागू होने वाले मेलूस क्लॉज़ (Malus Clause) और क्लॉबैक मैकेनिज़्म की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
- मेलूस क्लॉज़ और क्लॉबैक मैकेनिज़्म:
- कंपनियाँ मुख्य प्रबंधन कार्मिक (Key Management Personnel- KMP) और भागीदारों के हितों को आगे बढ़ाने तथा कंपनी के दीर्घकालिक हितों के साथ इनको समायोजित करने के लिये दो प्रकार की नीतियाँ- मेलूस क्लॉज़ और क्लॉबैक मैकेनिज़्म बनाती है।
- मेलूस क्लॉज़ के तहत कंपनी के कर्मचारियों के आवश्यक पारिश्रमिक या परिवर्तनीय भुगतान में कटौती की जाती है। यह एक प्रकार की गैर-प्रोत्साहन व्यवस्था है, जहाँ कुछ या सभी प्रदर्शन आधारित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होते हैं।
- RBI के अनुसार- मेलूस क्लॉज़ के तहत बैंक को सभी को छूट देने वाले पारिश्रमिक की राशि के हिस्से को रोकने अर्थात् परिवर्तनीय भुगतान की राशि में कटौती की जाती है। इसी प्रकार क्लॉबैक मैकेनिज़्म के तहत कर्मचारी और बैंक के बीच एक संविदात्मक समझौता होता है, जिसमें कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में बैंक को पहले भुगतान या निहित पारिश्रमिक वापस करने के लिए सहमत होता है।

उद्देश्य:

- इस प्रकार के प्रावधान का उद्देश्य पूर्णकालिक निदेशकों और CEO के परिवर्तनीय भुगतान हेतु मानदंड निर्धारित करना है।

RBI के दिशा-निर्देश:

- मूल्यांकित NPA या परिसंपत्ति वर्गीकरण सार्वजनिक प्रकटीकरण की निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में, बैंक को उस मूल्यांकन वर्ष का परिवर्तनीय भुगतान (पूर्णकालिक निदेशकों और CEO का)मेलूस क्लॉज़ के तहत रोक देना चाहिये।
- यदि गारंटीकृत बोनस (Guaranteed Bonus) जोखिम प्रबंधन या भुगतानों आधारित प्रदर्शन (Pay for Performance) के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तो उन्हें क्षतिपूर्ति योजना (Compensation Plan) का हिस्सा नहीं बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त गारंटीकृत बोनस केवल नए कर्मचारियों (केवल पहले वर्ष तक सीमित) को ही प्रदान किया जाना चाहिये।
- परिवर्तनीय भुगतान के मानकों में से कम से कम 50%; वैयक्तिक (Individual), व्यवसाय-इकाई (Business-Unit) और फर्म-वाइड (Firm-Wide) जैसे मानकों का समावेश किया जाना चाहिये।
- कुल परिवर्तनीय भुगतान निर्धारित वेतन के अधिकतम 300% तक सीमित किया जाना चाहिये।
- परिवर्तनीय भुगतान निर्धारित भुगतान (Fixed Pay) से 200% से अधिक होने पर कम-से-कम 67% भुगतान नॉन-कैश इंस्ट्रूमेंट्स (Non-Cash Instrument) के जरिये दिया जाना चाहिये।
- परिवर्तनीय भुगतान को 150% तक कैप किया जा सकता है लेकिन इसे निर्धारित वेतन से 50% से कम नहीं किया जा सकता है।

ईरान का नया तेल क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ईरान ने अपने दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुज़ेस्तान (Khuzestan) में एक नए तेल क्षेत्र की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- यह क्षेत्र लगभग 2,400 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है तथा इसमें 50 बिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल (Cruide Oil) के पाए जाने की संभावना है।
- यह खोज ऐसे समय में हुई है जब ईरान वर्ष 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।
- इस समझौते में शामिल अन्य देश जैसे- जर्मनी, फ्राँस, ब्रिटेन, रूस और चीन इस समझौते को फिर से पटरी पर लाने हेतु प्रयासरत हैं।
  - हालाँकि ये देश अभी तक ईरान को दूसरे देशों में तेल बेचने का कोई समाधान या विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।
- समझौते से पीछे हटते हुए ईरान, भंडार एवं संवर्द्धन की सीमा से आगे जा चुका है साथ ही इसने तेहरान के दक्षिण में स्थित भूमिगत फोराड संयंत्र (Fordow Plant) में यूरेनियम का संवर्द्धन फिर से शुरू कर दिया है।
  - अमेरिका के प्रतिबंधों के हटाने हेतु ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था और लंबे समय तक गुप्त रूप से काम कर रहे संयंत्र में यूरेनियम का संवर्द्धन बंद कर दिया था।

नोट :

ईरान के तेल भंडार:

- ईरान के पास लगभग 150 बिलियन बैरल तेल का भंडार है।
- खुज़ेस्तान ईरान के महत्त्वपूर्ण तेल उद्योगों का केंद्र है।
  - अहवाज़ (65 बिलियन बैरल) के बाद खुज़ेस्तान तेल क्षेत्र ईरान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- ईरान अरब की खाड़ी में क़तर के साथ विशाल अपतटीय क्षेत्र साझा करता है।
- वर्तमान में ईरान कच्चे तेल के भंडार का चौथा तथा प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

अनरेटेड ऋण और बैंक NPA

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि देश में अनरेटेड ऋणों (Unrated Loans) की श्रेणी में NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) वर्ष 2015 के 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 के अंत तक 24 प्रतिशत हो गया है।

- ध्यातव्य है कि यह आँकड़ा उन ऋणों के बढ़ते जोखिम को इंगित करता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट नहीं किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि विगत 4 वर्षों में बैंकों के कुल ऋणों में अनरेटेड ऋणों का अनुपात लगभग 40 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ है, जबकि इस श्रेणी में NPA तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।
- केंद्रीय बैंक ने देश के अन्य बैंकों के लिये 5 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वाले उधारकर्त्ताओं की रिपोर्ट सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (Central Repository of Information on Large Credits-CRILC) के साथ करने को अनिवार्य किया है।
- RBI के अध्ययन में सामने आया है कि बड़े उधारकर्त्ताओं की कुल संख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा और इसी श्रेणी में कुल जोखिम का 40 प्रतिशत हिस्सा अनरेटेड उधारकर्त्ताओं का है।
- 150 करोड़ रुपए और इससे अधिक की कुल कार्यशील पूंजी रखने वाले उधारकर्त्ताओं को बड़े उधारकर्त्ता कहा जाता है।
- अनरेटेड ऋण और उससे संबंधित NPA को कैसे कम किया जा सकता है?
- ऋण जोखिम के संबंध में क्रेडिट रेटिंग को नियमित करके। ध्यातव्य है कि आरबीआई ने अनरेटेड ऋण पर जोखिम के भार को बढ़ाया है।
- बैंकों को रेटेड जोखिमों पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने अपने जोखिमों में BB श्रेणी की क्रेडिट रेटिंग (और उसके नीचे) के ऋण खातों में काफी तनाव अनुभव किया है।
- हालाँकि RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने सभी बैंकों के सकल NPA अनुपात का मार्च 2019 के 9.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2020 तक 9.0 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया है।
  - इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कुछ मामलों के समाधान के कारण वसूली की गति में तेज़ी आई है।

सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (Central Repository of Information on Large Credits-CRILC)

- वर्ष 2014 में RBI द्वारा सभी उधारकर्त्ताओं के ऋण जोखिम पर डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और प्रकाशित करने के लिये इसका गठन किया गया है।
- विदित है कि बैंकों को अपने बड़े उधारकर्त्ताओं के बारे में CRILC को जानकारी देनी होती है।
- यह अन्य संस्थानों के साथ जानकारी साझा कर वित्तीय संस्थानों और बैंकों को उनके गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का आकलन करने में मदद करता है।

नोट :

भारत में कृषि उत्पादकता

संदर्भ :

भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि, कुल सिंचित क्षेत्र तथा सकल बुआई क्षेत्र है। इसके बावजूद भारत चीन से कृषि उत्पादन के मामले काफी पीछे है।

मुख्य बिंदु

- भारत तथा चीन दोनों देशों ने 1960 के दशक के मध्य में अपने उपलब्ध क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये आधुनिक तकनीक के प्रयोग का प्रारंभ किया। जिसके तहत उच्च उत्पादक किस्म (High Yield Variety-HYV) के बीजों, कुल सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।

भारत-चीन तुलना (कृषि क्षेत्र में)		
	चीन	भारत
कृषि योग्य भूमि	120 मिलियन हेक्टेयर	156 मिलियन हेक्टेयर
कुल सिंचित क्षेत्र	41 प्रतिशत	48 प्रतिशत
सकल बुआई क्षेत्र	166 मिलियन हेक्टेयर	198 मिलियन हेक्टेयर
कृषि उत्पादन (कीमतें डॉलर में)	1367 बिलियन डॉलर	407 बिलियन डॉलर

- उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन ने भारत की तुलना में कृषि उत्पादकता में अधिक प्रगति की है। चीन में बढ़ते कृषि उत्पादन के लिये निम्नलिखित तीन कारक महत्त्वपूर्ण हैं जिससे भारत को सीख लेना चाहिये।
  1. कृषि संबंधी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश।
  2. कृषि बाज़ारों में सुधार के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना।
  3. प्रत्यक्ष आय सहायता योजना (Direct Income Support Scheme)।

  1. कृषि संबंधी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (Research & Development-R&D)
     - चीन द्वारा कृषि ज्ञान तथा नवाचार प्रणाली (Agriculture Knowledge and Innovation System-AKIS), जो कृषि संबंधी अनुसंधान तथा विकास के लिये जिम्मेदार है, के लिये वर्ष 2018-19 में 7.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, इसके विपरीत भारत ने इस क्षेत्र में मात्र 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
     - कृषि संबंधी अनुसंधान एवं शिक्षा (Agricultural Research & Education: Agri-R&E) पर होने वाले निवेश का सकल घरेलु उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर हुए एक शोध के माध्यम से यह पता चला कि यदि हम Agri-R&E पर 1 रुपए का निवेश करते हैं तो कृषि GDP में 11.2 रुपए की वृद्धि होती है। यदि हम Agri-R&E पर 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो इससे 328 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है।
     - चीन अपने कृषि-सकल मूल्य वर्धन (Agri-Gross Value Added) का 0.35 प्रतिशत Agri-R&E पर खर्च करता है जबकि भारत में यह खर्च 0.8 प्रतिशत है।
     - R&D पर किये गए उच्च निवेश से निर्मित बीजों के लिये अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में चीन में उर्वरक की खपत 503 किग्रा./हेक्टेयर थी, जबकि भारत के लिये यह खपत उसी वर्ष 166 किग्रा./हेक्टेयर की थी।
     - अत: कृषि संबंधी उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत को Agri-R&E पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

  2. कृषि बाज़ारों में सुधार के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना:
     - चीन, उत्पादक सहायता अनुमान (Producer Support Estimates-PSEs) द्वारा किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। इस मामले में चीन की स्थिति भारत से बेहतर है।

नोट :

- PSE संकल्पना विश्व के उन 52 देशों द्वारा अपनाई गई है जिनका विश्व के कुल कृषि उत्पादन में तीन-चौथाई का योगदान है। इसके तहत कृषि उपज से प्राप्त उस निर्गत मूल्य (Output Price) की गणना की जाती है जो कि किसान को मुक्त व्यापार की स्थिति में प्राप्त होती। इसमें किसानों द्वारा प्राप्त की गई लागत सब्सिडी (Input Subsidy) को भी शामिल किया जाता है।
- चीन के किसानों के लिये PSE, उनके सकल फार्म प्राप्तियों (Gross Farm Receipts) के तीन वर्षों के औसत (Triennium Average Ending-TE) का 2018-19 में 15.3 प्रतिशत था। वहीं भारतीय किसानों के परिप्रेक्ष्य में इसी अवधि के दौरान -5.7 प्रतिशत था। इसका अर्थ यह है कि भारत का किसान, उसे प्राप्त होने वाली सब्सिडी से अधिक कर देता है।
- निगेटिव PSE का अर्थ है कि भारतीय किसानों को प्रतिबंधित बाज़ार तथा व्यापार नीतियों के कारण उनकी उपज की सही कीमत नहीं प्राप्त होती जो उन्हें मुक्त बाज़ार की परिस्थितियों में प्राप्त होती।
- कृषि बाज़ार से संबंधित इन कमियों को दूर करने के लिये भारत को बृहत् पैमाने पर कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (Agricultural Produce Market Committee-APMC) तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) में सुधार करने की आवश्यकता है।

3. प्रत्यक्ष आय सहायता योजना (Direct Income Support Scheme):
   - चीन ने अपनी कई महत्वपूर्ण लागत सब्सिडियों को एक एकल योजना में समायोजित कर दिया है। जिसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है तथा फसल उगाने में हुई कुल लागत को बाज़ार मूल्यों के आधार पर तय किया जाता है। इस क्षेत्र में चीन ने वर्ष 2018-19 के दौरान 20.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
   - वहीं भारत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN) योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता में मात्र 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
   - इसके विपरीत उर्वरक, विद्युत, सिंचाई, बीमा तथा ऋणों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर 27 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इस प्रकार का निवेश न सिर्फ इन सब्सिडियों के प्रयोग की अक्षमता को दिखाता है बल्कि इससे पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं।
   - चीन के तर्ज पर भारत को भी सभी लागत सब्सिडियों को समेकित कर देना चाहिये तथा उसके बदले में किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देनी चाहिये। इससे भारतीय किसानों में क्षमता विकास तथा कृषि उत्पादन जैसे क्षेत्र में दूरगामी परिणाम होंगे।

GDP की गणना के लिये नया आधार वर्ष

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MOSPI), सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये आधार वर्ष (Base Year) को वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने पर विचार कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office- CSO) ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-2005 को संशोधित कर 2011-2012 कर दिया था।
- जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक संवृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added- GVA) के आधार पर मापा जाता था।
- वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने आर्थिक संवृद्धि और विकास के मापन हेतु पुन: GDP का उपयोग करने का निर्णय लिया।

बदलाव की आवश्यकता क्यों है ?

- किसी अर्थव्यवस्था की GDP के आधार वर्ष में परिवर्तन, उस अर्थव्यवस्था की संरचनाओं में परिवर्तन को दर्शाता है।
- GDP की गणना के लिये आधार वर्ष में बदलाव का उद्देश्य आर्थिक आँकड़ो की सटीकता को वैश्विक पद्धति के अनुरूप करना है।

नोट :

- वर्ष 2011-12 पर आधारित GDP वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करती है वहीँ नए आधार वर्ष की श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खाते के दिशानिर्देशों-2018 (United Nations Guidelines in System of National Accounts-2018) के अनुरूप होगी।
- सामान्यत: अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरुप के अनुरूप चलने के लिये आधार वर्ष का बदलाव प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाना चाहिये।

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP)

- किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद या GDP एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है।
  - भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
  - GDP = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)

सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added- GVA)

- वित्तीय वर्ष 2015-2016 से GVA की अवधारणा को शुरू किया गया है।
- GVA किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे-प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है।
  - GVA = GDP + सब्सिडी - उत्पादों पर कर

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(Central Statistics Office- CSO)

- 'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (CSO) की स्थापना वर्ष 1951 में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सांख्यिकीय गतिविधियों के मध्य समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के संवर्द्धन हेतु की गई थी।
- यह राष्ट्रीय खातों को तैयार करने, औद्योगिक आँकड़ों को संकलित एवं प्रकाशित करने के साथ आर्थिक जनगणना एवं सर्वेक्षण कार्य भी आयोजित करता है।
- यह देश में सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDG) की सांख्यिकीय निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

वैकल्पिक निवेश कोष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा 25000 करोड़ रुपए की धनराशि से वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund- AIF) स्थापित करने की मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह कोष देश भर में अटकी हुई सस्ती एवं मध्यम आय वर्ग वाली आवासीय परियोजनाओं को फिर से शुरु करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- इस कोष की 25000 करोड़ रुपए की शुरूआती धनराशि में से 10,000 करोड़ रुपए सरकार तथा शेष धनराशि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (State Bank of India- SBI) एवं जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation- LIC) द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस कोष की सीमा को सॉवरेन/निजी निवेश के माध्यम से 25000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाया जा सकता है।
- इस कोष को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) के तहत पंजीकृत AIF की श्रेणी-2 के तहत वर्गीकृत किया जायेगा।
- यह SBICAP वेंचर्स लिमिटेड (SBICAP Ventures Limited-SVL) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBI Capital Markets Limited) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

नोट :

लाभान्वित होने वाली परियोजनाएँ:

- निम्नलिखित मानदंड वाली आवासीय परियोजनाएँ को लाभ होगा-
  - परियोजना की नेट वर्थ पॉजिटिव (परिसंपत्ति का मूल्य देयता से अधिक) होनी चाहिये।
  - परियोजना को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority- RERA) में पंजीकृत होना चाहिये।
  - परियोजना को दिवालियेपन के योग्य (Liquidation-Worthy) न माना गया हो।
- वित्त मंत्रालय ने अपनी पूर्व की घोषणा में बदलाव करते हुये गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performimg Assets- NPA) के रूप में वर्गीकृत एवं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Comapany Law Tribunal) के तहत समाधान (Resolution) हेतु प्रस्तावित परियोजनाएँ भी इसके तहत वित्तीयन हेतु पात्र होंगी।

वित्तीयन की प्रक्रिया:

- इस कोष से धनराशि को एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग चिह्नित परियोजना को पूर्ण करने हेतु किया जायेगा।

एस्क्रो अकाउंट (Escrow Accounts)

- एस्क्रो अकाउंट एक वित्तीय साधन है, जिसके तहत किसी संपत्ति या धन को दो अन्य पक्षों के मध्य लेन-देन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक इन दोनों पक्षों की ओर से तीसरे पक्ष के पास रखा जाता है।
- परियोजनाओं के पूर्ण होने पर इनसे प्राप्त धन का उपयोग कोष से ली गई धनराशि को चुकाने के लिये किया जाएगा।

कोष की स्थापना से लाभ:

- यह कोष 1600 अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को फिर से शुरु करने में सहायक होगा।
- इस कोष से आवासीय खरीदारों, रियल स्टेट के व्यवसायियों एवं इन परियोजनाओं को ऋण देने वाले बैंक लाभान्वित होंगे।
- अटकी हुई परियोजनाओं के पुन: शुरु होने से स्टील, सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की मांग में वृद्धि होगी जिससे रोज़गार सृजन होगा।
- इस कोष से अपने वाणिज्यिक निवेशकों को उनके फँसे हुए निवेश की पुनर्प्राप्ति में सहायता मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश में बढ़ोतरी होगी।

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund-AIF)

- यह कोष सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- भारत में स्थापित ये कोष देशी अथवा विदेशी निवेशकों से धन प्राप्त कर इसके द्वारा परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करते हैं।

AIF की 3 श्रेणियाँ होती है:

- श्रेणी-1 : ये AIF, स्टार्ट-अप या शुरुआती चरण के उद्यमों में निवेश करते हैं जैसे- वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund), इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Infrastructure Fund)।
- श्रेणी-2 : ये AIF, श्रेणी I और III में नहीं आते हैं। ये कोष दिन-प्रतिदिन की अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लाभ या ऋण लेने का कार्य नहीं करते हैं। इन कोष को सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम [SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations], 2012 के तहत अनुमति दी जाती है जैसे- रियल एस्टेट फंड (Real Estate Fund), निजी इक्विटी फंड (Private Equity Fund)।
- श्रेणी-3 : ये AIF, विविध एवं जटिल व्यापारिक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं तथा सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे- सार्वजनिक इक्विटी कोष में निजी निवेश (Private Investment In Public Equity Fund), हेज कोष (Hedge Fund)।

वैकल्पिक निवेश (Alternative Investment)

- वैकल्पिक निवेश वह वित्तीय परिसंपत्ति होती है जो पारंपरिक शेयर/आय//नकदी श्रेणियों के तहत नहीं आती है। इसमें निजी उद्यम पूंजी, हेज कोष, कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं में निवेश आदि शामिल है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि

चर्चा में क्यों ?

खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का आठवाँ सत्र (रोम) इटली में 11 से 16 नवंबर, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इसका शासी निकाय सत्र अर्द्धवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- भारत द्वारा संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिये वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और भारतीय कानून संरक्षण की विविधता और किसानों के अधिकार (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights- PPV&FR) अधिनियम की विशिष्टता पर चर्चा की गई।

खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture- ITPGRFA)

- इसे 3 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के 31वें सत्र सम्मेलन में अपनाया गया था।

उद्देश्य:

- किसानों का योगदान: फसलों की विविधता को पहचानने के लिये किसानों का योगदान।
- पहुँच और लाभ साझा करना (Access and Benefit Sharing): किसानों, पौधों के प्रजनकों (Breeders) और वैज्ञानिकों को आनुवंशिक सामग्री के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिये एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना।
- संधारणीयता (Sustainability): खाद्य और कृषि के लिये संयंत्र आनुवंशिक संसाधनों (Plant Genetic Resource) का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित- न्यायसंगत साझाकरण एवं जैविक विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity) के साथ स्वभाव।
- यह बीज संधि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह विश्व के खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण, विनिमय और स्थायी उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता (Signatory) देश है।

पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार अधिनियम, 2001 Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPV&FR) Act, 2001

- इसका उद्देश्य किसानों और प्रजनकों (Breeder's) के अधिकारों की रक्षा करना है।
- अधिनियम के अनुसार, एक किसान ब्रॉण्ड (Brand) के नाम को छोड़कर PPV&FR अधिनियम, 2001 के तहत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने खेत की उपज को सुरक्षित करने (Save), उपयोग करने, बोने, विनिमय करने, साझा करने या बेचने का हकदार है।
- यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद-9 के अनुरूप है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 138 कृषकों/कृषक समुदायों को पादप किस्मों और किसानों के अधिकार प्राधिकरण द्वारा संयंत्र जीनोम उद्धारकर्त्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसानों को आनुवंशिक संसाधनों (एक संवर्द्धित पौधे की गतिशील जनसंख्या) और वाणिज्यिक पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले आक्रामक पौधों के उन्मूलन में लगे किसानों को दिया जाता है।

नोट :

इस्पात/स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात/स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy) जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)
  - गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन के लिये वाहनों और व्हाइट गुड्स (White Goods) से निकलने वाले स्टील स्क्रैप का उपयोग करना।
  - इससे भारत की वाहनों के आयात पर निर्भरता कम होगी।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility- EPR)
  - ऑटोमोबाइल वाहनों के अप्रयोग की स्थिति में उनके पुनर्चक्रण को ध्यान में रखते हुए वाहनों को डिज़ाइन किया जाएगा।
  - भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की (Metal Scrapping Centres) स्थापना को बढ़ावा देने के लिये नीति में एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है।
- हब और स्पोक मॉडल (Hub and Spoke model- H&S)
  - हब और स्पोक मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब एक केंद्रीय लोकेशन (जिसे 'हब' कहा जाता है) के साथ कई लोकेशन स्थान (Multiple Locations Sourcing) होते हैं। यह लोकेशन ग्राहक के संपर्क के लिये एक एकल बिंदु प्रदान करता है, जिसे 'स्पोक' कहा जाता है।
  - नीति के तहत स्क्रैप (लौह, गैर-लौह और अन्य गैर-धातु) पुनर्नवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - 4 संग्रहण (Collection) और निराकरण केंद्र (Dismantling Centre) 1 स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र (Processing Centre) के साथ कार्य करेंगे।

पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है

- यह नीति 6Rs {Reduce- कम करना, Reuse-पुन: उपयोग, Recycle- पुनरावृत्ति, Recover- पुनर्प्राप्त, Redesign- नया स्वरूप और Remanufacture नया निर्माण} के सिद्धांतों पर काम करेगी।
- इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस (Green House Gas- GHG) उत्सर्जन को कम करना है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF & CC) द्वारा जारी किये गए खतरनाक और अन्य अपशिष्टों (प्रबंधन और सीमा-पार (Transboundary) मूवमेंट) नियमों, 2016 (Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016) के अनुपालन हेतु खतरनाक अपशिष्टों के उपचार के लिये एक तंत्र बनाना है।

भारत में इस्पात स्क्रैप की स्थिति:

- स्क्रैप के रूप में प्रयुक्त या पुन: उपयोग की जाने वाली स्टील, भारतीय स्टील उद्योग के लिये द्वितीयक कच्चा माल है वहीं लौह अयस्क स्टील बनाने का प्राथमिक स्रोत है।
- इस्पात स्क्रैप की वर्तमान आपूर्ति घरेलू असंगठित स्क्रैप उद्योग से 25 मिलियन टन और स्क्रैप के आयात से 7 मिलियन टन है।
- प्रतिस्पर्द्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता इस्पात उद्योग के विकास और राष्ट्रीय स्टील नीति (National Steel Policy- NSP) 2017 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जरूरी है।
- NSP-2017 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष स्टील उत्पादन क्षमता बनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी स्टील उद्योग विकसित करना है।

नोट :

हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी को एक अलग 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड' आवंटित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय संस्कृति की अभिन्न पहचान खादी को हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (Harmonised System Code-HS Code) प्रदान किया गया है।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने हाथ की कताई तथा बुनाई वाले खादी के वस्त्रों को ही पहना था।
- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के अनुसार, खादी को HS कोड मिलने से इसकी रूढ़िगत छवि से छुटकारा मिलेगा तथा इसके उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड: (Harmonised System Code-HS Code)

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड छह अंकों का एक कोड है, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस कोड के मिलने का अर्थ है किसी वस्तु का बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में पहचान प्राप्त करना।
- वर्तमान में 200 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आँकड़ों के संग्रह, व्यापार नीतियाँ बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने सामान की निगरानी तथा अपने सीमा-शुल्क की दरों को सुनिश्चित करने के लिये HS कोड प्रणाली का उपयोग करते हैं।
- HS कोड प्रणाली उत्पादों की व्यापार प्रक्रियाओं तथा सीमा शुल्क को सुसंगत बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत को कम करती है।
- विश्व सीमा-शुल्क संगठन के अनुसार, वर्तमान में HS कोड प्रणाली में लगभग 5000 कमोडिटी समूह शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह को 6 अंकों वाला एक यूनिक (Unique) नंबर प्रदान किया जाता है, इस कोड में संख्याओं को कानूनी और तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। यह कोड विश्व में सीमा-शुल्क दरों में समान वर्गीकरण नियमों को अच्छी तरह परिभाषित करता है।
- HS कोड में प्रथम दो अंक HS अध्याय, अगले दो अंक HS शीर्षक तथा बाकी दो अंक HS उप-शीर्षक को प्रदर्शित करते हैं।
- उदाहरण के लिये, अनन्नास का HS कोड 0804.30 है। यहाँ 08 खाद्य फलों, नट्स, छिलके वाले साइट्रस (Citrus) फलों के लिये अध्याय कोड है, 04 खजूर, अनन्नास, अवागेदो जैसे रसीले और सूखे फलों के लिये शीर्षक है तथा 30 विशेषत: अनन्नास के लिये उप-शीर्षक है।

खादी को HS कोड प्रदान करने के निहितार्थ:

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से आने वाले वर्षों में खादी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने MSME के अधीन स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात संवर्द्धन परिषद का दर्जा दिया गया था।
- परंतु खादी के लिये अलग HS कोड न होने के कारण इसके निर्यात को वर्गीकृत तथा इसकी गणना करना कठिन था। इस नवीनतम कदम से इस समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी।
- खादी को HS कोड न मिलने के कारण इसके निर्यात संबंधी आँकड़ों को सामान्य कपड़ों से संबंधित आँकड़ों के रूप में ही लिया जाता था। परंतु अब खादी को HS कोड मिलने से खादी के निर्यात से संबंधित न केवल शुद्ध आँकड़े प्राप्त होंगे बल्कि भविष्य में यह कोड निर्यात रणनीति बनाने में भी सहायता करेगा।

मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (Madhepura Electric Locomotive Pvt. Ltd.-MELPL) के साथ खरीद-सह-रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह भारतीय रेलवे और मेसर्स अल्सटॉम का एक संयुक्त उद्यम है।

नोट :

परियोजना से संबंधित प्रमुख बिंदु

- किसी भी रेलवे द्वारा दुनिया में पहली बार बड़ी लाइनों के नेटवर्क पर इतनी अधिक हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का परीक्षण किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत बिहार के मधेपुरा में टाउनशिप के साथ यह फैक्टरी स्थापित की गई है, जहाँ प्रति वर्ष 120 लोकोमोटिव का निर्माण करने की क्षमता है।
- एक रखरखाव डिपो भी पहले ही सहारनपुर में स्थापित किया जा चुका है।
- नागपुर में दूसरे डिपो की स्थापना काम शुरू हो चुका है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भारत और फ्राँस के 300 से भी अधिक अभियंता इस परियोजना पर बेंगलुरू, मधेपुरा और फ्राँस में काम कर रहे हैं।
- दो वर्षों की अवधि में 90 प्रतिशत से भी अधिक कलपुर्जों को भारत में निर्मित किया जाएगा। यह पूर्ण रूप से एक स्वदेशी परियोजना है। यह सही मायनों में 'मेक इन इंडिया' परियोजना है और यहाँ तक कि पहले लोकोमोटिव की असेम्बलिंग भी मधेपुरा फैक्टरी में हुई है।
- इस परियोजना से देश में 10,000 से भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।
- इस परियोजना से मधेपुरा में फैक्टरी की स्थापना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास में भी तेज़ी आ रही है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) की पहल के तहत मधेपुरा में कौशल केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
  - इस फैक्टरी में 50 प्रतिशत से भी अधिक स्थानीय लोगों की भर्ती की गई है। पूरी तरह से कार्यरत 'चलते-फिरते हेल्थ क्लीनिक' का संचालन मधेपुरा के आस-पास के गाँवों में किया जा रहा है।

परियोजना के लाभ

- भारतीय रेलवे ने 22.5 टन के एक्सल लोड से युक्त और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली 12,000 हॉर्स पावर के ट्विन बो-बो डिजाइन वाले लोकोमोटिव (Bo-Bo design Locomotive) को हासिल करने का निर्णय लिया है, जिसे बढ़ाकर 25 टन तक किया जा सकता है।
- यह लोकोमोटिव समर्पित माल-ढुलाई गलियारे के लिये कोयला चालित ट्रेनों की आवाजाही के लिये गेम चेंजर साबित होगा।
- इस परियोजना के सफल होने पर भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिलेगा।
- इससे लोकोमोटिव (रेल-इंजन) के कलपुर्जों के लिये सहायक इकाइयों (यूनिट) का और भी तेज़ी से विकास होगा।
- इस परियोजना से भारी माल वाली रेलगाड़ियों की त्वरित एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी।
- यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 6000T ट्रेनें चलाएगा।
- शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होने से नया लोकोमोटिव न केवल रेलवे की परिचालन लागत कम करेगा, बल्कि भारतीय रेलवे को भीड़-भाड़ से भी मुक्ति दिलाएगा।
- इसका उपयोग कोयला एवं लौह अयस्क जैसी चीजों से युक्त भारी रेलगाडियों को चलाने में किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) परियोजना के तहत रेल मंत्रालय और अल्सटॉम ने भारत में भारी माल की ढुलाई से जुड़े परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिये आपस में समझौता किया था।
- माल ढुलाई तथा इससे संबंधित रखरखाव हेतु 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिये 3.5 अरब यूरो के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (Household Consumer Expenditure Survey) के वर्ष 2017-2018 के डेटा के आँकड़ों को गुणवत्ता की वजह से नहीं जारी करने का निर्णय लिया है।

नोट :

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

- उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (Consumer Expenditure Survey- CES) सामान्यत: पाँच वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और इसका अंतिम 68वें चरण का आयोजन जुलाई 2011 से जून 2012 के बीच किया गया था।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MoSPI) के तहत इसका संचालन NSO द्वारा किया जाता है।
- यह घरेलू स्तर पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (Monthly Per-capita Consumer Expenditure- MPCE) और MPCE वर्ग से इतर घरों और व्यक्तियों (Household and Persons) के वितरण का अनुमान लगाता है।
- यह घरों में वस्तुओं और सेवाओं (खाद्य और गैर-खाद्य) की खपत पर खर्च के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उपयोग सकल घरेलू उत्पाद और अन्य समष्टि-आर्थिक संकेतकों (Macro-Economic Indicators) के रीबेसिंग (Rebasing) में किया जाता है।

2018-19 सर्वेक्षण:

- उपभोक्ता खर्च में लगातार कमी हो रही है और इसके प्रतिकूल निष्कर्षों (Adverse Findings) के कारण रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
- वस्तु और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन जैसे अन्य प्रशासनिक डेटा स्रोतों से तुलना करने पर अत्यधिक विचलन या भिन्नता देखी गई। यह भिन्नता केवल उपभोग पैटर्न के साथ-साथ परिवर्तन की दिशा (Direction Of the Change) में भी थी।

सर्वेक्षण प्रकाशित क्यों नहीं किया ?

- आँकड़ो की गुणवत्ता के कारण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2017-2018 के CES परिणामों को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है।
- परिवारों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में खपत के लिये सर्वेक्षण की क्षमता/संवेदनशीलता (Ability/Sensitivity) के बारे में चिंता व्यक्त की गई।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति ने भी सिफारिश की है कि सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) शृंखला के लिये वर्ष 2017-18 को नया आधार वर्ष के रूप में उपयोग करने के लिये उपयुक्त वर्ष नहीं है।
- MoSPI अलग से वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-22 में अगले CES के संचालन की व्यवहार्यता की जाँच कर रहा है ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया में सभी गुणवत्तापूर्ण डेटा शामिल हो।

डेटा लीक Data leaked

- सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीयों द्वारा एक महीने में खर्च की गई औसत राशि वर्ष 2011-12 के 1,501 रुपए से 3.7% गिरकर वर्ष 2017-18 में 1,446 रुपए हो गई।
- भारत के गाँवों में उपभोक्ता खर्च वर्ष 2017-18 में 8.8% घट गया, जबकि 6 वर्षों के दौरान शहरों में इसमें 2% की वृद्धि हुई।

'सोना' तीसरा सबसे लोकप्रिय निवेश का विकल्प

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council-WGC) द्वारा जारी रिटेल गोल्ड इनसाइट्स-2019 (Retail Gold Insights-2019) रिपोर्ट के अनुसार, 'सोना' खुदरा निवेशकों के बीच निवेश का तीसरा सबसे लोकप्रिय विकल्प है।

सर्वेक्षण से संबंधित तथ्य:

- यह रिपोर्ट भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका, ज़र्मनी और रूस में लगभग 18,000 लोगों पर सर्वेक्षण कर जारी की गई है।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, 'सोना' निवेश का तीसरा सबसे लिकप्रिय विकल्प है।
  - लगभग 46% वैश्विक खुदरा निवेशकों ने बचत खाते (78%) और जीवन बीमा (54%) के बाद सोने के उत्पादों को चुना है।
- सर्वेक्षण में शामिल लगभग 67% लोगों के अनुसार, वे लगातार सोने में निवेश कर रहे हैं तथा इससे पहले भी सोने में निवेश कर चुके हैं।
  - इस आँकड़े में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत की लगभग 72% हिस्सेदारी है।
- इसके अलावा भारत में फैशन एवं लाइफ़ स्टाइल (Fashion and Life Style) से जुड़े लगभग 37% उपभोक्ताओं द्वारा पहले कभी सोने में निवेश नहीं किया गया परंतु अब ये इसके लिये इच्छुक हैं।
  - यह आँकड़ा चीन में 30% और अमेरिका में 40% आँका गया है।

महँगाई से निपटने में सक्षम:

- रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में सोने का मूल्य कम नहीं होगा, इसलिये यह महँगाई से निपटने का एक अच्छा उपाय है।

विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council-WGC):

- विश्व स्वर्ण परिषद, स्वर्ण उद्योग बाज़ार के विकास हेतु एक संगठन है।
- इसका उद्देश्य सोने की मांग को प्रोत्साहित करना और स्वर्ण उद्योग को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है।

कार्य

- नीतियों का विकास करना और स्वर्ण उद्योग के मानकों को स्थापित करना,
- स्वर्ण बाजार के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
- नए निवेशकों को स्वर्ण उद्योग में आने के लिये प्रोत्साहित करना।
- केंद्रीय बैंकों को सलाह देना।
- वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्ज़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited- HPCL) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Limited- PGCIL) को 'महारत्न' का दर्जा दिया है।

भारत में महारत्न PSUs की संख्या :

पूर्व में भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियाँ थीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सूची में जुड़ने के बाद इनकी संख्या 10 हो गई है।

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited)।
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited)।
3. कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited)।
4. गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL India Limited)।
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited)।
6. इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Indian Oil Corporation Limited)।
7. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (National Thermal Power Corporation Limited)।
8. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Oil and Natural Gas Corporation Limited)।
9. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited)।
10. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Limited)।

नोट :

महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मानदंड:

- कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।
- कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होनी चाहिये।
- विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिये।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।

महारत्न दर्जे के लाभ :

- महारत्न का दर्ज़ा दिए जाने से इन कंपनियों की स्वायत्तता और परिचालन शक्ति में वृद्धि होगी, साथ ही इनको वित्तीय मामलों से संबंधित सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
- महारत्न का दर्ज़ा प्राप्त कम्पनियां वित्तीय संयुक्त उपक्रम (Financial Joint Venture) और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (Wholly Owned Subsidiaries) में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं।
- महारत्न कंपनियाँ अपने निवल मूल्य के 15% और 5000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisition) कर सकती हैं।
- महारत्न कंपनियों के बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना बना सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings)

- भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। ऐसे उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होती है।

राष्ट्रीय कौशल अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skills Development Corporation- NSDC) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2023 तक भारत के श्रमबल में 15-59 वर्ष की कार्यशील-आयु के 7 करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों के प्रवेश करने की उम्मीद है। जिनमें से 84.3% व्यक्ति 15-30 आयु वर्ग के होंगे।

NSDC के अनुमानों का आधार

NSDC ने वर्ष 2019-23 के दौरान देश के श्रम बाजार की क्षमता के आधार पर रुझानों का अनुमान लगाया है जो कि निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है:

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) 2017-18
- लिंग और क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) स्तर पर अपरिष्कृत मृत्यु दर (Crude Death Rates- CDR)
- रोज़गार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (Employment-Unemployment Survey- EUS), 2011-12)

NSDC द्वारा व्यक्त अनुमान

लिंग के आधार पर:

- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2023 तक श्रम बल में शामिल होने वाले 15-30 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक पाँच में से एक व्यक्ति के महिला होने की उम्मीद है।

नोट :

- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में महिला श्रम बल की भागीदारी दर 23.3% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं- वियतनाम (73%), चीन (61%), सिंगापुर (60%), बांग्लादेश (36%) की तुलना में बहुत कम है। भारत में यह दर लेबनान (24%), पाकिस्तान (24%), लीबिया (26%), ट्यूनीशिया (24%) और सूडान (24%) जैसे देशों के लगभग बराबर है।

शिक्षा के आधार पर:

- NSDC के अनुसार, 15-19 वर्ष आयु वर्ग की कई महिला उम्मीदवार श्रम बल में सक्रिय रूप से उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसके स्थान पर वे उच्च शिक्षा के विकल्प का चुनाव करेंगी।

आयु के आधार पर:

- इन चार वर्षों (2019-23) के दौरान भारत के श्रम बल में 15-30 वर्ष की आयु के कुल 5.90 करोड़ युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है तथा इसकी आधी संख्या में 15-20 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

राज्यवार आँकड़े:

- वर्ष 2019-23 के दौरान केवल छह राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक से 15-30 वर्ष आयु वर्ग के 50% युवाओं के श्रम बल में शामिल होने की उम्मीद है।
- श्रम बल में 15-30 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी वर्ष 2021 और वर्ष 2023 में जबकि वर्ष पुरुषों की सर्वाधिक भागीदारी वर्ष 2023 में होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skills Development Corporation- NSDC)

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 31 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के तहत की गई थी।
- NSDC की स्थापना वित्त मंत्रालय ने सरकारी निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के रूप में की थी।
- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- NSDC का उद्देश्य बड़े, गुणवत्ता और लाभ के लिये व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित कर कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यम, कंपनियों और संगठनों को धन प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- NSDC देश में कौशल प्रशिक्षण के लिये कार्यान्वयन एजेंसी है।

भारत में न्यूनतम वेतन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने वेतन संहिता, 2019 के क्रियान्वयन हेतु एक मसौदा (Draft) तैयार किया है तथा सरकार ने 1 दिसंबर 2019 तक सभी हितधारकों से इसपर प्रतिक्रिया मांगी है।

मुख्य बिंदु:

- 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा वेतन संहिता विधेयक, 2019 को स्वीकृति देने के बाद इसे क़ानून के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- इस संहिता में पहले से चले आ रहे चार अधिनियमों- वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है।
- इस संहिता के तहत सभी प्रकार के उद्योगों, व्यवसायों या विनिर्माण संबंधी कार्यों में संलग्न कर्मचारियों के वेतन, बोनस एवं अन्य भत्तों को विनियमित किया गया है।

नोट :

- केंद्र सरकार ने इस संहिता के तहत न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये तैयार मसौदे पर राज्यों तथा अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है। इसके द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाएंगे।
- विभिन्न हितधारकों से परामर्श के पश्चात् सरकार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे- अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अत्यधिक कुशल के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु नियमों को अधिसूचित करेगी।

न्यूनतम वेतन संहिता 2019 का महत्त्व:

- किसी देश में गरीबी उन्मूलन तथा अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के लिये न्यूनतम वेतन एक आवश्यक कारक है।
- वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद यह महसूस किया गया कि विभिन्न सामाजिक कारकों को ध्यान में रख कर वेतन में निरंतर समायोजन (Adjustment) करना चाहिये। इससे न सिर्फ सामाजिक असमानता में कमी आएगी बल्कि मांग में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बना रहेगा।
- इस संहिता द्वारा निर्धारित किया गया है कि किसी कर्मचारी का न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिये एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए।
- वर्ष 1957 के 15वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस मसौदे के प्रावधान बनाए गए हैं। इन प्रावधानों के निर्धारण में एक परिवार के लिये आवश्यक भोजन, कपड़े, घर का किराया, बच्चों की शिक्षा तथा अन्य आकस्मिकताओं पर होने वाले कुल खर्च आदि को शामिल किया गया है।
- इस संहिता के निर्माण में वेतन संबंधी सभी मानकों को जैसे- कार्य करने की समयावधि, महँगाई भत्ते की समय-समय पर पुनरावृत्ति, रात्रि में कार्य करने की शर्तें, ओवरटाइम तथा वेतन में कटौती आदि को ध्यान में रखा गया है।
- वेतन संहिता, सभी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित करेगा।
- साथ ही इससे प्रत्येक कर्मचारी के भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और वर्तमान के लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम वेतन का वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा।
- न्यूनतम वेतन के निर्धारण से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे।
- इस संहिता में राज्यों द्वारा कर्मचारियों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान करने की परिकल्पना की गई है।
- विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएँ हैं, जिन्हें लागू करने में कठिनाई होती हैं तथा मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है। मुकदमेबाजी कम करने और नियोक्ता के लिये इसका अनुपालन आसान बनाने के लिये इसमें वेतन की परिभाषा को सरल बनाया गया है।
- वर्तमान में अधिकांश राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन हैं। इस संहिता के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। रोज़गार के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये एक ही मानदंड बनाया गया है।

न्यूनतम वेतन संहिता 2019 का प्रभाव:

- इस संहिता के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी। यह असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिये लाइटहाउस इफ़ेक्ट (Lighthouse Effect) का कार्य करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि से असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी भी अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग करेंगे।
- न्यूनतम आय में वृद्धि होने से आय असमानता में कमी आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, वर्ष 1993 से 2011 में औसत वास्तविक वेतन (Average Real Wages) में वृद्धि से असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है।
- न्यूनतम आय में वृद्धि से नए रोज़गारों का सृजन होगा तथा महिला एवं पुरुष श्रमिक इससे समान रूप से लाभान्वित होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, न्यूनतम आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार में 6.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
- न्यूनतम वेतन के बढ़ने से लोगों में क्रय शक्ति में वृद्धि होगी जिससे सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

नोट :

उड़ान 4.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने घोषणा की कि जल्द ही उड़ान 4.0 योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उड़ान 4.0 के तहत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- उड़ान योजना राज्य के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है जो हवाई सेवा से नहीं जुड़े हैं।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिन राज्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है।

उड़ान (Ude Desh Ka Aam Naagrik- UDAN) योजना

- उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
- क्षेत्रीय संयोजकता योजना 'उड़ान' 15 जून, 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy- NCAP) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्तूबर, 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था।
- यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देती है ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके।
- इसके तहत विमान में उपलब्ध कुल सीटों में से आधी यानी 50% सीटों के लिये प्रति घंटा एवं 500 किमी. की यात्रा उड़ान हेतु अधिकतम 2500 रुपए किराया वसूला जाता है एवं इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।

उड़ान 1.0

- इस चरण के तहत 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिये 128 उड़ान मार्ग प्रदान किये गए।

उड़ान 2.0

- वर्ष 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की जहाँ कोई सेवा प्रदान नही की गई थी या उनके द्वारा की गई सेवा बहुत कम थी।
- उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए थे।

उड़ान 3.0

- पर्यटन मंत्रालय के समन्वय में उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों का समावेश।
- जलीय हवाई-अड्डे को जोड़ने के लिए जल विमान का समावेश।
- उड़ान के दायरे में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों को लाना।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को संसद में पारित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- औद्योगिक संबंध संहिता के इस प्रस्ताव में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Union Act of 1926), औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Order) Act of 1946) तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित, सरलीकृत तथा तर्कसंगत बना कर समाहित किया गया है।

नोट :

- वर्ष 2018 में सरकार ने विभिन्न केंद्रीय श्रमिक कानूनों को चार संहिताओं (Codes) में संहिताबद्ध करने का प्रस्ताव किया था जो इस प्रकार हैं।
  - वेतन संहिता (Code on Wages)
  - औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code)
  - पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)
- सरकार ने पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता को जुलाई 2019 में लोक सभा में प्रस्तुत किया, जबकि हाल ही में वेतन संहिता, 2019 को संसद ने पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे को विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु जारी किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- इस विधेयक में 'निश्चित अवधि के रोज़गार' (Fixed Term Employment) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद कंपनियाँ श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिये अनुबंधित कर सकेंगी।
- 'निश्चित अवधि के रोज़गार' के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को नोटिस अवधि की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी तथा छँटनी होने पर मुआवज़े का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
- किसी कंपनी, जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों, को कर्मचारियों की संख्या में छँटनी के लिये सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- हालाँकि, इसमें जोड़े गए एक प्रावधान के तहत कर्मचारियों की इस संख्या को सरकार अधिसूचना के माध्यम से बदल सकती है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में यह सीमा 300 कर्मचारी थी।
- इसके तहत दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी जो किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर संयुक्त रूप से निर्णय लेगा, जबकि शेष मामलों पर एकल सदस्य द्वारा अधिनिर्णय लिया जाएगा।
- ऐसे विवाद जिनमें दंड के रूप में जुर्माने का प्रावधान है, न्यायाधिकरण पर बोझ कम करने के लिये उन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिया जाएगा।

विधेयक का महत्त्व:

- इस विधेयक की महत्त्वपूर्ण विशेषता निश्चित अवधि के रोज़गार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है।
- वर्तमान में कंपनियाँ अनुबंधित श्रमिकों (Contract Workers) से कार्य कराने के लिये ठेकेदारों पर आश्रित होती हैं, जबकि इस विधेयक के लागू होने के बाद वे श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिये अनुबंधित कर सकेंगी।
- अपने अनुबंध अवधि के दौरान इन श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।
- इसके तहत दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने तथा आंशिक मामलों को सरकारी अधिकारियों के अधिकार में लाने से मामलों का तेज़ी से निपटारा किया जा सकेगा।

औद्योगिक गलियारे

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने पाँच औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास को मंज़ूरी दे दी है,जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (National Industrial Corridor Development and Implementation Trust- NICDIT) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- NICDIT भारत में 5 औद्योगिक गलियारों के समन्वित व एकीकृत विकास के लिये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सर्वोच्च निकाय है।
- वर्ष 2017 में दिल्ली-मुंबईऔद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड {Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund- (DMIC-PITF)} को NICDIT के रूप में परिवर्तित किया गया था।
- NICDIT विकास परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों का समर्थन तथा अन्य परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन तथा उन्हें मंज़ूरी प्रदान करती है। यह निकाय औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास के लिये किये गए सभी केंद्रीय प्रयासों का समन्वय और निगरानी कार्य भी करता है।

पाँच औद्योगिक गलियारे

क्र.सं.	औद्योगिक गलियारे	राज्य
1.	दिल्ली-मुंबईऔद्योगिक गलियारा (DMIC)	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
2.	अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
3.	चेन्नई-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (CBIC)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
4.	पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ECEC) के साथ विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC) चरण-1 के रूप में	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
5.	बंगलूरू-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)	कर्नाटक, महाराष्ट्र

औद्योगिक गलियारे

- औद्योगिक गलियारे उद्योग और बुनियादी ढाँचे का प्रभावी एकीकरण करते हैं, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है।
- औद्योगिक गलियारों का गठन:
  - उच्च गति परिवहन नेटवर्क - रेल और सड़क
  - अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ पोर्ट
  - आधुनिक हवाई अड्डे
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र / औद्योगिक क्षेत्र
  - लॉजिस्टिक पार्क/परिवहन केंद्र
  - खाद्यान केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये 'नॉलेज पार्क'
  - पूरक बुनियादी ढाँचे जैसे- टाउनशिप/रियल एस्टेट
  - नीतिगत ढाँचे को सक्षम करने के साथ-साथ अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों का निर्माण
- औद्योगीकीकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के लिये उपर्युक्त 5 औद्योगिक गलियारे पूरे भारत में फैले हुए हैं।
- विनिर्माण प्रत्येक परियोजना के लिये एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक उत्प्रेरक है। इन औद्योगिक गलियारों की सहायता से वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16% से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है।
- इन गलियारों के साथ स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है।

नोट :

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (Punjab and Maharashtra Co-operative- PMC) बैंक की विफलता के बाद भारतीय बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि (Deposits) के बीमा की निम्न राशि का मुद्दा दोबारा चर्चा में आ गया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में बैंक विफलता (Bank Collapse) के मामले में जमाकर्त्ता बीमा कवर के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति खाते तक की राशि का दावा कर सकता है (भले ही उसके खाते में जमा 1 लाख से अधिक हो)।
- बैंक की विफलता के मामले में खाते में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि रखने वाले जमाकर्त्ताओं के पास कोई कानूनी उपाय नहीं है।
- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) द्वारा प्रति जमाकर्त्ता को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम

- वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- 1 लाख रुपए का कवर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs) और सहकारी बैंकों में जमा के लिये है।
- DICGC के आँकड़ों के अनुसार, बीमित जमा का स्तर 2007-08 के 60.5% के उच्च स्तर से घटकर 2018-19 में 28.1% हो गया है।
- मार्च 2019 के अंत में DICGC के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,098 थी, जिसमें 103 वाणिज्यिक बैंक, 1,941 सहकारी बैंक, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 3 स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल थे।
- DICGC ने वर्ष 1980 के 30,000 रुपए के जमा बीमा कवर को 1 मई, 1993 में संशोधित करके 1 लाख रुपए कर दिया था।
- DICGC एक बैंक द्वारा जमा किये गए 100 रुपए पर 10 पैसे का शुल्क लेता है। बीमित बैंकों द्वारा निगम को भुगतान किया गया प्रीमियम, जमाकर्त्ताओं के बजाय बैंकों द्वारा वहन किया जाना आवश्यक होता है।
- DICGC के अनुसार, वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक बैंकों ने कुल 11,190 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि सहकारी बैंकों ने 850 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

सार्वजनिक उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings - PSUs) के शेयरों का रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- सरकार ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited-BPCL), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (Shipping Corporation of India-SCI) तथा भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (Container Corporation of India Limited-CONCOR) के शेयरों की बिक्री की घोषणा की है। इसके द्वारा इन कंपनियों के प्रबंधन का पूर्ण अधिकार इनके खरीदारों को सौंपा जाएगा।

नोट :

- इसके अलावा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (Tehri Hydro Development Corporation of India Limited) के 74.2% शेयर तथा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (North Eastern Electric Power Corporation Limited) के 100% शेयर तथा प्रबंधन का पूरा अधिकार नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (National Thermal Power Corporation-NTPC) को दिया जाएगा।

रणनीतिक विनिवेश क्या है ?

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है।
- इसके लिये सरकार अपने हिस्से के शेयर्स को किसी निजी इकाई को स्थानांतरित कर देती है किंतु उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है।
- जबकि रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है अर्थात् स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विनिवेश एक प्रकार से निजीकरण है।

रणनीतिक विनिवेश का कारण:

- सरकारों को हमेशा कर या अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर की बिक्री करके आय अर्जित करती हैं।
- भारत सरकार बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अपने आय का एक बड़ा भाग खर्च करती है। इससे सरकार के वित्तीय घाटे में वृद्धि होती है। अत: वित्तीय घाटे को कम करने के लिये सरकार सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचती है।
- सैद्धांतिक आधार पर कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि सरकारों को व्यवसाय पर ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि उन्हें व्यवसाय एवं व्यापार के विकास के लिये आवश्यक वातावरण बनाना चाहिये।

रणनीतिक विनिवेश का प्रभाव:

- रणनीतिक विनिवेश से कंपनी की इक्विटी के हस्तांतरण से प्राप्त आय को आवश्यक अवसंरचनाओं के निर्माण में अधिक लाभप्रद तरीके से परिनियोजित किया जा सकता है।
- रणनीतिक विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रशासन तथा प्रबंधन में दक्षता का विकास होता है। इसके अलावा ये प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से सक्षम होती हैं।
- रणनीतिक विनिवेश से सार्वजनिक ऋण में कमी होती है तथा यह ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) को भी कम करता है।

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने आँकड़ों की गुणवत्ता के मद्देनज़र वर्ष 2017-18 के दौरान उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (Consumer Expenditure Survey) जारी करने से मना कर दिया।

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण क्या है ?

- यह एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MOSPI) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (Consumer Expenditure Survey-CES), पूरे देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर घरेलू स्तर पर होने वाले व्यय के पैटर्न को दर्शाता है।
- इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किसी परिवार द्वारा वस्तुओं (खाद्य एवं गैर-खाद्य) तथा सेवाओं पर किये जाने वाले औसत खर्च एवं मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (Monthly Per Capita Expenditure-MPCE) का अनुमान लगाया जाता है।

नोट :

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES) की उपयोगिता:

- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग के अनुमान से किसी अर्थव्यवस्था में मांग तथा वस्तुओं और सेवाओं को लेकर लोगों की प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जाता है।
- इसके अलावा यह लोगों के जीवन स्तर एवं विभिन्न पैमानों पर आर्थिक संवृद्धि को दर्शाता है।
- यह संरचनात्मक विसंगतियों की पहचान करता है तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में मददगार साबित होता है जिससे मांग के पैटर्न का पता लगाया जा सके एवं वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादकों को मदद मिल सके।
- CES एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग सरकारें जीडीपी तथा अन्य वृहत आर्थिक संकेतकों के पुनर्निर्धारण (Rebasing) के लिये करती हैं।

विगत सर्वेक्षण (वर्ष 2011-12) के आँकड़े:					
क्षेत्र	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE)	भोजन पर खर्च (MPCE का प्रतिशत)	शिक्षा पर खर्च	अनाजों पर खर्च	घर का किराया
शहरी क्षेत्र	2,630 रुपए	42.6 प्रतिशत	7 प्रतिशत	6.7 प्रतिशत	6.2 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र	1,430 रुपए	53 प्रतिशत	3.5 प्रतिशत	10.8 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत

- वर्ष 2011-12 के आँकड़ों के अनुसार, बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले राज्य तथा पिछड़े राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुई है।
- MPCE के मामले में शीर्ष पाँच प्रतिशत राज्यों में यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 2,886 रुपए था, जबकि निचले पाँच प्रतिशत राज्यों के लिये 616 रुपए था।
- शीर्ष पाँच प्रतिशत राज्यों के शहरी क्षेत्रों के लिये MPCE 6,383 रुपए था, जबकि निचले पाँच प्रतिशत राज्यों के लिये यह 827 रुपए था।

वर्ष 2017-18 के सर्वेक्षण पर विवाद:

- हाल ही में मीडिया द्वारा यह दावा किया गया कि MPCE पर वर्ष 2017-18 के आँकड़ों में वर्ष 1972-73 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई है जो कि 3.7% है।
- इसके अनुसार वास्तविक कीमतों पर वर्ष 2011-12 में MPCE 1,501 रुपए (मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित) था जो वर्ष 2017-18 में घटकर 1,446 रुपए रह गया।
- इसके अलावा मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित उपभोग व्यय (Inflation Adjusted Consumption Expenditure) ग्रामीण क्षेत्रों में 8.8 प्रतिशत घट गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इसके विपरीत सरकार का मानना है कि वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाले प्रशासनिक आँकड़ों से ज्ञात होता है कि विगत वर्षों में लोगों के उपभोग व्यय में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि उनके उपभोग के पैटर्न में भी विविधता आई है।
- सरकार का यह भी कहना है कि अधिकांश परिवारों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं के उपभोग में वृद्धि हुई है।
- इसलिये सरकार इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों को लेकर संतुष्ट नहीं थी तथा इस मामले को विशेषज्ञों की एक समिति के पास भेजा गया।
- समिति का कहना है कि इस सर्वेक्षण में कई अनियमितताएँ हैं तथा इसमें प्रयुक्त शोध विधि को लेकर भी कई बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्रियों का सरकार के विपरीत तर्क है कि मई 2019 में NSSO द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS) 2017-18 के अनुसार, देश में बेरोज़गारी पिछले 45 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है तथा वेतन में स्थिरता बनी हुई है।
- इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित जीडीपी के आँकड़ों के मुताबिक, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure) पिछली 18 तिमाहियों के न्यूनतम स्तर पर था।

नोट :

सरकार के निर्णय का प्रभाव:

- सरकार द्वारा CES के आँकड़े न जारी करने के इस निर्णय से वर्तमान उपभोक्ताओं के व्यय पैटर्न की सही जानकारी नहीं मिलेगी जिससे नीति निर्माताओं को आर्थिक सुधार से संबंधित रणनीति बनाने में मुश्किल होगी।
- वर्ष 2017-18 के आँकड़े न जारी होने से सरकार अगला सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 या 2021-22 में जारी करेगी। इससे वर्ष 2011-12 में जारी आँकड़ों के बाद 9 या 10 वर्षों का अंतराल आएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) के विशेष आँकड़े प्रसार मानक (Special Data Dissemination Standard-SDDS) का भागीदार होने के नाते भारत वृहत स्तर के आर्थिक आँकड़े (Macro-Economic Data) प्रकाशित करने के लिये बाध्य है।
- इन मानकों में निम्नलिखित दिशा-निर्देश शामिल हैं-
  - आँकड़ों का समयानुसार, निश्चित समय के अंतराल पर कवरेज
  - आँकड़ों की जनता तक पहुँच
  - आँकड़ों की गुणवत्ता
  - आँकड़ों की अखंडता
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एनुअल आब्ज़रवेंस रिपोर्ट (Annual Observance Report) 2018 के अनुसार, भारत अपने आर्थिक आँकड़ों के प्रकाशन में प्राय: देरी करता है जो SDDS के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Accounts Statistics) पर सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि वर्ष 2017-18 को जीडीपी के आधार वर्ष के तौर पर पुनर्निर्धारण हेतु प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि इसके द्वारा जारी डेटा भविष्य में संदेहास्पद हो सकते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट- 584

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey-NSS) के 76वें राउंड के रूप में देश में पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता की स्थिति पर एक सर्वेक्षण कराया।

प्रमुख बिंदु

- इसके पहले NSO की ओर से जुलाई 2008 से जून 2009 के बीच NSS के 65वें राउंड के तहत और जुलाई–दिसंबर 2012 के बीच NSS के 69वें राउंड के तहत इन विषयों पर सर्वेक्षण कराया गया था।
- वर्तमान सर्वेक्षण पूरे देश में कराया गया।
  - इसके लिये देश भर से 106838 नमूने इकठ्ठा किये गए (ग्रामीण क्षेत्रों से 63763 और शहरी क्षेत्र से 43102)। इनमें से 5378 नमूने गाँवों से और 3614 शहरी क्षेत्रों के UFS ब्लाकों से जुटाए गए।
  - नमूनों को इकठ्ठा करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई।
- यह रिपोर्ट NSS के 76वें दौर के दौरान पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास की स्थिति पर सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र केंद्रीय नमूना आंकड़ों पर आधारित है।

उद्देश्य

- इस सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य परिवारों को उपलब्ध पेयजल, स्वच्छता और आवास सुविधाओं तथा घरों के आसपास उपलब्ध वातावरण की जानकारी जुटाना था जो लोगों के लिये गुणवत्ता युक्त रहन सहन की स्थितियाँ सुनिश्चित करती हैं।

नोट :

- ये जानकारियाँ जिन महत्त्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जुटाई गईं उनमें अवासीय इकाइयों के प्रकार (अलग मकान, फ्लैट आदि) ऐसी इकाइयों के मालिकाना हक का प्रकार, आवासीय इकाइयों का ढाँचा (जैसे- पक्का, कच्चा-पक्का या कच्चा) आवासीय इकाइयों की स्थिति, आवासीय इकाइयों का फ्लोर एरिया, उनके निर्माण का समय, ऐसी इकाइयों में पेयजल, बाथरूम आदि की सुविधा तथा ऐसी इकाइयों के आसपास जल निकासी, कचरे और गंदे जल के निस्तारण की सुविधा आदि शामिल हैं।

आँकड़ों का आधार पूर्वाग्रह से ग्रस्त

- 'पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति' जुलाई-दिसंबर 2018 पर हाल ही में जारी NSS के 76वें सर्वेक्षण में प्रतिभागियों के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की बात को स्वीकार किया गया है।
  - इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी परिवार से यह अहम सवाल पूछा जाता है कि क्या उसे सरकार की ओर से कभी भी कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो वह परिवार अपने यहाँ शौचालय या एलपीजी सिलेंडर होने की बात को इस उम्मीद में स्वीकार नहीं करता है कि उसे सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।
  - संभवत: इसी पूर्वाग्रह की वजह से स्वच्छता कवरेज के वास्तविकता से काफी कम होने की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।
  - विभिन्न परिवारों के इस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का तथ्य अक्सर तब सामने आता है जब सरकार द्वारा कार्यान्वित व वित्तपोषित लाभार्थी योजनाओं से जुड़ी चीजों और मुद्दों के बारे में उनसे पूछा जाता है।

सरकार द्वारा खण्डन

- किसी अहम सवाल से जुड़ी इस तरह की सीमा को स्वीकार करते हुए NSS (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) की रिपोर्ट में स्वयं एक डिस्क्लेमर जारी किया गया है: ''NSS के 76वें दौर के सर्वेक्षण में 'पेयजल, स्वच्छता, आवास, विद्युतीकरण और एलपीजी कनेक्शन की सुविधाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं से परिवारों को प्राप्त लाभ' पर विभिन्न सूचनाओं का संकलन पहली बार किया गया। इन सुविधाओं के प्राप्त होने के बारे में सवाल पूछने से पहले ही यह सर्वेक्षण किया गया।
  - ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिभागी इस उम्मीद में नकारात्मक उत्तर देता है कि सरकारी सुविधाएँ न मिलने या उन तक पहुँच न होने की बात कहने पर उन्हें सरकारी योजनाओं के ज़रिये अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने में मदद मिल सकती है।
  - विभिन्न सरकारी योजनाओँ से लोगों को प्राप्त लाभों और संबंधित सुविधाओँ तक लोगों की पहुँच होने से जुड़े निष्कर्षों की व्याख्या करते वक्त इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा।''

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने यह बात दोहराई है कि इस सीमा के कारण भारत में स्वच्छता की स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिये इस रिपोर्ट के परिणामों या निष्कर्षों का उपयोग करना सही नहीं है।

रक्षा औद्योगिक गलियारा

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- ये रक्षा गलियारे एक सुनियोजित और कुशल औद्योगिक आधार की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे देश में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-2018 के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक (13% के साथ) बनकर उभरा है।

उद्देश्य

- रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना है।

नोट:

- उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में 6 शहर शामिल हैं: लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी।
- तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 शहर शामिल हैं: चेन्नई, होसुर, सलेम, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली।

नोट :

पृष्ठभूमि

फरवरी, 2018 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे स्थापित किए जाएंगे। इसमें सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में गलियारों के निर्माण की परिकल्पना की थी।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 [Chit Fund (Amendment) Bill 2019] पारित किया गया। इसके द्वारा पहले से चले आ रहे चिट फंड अधिनियम, 1982 में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गए।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- इस विधेयक में चिट फंड के लिये अनेक वैकल्पिक नामों के सुझाव दिये गए हैं जिससे इसके प्रति लोगों में एक नया भाव तथा विश्वास पैदा हो सके। जैसे- बंधुत्त्व कोष (Fraternity Fund), आवृत्ति बचत तथा ऋण संस्थान (Rotating Savings and Credit Institutions) आदि।
- इस विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 में परिभाषित कुछ शब्दावलियों को बदला गया है। जो इस प्रकार हैं-
  - चिट राशि (chit amount) - वह राशि जो चिट फंड के सभी भागीदारों को जमा करनी होती है।
  - लाभांश (Dividend) - चिट फंड के संचालन के लिये अलग रखी गई राशि में भागीदारों का हिस्सा।
  - पुरस्कार राशि (Prize Amount) - चिट राशि तथा लाभांश का अंतर।
  - इस विधेयक के तहत इन तीनों को क्रमश: सकल चिट राशि (Gross Chit Amount), छूट की हिस्सेदारी (Share of Discount), निवल चिट राशि (Net Chit Amount) नाम दिया गया है।
- विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि चिट निकालते समय कम-से-कम दो सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसके सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
- इस विधेयक में फोरमैन के लिये कमीशन की राशि को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक सबस्क्राइबर्स के क्रेडिट बैलेंस पर फोरमैन के वैध अधिकार की अनुमति देता है।
- चिट फंड अधिनियम, 1982 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति या चार व्यक्तियों के सहयोग से चलने वाले चिट फंड में जमा करने की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए होगी इसे बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
- चार व्यक्तियों से अधिक या किसी फर्म द्वारा चलाए जा रहे चिट फंड में जमा करने की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए कर दिया गया है।
- चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 के अधिनियम बनने के बाद इसके लागू होने की शर्तें भी उल्लिखित की गई हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह अधिनियम निम्नलिखित चिट फंड पर नहीं लागू होगा:
  - वे चिट फंड जिन्हें अधिनियम लागू होने से पहले शुरू किया गया है।
  - वे चिट फंड (या एक ही फोरमैन द्वारा चलाए जाने वाले कई चिट्स) जिनकी राशि 100 रुपए से कम है।
- यह विधेयक चिट फंड के लिये 100 रुपए की धनराशि की सीमा को समाप्त करता है तथा राज्य सरकारों को आधार राशि तय करने की अनुमति देता है जिससे अधिक की रकम होने पर एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।

भारत : स्वर्ण तस्करी का हब

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन IMPACT ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया में सोने की सबसे अधिक तस्करी करने वाले देश के रूप में उभरा है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ से आने वाला स्वर्ण भारत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश कर रहा है।
- एनजीओ ने खुलासा किया है कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 1,000 टन सोने का आयात करता है जो आधिकारिक आँकड़ों से एक-चौथाई अधिक है।

कारण:

- भारत में स्वर्ण उद्योग से संबंधित एजेंसियाँ विनियामकीय जाँच करने में विफल रही है।
- एजेंसियाँ यह पता नही लगा पाती हैं कि स्वर्ण से प्राप्त होने वाला वित्त अफ्रीका और दक्षिण अमरीकी देशों में संघर्ष और मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा तो नहीं देता है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का एक तिहाई स्वर्ण भारतीय बाज़ारों से होकर गुजरता है, जिसकी तस्करी के लिये तीन प्राथमिक कारकों की पहचान की गई है:
  1. कर में रियायत
  2. मूल दस्तावेज़ों को गलत बताकर
  3. सह अपराधी दल
- भारत के स्वर्ण रिफाइनरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने वर्ष 2013 में अपरिष्कृत सोने के लिये करों में रियायत देने की शुरुआत की थी जिसके कारण व्यापारियों ने कम करों का लाभ उठाने के लिये दस्तावेज़ों में हेर-फेर कर दावों को गलत साबित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अपरिष्कृत सोने का आयात वर्ष 2012 के 23 टन से बढ़कर वर्ष 2015 में 229 टन हो गया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अन्य देशों से अधिक सोने के आयात की घोषणा की है, क्योंकि वे उत्पादन करने में सक्षम हैं, उदाहरण के लिये वर्ष 2014 और 2017 के बीच डोमिनिकन रिपब्लिक से 100.63 टन अपरिष्कृत स्वर्ण का भारत में आयात किया गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात, भारत में सोने की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है। संयुक्त अरब अमीरात एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और यह अवैध तरीके से अपरिष्कृत सोने का आयात करता है फिर इसे परिष्कृत कर भारत को निर्यात किया जाता है। जबकि अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में भारत से संबंधित प्रमुख व्यापारियों और रिफाइनरों की संलिप्तता अवैध सोने के व्यापार के रूप में पाई गई है।

अफ्रीकी ग्रेट लेक्स :

- अफ्रीकी ग्रेट लेक्स झीलों की एक श्रृंखला है जो East African Rift और उसके आसपास रिफ्ट वैली झीलों का हिस्सा है।
- इसमें मुख्य रूप से विक्टोरिया झील (दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील), तंगानिका झील (विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील), मलावी झील (भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील) शामिल है।
- अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, मलावी, रवांडा, तंजानिया और युगांडा देश आते है।
- क्या किया जा सकता है?
- इस रिपोर्ट में भारत में सोने की तस्करी के मुद्दे को हल करने के लिये दो सिफारिशें की गई हैं:
  - करों का सामंजस्य
  - नकली दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिये सीमा पर एक संवर्द्धित विनियामकीय प्रणाली
- अधिकारियों को सोने की तस्करी को हतोत्साहित करने के लिये कार्रवाई करनी चाहिये और सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वर्ण उद्योग भी इसमें सहयोग दे।
- एक प्रमुख वैश्विक स्वर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के साथ भारत को अपनी सोने की आपूर्ति श्रृंखला (Supply chains) में कमज़ोरियों को दूर करने के लिये उचित कार्रवाई करनी चाहिये।

IMPACT:

IMPACT (पूर्व में इसे "Partnership Africa Canada" के रूप में जाना जाता था) एक गैर-सरकारी संगठन है, जो यह बताता है कि "ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, जहाँ सुरक्षा और मानव अधिकारों का 30 से अधिक वर्षों से हनन हो रहा है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पाकिस्तान ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union- UPU) के नियमों के विपरीत जाकर भारत से आदान-प्रदान होनी वाली डाक सेवा (Postal Exchange) को (भारत को सूचित किए बगैर) बंद कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- पाकिस्तान के इस कदम से पहले तक दोनों देशों के बीच लगभग दैनिक रूप से डाक का आदान-प्रदान किया जा रहा था। दोनों देशों के बीच कोई नियमित और सीधा हवाई संपर्क नहीं होने के कारण सऊदी अरब के हवाई मार्ग से डाक का आदान-प्रदान किया जा रहा था।
- भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय डाकों को 28 अधिकृत डाकघरों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, इनमें से दिल्ली और मुंबई के डाकघरों को पाकिस्तान के साथ आदान-प्रदान होने वाली डाकों के लिये नामित किया गया है।
- UPU के अतिरिक्त तीन और समझौते- एक्सचेंज ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल (Exchange of Value Payable Article), 1948; एक्सचेंज ऑफ पोस्टल आर्टिकल (Exchange of Postal Article), 1974 तथा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एग्रीमेंट (International Speed Post Agreement), 1987 भारत एवं पाकिस्तान के बीच डाकों के आदान-प्रदान को विनियमित करते हैं।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में:

- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union-UPU) अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान-प्रदान को विनियमित करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लिये दरों को तय करता है।
- इसका गठन वर्ष 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विज़टरलैंड के बर्न में स्थित है।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 192 हैं।
- इसकी चार इकाइयाँ निम्नलिखित हैं-
  1. कॉन्ग्रेस।
  2. प्रशासन परिषद।
  3. अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो।
  4. डाक संचालन परिषद।
- यह विश्व भर के 6.40 लाख पोस्टल आउटलेट को नियंत्रित करता है। भारत 1 जुलाई, 1876 और पाकिस्तान 10 नवंबर, 1947 को UPU में शामिल हुए थे।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की क्रियाविधि:

- UPU की एक इकाई अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने वर्ष 2018 में एक कन्वेंशन मैनुअल (Convention Manual) जारी किया, जिसके अनुच्छेद 17-143 में डाक सेवाओं के अस्थायी निलंबन और बहाली के लिये उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के नियमों के तहत जब कोई देश किसी देश के साथ विनिमय को निलंबित करने का फैसला करता है तो उसे दूसरे देश (जैसे भारत) को इस बारे में सूचित करना चाहिये, साथ ही यदि संभव हो तो जिस अवधि के लिये सेवाएँ रोकी जा रही हैं उसका भी विवरण दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ भी साझी की जानी चाहिये।
- भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न तीन द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार भी पाकिस्तान को निलंबन की पूर्व सूचना भारत को देनी चाहिये थी।

नोट :

भारत-जर्मनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत की यात्रा की, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ 5वें भारत-जर्मन अंतर सरकारी परामर्श (Inter-Governmental Consultation) की सह-अध्यक्षता भी की।

महत्त्वपूर्ण समझौते:

वार्ता के दौरान भारत-जर्मनी के बीच 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर (German Aerospace Centre) के बीच सहयोग।
- नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों के नेटवर्क के क्षेत्र में सहयोग।
- कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग।
- स्टार्ट-अप के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर समझौता।
- कृषि बाज़ार विकास के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग परियोजना की शुरुआत।
- व्यावसायिक रोगों (Occupational Diseases), दिव्यांग व्यक्तियों और उनके पूनार्वासन (Re-habilitation) एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता।
- अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता।
- वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिये समझौता।
- आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर समझौता।
- भारत और जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग (Cooperation) पर समझौता।
- उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदारी के विस्तार (Extension) पर समझौता।
- कृषि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- सतत् विकास के क्रियान्वयन पर समझौता।
- नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता तथा जर्मनी के सांस्कृतिक संस्थानों के मध्य समझौता।
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और जर्मनी के फुटबॉल संघ के बीच समझौता।
- भारत-जर्मनी प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता (Mobility Partnership Agreement)।

भारत-जर्मनी संबंधों के प्रमुख आयाम:

- **आर्थिक संबंध:**
  - वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि भारत-जर्मनी, भारत और यूरोपीय-संघ के बीच मुक्त-व्यापार संबंधी ठप पड़ी वार्ता को आगे बढाएंगे।
  - इसके अतिरिक्त भारत-यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) का भी प्रयास किया जाएगा।
  - जर्मनी भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है जहाँ से भारत में विभिन्न वस्तुओं जैसे- गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल गुड्स, सिंथेटिक सामग्री का व्यापार होता है, साथ ही भारत में जर्मनी से बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:**
  - भारत और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - ज्ञातव्य है कि भारत और जर्मनी G-4 (भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील) देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिये प्रयासरत हैं।

नोट :

- **आतंकवाद:**
  - भारत और जर्मनी ने आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने के लिये द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।
  - दोनों देशों, फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force- FATF) की बैठकों में समन्वय और इनके आदेशों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करते रहे हैं।
- **कृषि:**
  - भारत-जर्मनी के बीच कृषि में मशीनीकरण और फसल कटाई प्रबंधन जैसे मुद्दे पर सहायता से संबंधी समझौते पर विचार चल रहा है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 तक भारत में कृषकों की आय दोगुना करने में भारत की हर-तरह से सहायता करने की बात कही।
- **रक्षा:**
  - प्रधानमंत्री ने जर्मनी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित रक्षा गलियारों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिये आमंत्रित किया।

अन्य क्षेत्र:

- ई-मोबिलिटी, स्मार्ट शहर, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और इसमें जर्मनी जैसी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और आर्थिक शक्तियाँ बेहद उपयोगी होगी।

भारत के दृष्टिकोण से जर्मनी का महत्त्व:

- राजनीतिक वार्ता में अंतराल के बावजूद दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध मज़बूत हैं।
- भारत द्वारा वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिये भारत यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है।
- जर्मनी अत्याधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में विश्व का अव्वल देश है। भारत अभी भी कौशल, विकास और तकनीकी के क्षेत्र में काफी पीछे है।
- जर्मनी के साथ नए भू-सामरिक संबंधों से भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अतिरिक्त भारत को प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में बेहतर सहयोग प्राप्त होगा।

पाकिस्तान में आज़ादी मार्च

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में पाकिस्तान में मौलाना फज़लुर रहमान के नेतृत्व में 'आज़ादी मार्च' जारी है। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने असंवैधानिक रूप से चुनावों में जीत हासिल की है, इसलिये वे प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

- गौरतलब है कि पाकिस्तान की राजनीति में विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास एक आम बात हो गई है और इस प्रकार की लगभग सभी घटनाओं में पाकिस्तानी सेना की एक विशेष भूमिका दिखाई देती है।

पाकिस्तान का नया संकट- आज़ादी मार्च

- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पद ग्रहण करने के पश्चात् यह पहला मौका है जब उनके सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती उत्पन्न हुई है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में हुए पाकिस्तानी चुनाव काफी विवादास्पद थे और यह कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने चुनावों में हेर-फेर कर इमरान खान को जिताने का प्रयास किया है।
- प्रदर्शनकारी इसी विषय को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन भी प्राप्त है।

नोट :

- प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे फज़लुर रहमान का कहना है कि वर्ष 2018 के चुनाव अनुचित थे और इसलिये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिये।
- इसके अलावा फज़लुर रहमान का यह भी मानना है कि इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रहे हैं एवं करतारपुर गलियारे की शुरुआत पाकिस्तान के हित में नहीं है।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब है, जिसे लेकर समय-समय पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध आवाज़ उठती रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
  - पाकिस्तान के वर्तमान हालात भी इस प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार माने जा सकते हंस और इसी कारण लोग प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं।

आज़ादी मार्च- भारत पर प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में हो रहे 'आज़ादी मार्च' का भारत पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के वर्तमान रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुज़र रहे हैं।
- यदि प्रदर्शन सफल रहता है, हालाँकि इसकी संभावना बहुत कम है, तो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
- इस प्रदर्शन की सफलता का भारत के लिये एक खतरा यह है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान, जो कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है, की छवि भारत के प्रति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है।
  - मौलाना फज़लुर रहमान के अफगान तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। साथ ही उसने विगत कुछ वर्षों में कई बार अमेरिकी विरोधी और तालिबान समर्थित प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया है।
  - वर्ष 2012 में उसने नोबेल विजेता मलाला यूसुफज़ई के विरोध में भी कई बयान दिये थे।

निष्कर्ष

पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के कारण अफरा-तफरी का माहौल है, परंतु फिलहाल इस बात की संभावना नहीं है कि विपक्षी दल इमरान खान को सत्ता से हटा पाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी यही प्रतीत हो रहा है कि अंतिम निर्णय पाकिस्तानी सेना द्वारा ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रकार का पिछला प्रदर्शन इमरान खान के नेतृत्व में किया गया था और वे अपने मकसद में असफल रहे थे।

RCEP में शामिल नहीं होगा भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने 16 सदस्य देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) समूह में शामिल न होने का निर्णय लिया है।

- गौरतलब है कि RCEP से जुड़ी भारत की चिंताओं को तमाम वार्ताओं के बाद भी दूर नहीं किया जा सका, जिसके कारण भारत को यह निर्णय लेना पड़ा।
- ध्यातव्य है कि भारत के अतिरिक्त अन्य सभी 15 देश वर्ष 2020 तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
- क्या है RCEP ?
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या RCEP एक मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि 16 देशों के मध्य किया जा रहा था। विदित हो कि भारत के इसमें शामिल न होने के निर्णय के पश्चात् अब इसमें 15 देश शेष हैं।
  - इसमें 10 आसियान देश तथा उनके FTA भागीदार- भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल थे।
- इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार बनाना एवं सभी 16 देशों में फैले हुए बाज़ार का एकीकरण करना है।
- इसका अर्थ है कि सभी सदस्य देशों के उत्पादों और सेवाओं का संपूर्ण क्षेत्र में पहुँचना आसान होगा।

नोट :

- इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- RCEP को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के एक विकल्प के रूप में भी देखा जाता रहा है।
- यदि भारत सहित यह समझौता संपन्न होता तो यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता।
  - साथ ही यह तकरीबन 5 अरब लोगों की आबादी के लिहाज़ से सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक भी बन जाता।
- RCEP समझौते में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा, विवाद निपटान तथा अन्य मुद्दे शामिल हैं।

क्या है समस्या ?

- भारत के अतिरिक्त RCEP में भाग लेने वाले अन्य सभी 15 सदस्यों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इस समझौते के वर्ष 2020 तक संपन्न होने की उम्मीद है।
- दूसरी ओर भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण इस समझौते में शामिल न होने का निर्णय लिया है।
- निर्णय की घोषणा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि "RCEP अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता एवं इसके परिणाम न तो उचित हैं और न ही संतुलित।"
- RCEP वार्ता के दौरान कई भारतीय उद्योग समूहों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कुछ घरेलू क्षेत्र अन्य प्रतिभागी देशों के सस्ते विकल्पों के कारण प्रभावित हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये समझौते के फलस्वरूप देश के डेयरी उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार देश के इस्पात और कपड़ा उद्योग को भी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा।

अनसुलझे मुद्दे

- कई भारतीय उद्योगों ने चिंता ज़ाहिर की थी कि यदि चीन जैसे देशों के सस्ते उत्पादों को भारतीय बाज़ार में आसान पहुँच प्राप्त हो जाएगी तो भारतीय घरेलू उद्योग पूर्णत: तबाह हो जाएगा।
  - ध्यातव्य है कि भारत ऐसे ऑटो-ट्रिगर तंत्र की मांग कर रहा था जो उसे ऐसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति देगा जहाँ आयात एक निश्चित सीमा को पार कर चुका हो।
- भारत पहले से ही 16 RCEP देशों के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में है। अपने बाज़ार को और अधिक मुक्त बनाने से स्थिति और बिगड़ सकती है। गौरतलब है कि चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 50 बिलियन डॉलर से भी अधिक का है।
- इस व्यापार संधि में शामिल होने की भारत की अनिच्छा इस अनुभव से भी प्रेरित है कि भारत को कोरिया, मलेशिया और जापान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
- समझौतों का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद इन देशों से भारत के आयात में तो वृद्धि हुई लेकिन भारत से निर्यात में उस गति से वृद्धि नहीं हुई और इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ा।
- गैर टैरिफ बाधाओं संबंधी भारत की चिंता और बाज़ार तक अधिक पहुँच की मांग को लेकर भी भारत को कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया गया।
- भारत ने कई बार उत्पादों पर टैरिफ को कम करने अथवा समाप्त करने के संबंध में अपना डर ज़ाहिर किया था।
- RCEP में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) के दुरुपयोग से संबंधित भारतीय चिंताओं को भी सही ढंग से संबोधित नहीं किया गया।
  - किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिये उपयोग किये जाने वाले मानदंड को 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' कहा जाता है।
- RCEP समझौते में टैरिफ घटाने के लिये वर्ष 2013 को आधार वर्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव किया गया है, परंतु भारत इसके विरोध में है क्योंकि बीते कुछ वर्षों में कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा है और इसलिये भारत चाहता है कि वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में चुना जाए।

नोट :

SCO शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों ?

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद (Council of Heads and Governments-CHGs) की 18वीं बैठक हाल ही में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई। भारत के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रकार की बैठक में भारत की यह तीसरी भागीदारी थी। पहली बैठक नवंबर-दिसंबर 2017 में रूस के सोची नगर में हुई थी और दूसरी बार की बैठक 2018 में ताजिकिस्तान के दुशांबे शहर में हुई थी।
- आतंकवाद से निपटने एवं विकास के प्रयासों को मज़बूती देने के लिये SCO देशों के सहयोग पर बल दिया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता को कम करने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
- भारत द्वारा कहा गया कि चीन के बाद SCO क्षेत्र में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत, क्षमता निर्माण और कौशल विकास में अपना अनुभव साझा कर सकता है जिसमें संसाधन मानचित्रण, कृषि शिक्षा, उपग्रहों का प्रक्षेपण, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, आतिथ्य एवं वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं।
- वैश्वीकरण ने SCO सदस्यों के विकास के लिये अपार अवसर खोले हैं। हालाँकि इसने कई चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अलगाववाद और संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस परिस्थिति में SCO, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ एक पारदर्शी, नियम आधारित, खुला, समावेशी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है।
- SCO में शामिल देश प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय प्रभाव से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से भारत ने एससीओ सदस्य देशों को कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।

भारत द्वारा सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के एशियाई जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिये एक वैश्विक गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य देशों को लचीले बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये उनकी क्षमताओं को उन्नत करने में सहायता करना है। यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देने के साथ-साथ सेंदाई फ्रेमवर्क के तहत नुकसान में कमी के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक के अलावा भारत तथा उज़्बेकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें कुछ प्रमुख समझौतों (MOUs) पर हस्ताक्षर किये गए।

- भारत ने उज़्बेकिस्तान द्वारा भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिये 40 मिलियन डॉलर की रियायती छूट (Line of Credit) दी है।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता हुआ।
- इसके साथ ही दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके लिये दोनों देशों के उच्च सैन्य शिक्षण संस्थानों के मध्य समझौता हुआ जिसमें भारत का कॉलेज ऑफ़ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद तथा आर्म्ड फोर्स अकादमी ऑफ़ उज़्बेकिस्तान, ताशकंद शामिल हैं।
- भारत उज़्बेकिस्तान के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक-2019' (Dustlik-2019) ताशकंद में प्रारंभ किया गया।

शंघाई सहयोग संगठन क्या है ?

- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना चीन, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- वर्तमान में SCO के आठ सदस्य देश-भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं।

नोट :

- वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे और वर्ष 2017 में इन दोनों देशों को इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके चार पर्यवेक्षक और छह संवाद सहयोगी भी हैं।
- इस मंच का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय 'शासनाध्यक्ष परिषद' है। शासनाध्यक्ष परिषद की वार्षिक बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं।

प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 02-04 नवंबर, 2019 तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा की।

- इस यात्रा के दौरान उन्होंने 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit- EAS) में भाग लिया, इसके अतिरिक्त म्याँमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के राष्ट्रप्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता की

16वाँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन:

- शिखर सम्मेलन के दौरान समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy), व्यापार एवं निवेश, कनेक्टिविटी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
- सामाजिक-सांस्कृतिक मोर्चे पर लोगों के बीच जुड़ाव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मानवीय सहायता और पर्यटन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इस क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के मध्य भारत के दृष्टिकोण को समन्वित रखने पर ज़ोर दिया गया, साथ ही दोनों क्षेत्रों में बढ़ती चीन की मुखरता को संतुलित करने की बात की गई।
- इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में 'सवसदी पीएम मोदी ' (Sawasdee PM Modi) कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।
- थाई भाषा में, 'सवसदी' शब्द का प्रयोग अभिवादन और अलविदा के लिये प्रयोग किया जाता है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन:

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने हेतु बेहतर तैयारी, कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिये वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) तथा इससे संबंधित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ समन्वय को बेहतर बनाने की बात कही गई।
- इस सम्मेलन में एक घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिये प्रभावी उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) के साथ FATF के बेहतर समन्वय के साथ क्रियान्वयन की बात कही गई।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग के लिये 18 देशों का एक मंच है। इसकी संकल्पना वर्ष 1991 में मलेशिया के तात्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा की गई थी।
- इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर घोषणा (Kuala Lumpur Declaration) की गई थी।
- इस घोषणा के अनुसार- यह पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर बातचीत के लिये एक खुला मंच है।

नोट :

सदस्य:

- इसमें आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) के 6 देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया) और रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है।
- यह मंच विश्व की जनसंख्या का लगभग 54% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% कवर करता है।
- यह एक आसियान केंद्रित मंच है, इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं।
- इस वर्ष इसकी अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है, इसके पहले वर्ष 2018 में इसकी अध्यक्षता सिंगापुर द्वारा की गई थी।

सहयोग के क्षेत्र:

1. पर्यावरण और ऊर्जा
2. शिक्षा
3. वित्त
4. वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग
5. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन
6. आसियान कनेक्टिविटी

भारत सभी छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

सम्मेलन में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक:

1. भारत-म्याँमार:

- भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) यानी पूर्व की ओर देखो नीति के तहत म्याँमार की अवस्थिति भारत के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- भारत म्याँमार के माध्यम से सुदूर दक्षिण-पूर्व एशिया तक अपनी पहुँच स्थापित कर सकता है, इसलिये भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन पर ज़ोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों, बंदरगाहों का निर्माण और हवाई संपर्क के विस्तार का भी प्रयास किया जा रहा है।
- भारत के अनुसार, वह म्याँमार के साथ पुलिस, सैन्य और सिविल सेवकों, साथ ही छात्रों एवं नागरिकों के लिये क्षमता विस्तार कार्यक्रम जैसे समर्थन जारी रखेगा।
- भारत की योजना है कि नवंबर 2019 के अंत में यंगून में CLMV देशों (कंबोडिया, लाओस, म्याँमार और वियतनाम {Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam CLMV)} के लिये एक व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

2. भारत-इंडोनेशिया:

- भारत और इंडोनेशिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने हेतु सहमति व्यक्त की है।
- भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आदान-प्रदान को मज़बूत करने का कार्य कर रहा है।
- भारत ने इंडोनेशिया के बाज़ार में भारतीय कमोडिटीज, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज़्यादा पहुँच की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- 2019 में भारत और इंडोनेशिया बीच वर्ष राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

3. भारत-थाईलैंड:

- भारत एवं थाईलैंड ने व्यापार, संस्कृति एवं रक्षा उद्योग क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में सहयोग हेतु सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को और मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

नोट :

- थाईलैंड 4.0 के माध्यम से स्वयं को मूल्य-आधारित अर्थव्यवस्था (Value-Based Economy) में बदलने की पहल कर रहा है। भारत द्वारा क्रियान्वित की जा रही है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी और जल जीवन मिशन इत्यादि योजनाओं में दोनों देशों के बीच सहयोग की असीम संभावना है।

भारत-US आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी (Economic and Financial Partnership-EFP) हेतु 7वीं बैठक 1 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

मुद्दे:

- EFP की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों, उन मुद्दों पर अमेरिका और भारत का आर्थिक दृष्टिकोण, वैश्विक ऋण स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी प्रवाह एवं निवेश जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की।
- इस बैठक के दौरान डेटा स्थानीयकरण (Data localization), मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उद्देश्य:

- आर्थिक और वित्तीय भागीदारी का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य स्थापित आर्थिक संबंधों को और मज़बूत करना है।
- बदलते वैश्विक भू-राजनीति में आर्थिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बढ़ते महत्त्व के मद्देनज़र दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का संचालन।

भारत-अमेरिका साझेदारी:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बीमा क्षेत्र के विनियमन से संबंधित जानकारी के समन्वय, परामर्श और विनिमय के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- भारत की अवसंरचना संबंधी योजनाओं में दोनों पक्ष पूंजी और तकनीक जैसे पहलुओं पर मिल कर कार्य कर रहे हैं।
- भारत ने अपने बुनियादी ढाँचे में निजी संस्थागत निवेश को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) की स्थापना की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने सरकार की स्मार्ट शहर परियोजना में स्थानीय बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु वर्ष 2017 में पुणे नगरपालिका को नगरपालिका बॉण्ड लॉन्च करने में सहायता की।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ऋण स्थिरता और पारदर्शिता में सुधार के लिये वैश्विक प्रयासों का समर्थन करते हैं, साथ ही इसके लिये G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को क्रियान्वित करने पर ज़ोर देते हैं। वर्ष 2019 में भारत पेरिस क्लब के साथ स्वेच्छा से जुड़ा एक पर्यवेक्षक देश है।

पेरिस क्लब (Paris Club)

- पेरिस क्लब की स्थापना वर्ष 1956 में विकासशील और उभरते (Emerging) देशों की ऋण समस्याओं के समाधान के लिये की गई थी।
- इसकी स्थापना के समय विश्व शीत युद्ध, अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की जटिलता, वैश्विक स्तर पर विनिमय दर के मानकों का अभाव और अफ्रीका के कुछ देशों द्वारा औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की प्राप्ति जैसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी।
- अर्जेंटीना ने एक बड़ी ऋण धोखाधड़ी के लिये वैश्विक समुदाय से सहायता की अपील की जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1956 में फ्राँस द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पेरिस क्लब कहा गया।
- इस समय इसके 22 स्थायी सदस्य हैं, भारत इसका पर्यवेक्षक देश है।

नोट :

- इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी समझौते के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (Foreign Account Tax Compliance Act- FATCA) के अंतर्गत वित्तीय खाता जानकारी साझा की जाती है।

आगे की राह:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और बढ़ावा दिया जाना चाहिये जिससे दोनों देशों के आर्थिक विकास में अधिक प्रगति हो सके।

निष्कर्ष:

- भारत और अमेरिका तकनीकी सहायता सहित नगरपालिका बॉण्ड जारी करने, अधिक शहरों को इसके लिये तैयार करने और भारत के बुनियादी ढाँचे में संस्थागत निवेश को लेकर तत्पर हैं।

फेनी नदी

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी से संबंधित जल निकासी के एक समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के सबरूम शहर में पेयजल आपूर्ति योजना के लिये भारत द्वारा फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकंड) पानी की निकासी पर भारत और बांग्लादेश के बीच इस समझौता ज्ञापन (Memorandum of understanding-MoU) को मंज़ूरी दी है।
- त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 135 किलोमीटर दक्षिण में बहने वाली फेनी नदी वर्ष 1934 से विवादों में रही है।
  - उल्लेखनीय है कि यह नदी कुल 1,147 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है जिसमें से 535 वर्ग किमी. भारत में और शेष बांग्लादेश में पड़ता है।
- त्रिपुरा के जल संसाधन विभाग के अनुसार, बांग्लादेश द्वारा आपत्ति व्यक्त किये जाने के बाद फेनी नदी से जुड़ी 14 परियोजनाएँ वर्ष 2003 से ही रुकी हुई हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के गाँवों में सिंचाई प्रभावित हो रही है।

फेनी नदी

- फेनी नदी दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक नदी है।
- यह एक ट्रांस-बाउंड्री (Trans-Boundary) नदी है जिसके पानी के अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है।
- फेनी नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा ज़िले से होता है तथा यह सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- नोअखली ज़िले से मुहुरी नदी, जिसे छोटी फेनी भी कहा जाता है इसके मुहाने पर मिलती है।

ऐसा समझौता क्यों ?

- भारत और पाकिस्तान (बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व) के बीच नदी-जल के बँटवारे पर पहली बार वर्ष 1958 में चर्चा शुरू की गई थी।
- गौरतलब है कि आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी के जल-साझाकरण पर कोई समझौता नहीं हुआ है।
- सबरूम शहर में पीने के पानी की वर्तमान आपूर्ति अपर्याप्त है। विदित हो कि इस क्षेत्र के भू-जल में लौह तत्व की मात्रा अधिक है। ऐसे में शहर की जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन से सबरूम शहर की 7000 से अधिक आबादी को लाभ होगा।

नोट :

दोहरा कराधान अपवंचन समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय पर लगने वाले कर के संदर्भ में दोहरे कराधान (Double Taxation) को समाप्त करने तथा वित्तीय चोरी रोकने के लिये भारत और ब्राज़ील के बीच दोहरे कराधान अपवंचन समझौते में संशोधन को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय गणराज्य और ब्राज़ील गणराज्य संघ के मध्य दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय एवं राजकोषीय चोरी रोकने के लिये समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किये हैं।

कार्यान्वयन:

- मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद प्रोटोकॉल को प्रभाव में लाने के लिये आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाएंगी।
- इस समझौते के कार्यान्वयन की मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाएगी तथा बाद में मंत्रालय इसकी रिपोर्ट करेगा।

क्या है दोहरा कराधान ?

दोहरे कराधान से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति (करदाता) की एकल आय एक से अधिक देशों में कर-योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौता : (Double Taxation Avoidance Convention- DTAC)

- दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' निष्पादित करती हैं जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान की समस्या से परस्पर राहत प्रदान करना है।
- भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय कर राहत से संबंधित है।
- इस धारा के अंतर्गत भारत सरकार दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिये समझौते करती है।

भारत-ब्राज़ील के बीच दोहरे कराधान अपवंचन समझौते के प्रमुख प्रभाव:

- इस समझौते में संशोधन से भारत तथा ब्राज़ील के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा।
- भारत और ब्राज़ील के बीच कर-अधिकारों के स्पष्ट निर्धारण से दोनों देशों के निवेशकों तथा व्यापारियों की कर अदायगी में निश्चितता आएगी।
- इस संशोधित प्रोटोकॉल के माध्यम से आय के स्रोत देश में रॉयल्टी, ब्याज, तकनीकी सेवा शुल्क पर कर दरों में कमी होने के कारण निवेश में वृद्धि होगी।
- संशोधित प्रोटोकॉल, दोनों देशों के मध्य G-20/OECD की 'आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण' (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) संधि के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा।
- BEPS के अनुरूप नियमों का सरलीकरण कर निर्धारण प्रक्रिया के बेमेल और गलत नियमों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

इतिहास:

- भारत और ब्राज़ील के बीच वर्तमान दोहरा कराधान अपवंचन समझौता 26 अप्रैल 1988 को हस्ताक्षरित हुआ था।
- 15 अक्तूबर, 2013 को सूचना आदान-प्रदान करने के संबंध में एक प्रोटोकॉल द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS):

- BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियाँ अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में स्थानांतरित कर देती हैं, जहाँ या तो टैक्स नाममात्र होता है या होता ही नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ नगण्य होती हैं।

नोट :

- जून 2017 में भारत ने पेरिस स्थित OECD के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में BEPS संधि पर हस्ताक्षर किये थे। वर्तमान में इस संधि पर 135 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- BEPS संधि का उद्देश्य कृत्रिम ढंग से कर अदायगी से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना तथा संधि के दुरुपयोग को रोकना है।

भारत और ब्राज़ील के मध्य वर्तमान दोहरा कराधान अपवंचन समझौता बहुत पुराना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने तथा G-20/OECD की BEPS संधि की अनुशंसाओं को लागू करने के लिये संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी।

बर्लिन की दीवार

चर्चा में क्यों ?

लगभग 30 वर्ष पूर्व आज ही के दिन (9 नवंबर) 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। इस घटनाक्रम ने न केवल विभाजित जर्मनी के लोगों को एक करने का कार्य किया, बल्कि यह उस 'आयरन कर्टन' के विरोध का प्रतीक भी था जिसने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप से पूर्वी ब्लॉक को अलग किया।

- बर्लिन की दीवार का निर्माण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1961 में किया गया था और इसने बर्लिन को भौतिक एवं वैचारिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था।

क्यों बनाई गई थी बर्लिन की दीवार ?

- द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों- अमेरिका, यूके, फ्राँस और सोवियत संघ ने जर्मनी की क्षेत्रीय सीमाओं पर नियंत्रण कर लिया और इसे प्रत्येक मित्र शक्ति द्वारा प्रबंधित चार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया।
- प्रत्येक ने देश के एक अलग हिस्से की ज़िम्मेदारी ली। जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्रों पर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्राँस ने कब्ज़ा कर लिया, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी पर नियंत्रण स्थापित किया।
- ध्यातव्य है कि बर्लिन सोवियत संघ के अधिकार क्षेत्र में आता था, परंतु जर्मनी की राजधानी होने के कारण यह तय किया गया कि इसे भी चार क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाएगा।
  - बर्लिन विभाजन के पश्चात् अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्राँसीसी क्षेत्र पश्चिम बर्लिन बन गए और सोवियत क्षेत्र पूर्वी बर्लिन बन गया।
- मित्र देशों द्वारा जर्मनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के दो वर्षों बाद कई सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं पर मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होने लगे।
- इनमें सबसे अधिक विवादास्पद अमेरिका द्वारा मार्शल प्लान का विस्तार था। गौरतलब है कि मार्शल प्लान वर्ष 1948 में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित था।
- अमेरिकी प्रस्ताव पूर्वी ब्लाक के भीतर साम्यवादी जर्मनी के स्टालिन दृष्टि के साथ मेल नहीं खाता था और इसीलिये सोवियत संघ ने इस योजना को मंज़ूरी नहीं दी।
- वर्ष 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी ने बर्लिन की दीवार के निर्माण की ज़मीन तैयार कर दी जिसके बाद वर्ष 1949 में सोवियत संघ ने जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के अस्तित्व की घोषणा की, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहा जाता है।
- वर्ष 1961 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य की सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और दोनों क्षेत्रों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई। इस राजनीतिक घटना की कीमत वहाँ के स्थानीय लोगों को अपने घर, परिवार और नौकरी के रूप में चुकानी पड़ी तथा इसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया।

बर्लिन की दीवार क्यों गिरी ?

- पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में नागरिकों के बीच फैली अशांति के कारण पूर्वी जर्मनी के प्रशासन पर दबाव पड़ा कि वे दोनों क्षेत्रों के मध्य यात्रा प्रतिबंधों को शिथिल करें।
- पूर्वी जर्मनी के एक राजनीतिक नेता गुंटर शहाबॉस्की को यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा करने का कार्य सौंपा गया था, परंतु इस संबंध में कोई जानकरी नहीं दी गई कि नए यात्रा नियमों को कब लागू किया जाएगा।

नोट :

- पूर्वी जर्मनी के लोगों को जब इस घोषणा के बारे में जानकारी हुई तो वे बड़ी तदाद में बर्लिन की दीवार के पास पहुँच गए और पश्चिमी जर्मनी में प्रवेश की मांग करने लगे।
- बड़ी संख्या में होने के कारण लोग दीवार को कूदकर उस पार जाने लगे तथा माहौल पूरी तरह बदल गया। उस दिन यानी 9 नवंबर, 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया।

घटनाक्रम के वैश्विक परिणाम

- ज्ञातव्य है कि दशकों के अलगाव और असमान सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण पूर्व और पश्चिम बर्लिन के बीच कई अंतर पैदा हो गए थे।
- बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 3 अक्तूबर, 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने एक साथ मिलकर एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया।
- राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पूर्वी यूरोप लगभग बदल चुका था और इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्ष 1992 की मास्ट्रिच संधि हुई जिसके कारण वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया।
- द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरियाई युद्ध के अंत के बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया धीरे-धीरे युद्धों के कहर से उबरने लगे थे।
- सोवियत संघ के पतन के बाद चीन ने न केवल एशिया में बल्कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखी।
- इसके अलावा सोवियत संघ के पतन ने क्यूबा और उसकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया जो कि मास्को से प्राप्त वित्तीय सब्सिडी पर निर्भर था।
- उल्लेखनीय है कि संयोगवश बर्लिन की दीवार का गिरना भी अफगानिस्तान से रूस की वापसी के साथ हुआ।

ईरान का यूरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ वर्ष 2015 परमाणु समझौते के विपरीत जाकर तेहरान के दक्षिण में स्थित अपने भूमिगत यूरेनियम संवर्द्धन संयंत्र फोराड (Fordow) में दोबारा कार्य शुरु किया गया।

- वर्ष 2015 परमाणु समझौते के तहत लंबे समय से भूमिगत यूरेनियम संवर्द्धन संयंत्र में यूरेनियम कार्यक्रम रोक दिया गया था।
- ईरान अब यूरेनियम को 4.5% तक समृद्ध कर रहा है, जो वर्ष 2015 के समझौते के तहत निर्धारित 3.67% की सीमा से काफी अधिक है।
- इस प्रकार की पहल से पश्चिमी देशों विशेष रुप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- ईरान ने सदैव अपने परमाणु कार्यक्रम के किसी भी सैन्य उद्देश्य से इनकार किया है।

यूरेनियम संवर्द्धन (Uranium Enrichment):

- यूरेनियम संवर्द्धन एक संवेदनशील प्रक्रिया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये ईंधन का उत्पादन करती है।
- सामान्यत: इसमें यूरेनियम-235 और यूरेनियम-238 के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम संवर्द्धन के लिये सेंट्रीफ्यूज (Centrifuges) में गैसीय यूरेनियम को शामिल किया जाता है।
- संवर्द्धन से पहले, पहले यूरेनियम ऑक्साइड को फ्लोराइड में बदलने के कम तापमान पर रखा जाता है।
- परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन इन आइसोटोपों के विखंडन से होता है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA)

- IAEA परमाणु क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। इसे वर्ष 1957 में विश्व में स्थापित किया गया था।
- यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिये परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने का कार्य करता है।
- IAEA विश्व भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु एक अंतर-सरकारी मंच के रूप में भी कार्य करता है।

नोट :

- हालाँकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी लेकिन यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है।
- IAEA, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) और सुरक्षा परिषद (Security Council) दोनों को रिपोर्ट करता है।
- इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना (Vienna) में है।

OECD डिजिटल कराधान प्रारूप मसौदा

संदर्भ:

उदारीकरण के बाद विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाना किसी दूसरे देश के लिये एक कठिन चुनौती होती है क्योंकि ये कंपनियाँ एक साथ कई देशों में व्यवसाय करती हैं।

डिजिटल कराधान से संबंधित चुनौतियाँ:

- डिजिटल कंपनियों के व्यवसाय पर कराधान इसलिये कठिन होता है क्योंकि सामान्यत: जिस अर्थव्यवस्था में ये व्यवसाय कर रही होती हैं वहाँ पर इनकी भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होती है।
- ये अक्सर कम कर प्रणालियों में (कम कर वाले देशों में) पंजीकृत होते हैं, जिससे ये अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभावित करती रहती हैं अर्थात् अधिक व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने के बाद भी उपरोक्त अर्थव्यवस्था में कम कर देती हैं।
- वर्तमान समय में विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ बहुत कम कर भुगतान कर रही हैं जो एक चिंता का विषय बना हुआ है।

डिजिटल कराधान संबंधी प्रावधान:

- आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Sharing- BEPS) रिपोर्ट के शुरुआती संस्करणों में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Economic Co-operation and Development- OECD) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर तीन उपायों- समतुल्य लेवी (Equalisation Levy), विथहोल्डिंग कर (Withholding taxe) तथा न्यू नेक्सस नियम (New Nexus Rule) का उल्लेख किया।
- पहले दो कर सकल कारोबार पर लगाए जाते हैं, जबकि न्यू नेक्सस नियम किसी देश में कंपनी की भौतिक उपस्थिति न होने जैसी स्थितियों से निपटते हैं।

भारतीय परिदृश्य:

- भारत ने पहली बार वर्ष 2016 में समतुल्य लेवी लागू की थी। इस लेवी को आयकर अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया था और वर्तमान में यह डिजिटल विज्ञापन से संबंधित कार्य करने वाली कंपनियों के एक छोटे समूह पर लागू है।

वैश्विक परिदृश्य:

- वैश्विक स्तर पर भी OECD के आह्वान को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाते हुए कई उपायों को लागू करने के प्रयास किया गया। उदाहरण के लिये फ्राँस और हंगरी ने डिजिटल करों को लागू किया है, जबकि बेल्जियम, इटली, ब्रिटेन तथा स्पेन ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की।

समसामयिक मुद्दे:

- वैश्विक स्तर पर कर सुधारों संबंधी कार्यवाही को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसे कि फ्राँस द्वारा लगाए गए गाफा कर (Gafa Tax) का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसलिये विरोध किया गया क्योंकि गाफा कर से प्रभावित कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं।
- वैश्विक स्तर पर डिजिटल कराधान व्यवस्था का विश्व व्यापार संगठन (World Trade Org- WTO) के नियमों के साथ भी समीकरण बैठाना मुश्किल कार्य है क्योंकि ज़्यादा कर लगाने से मुक्त व्यापार की अवधारणा प्रभावित होगी।

नोट :

बोलीविया में राजनीतिक संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के राष्ट्रपति ईवो मोरालेस (Evo Morales) के जबरन इस्तीफ़े ने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सबसे बड़े राजनीतिक संकट को उत्पन्न कर दिया है। बोलीविया की मूल निवासी आबादी के पहले राष्ट्रपति मोरालेस ने अभी तक की सबसे स्थिर सरकार की अध्यक्षता की है।

पृष्ठभूमि

- मोरालेस सर्वप्रथम वर्ष 2006 में निर्वाचित हुए और दक्षिण अमेरिका के सबसे गरीब देश बोलीविया को आर्थिक संवृद्धि की राह पर ले गए।
- उन्होंने सड़कों को पक्का करने, बोलीविया के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने और महंगाई पर लगाम लगाने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये।
- मोरालेस के ही नेतृत्व में बोलीविया लगभग 33% जनसंख्या को चरम गरीबी की स्थिति से निकालने में सफल रहा।
- उनकी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाया तथा बड़ी संख्या में स्कूल,कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की।

प्रमुख बिंदु

- वामपंथी संघवाद के माध्यम से सत्ता के शिखर पर पहुँचे राष्ट्रपति मोरालेस ने जब इस वर्ष के प्रारंभ में लगातार चौथे कार्यकाल की मांग की तब सोशलिज़्म पार्टी की विचारधारा दो विभाजित हो गई।
- चौथी बार चुनाव जीतने के उनके दावे ने देश में अशांति पैदा कर दी, विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी और कुछ विपक्षी दलों ने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आग्रह किया।
- इससे पूर्व ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (Organization of American States-OAS) ने एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि 20 अक्टूबर को हुए चुनाव में 'भारी अनियमितताएँ' बरती गईं हैं अत: देश में नया चुनाव होना चाहिये।
- इस घटनाक्रम के दौरान ईवो मोरालेस ने नए सिरे से चुनाव कराने की पेशकश भी की परंतु संकट तब गहराया जब देश के सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल पर उनसे इस्तीफा देने की मांग की।
- इस बीच विपक्षी दलों और सेना के दबाव के कारण मोरालेस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर पड़ोसी देश मेक्सिको में राजनीतिक शरण लेते हैं।

राजनीतिक संकट के कारण

- 21 वीं सदी की समाजवादी क्रांति" के प्रतीक (Baton of 21st century socialist revolution) मोरालेस आंदोलन के दूसरे पायदान पर खड़े नेताओं को नेतृत्व को देने में विफल रहे।
- वर्ष 2016 में जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त करने का उनका प्रयास विफल रहा, जिससे उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
- विपक्ष ने इसे संविधान को कमज़ोर करने की साज़िश बताया और मोरालेस सरकार पर चुनावी धाँधली का आरोप भी लगाया।

जॉर्डन-इज़राइल शांति संधि का अंत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जॉर्डन ने इज़राइल के साथ हुए 25 वर्ष पुराने शांति संधि (Peace treaty) के एक प्रावधान का अंत कर दिया।

मुख्य बिंदु:

- 26 अक्तूबर, 1994 में जॉर्डन तथा इज़राइल के मध्य एक संधि हुई थी जिसके द्वारा दोनों देशों के मध्य स्थित सीमावर्ती क्षेत्र 'बखूरा' (हिब्रू में नहराईम) तथा 'अल घमर' (ज़ोफर) के लिये विशेष प्रावधान किये गए थे।
- इज़राइल-जॉर्डन शांति संधि में बखूरा तथा अल घमर से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे:
  - बखूरा तथा अल घमर के क्षेत्र पर जॉर्डन की प्रभुसत्ता बनी रहेगी परंतु इज़राइल को इस क्षेत्र के निजी उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा।

नोट :

- इन अधिकारों के तहत इज़राइल के नागरिक इस क्षेत्र में बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकेंगे तथा कृषि, पर्यटन व अन्य संबंधित कार्यों के लिये उन्हें छूट प्रदान की जाएगी।
- इन क्षेत्रों में दोनों देशों में से किसी भी देश के आप्रवासन (Immigration) तथा सीमा शुल्क से (Custom) संबंधित नियम नहीं लागू होंगे।
- इस क्षेत्र पर इज़राइल का अधिकार आगामी 25 वर्षों के लिये लागू रहेगा तथा इस अवधि के पूरा होने के बाद इसे स्वत: ही नवीकृत (Renewed) मान लिया जाएगा।
- इस संधि के नवीकरण को लेकर यदि किसी देश को आपत्ति होगी तो वह इसके समाप्ति के एक वर्ष पूर्व सूचित कर सकता है तथा इस स्थिति में आपसी विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

- वर्ष 2019 में इस संधि की अवधि समाप्त होने के बाद जॉर्डन ने इज़राइल को पट्टे (Lease) पर दिये गए बखूरा तथा अल घमर के इलाके को दुबारा देने से मना कर दिया। इस संबंध में वर्ष 2018 में ही जॉर्डन ने इज़राइल को सूचित कर दिया था।
- ये दोनों ही क्षेत्र जॉर्डन-इज़राइल की सीमा पर बसे हैं जिसमें 'बखूरा' गैलिली समुद्र (Sea of Galilee) के किनारे व जॉर्डन नदी (Jordan river) के तट पर तथा 'अल घमर' मृत सागर (Dead sea) के दक्षिण में स्थित है।

जॉर्डन का संधि से अलग होने का कारण:

- इज़राइल द्वारा जेरुसलम की अल-अक्सा (Al-Aqsa Mosque) मस्जिद पर अवैध कब्ज़ा तथा जॉर्डन के नागरिकों को इज़राइल में नज़रबंद (Detention) किये जाने से दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ा है।
- अमेरिका द्वारा जेरुसलम को इज़राइल की राजधानी घोषित किये जाने के बाद अरब देशों में इज़राइल के प्रति असंतोष की स्थिति बनी है। अत: जॉर्डन ने इज़राइल का विरोध करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
- पिछले एक दशक से इज़राइल लगातार दोनों देशों के मध्य स्थित वेस्ट बैंक (West Bank) तथा जॉर्डन घाटी (Jordan Valley) में अवैध निर्माण तथा कब्ज़ा कर रहा है। इज़राइल इस पूरे क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता चाहता है जबकि जॉर्डन चाहता है कि इस क्षेत्र पर एक संप्रभु देश फिलिस्तीन (Palestine) बनाया जाए।
- इज़राइल तथा जॉर्डन के मध्य पिछले एक दशक से वैचारिक तथा आर्थिक विवाद की स्थिति बनी हुई हैं।
- संधि के समाप्त होने से प्रभाव:
- पिछले 25 वर्षों से इज़राइल के किसान इन दोनों क्षेत्रों में खेती करते आ रहे थे। इस संधि की समाप्ति के बाद वर्षों से चले आ रहे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो जाएंगे।
- जॉर्डन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इज़राइली किसान अपनी बची हुई फसलों की कटाई कर सकते हैं लेकिन अब उस क्षेत्र में प्रवेश के लिये उन्हें वीज़ा लेना होगा।

इज़राइल-जॉर्डन संबंध: पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र (Brititsh Mandate) फिलिस्तीन (आधुनिक इज़राइल, जॉर्डन तथा फिलिस्तीन) को विभाजित करके इज़राइल का निर्माण किया गया। विश्व युद्ध के दौरान यूरोप से विस्थापित हुए यहूदियों (Jews) को यहाँ बसाया गया तथा वर्ष 1947 में इज़राइल एक स्वतंत्र देश बना।
- प्रारंभ में जॉर्डन इज़राइल के संबंध, इज़राइल तथा अन्य अरब देशों से भिन्न थे। दोनों देश एक लंबी भौगोलिक सीमा साझा करते हैं तथा वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित बँटवारे को जॉर्डन ने स्वीकार कर लिया था। इसके तहत यह तय किया गया था कि इज़राइल तथा जॉर्डन में क्रमश: यहूदी तथा मुसलमान अलग-अलग रहेंगे।
- इज़राइल की स्थापना के समय से ही अन्य अरब देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि मुस्लिमों के पवित्र स्थल जेरुसलम पर इज़राइल का अधिकार हो गया था।
- इज़राइल के गठन के बाद ही वर्ष 1948 में अरब देशों ने संयुक्त रूप से इज़राइल पर आक्रमण कर दिया तथा अरब देशों के दबाव में जॉर्डन को भी युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के बाद जॉर्डन ने पूर्वी जेरुसलम तथा वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया।
- वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब-इज़राइल युद्ध (छ: दिवसीय युद्ध) में इज़राइल की जीत हुई तथा गाजा पट्टी (Gaza Strip), वेस्ट बैंक तथा पूर्वी जेरुसलम पर इज़राइल का पुन: अधिकार हो गया।

नोट :

- फिलिस्तीन के हक में जॉर्डन ने इज़राइल से बातचीत के माध्यम से समझौता करने का प्रयास किया परंतु इसका कोई हल नहीं निकल सका।
- अंतत: 25 जुलाई, 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी. सी. में हुए समझौते के बाद जॉर्डन-इज़राइल के बीच लंबे अरसे से चली आ रही युद्ध जैसी स्थिति के बाद शांति स्थापित हो सकी।
- उसी वर्ष 26 अक्तूबर, 1994 में दोनों देशों में यारमूक (Yarmouk) तथा जॉर्डन (Jordan) नदियों के जल प्रयोग के साथ ही बखूरा एवं अल घमर के इलाकों से संबंधित अधिकार को लेकर संधि हुई।

संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की विभिन्न एजेंसियों को वर्ष 2020 में विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों के परिचालन के लिये 13.5 मिलियन यूएस डॉलर के योगदान की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार, भारत ने 'यूएन जनरल असेंबली प्लेजिंग कॉफ्रेंस' (UN General Assembly Pledging Conference) के दौरान वर्ष 2020 में UN द्वारा परिचालित विकास गतिविधियों के लिये 13.5 मिलियन यूएस डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विकास संबंधित गतिविधियों में अपने योगदान की दीर्घकालिक परंपरा को जारी रखते हुए यह प्रतिबद्धता जताई है।

संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों को भारत द्वारा आर्थिक योगदान:

- भारत संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UN Relief and Works Agency) को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सहयोग के लिये 5 मिलियन यूएस डॉलर का योगदान तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme) को 4.5 मिलियन यूएस डॉलर का योगदान करेगा।
- भारत द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) को 1.92 मिलियन यूएस डॉलर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UN Children's Fund) को 900,000 यूएस डॉलर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UN Population Fund) को 500,000 यूएस डॉलर तथा 'यूएन वॉलेंटरी फंड फॉर टेक्निकल को-ऑपरेशन' (UN Voluntary Fund For Technical Co-operation) को 200'000 यूएस डॉलर का आर्थिक योगदान दिया जाएगा।
- भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme) और संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये 100,000 यूएस डॉलर का योगदान करेगा।
- भारत 'यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन सैटलमेंट प्रोग्राम' (UN Commission on Human Settlement Programme) में 150,000 यूएस डॉलर का योगदान करेगा।

भारत के अन्य प्रयास:

- भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी गतिविधियों को उचित और संतुलित रूप से चलाने के लिये पर्याप्त संसाधन होने चाहिये।
- संयुक्त राष्ट्र को प्रत्येक वर्ष विभिन्न माध्यमों से लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के संसाधनों का योगदान होता है, जिसमें से 65% संसाधनों को उपयोग के लिये चिह्नित किया जाता है और अंतिम रूप से 35% से कम संसाधनों का उपयोग विकास तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में हो पाता है।
- भारत ने वर्ष 2017 में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (UN Office for South-South Cooperation) के साथ मिलकर भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष (India-UN Development Partnership Fund) की स्थापना की थी जिसके अंतर्गत आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिये 150 मिलियन यूएस डॉलर की व्यवस्था की गई।

नोट :

- भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना के बाद इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई और एशिया-प्रशांत क्षेत्रों के 35 से अधिक देशों ने भागीदारी की है।
- भारत ने 'कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट' (Caribbean Community and Common Market- CARICOM) समूह के देशों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये 14 मिलियन यूएस डॉलर तथा सौर नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के लिये 150 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण की व्यवस्था की है।
- न्यूयॉर्क में भारत तथा 'पैसिफिक स्माल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स (Pacific Islands Developing States- PSIDS) देशों की बैठक के दौरान भारत ने PSIDS देशों को 12 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान देने का निर्णय लिया, PSIDS समूह के देश अपनी पसंद के विकासात्मक क्षेत्र में किसी परियोजना का कार्यान्वयन कर सकें।
- बीते दशक के दौरान, भारत ने 60 विकासशील देशों के लिये लगभग 26 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है।

अन्य तथ्य:

- वर्ष 2019 की 'यूएन जनरल असेंबली प्लेजिंग कॉफ्रेंस' (UN General Assembly Pledging Conference) के दौरान लगभग 16 देशों ने कुल 516 मिलियन यूएस डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई है जो कि वर्ष 2018 के दौरान 425.69 मिलियन यूएस डॉलर था।
- संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2017 में संपूर्ण रूप से 33.6 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान मिला था जो कि 2016 से 3% अधिक था।

पेरिस पीस फोरम

चर्चा में क्यों ?

11-12 नवंबर, 2019 को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फ्राँस की यात्रा की।

- फ्राँस में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) से पेरिस पीस फोरम/पेरिस शांति मंच (Paris Peace Forum) के सम्मलेन के दौरान मुलाकात की।

भारत और फ्राँस:

- वर्ष 1998 में भारत और फ्राँस ने एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की जिसमें रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग तथा असैनिक परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्र सामरिक भागीदारी के प्रमुख आधार हैं।
- भारतीय वायुसेना ने पिछले महीने फ्राँस से 36 राफेल लड़ाकू जेट की श्रृंखला का पहला जेट प्राप्त किया।
- भारत और फ्राँस ने आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों हेतु ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग रोकने के लिये क्राइस्टचर्च कॉल का समर्थन किया है।

क्राइस्टचर्च कॉल (Christchurch Call)

- इसका नाम न्यूज़ीलैंड के एक शहर के क्राइस्टचर्च के नाम पर गया है। यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित सूचनाओं के आधार पर एक अतिवादी दक्षिणपंथी व्यक्ति द्वारा 15 मार्च 2019 को आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 51 लोग मारे गए थे।
- इस कार्यपरियोजनाके तहत सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इंटरनेट विशेषज्ञों द्वारा इंटरनेट पर आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी सामग्री के प्रसार को रोका जाता है।

भारत में क्राइस्टचर्च कॉल जैसी कार्यपरियोजनाका महत्त्व:

- **भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि**
  - भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि समरसतावादी रही है यहाँ पर विभिन्न धर्मों और वर्गों का समुचित और समष्टि विकास एक-दूसरे के बीच आपसी मेलजोल से उत्पन्न नवजागरण की ऊर्जा का समग्र परिणाम है।
  - वर्तमान समय में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ते आपसी अविश्वास की स्थिति में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में सोशल मीडिया का काफी योगदान रहा है। सोशल मीडिया का प्रयोग समाज के अराजक तत्त्वों द्वारा अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिये किया जा रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप त्वरित स्तर पर लोक व्यवस्था और दीर्घकालिक स्तर पर सामाजिक समरसता का क्षरण हो रहा है।

नोट :

- **भारत में सोशल मीडिया पर नियंत्रण:**
  - भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाली कोई विशेषीकृत एजेंसी नहीं है, जबकि सांप्रदायिकता, भीड़ हिंसा जैसे मुद्दों के संदर्भ में यह देखा गया है कि ऐसी स्थितियों में विचारों का आदान-प्रदान सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेज़ी से होता है।
  - इसके अतिरिक्त चुनावों के दौरान मुद्दों का राजनीतिकरण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है।
- **आगे की राह:**
  - भारत को निजता के अधिकार और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बीच एक संवैधानिक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिये, जहाँ समुचित तरीके से लोगों के निजता के अधिकार को नुकसान पहुँचाए बिना सोशल मीडिया पर संवैधानिक उपबंध लगाए जा सकें।
  - CIRT-IN जैसी एजेंसियों के समुचित तंत्र के अंतर्गत ही एक सोशल मीडिया विंग बनाना एक स्थायी समाधान हो सकता है।

वैश्विक परिदृश्य:

- जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, प्रवास, साइबर असुरक्षा और सीमाओं की अनदेखी जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- इन मुद्दों को लेकर देशों के बीच लगातार मतभेद बना हुआ है क्योंकि इन्हीं मुद्दों के कारण देशों के आपसी हित टकराते रहते हैं, जिस कारण से सभी देशों की रणनीतियों में समग्रता नहीं आ पाती है।
- राज्य लाभ के लिये कड़ी प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं तथा वैश्विक संस्थानों द्वारा सामूहिक हितों के लिये की जा रही अपर्याप्त शिथिल कार्रवाई विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित कर रही है फलस्वरूप सामाजिक असमानताएँ बढ़ रही हैं।
- देशों द्वारा सामाजिक कार्यों की अपेक्षा सैन्य व्यय पर अधिक खर्च किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, विशेष रूप से मानवाधिकारों की लगातार अवहेलना की जाती है।
- जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पूरी तरह से गंभीरता नहीं प्रदर्शित की जा रही है, यह वर्ग शायद इस बात को भूल गया है कि दरअसल ये सभी केवल मुद्दे नहीं हैं बल्कि मानवता की गरिमा और अस्तित्व से जुड़ी समस्याएँ हैं जो एक दिन मानव सभ्यता के अस्तित्व को समाप्त कर देंगी।

पेरिस पीस फोरम का लक्ष्य:

- इस फोरम का लक्ष्य उपर्युक्त वैश्विक परिस्थितियों में कल्याण और समरसता के लिये शासन व्यवस्था को और बेहतर करना है।
- यह फोरम शासन के निम्न छह प्रमुख विषयों के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है:
  1. शांति और सुरक्षा
  2. विकास
  3. पर्यावरण (Environment)
  4. नई तकनीकें (New Technologies)
  5. समावेशी अर्थव्यवस्था
  6. संस्कृति और शिक्षा

हितधारक (Stakeholder):

- वैश्विक हितों के लिये कार्यरत शासन के पुराने और नए अभिकर्त्ता (Actor), गैर-सरकारी संगठन, परोपकारी संगठन, विकास एजेंसियाँ, ट्रेड यूनियन, थिंक टैंक, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज जैसे हितधारकों के माध्यम से यह फोरम अपनी गतिविधियों तथा लक्ष्यों को संचालित करता है।

पेरिस पीस फोरम का आयोजन:

- इस फोरम का आयोजन प्रत्येक वर्ष 11-13 नवंबर को पेरिस में किया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शासन (Global Governance) को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के शीर्ष पर रखना है। इस फोरम में हितधारक वैश्विक शासन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

नोट :

यूरोपियन निवेश बैंक का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक (European Investment Bank- EIB) ने अपनी नई ऊर्जा ऋण नीति के तहत वर्ष 2021 से जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से मना कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- EIB की नई ऊर्जा ऋण नीति (Energy Lending Policy) को भारी समर्थन के साथ अनुमोदित किया गया है।
- यह नीति प्राकृतिक गैस के पारंपरिक उपयोग सहित विभिन्न जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं की फंडिंग को प्रतिबंधित करेगा।
- यूरोपियन संघ (European Union-EU) के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन किये जाने के एक वर्ष बाद यह निर्णय प्रभाव में आएगा।

नई उर्जा ऋण नीति से संबंधित अन्य तथ्य:

- EIB की नई ऊर्जा ऋण नीति के अनुसार, अब EIB फंडिंग के लिये आवेदन करने वाली उर्जा परियोजनाओं को यह प्रदर्शित करना होगा कि वे 250 ग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हुए एक किलोवाट/घंटे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इस कदम से पारंपरिक गैस द्वारा बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों पर भी प्रतिबंध लग सकता है।
- EIB की इस नई उर्जा ऋण नीति के अनुसार, नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित गैस परियोजनाएँ अभी भी संभव हैं, जिनमें कार्बन अधिग्रहण और भंडारण की क्षमता, ताप एवं बिजली उत्पादन का संयोजन तथा जीवाश्म प्राकृतिक गैसों को नवीकरणीय ऊर्जा में मिश्रित करने जैसी तकनीकें विद्यमान हों।
- सभी पर्यावरणीय संगठनों ने EIB के इस निर्णय का सम्मान किया है।
- यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिये गैस, तेल और कोयला परियोजनाओं को दी जाने वाली फंडिंग को चरणबद्ध तरीके से रोकने का निर्णय लिया था।
- यूरोपियन संघ आयोग EIB में केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है लेकिन यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय EIB में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में EIB के 28 शेयरधारक सदस्य हैं।

यूरोपियन निवेश बैंक (European Investment Bank- EIB):

- EIB की स्थापना वर्ष 1958 में रोम की संधि के अस्तित्व में आने के बाद ब्रुसेल्स (Brussels) में हुई थी।
- वर्ष 1968 में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) स्थानांतरित किया गया।
- EIB यूरोपीय संघ की एक ऋणदाता इकाई है जो विश्व स्तर पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के रूप में जलवायु वित्त के बड़े प्रदाताओं में से एक है।

मैच-फिक्सिंग : आपराधिक कृत्य

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका पहला ऐसा देश है जिसने मैच-फिक्सिंग से संबंधित कृत्यों को आपराधिक घोषित कर किया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council-ICC) की भ्रष्टाचार-रोधी इकाई (Anti-Corruption Unit-ACU) द्वारा जाँच के बाद सख्त दंड का प्रावधान किया है।

प्रमुख बिंदु

- मैच-फिक्सिंग इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया सहित क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों में भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
- श्रीलंका की संसद ने खेल विधेयक से संबंधित सभी तीन वाचनों को पारित कर दिया है। जो खेल में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिये 10 वर्ष तक का कारावास तथा 100 मिलियन श्रीलंकाई रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

नोट :

- नए कानून के अनुसार अधिक धन के लालच में यदि खेल से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो सीधे 'फिक्सिंग' में शामिल है, 'आतंरिक जानकारी' साझा करता है, मैच फ़िक्सर के निर्देशों के अनुसार 'पिच तैयार' करता है और जो 'जानबूझकर नियमों का दुरुपयोग करता हैं' तो उसे दंडित किया जाएगा।
- नए कानून में तीन व्यापक श्रेणियों के तहत अपराध और दंड को सूचीबद्ध किया गया है-
  - अपराध की पहली श्रेणी- इसमें फिक्सिंग, स्पॉट-फिक्सिंग, खेल से संबंधित आंतरिक जानकारी साझा करना (प्रमाणिक मीडिया साक्षात्कार और वचनबद्धताओं के अलावा), उपहार, भुगतान, लाभ जैसे कृत्यों के साथ-साथ ऐसे खिलाड़ी जो सट्टेबाज़ी में शामिल हैं, पैसे अथवा किसी अन्य लाभ के लिये नियमों का दुरुपयोग करते हैं, क्यूरेटर जो सट्टेबाज़ो के अनुसार पिच तैयार करते हैं या पैसे या अन्य किसी लाभ के लिये जानकारी प्रदान करते हैं आदि शामिल हैं । इस श्रेणी के अपराध के लिये 10 वर्ष तक का कारावास तथा 100 मिलियन श्रीलंकाई रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
  - अपराध की दूसरी श्रेणी- इसमें बिना उचित कारण के जाँचकर्त्ताओं के सामने पेश होने में असफल होना, जाँचकर्त्ताओं द्वारा किये गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करना या असफल होना, जानबूझकर गलत या भ्रामक बयान देना, तथ्यों को छिपाना, झूठ बोलना,जाँच के प्रासंगिक सबूतों को नष्ट करना, भ्रष्टाचार की सूचना न देना आदि कृत्य आते हैं । इस श्रेणी के अपराध के लिये अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख श्रीलंकाई रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है ।
  - अपराध की तीसरी श्रेणी- इसमें कोई भी सेवा प्रदाता या व्यक्ति जो किसी जाँच से संबंधित जानकारी या डेटा प्रदान करने में विफल रहता है । इस श्रेणी के अपराध के लिये अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तथा 5 लाख श्रीलंकाई रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है ।

खेल विधेयक लाने का कारण

- पिछले दो वर्षों से श्रीलंकाई क्रिकेट (Srilankan Cricket-SLC) भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के कई मामलों में उलझा हुआ है।
- पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या पर आईसीसी कोड के तहत आरोप लगने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की भ्रष्टाचार-रोधी इकाई के दायरे में आ गया है । जयसूर्या पर मैच फिक्सिंग की जाँच में एजेंसी के साथ सहयोग करने में विफल रहने पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया था।
- इसके बाद पूर्व तेज़ गेंदबाज़ नुवान जोयसा को मैच फिक्सिंग में कथित संलिप्तता के कारण निलंबित कर दिया गया था।
- वर्ष 2018 में तेज़ गेंदबाज़ दिलहारा लोकुहेटगे को 2017 में एक टी -10 लीग मैच में भ्रष्टाचार के कारण निलंबित कर दिया गया था ।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

नैरोबी में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में वैश्विक मंच पर भारत ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये देश में जारी दंडात्मक कार्यवाई की बहस के बीच, गर्भनिरोधन के स्वैच्छिक और सूचित विकल्प की बात दोहराई।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन (International Conference on Population and Development) की 25वीं वर्षगाँठ पर केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया।
- यह सम्मेलन केन्या और डेनमार्क की सरकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund -UNFPA) के साथ संयोजन में आयोजित किया गया।
- ICPD25 पर नैरोबी शिखर सम्मेलन की शुरुआत निम्नलिखित 3 शोध के मुद्दों के साथ हुई-
  - शून्य मातृ मृत्यु
  - शून्य परिवार नियोजन की आवश्यकता
  - शून्य लैंगिक हिंसा
- ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों ने यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर लगभग 1 बिलियन डॉलर का योगदान दिया।

नोट :

- निजी क्षेत्र के चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड (Children Investment Fund), फोर्ड फाउंडेशन, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स, वर्ल्ड विज़न और कई अन्य संगठनों ने कुल 8 बिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की।

भारत के संदर्भ में

- वर्ष 1994 में काहिरा में महिलाओं के समग्र विकास और जनसंख्या नियंत्रण को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन में भारत 179 देशों में शामिल था।
- भारत में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के लिये दंडात्मक कार्रवाई अपनाने की बात की जा रही है। लेकिन भारत सरकार ने इस सम्मेलन में गर्भनिरोधन के स्वैच्छिक विकल्पों की प्रतिबद्धता दोहरायी। भारत ने यह भी कहा कि वह गर्भ निरोधक दवाओं और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा।
- इससे पूर्व हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2021 से ऐसे व्यक्तियों को जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
- असम से पूर्व 12 अन्य राज्यों ने भी अलग अलग तरीकों से 2 बच्चों की नीति लागू करने की कोशिश की।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, 2 बच्चों के मानदंड के कारण अयोग्यता का सामना करने वालो में महिलाओं की संख्या (41%) और दलितों की संख्या (50%) अपेक्षाकृत अधिक थी।
- भारत में ऐच्छिक प्रजनन दर 1.8 है, जिसका अर्थ है महिलाओं की एक बड़ी संख्या 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करना चाहतीं।
- एक अनुमान के अनुसार, 15-49 के आयु वर्ग में 30 मिलियन महिलाएं और 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में 10 मिलियन महिलाएं गर्भधारण करना न चाहते हुए भी गर्भ निरोधक उपायों की पहुँच और जानकारी के अभाव में उनका प्रयोग नहीं कर पातीं।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन

वर्ष 1994 में ICPD का पहला सम्मलेन काहिरा में हुआ। जिसमें विश्व की 179 सरकारों ने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम को राष्ट्रीय और वैश्विक विकास प्रयासों में अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाई।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund)

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। UNFPA वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तृत विषयों पर कार्य करता है, जिसमें स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौन शिक्षा शामिल है।

आसियान के रक्षामंत्रियों की छठी बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान के रक्षामंत्रियों की छठी बैठक (ASEAN Defence Minister's Meeting Plus- ADMM Plus) आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- ADMM Plus आसियान के सदस्य देशों के सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त मंच प्रदान करता है।
- इस वर्ष बैठक की थीम- स्थायी सुरक्षा (Sustainable Security) है।
- बैठक में भारत द्वारा वर्ष 2025 तक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2018 'के तहत, रक्षा निर्यात का लक्ष्य 5 बिलियन डॉलर और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 10 बिलियन डॉलर का निवेश निर्धारित किया गया है।
- भारत ने म्याँमार के साथ मिलकर आसियान के लिये सैन्य चिकित्सा पर हैंडबुक (Handbook on Military medicine for ASEAN) भी जारी किया।

नोट :

आसियान रक्षामंत्रियों की बैठक (ASEAN Defence Ministers' Meeting- ADMM)

- 10वें आसियान शिखर सम्मेलन में ASEAN द्वारा सुरक्षा समुदाय योजना (ASEAN Security Community- Plan of Action) अपनाई गई, जिसके तहत वार्षिक ADMM के गठन की योजना बनाई गई।
- ADMM की पहली बैठक 9 मई, 2006 को कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी।
- ASEAN के सभी सदस्य देश ADMM के सदस्य हैं।
- इसका उद्देश्य ASEAN देशों में रक्षा के क्षेत्र में बातचीत और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

आसियान रक्षामंत्रियों की बैठक- प्लस (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus- ADMM Plus)

- वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM Plus के गठन की बात की गई।
- ADMM-Plus में आसियान के सदस्य देशों के अलावा आठ वार्ता साझेदार (Dialogue partners) देशों को शामिल किया गया।
- इसकी पहली बैठक वर्ष 2010 में हनोई (वियतनाम) में आयोजित की गई।
- इस नए तंत्र के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के पाँच क्षेत्रों- समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा पर सहमति व्यक्त की गई।
- इन क्षेत्रों में सहयोग के लिये अलग से विशेषज्ञ कार्यदल (Expert's Working Group-EWG) स्थापित किये गए।
- वर्तमान समय में ADMM Plus में सदस्य देशो के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिणी कोरिया , रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (World Energy Outlook- WEO) में वर्ष 2040 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 495 GW से बढ़ाकर 3142 GW करने का अनुमान लगाया गया है।

निष्कर्ष:

- वैश्विक स्तर पर आशावादी नीतिगत परिवर्तनों के कारण अब सौर ऊर्जा के मज़बूत विकास का अनुमान लगाया जा रहा है।
- चीन द्वारा सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय, भारत का वर्ष 2030 तक 450 GW का लक्ष्य और अमेरिका द्वारा पोर्टफोलियो मानकों को मज़बूत करने जैसे प्रयासों से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- एक अन्य अनुमान के अनुसार, CO_2 उत्सर्जन दशकों तक जारी रहने की संभावना है क्योंकि अभी भी कुल ऊर्जा में से 30% ऊर्जा उत्पादन कोयला आधारित संयंत्रों के माध्यम से होता है।
- सौर ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद IEA ने अन्य ऊर्जा थिंकटैंक जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IRENA) के अनुमानों की तुलना में कम उत्पादन का अनुमान रखा है।
- हाल ही में IRENA द्वारा जारी 'फ्यूचर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक' (Future of Solar Photovoltaic) रिपोर्ट में वर्ष 2040 तक 6,000 GW से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन का अनुमान लगाया गया।

जलवायु परिदृश्य

IEA की रिपोर्ट में तीन नीतिगत परिदृश्यों के बारे में बताया गया है।

1. नीति परिदृश्य (Policy Scenario): इसके अंतर्गत यदि विश्व पहले से स्थापित नियमों के अनुसार कार्य करेगा तो वर्ष 2040 तक ऊर्जा मांग प्रतिवर्ष 1.3% बढ़ सकती है।
2. देशों के स्तर पर नीति परिदृश्य (Stated Policy Scenario) इसमें सरकार नीतियों के माध्यम से ऊर्जा की मांग में प्रतिवर्ष 1.0% की वृद्धि कर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सीमित करने का प्रयास करेंगी।

नोट :

3. सतत् विकास परिदृश्य (Sustainable Development Scenario- SDS) इसके अंतर्गत पेरिस समझौते के तहत प्रतिबध्य 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे वैश्विक तापमान को बनाए रखते हुए इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों का अनुसरण किये जाने की बात कही गई है।

ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन

- IEA का अनुमान है कि यदि नीतियों और लक्ष्य के बीच समन्वय बना रहा तो वर्ष 2035 तक कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान कोयले आधारित ऊर्जा उत्पादन से अधिक हो जाएगा।
- वर्तमान में कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन 30% है जिसके वर्ष 2026 तक घटकर 26% होने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है, जो अपने 30 सदस्य देशों और 8 सहयोगी देशों के साथ वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है।
- इसकी स्थापना (1974 में) 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी जब ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था।
- IEA के मुख्य क्षेत्र हैं-
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - आर्थिक विकास
  - पर्यावरण जागरूकता
  - वैश्विक संबद्धता (Engagement Worldwide)
- भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय फ्राँस के पेरिस में है।

वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने इज़राइल के वेस्ट बैंक (West Bank) पर किये गए कब्ज़े का समर्थन किया है, हालाँकि विश्व के अन्य देश अमेरिका के इस दावे के विरुद्ध हैं।

वेस्ट बैंक बस्तियाँ क्या हैं ?

- वेस्ट बैंक, इज़राइल के पूर्व में इज़राइल-जॉर्डन सीमा पर स्थित लगभग 6,555 वर्ग किमी. के भू-भाग में फैला है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है।
- वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब-इज़राइल युद्ध में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया परंतु वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब-इज़राइल युद्ध (छः दिवसीय युद्ध) में अरब देशों की हार के बाद इज़राइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया।
- तभी से इस क्षेत्र पर इजराइल का अधिकार है तथा इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 स्थायी बस्तियाँ बसाई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में अनेकों छोटी-बड़ी बस्तियाँ स्थापित हुई हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग 4 लाख इज़राइली (यहूदी) निवास करते हैं तथा उनका मानना है कि धार्मिक आधार पर यह क्षेत्र उनके पूर्वजों का है। वहीं इस क्षेत्र में 24 लाख से अधिक फिलिस्तीनी (मुसलमान) रहते हैं।

इज़राइली बस्तियों की अवैधानिकता:

- दुनिया के अधिकतर देशों ने इज़राइल द्वारा बसाई गईं इन बस्तियों को अमान्य घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इसे चौथे जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।

नोट :

- वर्ष 1949 में हुए चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार, "एक विजेता शक्ति अपने क्षेत्र के असैन्य नागरिकों को विजित किये गये क्षेत्र में स्थानांतरण या निर्वासन नहीं करेगी।"
- रोम विधान (Rome Statute), जिसके आधार पर वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) की स्थापना हुई, के अंतर्गत इस प्रकार के स्थानांतरण को युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
- वर्ष 1990 में हुई ओस्लो संधि (Oslo Accord) में इज़राइल तथा फिलिस्तीन दोनों ने ही आपसी समझौते के माध्यम से इन बस्तियों की स्थिति (Status) तय करने का निर्णय लिया लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी।
- वर्ष 1967 में इज़राइल ने पूर्वी येरुसलम पर कब्ज़ा कर लिया। फिलिस्तीनी भविष्य में येरुसलम को अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं इसलिये यह मुद्दा और भी विवादित हो गया।

अमेरिका की प्रतिक्रिया:

- वर्ष 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वेस्ट बैंक में बसी इज़राइली बस्तियों को अवैधानिक माना तथा इनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध बताया था।
- वर्ष 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने जिमी कार्टर के रवैये के विरुद्ध इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक में बसाई गई बस्तियों को वैध माना तथा उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पारित होने वाले प्रत्येक प्रस्तावों पर इज़राइल का साथ दिया।
- वर्ष 2016 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरिका की इस नीति का त्याग करते हुए संयुक्त राष्ट्र में वेस्ट बैंक के मामले पर वीटो करने से इनकार किया।
- वहीं हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्त्व वाली अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रीगन के विचारों से सहमति जताते हुए कहा कि वेस्ट बैंक में इज़राइली नागरिकों का बसना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध नहीं है।

आगे की राह:

- इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि यह एक जटिल विवाद है जिसका निपटारा न्यायालय में नहीं हो सकता। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा किये गए फैसलों से इस क्षेत्र में शांति नहीं स्थापित हो सकी है। अत: इसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है।

चीन की अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक द्वारा चीन की अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- अमेरिकी राजनयिक ने चीन की अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं तथा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative-BRI) के तहत ऋण देने की प्रथाओं की कड़ी आलोचना की है।
- अमेरिकी राजनयिक ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China Pakistan Economic Corridor- CPEC) की व्यावसायिक व्यवहार्यता (commercial Viability) पर भी सवाल उठाया है।

आलोचना के प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि चीन अमेरिकी नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों से संबंधित प्रणाली के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।
- अमेरिकी राजनयिक के अनुसार, जब 'देंग शियाओपिंग' (Deng Xiaoping) ने वर्ष 1978 में चीन में 'ओपन डोर पॉलिसी' (Open Door Policy) की घोषणा की थी तब यूरोप और जापान की कंपनियों ने चीन में निवेश किया जिससे चीन को लाभ हुआ पर चीन ने यह नीति पाकिस्तान में नहीं अपनाई तथा चीन द्वारा पाकिस्तान में किया गया निवेश केवल चीन के लिये ही लाभप्रद रहा।

नोट :

- चीन की CPEC परियोजना पाकिस्तान के युवाओं और वहाँ की कंपनियों को वह अवसर प्रदान नहीं करती है जो अवसर दशकों पहले चीन को विभिन्न देशों द्वारा चीन में निवेश करने के कारण प्राप्त हुए थे और यही कारण है कि चीन एवं पाकिस्तान के बीच एकतरफा व्यापारिक संबंध हैं।
- अमेरिकी राजनयिक ने CPEC की आलोचना ऋण, लागत, पारदर्शिता में कमी और नौकरियाँ प्रदान न करने के संबंध में की।
- हालाँकि अमेरिकी राजनयिक ने चीन की बुनियादी ढाँचे संबंधी परियोजनाओं तथा ऋण प्रदान करने की प्रथाओं की आलोचना की परंतु चीन के लोगों तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए चीनी और अमेरिकी नागरिकों के बीच मित्रता को परंपरागत बताया।
- अमेरिकी राजनयिक ने BRI परियोजना के तहत चीन की ऋण प्रदान करने की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि चीन आमतौर पर विभिन्न देशों को ऋण प्रदान करता है पर 'पेरिस क्लब' (Paris Club) का सदस्य नहीं है।

पेरिस क्लब (Paris Club):

- पेरिस क्लब की स्थापना वर्ष 1956 में विकासशील और उभरते (Emerging) देशों की ऋण समस्याओं के समाधान के लिये की गई थी।
- इसकी स्थापना के समय विश्व शीत युद्ध, अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की जटिलता, वैश्विक स्तर पर विनिमय दर के मानकों का अभाव और अफ्रीका के कुछ देशों द्वारा औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की प्राप्ति जैसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं।
- अर्जेंटीना ने एक बड़ी ऋण धोखाधड़ी के लिये वैश्विक समुदाय से सहायता की अपील की जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1956 में फ्राँस द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पेरिस क्लब कहा गया।
- इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है।
- चीन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ऋणदाता होने के बावजूद अपने समग्र ऋण की जानकारी नहीं देता है अत: न तो पेरिस क्लब, न IMF और न ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (Credit Rating Agencies) इन वित्तीय लेन-देनों की निगरानी कर पाती हैं।
- चीन से ऋण लेने वाले देशों द्वारा इतने बढ़े ऋण चुकाने में विफल होने पर ऋण प्राप्तकर्त्ता देशों की विकास परियोजनाएँ बाधित होती हैं तथा उन देशों की संप्रभुता में कमी आती है।
- श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह तथा मालदीव में रनवे का निर्माण चीन की संदिग्ध वाणिज्यिक व्यवहार्यता वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के उदाहरण हैं।
- 2017 में श्रीलंका ने बकाया ऋण नहीं चुका पाने के कारण चीन को हंबनटोटा बंदरगाह का परिचालन पट्टा 99 साल के लिये सौंप दिया।
- अमेरिकी राजनयिक ने 'क्वाड' (Quadrilateral Strategic Dialogue- QUAD) की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि इस समूह में शामिल ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये निवेश की तलाश कर रहे देशों को यथार्थवादी विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
- QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में हुई थी।

सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA)

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2019 को दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के दबाव के बीच जापान के साथ एक खुफिया साझाकरण समझौते (Intelligence Sharing Pact) से बाहर निकलने की अपनी योजना को स्थगित करने का फैसला किया।

- इससे पहले, दक्षिण कोरिया ने 22 नवंबर, 2019 तक सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (General Security of Military Information Agreement- GSOMIA) नामक खुफिया समझौते को समाप्त करने का फैसला किया था, इसकी शर्त थी कि यदि जापान निर्यात नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने का फैसला नहीं करता तो यह समझौते से बाहर हो जाएगा।

GSOMIA संधि

- जापान और दक्षिण कोरिया के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान का विचार पहली बार 1980 के दशक में आया था।
- वर्ष 2012 में दोंनों देशों द्वारा GSOMIA पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद थी, लेकिन दक्षिण कोरिया के लोगों में इस समझौते को लेकर आक्रोश होने के कारण इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

नोट :

- उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे (परमाणु परीक्षण करना और बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास) के बीच GSOMIA को अपनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया।
- अंतत: नवंबर 2016 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते में अमेरिका के हित उत्तर कोरिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे का विश्लेषण करने और उसका जवाब देने के लिये उत्तर पूर्व में एक सशक्त गठबंधन बनाने की आवश्यकता से उपजा है।
- हालाँकि इस संदर्भ में चीन को इस बात का संदेह अवश्य हो सकता है कि GSOMIA, बीजिंग को शामिल करने के लिये अमेरिकी-जापानी-दक्षिण कोरियाई त्रिपक्षीय गठबंधन का एक प्रयास है, जिससे इस त्रिपक्षीय गठबंधन और चीन-उत्तर कोरिया-रूस के बीच विरोध बना रहे।

जापानी और दक्षिण कोरियाई संबंध

- कोरिया, जापान का एक पूर्व उपनिवेश है, जापान ने वर्ष 1910-1945 (35 वर्षों) तक कोरिया पर शासन किया।
- कोरियाई लोगों के मन में निहित "जापान विरोधी" भावना के पीछे आज भी कहीं न कहीं जापानी शासन है।
- वर्ष 1948 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन के बाद, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच बुनियादी संबंधों पर एक संधि (Treaty on Basic Relations) पर हस्ताक्षर के साथ, वर्ष 1965 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- दक्षिण कोरिया और जापान दोंनों ही अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोंनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई हैं। दोंनों देशों के मध्य डोकडो द्वीप (Dokdo Islands) को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसे जापान में ताकेशिमा (Takeshima) के रूप में जाना जाता है। जहाँ एक ओर इन द्वीपों पर दक्षिण कोरिया का नियंत्रण है, वहीं जापान इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करता है।
- इसके अलावा दोंनों देशों के लोगों के मन में जापानी शासन में कोरियाई लोगों के किये गए व्यवहार के संबंध में अलग-अलग विचार हैं, विशेषकर जबरन मज़दूरी और "सेविका" या "यौन दासियों/सेक्स स्लेव्स" के विषय में।
- जापानी शासन में कोरिया पर किये गए अत्याचार के विषय में जापान का कहना है कि वर्ष 1965 की संधि के साथ ही उसने दक्षिण कोरिया के क्षतिपूर्ति के दावों का निपटारा कर दिया था।

वर्तमान संदर्भ में

- यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जुलाई 2019 में जापान ने तीन रासायनिक पदार्थों पर निर्यात नियंत्रण लगा दिया जिनका इस्तेमाल दक्षिण कोरिया अपने महत्त्वपूर्ण अर्धचालक उद्योग में करता है। इतना ही नहीं हाल ही में अगस्त 2019 में भी जापान ने दक्षिण कोरिया को अपनी "व्हाइट लिस्ट" (विश्वसनीय भागीदारों की फास्ट ट्रैक व्यापार सूची) से हटाने का फैसला किया है।
- जापान के इस फैसले को दक्षिण कोरिया के ही एक निर्णय का प्रतिउत्तर माना जा रहा है, कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया ने खुफिया संधि GSOMIA से बाहर निकलने का फैसला किया था।

हालाँकि एक ऐसे समय में जब उत्तर कोरिया स्वयं को सभी मोर्चों पर सशक्त कर रहा है ऐसे में दक्षिण कोरिया का इस संधि से बाहर जाना वास्तव में एक अनावश्यक कदम होगा। वर्तमान स्थिति में टोक्यो और सियोल को अपने संबंधों को खराब करने की बजाय इन्हें सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिये।

मुद्रा विनिमय समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने सार्क (The South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) देशों के साथ मुद्रा विनिमय (Currency Swap) समझौते की रूपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- RBI द्वारा सार्क देशों के साथ वर्ष 2019 से 2022 तक के लिये मुद्रा विनिमय समझौते की रुपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- यह संशोधित रुपरेखा 14 नवंबर, 2019 से 13 नवंबर, 2022 तक प्रभावी रहेगी।
- RBI उन्हीं सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों (Central Banks) के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के परिचालन के बारे में विचार-विमर्श करेगा जो देश इस समझौते का लाभ उठाना चाहते हैं।
- RBI वर्ष 2019-2022 तक मुद्रा विनिमय समझौते की संशोधित रुपरेखा के तहत 2 बिलियन डॉलर के समग्र कोष के अंतर्गत मुद्रा विनिमय की व्यवस्था जारी रखेगा।
- इस नए संशोधित मुद्रा विनिमय समझौते के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपए या यूरो में आहरण किया जा सकता है। साथ ही इस संशोधित समझौते के अंतर्गत भारतीय रुपए में आहरण करने पर कुछ विशेष रियायतें भी प्रदान की गई हैं।

मुद्रा विनिमय समझौता (Currency Swap Agreement):

- मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच ऐसा समझौता है जो संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात-निर्यात के लिये अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है।
- भारत सरकार ने सार्क सदस्य देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते को विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने और अन्य सार्क देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये तथा समस्या का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के उद्देश्य से 15 नवंबर, 2012 को मंज़ूरी दी थी।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC):

- सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
- वर्ष 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।
- प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।
- इस संगठन का संचालन सदस्य देशों की मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करता है, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

भारत और सऊदी अरब

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-सऊदी अरब के मध्य रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना तथा नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी को रोकने के लिये हस्ताक्षरित अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- इस अनुबंध के चलते दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेतृत्व इस रणनीतिक भागीदारी के तहत चल रही पहलों/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिये नियमित तौर पर मिलने में समर्थ होंगे।
- इससे रणनीतिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और यह अर्जित किये जाने वाले लक्ष्यों और प्राप्त होने वाले लाभों को भी परिभाषित करेगा।

लाभ:

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य लिंग, वर्ग या आय के पूर्वाग्रह के बिना सऊदी अरब के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से नागरिकों को लाभ पहुँचाना है।

नोट :

- सऊदी अरब के साथ किया गया यह अनुबंध रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- समझौता ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलन द्वारा परिभाषित नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों एवं प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी रोकने के लिये दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

- समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों के उत्पादकों, तस्करों एवं अवैध विक्रेताओं की संदिग्ध गतिविधियों, आग्रह करने पर एनडीपीसी की अवैध बिक्री के विवरण और नशीली दवाइयों से संबंधित आरोप में गिरफ्तार विक्रेताओं के वित्तीय हालात से संबंधी जानकारियाँ साझा करने का प्रावधान है।
  - समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दूसरे देश के नागरिकों के विवरण के बारे में अधिसूचित करने और गिरफ्तार व्यक्ति को दूतावास संबंधी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है।
  - समझौता ज्ञापन के तहत दोनों में से किसी भी देश में अंदर बरामद की गई नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण और नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के बारे में आँकड़े/सूचना साझा करने का प्रावधान है।

अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री एक वैश्विक अवैध व्यापार बन गया है। नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन और विभिन्न सरल मार्गों खासकर अफगानिस्तान के ज़रिये इनका प्रसार बढ़ने से युवाओं के बीच इनका उपभोग ऊँचे स्तर पर पहुँच चुका है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा समाज में अपराध बढ़े हैं। नशीले पदार्थों की बिक्री से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बगावत और आतंकवाद के लिये धन मुहैया कराया जाता है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- भारत-सऊदी अरब के मध्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध विभिन्न प्रयासों के बावजूद सीमित ही बने हैं। पिछले कुछ वर्षों में तेल के दामों में आई गिरावट ने इस व्यापार में और कमी की है। वर्ष 2019 के प्रथम 9 माह के लिये द्विपक्षीय व्यापार 22 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत कम है। यह व्यापार अत्यधिक असंतुलित है, एक ओर जहाँ कुल व्यापार में भारतीय निर्यात का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर इस व्यापार में प्रमुख हिस्सा तेल से संबंधित है।
- भारत एवं सऊदी अरब दोनों इस बात के पक्षधर हैं कि व्यापार में न सिर्फ विविधता होनी चाहिये बल्कि यह संतुलित भी होना चाहिये, जिससे यह दीर्घकाल तक सतत् बना रहे। संबंधों में उतर-चढ़ाव के कारण भारत में सऊदी अरब का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुल विदेशी निवेश का 0.05 प्रतिशत है, इसे भी स्वाभाविक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि सऊदी अरब ने अपने विज़न 2030 के रणनीतिक दस्तावेज़ में आठ प्रमुख साझीदारों की सूची में भारत को भी शामिल किया है। साथ ही सऊदी अरामको महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित रायगढ़ में प्रस्तावित 44 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी में प्रमुख साझीदार बनने जा रही है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में भी सहयोग प्रदान कर रहा है।
- विदित है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयात पर निर्भर है तथा सऊदी अरब भी अपने तेल निर्यात के लिये भारत को एक बाज़ार के रूप में देख रहा है।

निष्कर्ष

- वर्तमान में भारत-सऊदी अरब संबंध तेल व्यापार से आगे बढ़ रहे हैं तथा दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी करीब आए हैं। यह समय की मांग है कि दोनों देशों के बीच एक मज़बूत साझेदारी हो जिससे दोनों देश अपने साझा हितों की पूर्ति कर सकें।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी

चर्चा में क्यों ?

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency- WADA) ने वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रूस पर चार वर्ष का प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ वर्षों से रूस पर एक परिष्कृत डोपिंग कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में वर्ष 2018 के शीतकालीन ओलंपिक में रूस की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया था और इस कार्यक्रम में भाग लेने से रोक लगा दी थी। केवल कुछ रूसी एथलीटों को सख्त शर्तों के तहत प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी।

जाँच प्रक्रिया

वर्ष 2014 से लगातार लग रहे आरोपों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee-IOC), WADA और अन्य वैश्विक महासंघों ने जाँच शुरू की।

- मास्को लैब के कामकाज पर नज़र रखने के लिये कनाडा के वकील रिचर्ड मैकलारेन के नेतृत्व में WADA ने एक स्वतंत्र जाँच शुरू की।

IOC ने निम्न दो संदर्भों में जाँच की:

- सोची गेम्स (Sochi Games) में नमूनों के हेरफेर के साक्ष्य की जाँच।
- दूसरा रूसी राज्य की भागीदारी का पता लगाना।

- IOC आयोग ने दर्जनों रूसी एथलीटों को खेलों में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन का दोषी पाया।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी

- इसे वर्ष 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, यह खेल आंदोलन और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।
- इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी-डोपिंग क्षमताओं का विकास करना और विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) की निगरानी करना शामिल है। विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) सभी खेलों एवं देशों में डोपिंग विरोधी नीतियों का सामंजस्य स्थापित करने वाला दस्तावेज़ है।
- ईमानदारी, जवाबदेही और उत्कृष्टता एजेंसी के मुख्य मूल्य हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति International Olympic Committee

- यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है।
- इसका गठन 23 जून, 1894 को किया गया था और यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च अधिकार है।
- यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।

भारत-म्याँमार

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिये भारत और म्याँमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य:

- दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध को और मज़बूती प्रदान करना एवं मानव तस्करी को रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिये द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना।

नोट :

- मानव तस्करी के सभी रूपों को प्रतिबंधित करने के लिये सहयोग बढ़ाना और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना।
- दोनों देशों में मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जाँच और अभियोजन सुनिश्चित करना।
- आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी रोकने के लिये संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों के साथ रणनीति का क्रियान्वयन।
- मानव तस्करी रोकने के प्रयासों के तहत कार्यसमूह/कार्यबल का गठन करना।
- मानव तस्करों एवं तस्करी के शिकार लोगों के आँकड़े जुटाना और भारत तथा म्यांमार के मध्य समझोते में तय बिंदुओं के तहत सूचना का आदान-प्रदान करना।
- दोनों देशों से जुड़ी एजेंसियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना।
- तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाना और स्वदेश वापस भेजने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया तय करना और उसका पालन करना।

पृष्ठभूमि:

मानव तस्करी की समस्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जटिल मुद्दा बन गया है। मानव तस्करी की जटिल प्रकृति की वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिये बहुआयामी रणनीति की ज़रूरत है। मानव तस्करी रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी सख्त ज़रूरत है। भारत और म्याँमार के बीच सीमा नियंत्रण, संचार एजेंसियों और विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मानव तस्करी रोकने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

भारत-म्याँमार संबंध

म्याँमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी साझा ज़मीनी और समुद्री सीमा है। पिछले दशक में हमारा व्यापार दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। हमारे निवेश संबंध भी काफी सुदृढ़ हुए हैं। म्याँमार के साथ भारत के विकास संबंधी सहयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फिलहाल भारत की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि 1.73 अरब डॉलर से अधिक है। भारत का पारदर्शी विकास सहयोग म्याँमार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार है जिसका आसियान से जुड़ने के मास्टर प्लान यानी वृहद् योजना के साथ पूरा तालमेल है।

भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- 2019

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2019 को राजधानी दिल्ली में भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Landslides Risk Reduction and Resilience, 2019) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- देश में इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। सम्मेलन में भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा नुकसान को कम करने में त्वरित प्रतिक्रिया के लिये आधारभूत संरचना विकसित करने पर बल दिया गया।
- पिछले कुछ समय से दुनिया भर में भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, संभवत: इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि यह आपदा समुदायों, पशुधन, पर्यावरण तथा जान-माल को क्षति पहुँचाती है।

भूस्खलन क्या है ?

- भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- यह प्राय: भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिये अवरुद्ध कर देता है।
- पहाड़ी भू-भागों में भूस्खलन एक मुख्य और व्यापक प्राकृतिक आपदा है जो प्राय: जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है।

नोट :

भारत में भूस्खलन की स्थिति

अनेक अनुभवों, इसकी बारंबारता और भूस्खलन के प्रभावी कारकों, जैसे - भूविज्ञान, भूआकृतिक कारक, ढ़ाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बाँटा गया है।

- **अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र**
  - ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरि में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, जिसमें सड़क और बाँध निर्माण इत्यादि शामिल हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं।
- **अधिक सुभेद्यता क्षेत्र**
  - अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती-जुलती परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन दोनों में भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का अंतर है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर-पूर्वी भाग (असम को छोड़कर) इस क्षेत्र में शामिल हैं।
- **मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र**
  - पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पिती, अरावली पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं, जहाँ कभी-कभी भूस्खलन होता है।
  - इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खादानों और भूमि धँसने से भूस्खलन होता रहता है।
- **अन्य क्षेत्र**
  - भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिग ज़िले को छोड़कर) असम (कार्बी अनलोंग को छोड़कर) और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं।

भूस्खलनों का परिणाम

- भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- भूस्खलन की वजह से हुए नदी मार्ग में बदलाव बाढ़ ला सकती है और इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है।

निवारण

- भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग होने चाहिये। अधिक भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क और बड़े बाँध बनाने जैसे- निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिये।
- इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिये तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिये।
- सकारात्मक कार्य जैसे- बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिये बाँध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। स्थानांतरी कृषि वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिये।

भारत की पहल

- भारत को आपदा रोधी बनाने तथा भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अपनाया है। सभी स्तरों पर हितधारकों की क्षमता को मज़बूत बनाने की यह एक अहम पहल है।
- भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनीटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। नुकसान को कम करने के लिये चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायुवेग को कम करने के लिये वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्याँमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसीलिये यहाँ जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है।

नोट :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो।

सामान्यत: भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत (जो आकस्मिक, अननुमेय तथा बृहत स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित हैं), भूस्खलन की स्थिति मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होती हैं। इसलिये भूस्खलन के बारे में आँकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफी कठिन है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर लोगों को शामिल करके व्यापक सहयोगी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के प्रयासों से जागरूकता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन (International Organisation for Migration-IOM) द्वारा वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 (Global Migration Report 2020) जारी की गई। इसके अनुसार विश्व में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 17.5 मिलियन (1 करोड़ 75 लाख) प्रवासी दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं।
- विदेशों में रह रहे इन प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन (Remittance) प्राप्त करने के मामले में भारत (78.6 बिलियन डॉलर) विश्व में पहले स्थान पर है।
- भारत के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर चीन (67.4 बिलियन डॉलर) तथा तीसरे स्थान पर मैक्सिको (35.7 बिलियन डॉलर) है।
- प्रवासियों के माध्यम से धन प्रेषण करने वाले देशों में पहले स्थान पर अमेरिका (68 बिलियन डॉलर), दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात (44.4 बिलियन डॉलर) तथा तीसरे स्थान पर सऊदी अरब (36.1 बिलियन डॉलर) है।
- IOM के अनुसार, वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग 270 मिलियन (27 करोड़) है जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत है।
- IOM की पिछली रिपोर्ट, जो वर्ष 2018 में आई थी, के अनुसार प्रवासियों की कुल संख्या में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दशक में विश्व प्रवासी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है लेकिन कुल जनसंख्या में वृद्धि होने से यह अनुपात लगभग स्थिर बना हुआ है।
- विदेशों में रह रहे इन प्रवासियों का अधिकांश हिस्सा यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में रहता है।
- गरीब या विकासशील देशों के अधिकांश प्रवासी अमेरिका के अलावा फ्राँस, रूस, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब आदि देशों में जाते हैं।
- मध्य-पूर्व (Middle-East) में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक, अस्थायी प्रवासी मज़दूरों की संख्या खाड़ी देशों में सर्वाधिक है। संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी मज़दूर वहाँ की जनसंख्या के 80 प्रतिशत तथा कार्यबल के 90 प्रतिशत हैं।
- इस रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, म्याँमार, दक्षिणी सूडान, सीरिया तथा यमन में चल रहे आतंरिक संघर्ष एवं हिंसा के कारण पिछले दो वर्षों में लगभग 4 करोड़ 13 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
- देश में आतंरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों में पहले स्थान पर सीरिया (61 लाख), दूसरे स्थान पर कोलंबिया (58 लाख) तथा तीसरे स्थान पर कांगो (31 लाख) है।

नोट :

- विश्व में लगभग 2 करोड़ 60 लाख की आबादी शरणार्थी के रूप में रह रही है। इसमें पहले स्थान पर सीरिया (लगभग 60 लाख) तथा दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान (25 लाख) है।
- रिपोर्ट में जलवायु एवं मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए प्रवास के बारे में चर्चा की गई है। वर्ष 2018 के अंत में फिलिपींस में आए मांगखुत चक्रवात (Mangkhut Cyclone) की वजह से लगभग 38 लाख लोग विस्थापित हुए।

अमेरिका ने घटाया अपना नाटो बजट

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका नाटो के संचालन बजट में अपने योगदान को कम करेगा जबकि जर्मनी अपनी हिस्सेदारी में इज़ाफा करेगा। अमेरिका द्वारा यह कदम संगठन के यूरोपीय सदस्यों की बार-बार आलोचना के बाद उठाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नए फार्मूले के तहत यूरोपीय देश और कनाडा का योगदान बढ़ेगा तथा अमेरिका बजट में अपने हिस्से को कमी करेगा।
- अमेरिका फिलहाल नाटो बजट में 22.1% का योगदान देता है, जबकि जर्मनी की हिस्सेदारी 14.8% है। यह प्रत्येक देश की सकल राष्ट्रीय आय के आधार तय किये गए फार्मूले के तहत होता है।
- नए समझौते के तहत, अमेरिका कुल बजट में अपना योगदान कम करके 16.35% करेगा जबकि जर्मनी और अन्य सदस्य देश अपने योगदान में वृद्धि करेंगे।
- हालाँकि फ्राँस ने नए समझौतों को मानने से इनकार किया है, वह अपनी हिस्सेदारी को 10.5% पर ही बनाए रखेगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2014 के वेल्स शिखर सम्मेलन में नाटो के सहयोगी सदस्य देशों ने 10 वर्षों के भीतर रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 2% खर्च करने पर सहमति व्यक्त की थी। जबकि अमेरिका ने ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन के सदस्यों से रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 4% तक खर्च बढ़ाने की मांग रखी। अमेरिका की मांग नाटो के रक्षा क्षेत्र में मौजूदा योगदान को 2% के लक्ष्य से बढ़ाकर दोगुना करने की थी।
- अमेरिका लंबे समय से यूरोपीय नाटो के सदस्य देशों की आलोचना करता रहा है कि वे नाटो के लिये पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं।
- 2019 तक नाटो के 29 सदस्यों में से केवल आठ सदस्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा पर खर्च करने में सक्षम हैं। जर्मनी इस लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है।
- उत्तरी सीरिया में कुर्द के खिलाफ यूरोप एवं अमेरिकी और तुर्की के सैन्य अभियान के बीच खराब समन्वय ने नाटो की बिगड़ती स्थिति को बढ़ावा दिया है, इसप्रकार यह नाटो की सक्रियता को पुन: परिभाषित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization-NATO)

- नाटो एक अंतर्सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1949 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
- 1949 में इसके 12 संस्थापक सदस्य थे जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- अन्य सदस्य देशों में ग्रीस और तुर्की(1952), जर्मनी (1955), स्पेन(1982), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड(1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया व स्लोवेनिया(2004), अल्बानिया एवं क्रोएशिया(2009) तथा मॉन्टेनेग्रो(2017) शामिल हैं।
- वर्तमान में इस संगठन में 29 सदस्य देश शामिल हैं।

प्रमुख प्रावधान

- संधि के एक प्रमुख प्रावधान (तथाकथित अनुच्छेद 5) में कहा गया है कि यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के एक सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसने प्रभावी रूप से पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के "परमाणु छत्र" के तहत रखा है।

नोट :

- नाटो ने केवल 12 सितंबर, 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया था।
- नाटो का संरक्षण सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक सीमित नहीं है।
- वर्ष 1966 में फ्राँस नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। हालाँकि इसने वर्ष 2009 में NATO की सैन्य कमान में फिर से अपना स्थान बना लिया।

ऑर्गनॉइड

चर्चा में क्यों ?

21 अक्तूबर, 2019 को शिकागो में सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस की 49वीं वार्षिक बैठक में कुछ तंत्रिका वैज्ञानिकों ने अपने साथी वैज्ञानिकों को चेतावनी दी कि वे लघु मस्तिष्क या ऑर्गनॉइड जैसे संवेदी अंगों के विकास के मामले में नैतिकता की सीमारेखा का उल्लंघन करने के खतरनाक रूप से नज़दीक हैं।

पृष्ठभूमि

- पूर्व में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क ऑर्गनॉइड को वयस्क जानवरों में प्रत्यारोपित किया है। इस प्रत्यारोपण के बाद ऑर्गनॉइड ने उनके मस्तिष्क के साथ एकरूपता स्थापित की और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत की।
- इसी प्रकार फेफड़े के ऑर्गनॉइड को चूहों में प्रत्यारोपित किया गया था, जिसने शाखित वायुमार्ग (Branching Airways) और प्रारंभिक वायुकोशीय संरचनाओं (Early Alveolar Structures) के निर्माण में सफलता हासिल की थी।
- उल्लेखनीय है कि इसे मेज़बान जानवरों के संभावित मानवीकरण की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

ऑर्गनॉइड क्या है ?

- ऑर्गनॉइड एक पूर्ण विकसित अंग की कोशिका व्यवस्था की नकल करने वाली प्रयोगशाला में विकसित त्रि-आयामी, लघु संरचना की कोशिकाओं का समूह होता है।
- ये छोटे (आमतौर पर मटर के आकार के) अंग होते हैं, जो मानव अंगों के सभी कार्यात्मक परिपक्वता को प्राप्त करने में सक्षम नही होते हैं लेकिन सामान्यतया एक विकासशील ऊतक के शुरुआती अवस्थाओं से मिलते-जुलते हैं।
- ध्यातव्य है कि अधिकांश ऑर्गनॉइड किसी वास्तविक अंग में देखी गई सभी कोशिकाओं का उपसमूह होता है लेकिन इनमें पूरी तरह कार्यात्मक बनाने वाली रक्त वाहिकाओं की कमी होती है।
- मस्तिष्क ऑर्गनॉइड के मामले में देखा जाए तो वैज्ञानिक तंत्रिकाओं को विकसित करने में सक्षम रहे हैं, साथ ही उन्होंने मानव मस्तिष्क के सादृश्य सेरेब्रल कॉर्टेक्स (Cerebral Cortex) जैसे विशिष्ट मस्तिष्क के भाग का निर्माण किया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क के सबसे बड़े ऑर्गनॉइड का आकार लगभग 4 मिमी. व्यास का है।

प्रयोगशाला में ऑर्गेनॉइड्स का विकास

स्टेम सेल की सहायता से प्रयोगशाला में ऑर्गनॉइड का विकास किया जा सकता है जो मानव शरीर के किसी भी विशिष्ट कोशिका के समान हो सकता है अथवा स्टेम सेल की तरह व्यवहार करने के लिये प्रेरित किसी अंग या वयस्क कोशिका से लिये गए स्टेम सेल को वैज्ञानिक रूप से प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (induced Pluripotent Stem Cells-iPSC) कहा जाता है।

1. स्टेम सेल पोषक तत्त्वों और अन्य विशिष्ट अणुओं के सहयोग से एक विशिष्ट अंग के सदृश कोशिकाएँ बन जाती हैं।
2. विकसित हो रही कोशिकाएँ एक विशिष्ट अंग के कोशिकीय संरचनाओं में स्वयं को व्यवस्थित करने में सक्षम होने के साथ-साथ आंशिक रूप से परिपक्व अंगों के जटिल कार्यों जैसे- रोगग्रस्त अवस्था एवं शारीरिक क्रियाओं के लिये पुनर्निर्माण आदि को दोहरा सकती हैं।
3. ध्यातव्य है कि मस्तिष्क, छोटी आँत, वृक्क, हृदय, पेट, यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि और आंतरिक कान कुछ ऐसे अंगों के नाम हैं जिनके ऑर्गनॉइड पूर्व में ही प्रयोगशाला में विकसित हो चुके हैं।

नोट :

बीमारियों को समझने में ऑर्गनॉइड की भूमिका:

1. ऑर्गनॉइड प्रोटीन और जीन का अध्ययन करने के लिये नए अवसर प्रदान करते हैं जो किसी अंग के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इससे यह जानने में मदद मिलती है कि किसी विशिष्ट जीन में उत्परिवर्तन किसी बीमारी या विकार का कारण कैसे बनता है।
2. उदाहरण के लिये शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के ऑर्गेनोइड का उपयोग यह अध्ययन करने के लिये किया कि जीका वायरस भ्रूण में मस्तिष्क के विकास को कैसे प्रभावित करता है।
3. चूंकि ऑर्गनॉइड सूक्ष्मता से परिपक्व ऊतकों से मिलता-जुलता है, इसलिये यह नई संभावनाओं को खोलता है। इनमें तीन आयामों में कोशिकाओं की जटिल व्यवस्था का अध्ययन और उनके कार्य के बारे में विस्तार से यह समझना कि कोशिकाएं अंगों में कैसे एकत्रित होती हैं आदि शामिल हैं।
4. नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता तथा मौजूदा दवाओं के ऊतकों की प्रतिक्रिया का भी परीक्षण के लिये भी ऑर्गनोइड्स का उपयोग किया जा सकता है।
5. ऑर्गनॉइड यह अध्ययन करके कि किसी रोगी के लिये कौन-सी दवा सबसे संवेदनशील है, रोगी-विशिष्ट उपचार रणनीतियों को विकसित करके सटीक दवा को व्यावहारिक बनाने में मदद करेगा।

ऑर्गनॉइड की नैतिक चुनौतियाँ:

वैज्ञानिकों का तर्क है कि ऑर्गनोइड्स में संवेदी इनपुट नहीं होते हैं और मस्तिष्क से संवेदी संबंध सीमित होते हैं। मस्तिष्क के पृथक क्षेत्र अन्य मस्तिष्क क्षेत्रों के साथ संचार नहीं कर सकते हैं या मोटर सिग्नल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार चेतना या अन्य उच्च-क्रम के बोधगम्य गुणों के उभरने की संभावना (जैसे- संकट महसूस करने की क्षमता) बहुत क्षीण लगती है।

पेगासस स्पाइवेयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफोर्म व्हाट्सएप ने दावा किया कि इज़राइली स्पाइवेयर, पेगासस (Pegasus) द्वारा विश्व भर के लगभग 20 देशों में व्हाट्सएप प्रयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता और व्यक्तिगत सूचनाओं की जासूसी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भी इस स्पाइवेयर द्वारा पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं को निशाना बनाया गया।
- गौरतलब है की व्हाट्सएप ने पेगासस स्पाइवेयर विकसित करने वाली कंपनी एन.एस.ओ ग्रुप (NSO Group) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पाइवेयर विश्व भर में लगभग 1400 मोबाइल उपकरणों पर भेजा गया।
- जिसमे विश्व भर के कम-से-कम 100 मानवाधिकार कार्यकर्त्ता, पत्रकार और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हैं।

पेगासस स्पाइवेयर क्या है ?

- पेगासस एक स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर है, जिसे इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया है।
- पेगासस स्पाइवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्त्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियाँ को नुकसान पहुँचाता है।
- इस तरह की जासूसी के लिये पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्त्ताओं के पास भेजता है, जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्त्ता की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टाल हो जाता है।
- इस स्पाइवेयर के नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती सिर्फ एक मिस्ड विडियो काल के द्वारा ही इंस्टाल हो जाता है। पेगासस स्पाइवेयर इंस्टाल होने के बाद पेगासस ऑपरेटर को फोन से जुडी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- पेगासस स्पाइवेयर की प्रमुख विशेषता ये है कि यह पासवर्ड द्वारा रक्षित उपकरणों को भी निशाना बना सकता है और यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर डाटा नहीं भेजता।

नोट :

- पेगासस मोबाइल में संगृहीत सूचनाएँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन एप्स के संदेश स्पाइवेयर ऑपरेटर को भेज सकता है।
- यह स्पाइवेयर, उपकरण की कुल मेमोरी का 5% से भी कम प्रयोग करता है, जिससे प्रयोगकर्त्ता को इसके होने का आभास भी नहीं होता।
- पेगासस स्पाइवेयर ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, आईओएस (आईफोन) और सिंबियन-आधारित उपकरणों को प्रभावित कर सकता है।
- पेगासस स्पाइवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट 2016 में सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता को उनके आईफोन 6 पर एक एसएमएस लिंक के साथ निशाना बनाया गया था।

क्वांटम सुप्रीमेसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गूगल ने घोषणा की है कि उसने संगणना (Computing) के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी (Quantum Supremacy) कहा गया।

क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है ?

- इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन प्रेस्किल द्वारा 2012 में किया गया था। उनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसी गणना को कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है।
- गूगल ने साइकामोर नामक एक क्वांटम प्रोसेसर (Cycamore Quantum Processor) की सहायता से एक गणना को 200 सेकंड में हल कर दिया जिसे आधुनिक समय के एक सुपर कंप्यूटर से हल करने में 10,000 वर्ष का समय लगता।

क्वांटम सिद्धांत:

- यह आधुनिक भौतिकी का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की प्रकृति तथा व्यवहार का अध्ययन उसके परमाणिवक स्तर पर किया जाता है।

क्वांटम कंप्यूटर क्या है ?

- क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत् प्रवाह के नियमों पर कार्य करता है।
- एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहीत करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना 'क्वांटम बिट' या 'क्यूबिट' में संग्रहीत होती है।
- सामान्य कंप्यूटर, प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट (0 या 1) में से किसी एक को ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं वहीं क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं।
- किसी 100 क्युबिट से कम की क्षमता रखने वाला क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आँकड़े वाली उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर है।
- क्वांटम कंप्यूटर को किसी बड़े वातानुकूलित सर्वर रूम में रखा जाता है जहाँ कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैक में रखा जाता है।

क्वांटम कंप्यूटर का महत्त्व:

- वर्तमान समय में किसी बहुत अधिक आँकड़ों के समूह में से कम समय में कुछ आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करना एक बड़ी समस्या है तथा इस कार्य को क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर सकता है।
- उदाहरण के लिये यदि हमें 10 लाख सोशल मीडिया प्रोफाइल में से किसी एक व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करनी है तो एक पारंपरिक कंप्यूटर उन सभी प्रोफाइल को स्कैन करेगा जिसमें उसे 10 लाख चरणों से गुज़रना होगा। जबकि क्वांटम कंप्यूटर उसे एक हज़ार चरणों में संपन्न कर सकता है।
- इसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी रफ्तार है। यह कई पारंपरिक कंप्यूटर द्वारा एक समय में समानांतर तौर पर किए जाने वाले कार्य को अकेले ही कर सकता है।

नोट :

- बैंकिंग तथा सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किये जाने हेतु कई एनक्रिप्शन सिस्टम का उपयोग इन कंप्यूटरों में किया जाता है जो गणितीय समस्याओं को सुलझाने में एक सीमा के बाद असमर्थ है। क्वांटम कंप्यूटर इन कमियों को दूर कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त यह वैज्ञानिक अनुसंधानों, खगोलीय अंतरिक्ष मिशनों, डेटा संरक्षण, AI आदि के लिये उपयोगी हो सकते हैं।

संभावित चुनौतियाँ

- क्वांटम कंप्यूटर अभी अपने प्रायोगिक अवस्था में है जहाँ इसका पहला प्रयोग गूगल द्वारा 53 क्यूबिट क्षमता वाले साइकामोर नामक क्वांटम प्रोसेसर के माध्यम से किया गया, किंतु इसके वास्तविक प्रयोग में कई वर्ष या दशक लग सकते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग क्यूबिट को क्रायोजेनिक तापमान पर ही स्थिर रखा जा सकता है, इसलिये इसका रख-रखाव एक बड़ी चुनौती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इसका प्रयोग केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करने में अत्यधिक विकसित तकनीक तथा भारी निवेश की आवश्यकता होगी। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर बड़ी चिंता इसके एनक्रिप्शन कोड को हल करने को लेकर है। अभी तक एनक्रिप्शन कोड को डेटा की सुरक्षा के लिहाज़ से विश्वसनीय माना जाता था जो कि क्वांटम कंप्यूटर द्वारा आसान हो जाएगा।

ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्यातों (Defence Exports) को बढ़ावा देने के लिये दो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंसों (Open General Export Licences-OGELs) को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- OGEL किसी कंपनी को एक विशिष्ट अवधि के लिये एक बार दिया जाने वाला निर्यात लाइसेंस है। प्रारंभ में इसकी अवधि दो वर्ष होती है।
- रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production-DPP) द्वारा OGELकी मांग हेतु आवेदन के प्रत्येक मामले पर पृथक विचार किया जाएगा।
- इन दो OGEL द्वारा चयनित देशों को कुछ पुर्जों और घटकों के निर्यात तथा रक्षा प्रौद्योगिकी की अंतर-कंपनी (Intra-company) हस्तांतरण की अनुमति दी गई है।
- OGEL के तहत अनुमति प्राप्त देशों की सूची में बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, पोलैंड और मेक्सिको शामिल हैं।
- लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदक के पास आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- इसमें OGEL के तहत सभी लेन-देनों की प्रत्येक तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों को जाँच एवं निर्यात के बाद सत्यापन हेतु DPP को प्रस्तुत किये जाने की भी बात कही गई है।

OGEL में शामिल वस्तुएँ

- OGEL में ऊर्जावान और विस्फोटक सामग्री के बिना गोला-बारूद और फ्यूज़ सेटिंग उपकरणों के घटक।
- अग्नि नियंत्रण और संबंधित खतरे की सूचना तथा चेतावनी से संबंधित उपकरण एवं संबंधित अन्य प्रणाली।
- शारीरिक सुरक्षा संबंधी वस्तुएँ।

OGEL से बाहर रखी गई वस्तुएँ

- संपूर्ण विमान या संपूर्ण मानव रहित विमानों (UAVs) और UAV के लिये विशेष रूप से संशोधित या डिज़ाइन किये गए घटकों को इस लाइसेंस से बाहर रखा गया है।
- OGEL के तहत 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (SEZs) में वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इसके अलावा अन्य देशों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिये अंतर-कंपनी हस्तांतरण की शर्त जोड़ी गई है अर्थात् निर्यात किसी भारतीय सहायक कंपनी (आवेदक निर्यातक) से अपनी विदेशी मूल कंपनी अथवा विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनी को होना चाहिये।

नोट :

रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production)

- रक्षा उत्पादन विभाग (DPP) की स्थापना नवंबर, 1962 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य रक्षा के लिये आवश्यक हथियारों, प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों का उत्पादन करने के लिये एक व्यापक बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- विभाग ने विभिन्न रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिये आयुध कारख़ानों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (DPSU) के माध्यम से व्यापक उत्पादन सुविधाएँ सुनिश्चित की हैं।
- विभाग द्वारा विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोला-बारूद, टैंक, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, मिसाइलें, इलेक्ट्रानिक उपकरण, अर्थमूविंग उपकरण, विशेष मिश्र धातुएँ आदि शामिल हैं।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC)

- सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकताओं की शीघ्र ख़रीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी।
- DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि DAC अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।

लाभ

- विगत दो वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में सात गुना वृद्धि हुई है और 2018-19 में यह बढ़कर 10,500 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार और आवेदनों की ऑनलाइन मंज़ूरी के लिये एक पोर्टल की शुरुआत के कारण संभव हुआ है जिससे आवेदन जाँच प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी काफी कमी आई है।
- OGEL का विचार भी भारतीय रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इससे रक्षा निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार करने की सुगमता में सुधार होगा।
- इससे सरकार से अनुमति लेने की लंबी प्रक्रिया को छोटा किया जा सकेगा।
- नई लाइसेंस प्रणाली से रक्षा क्षेत्र की कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच होगी और अधिक प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों का विनिर्माण संभव होगा।

ग्रहों पर दिन की अवधि

चर्चा में क्यों ?

खगोलशास्त्रियों के अनुसार, 'शुक्र ग्रह' व 'शनि ग्रह' की एक दिन की अवधि के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तथा इस बारे में दी जाने वाली जानकारियाँ प्राय: गलत साबित हुई हैं।

मुख्य बिंदु

- किसी खगोलीय पिंड द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण करने में लगने वाले समय को एक दिन कहा जाता है। पृथ्वी पर एक दिन 23 घंटे 56 मिनट का होता है।
- वैज्ञानिक अन्य ग्रहों की एक दिन की अवधि की गणना के लिये पृथ्वी के एक दिन की अवधि को आधार के तौर पर प्रयोग करते हैं। इस मानक के प्रयोग से ग्रहों पर दिन की अवधि की गणना स्पष्ट तौर पर की जा सकती है।

सारणी में सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की एक दिन की अवधि को दर्शाया गया है।

ग्रह	बुध	शुक्र	पृथ्वी	मंगल	बृहस्पति	शनि	अरुण	वरुण
दिन की अवधि	58.6 दिन	243 दिन	23 घं. 56 मि.	24 घं 37 मि.	9 घं. 55 मि.	10 घं. 33 मि.	17 घं. 14 मि.	15 घं. 57 मि.

नोट :

शुक्र ग्रह का घूर्णन

- इस ग्रह की स्थिति अन्य ग्रहों से भिन्न है। इसकी सतह का अधिकांश हिस्सा बादलों से आच्छादित रहता है जिसकी वजह से इस पर उपस्थित भू-आकृतियों (क्रेटर या उच्चावच्च भूमि) को देखना मुश्किल होता है। ये भू-आकृतियाँ ग्रहों के घूर्णन को मापने के लिये एक आधार बिंदु (Reference Point) का कार्य करती हैं।
- 1963 में राडार द्वारा किये गए सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ कि शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा के विपरीत है। तत्कालीन सर्वेक्षणों से पता चला कि शुक्र पर एक दिन की अवधि पृथ्वी के 243 दिनों (5832 घंटे) के बराबर है।
- 1991 में 'मैगलन स्पेसक्राफ्ट' द्वारा किये गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शुक्र का वास्तविक घूर्णन काल 243.0185 दिन है जिसमें लगभग 9 सेकंड की अनिश्चितता पाई गई।
- वैज्ञानिकों द्वारा 1988 से 2017 के बीच पृथ्वी से किये गए राडार पर्यवेक्षणों से शुक्र की सतह पर उपस्थित भू-आकृतियों की पहचान की गई तथा उसके आधार पर अक्षांशीय रेखाओं का निर्माण किया गया। इससे शुक्र के घूर्णन की दर को मापना आसान हुआ है।
- वर्तमान शोधों के अनुसार, शुक्र का घूर्णन काल 243.212 दिन है जिसमें 0.00006 सेकंड की अनिश्चितता पाई गई तथा यह माना जा रहा है कि इसमें भी आने वाले कुछ दशकों में बदलाव हो सकता है।

शनि ग्रह का घूर्णन

- बृहस्पति की भाँति यह भी एक विशाल गैसीय पिंड है तथा इसकी कोई ऊपरी ठोस सतह नहीं है। हालाँकि इसका कोर ठोस स्थिति में है परंतु इसकी बाहरी परत हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल कणों का मिश्रण है। यद्यपि बृहस्पति में घूर्णन अवधि की गणना उससे उत्सर्जित होने वाले रेडियो सिग्नलों की सहायता से की जाती है। इसके विपरीत शनि ग्रह से उत्सर्जित होने वाले रेडियो सिग्नल की आवृत्ति कम होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल को भेद नहीं पाते इसकी वजह से इसके घूर्णन अवधि की गणना करना एक चुनौती रहा है।
- 1980 व 1981 में क्रमश: भेजे गए अंतरिक्ष मिशन वोयेगर-1 तथा वोयेगर-2 से प्राप्त आंकड़ों से ही पहली बार पता चल सका कि शनि ग्रह पर एक दिन की अवधि लगभग 10 घंटे 40 मिनट की है।
- 23 वर्षों के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए आंकड़ों से पता चला कि शुक्र के घूर्णन काल में 6 मिनट की वृद्धि हुई है परंतु अनुमान के आधार पर इतनी वृद्धि में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं।
- शनि ग्रह पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर झुका हुआ है जिसकी वजह से वहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुओं के आधार पर इसके उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों की प्राप्ति भी अलग-अलग होती है। यह शनि के वायुमंडल के किनारों पर उपस्थित प्लाज़्मा को प्रभावित करता है जो इसके वायुमंडल की विभिन्न परतों के बीच में घर्षण पैदा करता है।
- शुक्र के वायुमंडल की ऊपरी परत और निचली परत में घूर्णन की रफ़्तार एक समान होती है परंतु उनके बीच के घर्षण की वजह से ऊपरी परत को घूर्णन करने में अधिक समय लगता है।
- अत: निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष मिशनों द्वारा पर्यवेक्षित शनि की घूर्णन अवधि उसके कोर की न होकर उसकी बाहरी परतों की है जो स्थिर नहीं है तथा रेडियो सिग्नल के प्रयोग से इसकी घूर्णन अवधि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकती।

नाविक का व्यवसायीकरण

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाविक के व्यवसायीकरण (Commercialised) की ओर अग्रसर है।

- नाविक के लिये समर्पित हार्डवेयर आधारित सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से एंट्रिक्स (Antrix) ने उद्योगों की पहचान के लिये दो अलग-अलग निविदाएँ (Tenders) जारी की है।
- एंट्रिक्स वर्तमान में नाविक प्रणाली के उपकरण (Device) और सिस्टम के लिये कुशल निर्माताओं की पहचान कर रही है।
- इस प्रकार की पहल में दो अलग-अलग निविदाएँ जारी करने का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और कार्य की उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।

नोट :

इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- सेमीकंडक्टर चिप (Semiconductor Chip) की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज (Qualcomm Technologies) द्वारा नाविक के विकसित एक चिपसेट का सफल परीक्षण किया गया।
- इस कंपनी के चिप जीपीएस, गैलीलियो (यूरोप), ग्लोनास (रूस) और बीडाउ (चीन) जैसे वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं।

नाविक:

- नाविक- NavIC (Navigation in Indian Constellation) आठ उपग्रहों की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह आधारित स्वदेशी प्रणाली है जो अमेरिका के जीपीएस की तरह कार्य करती है।
- 12 अप्रैल को पीएसएलवी-सी41 (PSLV-C41) के माध्यम से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) द्वारा IRNSS-1 (Indian Regional Navigation Satellite System-1) नौवहन (Navigation) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया था।
- इसके माध्यम से स्थानीय स्थिति (Indigenous Positioning) या स्थान आधारित सेवा (Location Based Service-LBS) जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर 1,500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है।

NavIC की कार्यप्रणाली:

- NavIC के उपग्रह दो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड पर सिग्नल देते हैं, जो L5 और S के नाम से जाने जाते हैं।
- यह स्टैंडर्ड पोज़ीशनिंग सर्विस तथा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस की सुविधा प्रदान करता है।
- इसकी 'रिस्ट्रिक्टेड सर्विस' सेना तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के लिये सुविधाएँ प्रदान करने का काम करती है।

उपयोग:

- इसका प्रयोग परिवहन साधनों में किया जा सकता है ताकि वाहनों को ट्रैक किया जा सके, साथ ही दुर्घटना इत्यादि जैसी अप्रत्याशित घटनाओं का शीघ्रता से पता चल सके।
- इसका उपयोग मछली पकड़ने वाली नौकाओं में भी किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले वर्ष आदेश दिया था कि सभी राष्ट्रीय-परमिट वाले वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण होने चाहिये।
- स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन; आपदा प्रबंधन; मोबाइल फोन के साथ एकीकरण; सटीक समय (एटीएम और पावर ग्रिड के लिये); मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर (Mapping and Geodetic Data Capture) एवं यात्रियों के लिये स्थलीय नौवहन सहायता के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Antrix Corporation Ltd)

- यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के पास है।
- एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिये सरकार के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष से संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध करा रही है।

नोट :

हाइगिया: सौर मंडल का छठा बौना ग्रह

चर्चा में क्यों ?

वेरी लार्ज टेलीस्कोप (Very Large Telescope-VLT) में यूरोपियन स्पेस ऑर्गनाइजेशन (European Space Organisation) के SPHERE इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किये गए अवलोकनों की सहायता से खगोलविदों ने यह दावा किया है कि Hygiea संभवत: एक बौना ग्रह हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- अब तक आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में पाँच बौने ग्रह हैं।
- सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह प्लूटो है, वर्ष 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य चार बौने ग्रह हैं: एरिस (Eris), मेकमेक (Makemake), हुमा (Haumea) और सेरेस (Ceres)।
- नासा के अनुसार, Hygiea एक ऐसे क्षुद्रग्रह बेल्ट का हिस्सा है, जिसमें 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन की संख्या में बड़े क्षुद्रग्रहों (1 किमी. या 0.6 मील से अधिक व्यास वाले) के साथ ही लाखों अन्य छोटे छुद्रग्रह भी मौजूद हैं।
- संभवत: Hygiea की उत्पत्ति भी सेरेस (Ceres) नामक छुद्रग्रह के साथ 2 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। लगभग 431 किमी. के व्यास के साथ यह आकार में छोटा है। यह लगभग साढ़े पाँच सालों में सूर्य के चारों और अपनी परिक्रमा पूरी करता है तथा अपने अक्ष/धुरी (Axis) पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे 27.6 दिन का समय लगता है।
- इस क्षुद्रग्रह की खोज वर्ष 1849 में की गई थी, इसका नामकरण शुचिता और स्वच्छता की ग्रीक देवी (Greek goddess) के नाम पर किया गया था।
- इस बेल्ट के मौजूदा पिंडों में सेरेस एकमात्र बौना ग्रह है जो आंतरिक सौर प्रणाली में उपस्थित है साथ ही यह सौर प्रणाली के अब तक ज्ञात सभी बौने ग्रहों में सबसे छोटा है।

बौने ग्रह हेतु मानदंड

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union) ने एक बौने ग्रह के लिये चार मानदंड निर्धारित किये हैं, Hygiea इनमें से तीन मानदंडों को पहले ही पूरा कर चुका है:
  - यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो,
  - यह चंद्रमा न हो, और
  - इसने अपनी कक्षा के चारो-ओर के क्षेत्र की परिक्रमा न की हो।
- चौथी आवश्यकता यह है कि उसका द्रव्यमान कम-से-कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोल हो गया हो तथा वह अपने पड़ोसी पिण्डों की कक्षा को न लांघता हो।।

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ

- यह पेशेवर खगोलविदों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी।
- इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में है।
- इस वर्ष यानी वर्ष 2019 में यह संघ अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगाँठ मना रहा है।
- इस संघ का उद्देश्य खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।
- जब भी ब्रह्मांड में कोई नई वस्तु पाई जाती है तो खगोलीय संघ द्वारा दिये गए नाम ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) का उद्देश्य खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना है।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक तीन वर्ष में एक बार की जाती है। पिछली बार इसकी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रिया के विएना में वर्ष 2018 में किया गया था। IAU की आगामी बैठक का आयोजन वर्ष 2021 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।

नोट :

एज कंप्यूटिंग

संदर्भ:

एज कंप्यूटिंग को केंद्रीकृत और कनेक्ट रहने वाले नेटवर्क सेगमेंट (जैसे ड्रॉपबॉक्स, जीमेल इत्यादि) से पृथक एवं डेटा कैप्चर के व्यक्तिगत स्रोतों जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट के स्तर पर डेटा-हैंडलिंग गतिविधियों या अन्य नेटवर्क संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- यह क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) का विस्तार है और सूचना को संसाधित करने में लगने वाले समय के संदर्भ में यह भिन्न है। इसमें स्थानीय रूप से संग्रहीत डेटा का बिना विलंब किये वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है।
- भविष्य में क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद एज कंप्यूटिंग सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहेगा। वैश्विक एज कंप्यूटिंग बाज़ार वर्ष 2025 तक 8 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

एज कंप्यूटिंग के लाभ

- **त्वरित (Quick):**
  - नेटफ़्लिक्स प्लेटफार्मों के वीडियो स्ट्रीमिंग की तरह एज कंप्यूटिंग त्वरित डेटा प्रसंस्करण (Quicker Data Processing) और सामग्री वितरण (Content Delivery) की अनुमति देता है।
- **भविष्य की प्रौद्योगिकी सक्षमता:**
  - 5जी वायरलेस तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियाँ एज कंप्यूटिंग को शीघ्र प्रतिक्रिया एवं कंप्यूटिंग में सरलीकृत रखरखाव हेतु सक्षम करती हैं।
- **स्थानीयकृत समाधान:**
  - दूरस्थ स्थानों पर जहाँ एक केंद्रीकृत स्थान पर सीमित या कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है वहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
  - इन स्थानों को एक मिनी डेटा सेंटर के समान स्थानीय भंडारण (Local Storage) की आवश्यकता होती है, एज कंप्यूटिंग इसके लिये सही समाधान प्रदान करता है।
- **डेटा दक्षता:**
  - किसी डेटा के संसाधित होते ही उसके नेटवर्क पर भेजने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि केवल महत्त्वपूर्ण डेटा ही भेजा जाता है।
  - इसलिये एज कंप्यूटिंग नेटवर्क किसी भी नेटवर्क पर भेजे जाने वाले डेटा की मात्रा को कम करता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing)

- क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिये प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न संसाधन जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसे टूल एवं एप्लीकेशन शामिल हैं।
- यह फाइलों को हार्ड ड्राइव या स्थानीय भंडारण डिवाइस में सुरक्षित रखने के बजाय क्लाउड-आधारित भंडारण के दूरस्थ डेटाबेस में सुरक्षित रखना संभव बनाता है।
- यह लोगों और व्यवसायों के लिये लागत में बचत, उत्पादकता में वृद्धि, गति और दक्षता, प्रदर्शन एवं सुरक्षा जैसे कारकों की वजह से एक लोकप्रिय विकल्प है।

जी.वी.-971

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने अल्ज़ाइमर रोग के निदान के लिये जी.वी.-971 (G.V-971) नामक एक घरेलू दवा विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- अल्ज़ाइमर रोग के निदान के लिये विकसित जी.वी.-971 नामक घरेलू दवा को आधिकारिक अनुमोदन के बाद दिसंबर 2019 से चीन के रोगियों के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :

- द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (The chinese Academy Of Sciences), शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरिआ मेडिका (Shanghai Institute of Materia Medica) ने ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल तथा ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना (Ocean University of China) के साथ मिलकर 22 वर्षों के शोध के बाद यह दवा विकसित की है।
- फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अल्ज़ाइमर के निदान के लिये दुनिया भर में विकसित लगभग 320 दवाओं में से जी.वी.-971 अकेली ऐसी दवा है जो नैदानिक परीक्षणों में सफल रही है।
- जी.वी.-971, भूरे शैवाल से निर्मित विश्व की पहली बहु-लक्ष्यीय (Multi-Targeting) और कार्बोहाइड्रेट आधारित ओरल (Oral) दवा है जो प्रारंभिक तथा मध्यम स्तरीय अल्ज़ाइमर रोग के निदान तथा स्मरण क्षमता (Cognition) में सुधार के लिये उपयोगी है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह दवा मस्तिष्क में सूजन कम करके तथा आँत में उपस्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या को संतुलित करके मस्तिष्क में होने वाली संज्ञानात्मक क्षति को कम करती है।

अल्ज़ाइमर:

- अल्ज़ाइमर रोग 'डिमेंशिया' नामक सिंड्रोम का सामान्य रूप है जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर (Disorder) के रूप में मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं।
- इस रोग के कारण रोगी की सोचने, सरल कार्यों को करने की तथा स्मरण क्षमता घट जाती है और इस प्रकार रोगी की निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है।
- 55-60 वर्ष के आयु वर्ग में अल्ज़ाइमर का खतरा अधिक रहता है।
- यह रोग मस्तिष्क में टैंगल्स (Tangles) प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है। जिसे टाइप-3 डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं।
- उम्र बढ़ने के साथ-साथ इस रोग के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, कभी-कभी आनुवंशिक लक्षणों के कारण इस बीमारी के लक्षण कम उम्र में ही देखने को मिल जाते हैं।
- विश्व अल्ज़ाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है।
- इस वर्ष विश्व अल्ज़ाइमर दिवस की थीम 'लेट्स टॉक अबाउट डिमेंसिया' (Let's Talk About Dementia) थी।

भारत में अल्ज़ाइमर की स्थिति:

- भारत में लगभग 4 मिलियन लोग किसी-न-किसी रूप में डिमेंशिया से प्रभावित हैं।
- पूरे विश्व में लगभग 44 मिलियन लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं।

अंतरिक्ष टैक्सी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी 'बोइंग' ने अंतरिक्ष यात्रियों के आवागमन के लिये विकसित किये जा रहे सी.एस.टी.-100 (Crew Space Transportation, C.S.T-100) नामक कैप्सूलनुमा अंतरिक्षयान की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है।

मुख्य बिंदु:

- बोइंग कंपनी ने नासा (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम (Commercial Crew Programme- CCP) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवागमन के लिये C.S.T-100 स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल नामक अंतरिक्षयान की मानवरहित उड़ान का पहला सफल परीक्षण किया है।
- बोइंग कंपनी उन दो कंपनियों में से एक है, जिनके साथ नासा ने अपने वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत निजी अंतरिक्षयान निर्माण के लिये समझौते किये हैं। नासा के इस कार्यक्रम के तहत निजी अंतरिक्षयान का निर्माण करने वाली दूसरी कंपनी एलन मास्क की 'स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजीज़ कोर्पोरेशन' (Space Exploration Technologies Corporation- SpaceX) है।
- बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित इस अंतरिक्षयान द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में सात सदस्यों को कार्गो सहित भेजा जा सकता है।

नोट :

अंतरिक्ष टैक्सी की आवश्यकता:

- नासा रूस के 'सोयुज़ स्पेस शटल' कार्यक्रम पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। वर्ष 2011 में 'यूएस स्पेस शटल' कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद 'सोयुज़' एकमात्र अंतरिक्षयानों की श्रृंखला है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में आवागमन की सुविधा देती है।
- 'सोयुज़' स्पेस शटल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अंतरिक्षयानों को कज़ाखस्तान के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है।
- नासा अपने CCP कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नई पीढ़ी के अंतरिक्षयान बनाने के लिये ऐसी कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष परिवहन सेवाएँ प्रदान कर सकें।
- ऐसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का स्वामित्व और संचालन निजी कंपनियों के पास ही रहेगा जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को आवागमन की सुविधा देने के अलावा अपनी सेवाएँ अन्य ग्राहकों को भी बेच सकेंगे।

नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम :

- नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम 12 अप्रैल, 1981 को प्रारंभ हुआ तथा लगभग 30 वर्षों बाद 21 जुलाई, 2011 को समाप्त हुआ।
- नासा ने इस कार्यक्रम के तहत अपने अंतरिक्षयान कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, एंडेवर और अटलांटिस के माध्यम से लगभग 135 मिशन क्रियान्वित किए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण तथा नई पीढ़ी के अंतरिक्ष मिशनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नासा के अंतिम अंतरिक्ष शटल मिशन का नाम STS-135 था, जिसे 21 जुलाई, 2011 को अटलांटिस अंतरिक्षयान के माध्यम से संचालित किया गया था।
- वर्ष 2003 में नासा का कोलंबिया यान अपने 28वें मिशन के दौरान शटल के पंख में छेद होने के कारण नष्ट हो गया तथा उसमें सवार भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित सभी सात सदस्यों की मौत हो गई।
- विमान की तरह रनवे पर उतरने वाले स्पेस शटल कार्यक्रम के यानों के विपरीत C.S.T.-100 अपने पैराशूट तथा एयरबैग प्रणाली का प्रयोग करके ज़मीन पर उतरता है।
- नासा को उम्मीद है कि इस बोइंग कैप्सूल के माध्यम से वर्ष 2020 तक पहला मानव मिशन पूरा किया जाएगा ।

इंडिया इंटरनेट 2019- IAMAI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India-IAMAI) द्वारा भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या से संबंधित 'इंडिया इंटरनेट 2019' के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु-

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 485 मिलियन है।
- इंटरनेट के कुल उपयोगकर्त्ताओं में 385 मिलियन 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं जबकि 66 मिलियन उपयोगकर्त्ता 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
- राज्य स्तर पर राजधानी दिल्ली सर्वाधिक 69% उपयोगकर्त्ताओं के साथ प्रथम स्थान पर है, वहीं केरल 54% उपयोगकर्त्ताओं के साथ दूसरे स्थान पर है।
  - हाल ही में केरल सरकार ने 1524 करोड़ रुपए की लागत से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना लॉन्च की है।
  - इसके तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश 49% उपयोगकर्त्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित आँकड़े उसके विभाजन के पहले के हैं।
- सबसे कम इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या क्रमश: ओडिशा, झारखंड और बिहार में दर्ज की गई।
- लैंगिक आधार पर कुल उपयोगकर्त्ताओं में 67% पुरुष उपयोगकर्त्ता हैं।

नोट :

- केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक महिला उपयोगकर्त्ता हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, कुल उपयोगकर्त्ताओं का ⅔ भाग इंटरनेट का दैनिक उपयोगकर्त्ता है।
- इंटरनेट उपयोग करने की अवधि के आधार पर जहाँ लगभग 1/3 शहरी उपयोगकर्त्ता 1 घंटा इंटरनेट उपयोग करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये अवधि 15 से 20 मिनट है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India-IAMAI)

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी।
- यह सोसायटी अधिनियम, 1896 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी औद्योगिक निकाय है।

भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस-100

चर्चा में क्यों ?

हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (International Institute of Information Technology-Hyderabad, IIITH) ने पहले भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस का निर्माण किया है।

भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस 100 (Indian Brain Atlas-IBA) 100

- यह मानव मस्तिष्क एटलस कॉकेशियाई (Caucasian) मस्तिष्क के नमूने पर आधारित है एवं इसे IBA100 नाम दिया गया है। अन्य मस्तिष्क एटलसों में चीनी, कोरियाई और कॉकेशियाई मस्तिष्क के नमूने को शामिल किया जाता है।
- इस एटलस के अनुसार-लंबाई, चौड़ाई और आयतन के संदर्भ में भारतीयों के मस्तिष्क का आकार पश्चिमी देशों और पूर्वी (चीन, द. कोरिया) देशों के लोगों के मस्तिष्क की तुलना में छोटा है।
- भारतीयों के मस्तिष्क पर आधारित एटलस को 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 50 भारतीय महिला व पुरुषों के मस्तिष्क का MRI स्कैन करके बनाया गया है।
- इस एटलस को IIITH ने तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के इमेजिंग साइंसेज और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के सहयोग से तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1993 में मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (Montreal Neurological Institute-MNI) एवं इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर ब्रेन मैपिंग (International Consortium for Brain Mapping-ICBM) ने पहला डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस बनाया था। यह मानव मस्तिष्क एटलस भी कॉकेशियाई मस्तिष्क के नमूने पर आधारित है।
- MNI और ICBM द्वारा कई अन्य मस्तिष्क एटलस भी जारी किये गए हैं जो तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन में एक मानक के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

एटलस की उपयोगिता

- इस एटलस का उपयोग अल्जाइमर (Alzheimer), डीमेंशिया (Dementia) तथा पार्किंसंस (Parkinson) जैसी बीमारियों का इनके शुरुआती चरण में ही निदान करने में हो सकेगा।

मेघ बीजन तकनीक

चर्चा में क्यों ?

बीते कई दिनों से दिल्ली-NCR में छाए स्मॉग को हटाने हेतु मेघ बीजन तकनीक (Cloud Seeding) के प्रयोग पर चर्चा की जा रही है।

नोट :

मेघ बीजन क्या है ?

- मेघ बीजन, कृत्रिम वर्षा हेतु मौसम की दशाओं में परिवर्तन करने की एक तकनीक है।
- यह तकनीक केवल तभी कार्य करती है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल एवं नमी मौजूद हो। ज्ञातव्य है कि वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के संघनित होने के कारण वर्षा होती है।
- मेघ बीजन तकनीक में बादलों में कृत्रिम संघनन के केंद्रकों की संख्या को बढ़ाकर वर्षा बूँदों के निर्माण को अभिप्रेरित किया जाता है।
- इन मेघ बीजों के लिये सिल्वर आयोडाइड (AgI), पोटेशियम आयोडाइड (Potassium Iodide -KI), ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और तरल प्रोपेन इत्यादि का छिड़काव वायुयान के माध्यम से किया जाता हैं।
- वातावरण में उपस्थित निलंबित धूल कण,स्मॉग एवं अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ वर्षा की बूँदों के साथ धरातल पर निक्षेपित हो जाते है एवं वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है।

मेघ बीजन के अनुप्रयोग:

- सूखे की स्थिति में कृत्रिम वर्षा करवाने में।
- ओलावृष्टि की तीव्रता को कम करने में।
- कोहरे को समाप्त करने में।

मेघ बीजन का प्रयोग:

- मेघ बीजन का प्रयोग इससे पूर्व महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने हेतु किया जा चुका है। कर्नाटक राज्य में परियोजना का संचालन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और IIT कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- इसी प्रकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन तथा फ्राँस में भी मेघ बीजन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिये किया जा चुका है।
- रूस व अन्य ठंडे देशों में मेघ बीजन का प्रयोग वायुपत्तन पर हवाई ज़हाजों के सुचारू संचालन के लिये कोहरे व धुंध को हटाने में किया जाता है।

मेघ बीजन की सफलता दर:

- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) द्वारा पिछले कई वर्षों से मेघ बीजन का परीक्षण किया जा रहा है।
- ये परीक्षण नागपुर, सोलापुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर और हाल ही में वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में किये गए हैं।
- कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने में इन परीक्षणों की सफलता दर 60-70% होती है तथा यह स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों, वायु में नमी की मात्रा और मेघों की विशेषताओं पर बभी निर्भर करती है।

माइटोकॉन्ड्रियल DNA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोधपत्र में इस बात का दावा किया गया है कि आधुनिक मानव की उत्पति लगभग 200,000 वर्ष पहले उत्तरी बोत्सवाना के आस-पास के क्षेत्र में हुई थी।

अध्ययन के बारे में

- वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अफ्रीका के खोएसान लोगों (KhoeSan peoples) के आनुवंशिक डेटा का अध्ययन किया, जिनके बारे में यह माना जाता है कि उनके पूर्वज हज़ारों वर्षों तक जीवित रहे।
- शोधकर्त्ताओं ने मानव परिवार (Family) की शृंखलाओं के निर्माण के लिये अपने नए डेटा का उपयोग विश्व भर के लोगों के बारे में मौजूदा जानकारी के साथ मिलाकर प्रयोग किया।

नोट :

माइटोकॉन्ड्रियल DNA

- माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र (Chromosome) है।
- कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाऊस कहा जाता है।
- गौरतलब है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA माँ से संतान में स्थानांतरित होता है।
- यह अध्ययन केवल माइटोकॉन्ड्रियल DNA पर केंद्रित था। इस तात्पर्य यह है कि इसमें पिता के DNA से संबंधित अध्ययन को शामिल नहीं किया गया था ।
- नया अध्ययन मानव जीनोम की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं देता है बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA की उत्पत्ति वाले स्थान और समय के बारे जानकारी प्रदान करता है।
- माइटोकॉन्ड्रियल DNA का अध्ययन क्यों किया गया था?
- चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल DNA केवल माताओं से प्राप्त होता है इसलिये इसकी वंशावली का अध्ययन अन्य जीनों की तुलना में बहुत सरल होता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि हमारी प्रत्येक आनुवंशिक सामग्री का एक अलग मूल (Origin) हो सकता है और साथ ही हमारे द्वारा इनकी प्राप्ति का तरीका भिन्न हो सकता है।

राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

13-16 नवंबर, 2019 के मध्य राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन (National Agrochemicals Congress) का आयोजन किया गया।

थीम/विषय

कृषि रसायन के विभिन्न मोर्चों पर देश की स्थिति।

प्रमुख सिफारिशें

- सम्मेलन में कीटनाशकों के संबंध में बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिफारिशें पेश की गईं, जो कि इस प्रकार हैं:
  - कीटनाशकों को इस्तेमाल करते हुए लेबलिंग का प्रयोग,
  - जोखिम आधारित प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों पर प्रतिबंधात्मक रोक लगाना,
  - आयातित तकनीकी कीटनाशकों के आँकड़ों के संरक्षण के संबंध में नीति निर्माण करना,
  - सुरक्षित नैनो-सूत्रीकरण की शुरूआत, प्रशिक्षण और विस्तार के लिये किसानों को अधिकार संपन्न बनाना, आदि।

अन्य प्रमुख बिंदु

- यह पहला राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन था अब इसे हर तीन वर्ष पर आयोजित किया जाएगा।
- सम्मेलन का आयोजन कीटनाशक प्रबंधन में रसायनिक कीटनाशकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है क्योंकि समय-समय पर लक्ष्य आधारित और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद शुरू किये जा रहे हैं। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute- IARI) नई दिल्ली के मुख्यालय में कीटनाशक विज्ञान भारत (Society of Pesticide Science India) द्वारा किया गया था।
- कीटनाशक के उपयोग के लाभ उनके जोखिमों की तुलना में अधिक हैं।
- फसलों, मानव स्वास्थ्य, संसाधन प्रबंधन, नैनो प्रौद्योगिकी, स्मार्ट निरूपण और संबंधित विज्ञानों में नई अवधारणाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ाने की संभावना है।
- इस पृष्ठभूमि के साथ, विभिन्न मोर्चों पर कृषि रसायनों को स्थायी रूप से विकसित करने के लिये शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के लिये वर्तमान स्थिति का परितुलन किया गया है।

नोट :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR)

- भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिये यह परिषद भारत का एक सर्वोच्च निकाय है।

पृष्ठभूमि

- कृषि पर रॉयल कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था जबकि 16 जुलाई, 1929 को इसकी स्थापना की गई।
- पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (Imperial Council of Agricultural Research) था।

स्पेस इंटरनेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की प्रमुख निजी कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने स्पेस इंटरनेट (Space Internet) की सुविधा मुहैया कराने के लिये 60 सैटेलाइटों के एक समूह को निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit-LEO) में स्थापित किया।

मुख्य बिंदु:

- स्पेसएक्स की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का नाम स्टारलिंक नेटवर्क (Starlink Network) है। इसके माध्यम से यह कंपनी वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में स्पेस इंटरनेट की सुविधा देना प्रारंभ कर देगी।
- वर्ष 2021 तक इसका लक्ष्य पूरी पृथ्वी पर कम कीमत में नॉन-स्टॉप स्पेस इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है।
- इस परियोजना के पहले चरण में 12,000 सैटेलाइटों को निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 30,000 सैटेलाइटें भी इसी कक्षा में स्थापित की जाएंगी।

स्पेस इंटरनेट की आवश्यकता

- स्पेस इंटरनेट की मुख्य विशेषता इसकी विश्वसनीयता तथा अबाध रूप से इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता है। इंटरनेट आज विश्व में लोगों की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है तथा लोक सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिये आवश्यक है।
- वर्तमान में विश्व की आधी जनसंख्या (लगभग 4 बिलियन लोग) इंटरनेट की पहुँच से बाहर हैं जिसके प्रमुख कारणों में इंटरनेट प्रदान करने के पारंपरिक तरीके जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल (Fibre Optics Cable) तथा तारहित नेटवर्क (Wireless Network) आदि का प्रयोग किया जाना शामिल हैं।
- दूर दराज के वे इलाके जहाँ भूमि उबड़-खाबड़ हो या टावर तथा केबल (Cable) लगाना संभव न हो, वहाँ इंटरनेट प्रदान करने के ये माध्यम सफल नहीं हैं। स्पेस इंटरनेट इन कमियों को दूर कर सकता है।

स्पेस इंटरनेट के तकनीकी पक्ष

- स्पेस आधारित इंटरनेट का प्रयोग अभी भी होता है लेकिन ये केवल कुछ निजी अंतरिक्ष संस्थाओं या सरकारों के हाथ में है। वर्तमान में कार्यरत इन सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली सैटेलाइटों को भू-स्थैतिक कक्षा (Geo-Stationary Orbit-GEO) में स्थापित किया गया है।
- ये सैटेलाइटें पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 35,786 किमी. की ऊँचाई पर GEO में स्थापित हैं।
- यहाँ उपस्थित सैटेलाइट 11,000 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। इनके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन में लगा समय समान होता है इसलिये पृथ्वी से देखने पर ये स्थिर प्रतीत होती हैं।
- अधिक ऊँचाई पर होने की वजह से GEO में स्थापित एक सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग एक तिहाई हिस्से को सिग्नल संप्रेषित कर सकती है तथा इसी कक्षा में स्थापित 3 या 4 सैटेलाइट मिलकर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को सिग्नल संप्रेषित कर सकती हैं।

नोट :

- GEO में उपस्थित सैटेलाइटों की मुख्य कमी यह है कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होने की वजह से ये डेटा के वास्तविक समय में सम्प्रेषण (Real Time Data Transmission) करने में सक्षम नहीं हैं। डेटा के सम्प्रेषण में हुई इस देरी को टाइम लैग (Time Lag) या लेटेंसी (Latency) कहा जाता है।
- GEO में उपस्थित सैटेलाइटों में लेटेंसी 600 मिली. सेकंड की होती है जबकि LEO में स्थापित सैटेलाइटों में यह घटकर 20-30 मिली. सेकंड तक रह जाती है।
- LEO का विस्तार पृथ्वी की सतह के ऊपर 200 किमी. से 2,000 किमी. तक है। स्पेसएक्स अपनी सभी सैटेलाइटों को इसी कक्षा में 350 किमी. से 1,200 किमी. की ऊँचाई में स्थापित करेगा।
- कम ऊँचाई पर स्थापित होने की वजह से ये सैटेलाइट पृथ्वी के सीमित क्षेत्र तक ही डेटा संप्रेषित कर सकती हैं। अत: पूरी पृथ्वी पर डेटा के संप्रेषण के लिये स्पेसएक्स अधिक संख्या में सैटेलाइट स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- LEO में स्थापित होने के कारण इन सैटेलाइटों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को कम करने के लिये GEO में उपस्थित सैटेलाइटों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से परिक्रमा करनी होगी।

स्पेस इंटरनेट से संभावित हानियाँ

- अंतरिक्ष में सैटेलाइटों की बढ़ती संख्या से अंतरिक्ष में मलबा (Space Debries) बढ़ रहा है, इससे अंतरिक्ष में उपस्थित सैटेलाइटों में टकराव हो सकता है।
- वर्तमान में अंतरिक्ष में लगभग 2000 सैटेलाइट मौजूद हैं तथा वर्ष 1957 में प्रारंभ हुए अंतरिक्ष युग (Space Age) से अभी तक लगभग 9000 सैटेलाइटें भेजी जा चुकी हैं। इनमें से अधिकांश निचली कक्षाओं में मौजूद हैं।
- वैज्ञानिकों तथा खगोलशास्त्रियों का मानना है कि मानव निर्मित सैटेलाइटों के प्रेक्षण से प्रकाश प्रदूषण (रात में मानवजनित गतिविधियों द्वारा आकाश में अत्यधिक प्रकाश) का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

'पेटेंट प्रॉसिक्यूशन हाइवे' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पेटेंट प्रॉसिक्यूशन हाइवे- पीपीएच' (Patent Prosecution Highway- PPH) नामक कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक' (Controller General of Patents, Designs & Trade Marks, India- CGPDTM) के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय (Indian Patent Office- IPO) द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले PPH कार्यक्रम को अपनाए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
- PPH कार्यक्रम तीन वर्षों के प्रायोगिक आधार पर सबसे पहले जापान पेटेंट कार्यालय (Japan Patent Office) तथा भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच प्रारंभ होगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय पेटेंट कार्यालय विद्युत्, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिकी, वस्त्र, मोटरवाहन और धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट के लिये आवेदन प्राप्त करेगा जबकि जापान पेटेंट कार्यालय प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करेगा।

'पेटेंट प्रॉसिक्यूशन हाइवे' कार्यक्रम के लाभ (Benifits of Patent Prosecution Highway programme):

- इस कार्यक्रम की सहायता से पेटेंट आवेदनों के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से लंबित पेटेंट आवेदनों में कमी आएगी।

नोट :

- पेटेंट आवेदनों की जाँच प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के स्टार्टअप्स (Startsups), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यमियों तथा अन्य भारतीय निवेशकों द्वारा जापान में किये गए पेटेंट आवेदनों के निपटान में तेजी आएगी।
- इससे भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों में वृद्धि होगी।

कार्टोसेट-3

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इसरो (ISRO) ने PSLV-C47 रॉकेट की सहायता से कार्टोसेट-3 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊँचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (Sun Synchronous Orbit) में स्थापित किया गया।
- इस उपग्रह का भार 1625 किलोग्राम है जो कि इस वर्ग के पिछले सभी उपग्रहों के भार से दोगुना है।
- कार्टोसेट-3 कार्टोसेट श्रृंखला का नौवां उपग्रह है। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह वर्ष 2005 में प्रक्षेपित किया गया था।
- PSLV-C47 से अलग होने के बाद कार्टोसेट-3 बंगलूरू स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (Telemetry Tracking and Command Network) के नियंत्रण में है।
- इस प्रक्षेपण में कार्टोसेट-3 के अलावा अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैनोसैटेलाइट भी शामिल थे।
- कार्टोसेट-3 के प्रत्येक कैमरे में 25 सेंटीमीटर के ग्राउंड रेज़ोल्यूशन की क्षमता होगी। इसका तात्पर्य है कि यह पृथ्वी पर उपस्थित किसी वस्तु के न्यूनतम हिस्से को भी 500 किलोमीटर की ऊँचाई से स्पष्ट देख सकता है।
- वर्तमान में अमेरिकी कंपनी मैक्सर (Maxar) के उपग्रह वर्ल्डव्यू-3 (WorldView-3) की ग्राउंड रेज़ोल्यूशन क्षमता सर्वाधिक 31 सेंटीमीटर है।
- इस उपग्रह में कई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है जिसमें उच्च क्षमता के घुमावदार कैमरे, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन तथा एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम आदि शामिल हैं।

कार्टोसेट-3 की उपयोगिता:

- यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा, इसलिये इसे शार्पेस्ट आई (Sharpest Eye) कहा जा रहा है।
- इसके अलावा इसे कार्टोग्राफी या अन्य मानचित्रण संबंधी कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जाएगा जिससे यह भौगोलिक संरचनाओं में प्राकृतिक तथा मानवजनित कारणों से होने वाले बदलावों की जानकारी देगा।
- इन उपग्रहों से प्राप्त हाई रेज़ोल्यूशन फोटोग्राफ्स की आवश्यकता विविध अनुप्रयोगों में उपयोगी हैं, जिनमें कार्टोग्राफी, अवसंरचना योजना निर्माण, शहरी एवं ग्रामीण विकास, उपयोगिता प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन इवेंट्री एवं प्रबंधन, आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
- कार्टोसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त डेटा का प्रयोग सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। अत: कार्टोसेट-3 द्वारा प्राप्त डेटा देश के सुदूर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी एवं रक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होगा।

सूर्य के वायुमंडल का तापमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने सूर्य के वायुमंडल का इसकी सतह से अधिक गर्म होने के कारणों का पता लगाया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- खगोल भौतिकी के विषय में अभी तक यह एक पहेली है कि सूर्य का वायुमंडल इसके सतह से अधिक गर्म क्यों है? वैज्ञानिकों ने इसका हल निकालने का दावा किया है तथा इससे संबंधित शोध के तथ्यों को 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित किया है।
- ध्यातव्य है कि सूर्य के केंद्र (Core) का तापमान लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर (Photosphere) कहते हैं, का तापमान मात्र 5,700 डिग्री सेल्सियस है।
- सूर्य के चारों ओर उपस्थित इसका वायुमंडल, जिसे कोरोना (Corona) कहते हैं, का तापमान इसकी सतह से बहुत अधिक है। सूर्य के वायुमंडल का तापमान बढ़कर अधिकतम 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
- सामान्य तौर पर जब हम किसी गर्म पिंड से दूर जाते हैं, तब ऊष्मा का कोई अन्य स्रोत न होने की वजह से तापमान लगातार घटता है।
- किंतु सूर्य के मामले में यह ठीक उल्टा है जहाँ सतह से दूर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है तथा तापमान में यह वृद्धि सतह से लाखों किलोमीटर दूर तक होती रहती है।
- इसका तात्पर्य है कि सूर्य के वायुमंडल में ऊष्मा का कोई अन्य स्रोत भी मौजूद है।

सौर स्पीक्यूल्स

सौर स्पीक्यूल्स (Solar Spicules):

- सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का इसकी सतह से अधिक गर्म होने का मुख्य कारण स्पीक्यूल्स का होना है।
- यह सूर्य की सतह पर गेसर जैसी संरचना वाले जेट हैं जो कि कोरोना तथा फोटोस्फीयर के मिलने से उत्सर्जित होते हैं।
- ये किसी एक समय में सूर्य की सतह पर लाखों की संख्या में हो सकते हैं तथा पाँच से दस मिनट के अंदर समाप्त हो जाते हैं।
- देखने में ये बाल (Hair) जैसी संरचना प्रतीत होते हैं लेकिन इनकी लंबाई 5,000 किलोमीटर तथा व्यास 500 किलोमीटर तक होता है।
- अभी तक यह अनुमान लगाया जाता था कि ये स्पीक्यूल्स एक नलिका की तरह कार्य करते हैं जिसके द्वारा सूर्य के केंद्र से द्रव्यमान तथा उर्जा, फोटोस्फीयर को पार करते हुए कोरोना तक पहुँच जाती है।
- अध्ययन से पता चला कि स्पीक्यूल्स का निर्माण धन तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रानों के मिलने से बने प्लाज़्मा से होता है तथा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इनके तापमान में वृद्धि होती है।
- वैज्ञानिकों की टीम ने इसका अध्ययन करने के लिये अमेरिका स्थित 1.6 मीटर गूड सोलर टेलीस्कोप (1.6 meter Goode Solar Telescope) का प्रयोग किया जो विश्व का सबसे बड़ा सौर टेलीस्कोप है।
- इसके अलावा नासा (NASA) का सोलर डायनामिक ऑब्ज़र्वेटरी एयरक्राफ्ट (Solar Dynamic Observatory Aircraft) का प्रयोग किया गया।

नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019

चर्चा में क्यों?

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (International Centre for Automotive Technology-ICAT) गुरुग्राम के मानेसर में 27 से 29 नवंबर, 2019 तक 'न्यूजेन मोबिलिटी समिट (NuGen Mobility Summit) 2019' का आयोजन कर रहा है।

उद्देश्य

- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना है, ताकि स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिये उन्नत ऑटोमोटिव (मोटर वाहन) प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से विकसित कर अपनाया जा सके।
- इस आयोजन से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को समझने हेतु ऑटोमोटिव उद्योग के सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिये एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में मदद मिलेगी।

नोट :

आयोजक

- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन SAENIS, SAE INDIA, SAE इंटरनेशनल, नैट्रिप (National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project-NATRiP), DIMTS, भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industry), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) और ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India) के सहयोग से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ICAT द्वारा आयोजित किये जाने वाले सम्मेलनों की श्रृंखला में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन 2019 पहला है।
- तीन दिन का यह सम्मेलन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मेलन है।
- सम्मेलन के विषयों में ई-मोबिलिटी, हाइड्रोमोबिलिटी, कनेक्टेड व्हीकल तथा ITS शामिल किये गए हैं।

लाभ

- इससे देश में 125 वर्षों से उपयोग किये जाने वाले IC ईंजन का उचित विकल्प पाने में मदद मिलेगी।
- यह सम्मेलन वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर फोकस है। नुजेन जेनरेशन मोबिलिटी, हरित, सुरक्षित तथा किफायती होगी।

ICAT मानेसर

- ICAT मानेसर, भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत NATRIP इंप्लीमेंटेशन सोसायटी (NATRIP Implementation Society -NATIS) का एक प्रभाग है।
- ICAT वाहनों की सभी श्रेणियों के परीक्षण, सत्यापन, डिज़ाइन और मान्यता के लिये सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह वाहनों के मूल्यांकन और संबंधित घटकों के विकास हेतु अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में ऑटोमोटिव उद्योग की सहायता करने वाला एक मिशन है, जो नई पीढ़ी के गतिशीलता समाधानों हेतु वर्तमान और भविष्य के नियमों में विश्वसनीयता, स्थायित्व और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

इसमें कृषि क्षेत्र को ऑटोमोबिल क्षेत्र से जोड़ने के महत्त्व को दोहराया गया और कहा गया कि यह क्षेत्र जैव डीज़ल, कृषि तथा ऑटो इंडस्ट्री का भाग्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर बदल सकता है। जैव डीज़ल के लिये अखाद्य तेल के उत्पादन से देश के कृषि आधार को समर्थन दिया जा सकता है। सरकार ऑटोमोटिव उद्योग को महत्त्वपूर्ण मानती है और कारगर नीतियों से उद्योग को समर्थन देना चाहती है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

कॉप-25 जलवायु सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चिली ने सेंटियागो में 'संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (United Nations Framework Convention On Climate Change- UNFCCC) द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-25 की मेज़बानी में असमर्थता जताई है।

मुख्य बिंदु:

- चिली ने देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-25 के आयोजन में असमर्थता जताई है।
- UNFCCC ने कहा है कि वह इस सम्मेलन की मेज़बानी के लिये वैकल्पिक स्थान की खोज कर रहा है।
- यदि इस बार COP-25 का आयोजन दिसंबर में नहीं हो पाता है तो 1995 के बाद यह पहली बार होगा जब किसी कैलेंडर वर्ष में UNFCCC के COP सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ।

असमर्थता का कारण:

- इस सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है। इस वर्ष COP-25 के आयोजन की जिम्मेदारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित चिली को सौंपी गई थी।
- चिली में दो सप्ताह पहले हुई उपनगरीय रेल के किराये में वृद्धि को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया है। जिसके माध्यम से अब चिली की जनता अधिक से अधिक समानता, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं तथा संविधान में परिवर्तन की मांग कर रही है।
- चिली प्रारंभ से ही COP-25 की मेज़बानी को लेकर अनिच्छुक था परंतु दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में किसी अन्य देश द्वारा COP-25 की मेज़बानी स्वीकार नहीं किये जाने पर UNFCCC के आग्रह के बाद चिली ने COP-25 की मेज़बानी स्वीकार की थी।
- आमतौर पर किसी भी मेज़बान स्थल का निर्धारण दो वर्ष पूर्व किया जाता है ताकि लगभग 20,000 प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले सम्मेलन के आयोजन के लिये उचित समय मिल सके।
- एक मुख्य कारण यह भी है कि दिसंबर 2018 में पोलैंड के कार्टोविस में आयोजित COP-24 सम्मेलन के अंत तक COP-25 के मेजबान का फैसला नहीं हो पाया था क्योंकि चिली और कोस्टारिका के बीच मेज़बानी को लेकर अनिश्चितता बनी रही।
- चिली ने एक अन्य कारण बताते हुए कहा कि उसने इसी वर्ष नवंबर में 'एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग' (Asia Pacific Economic Cooperation- APEC) के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, अत: वह दिसंबर में एक और अन्य बड़े सम्मेलन के आयोजन के लिये स्वयं को तैयार नहीं कर सकता।

UNFCCC तथा COP सम्मेलन:

- UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था।
- वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तीन कन्वेंशन की घोषणा की गयी थी, उनमें से एक UNFCCC का उद्देश्य जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है।
- यह कन्वेंशन 21 मार्च, 1994 से प्रभाव में आया।
- वर्तमान में 197 देशों ने कन्वेंशन को सत्यापित किया है, यही देश कॉन्फ्रेंस के पार्टीज़ (Parties of the Conference) कहलाते हैं तथा इन्हीं देशों की जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक बैठक को COP सम्मेलन कहते हैं ।

नोट :

- UNFCCC का प्रथम COP सम्मेलन वर्ष 1995 में बर्लिन में हुआ था।
- वर्ष 2015 में पेरिस में संपन्न हुए COP-21 में पेरिस समझौते के रूप में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने जन्म लिया जिसके प्रावधान अगले वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू हो जाएंगे।

अन्य तथ्य:

- वर्ष 2017 में फिजी ने भी इतने बड़े सम्मेलन के लिये संसाधनों की कमी बताते हुए इसके आयोजन से इनकार कर दिया था तथा उस वर्ष यह सम्मेलन जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया था।
- अमीर देश आमतौर तौर पर इस सम्मेलन की मेज़बानी से कतराते रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के कई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया ने इस सम्मेलन की मेज़बानी कभी नहीं की है।
- यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2020 में पहली बार ग्लासगो में COP-26 की मेज़बानी करेगा।
- COP-सम्मेलन की मेज़बानी पोलैंड चार बार तथा मोरक्को दो बार कर चुका है।

BASIC देशों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बेसिक (BASIC) देशों (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन बीजिंग (चीन) में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के बाद पेरिस समझौते (वर्ष 2015) के व्यापक कार्यान्वयन के लिये एक बयान जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पेरिस समझौते पर प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही मंत्रियों के समूह ने विकसित देशों से विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर, जलवायु वित्त (Climate Finance) के रूप में प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का भी आह्वान किया।
  - कोपेनहेगन समझौते- Copenhagen Accord {संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-15) 2009 के दौरान स्थापित} के तहत विकसित देशों ने वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर देने का वादा किया था।
  - इस फंड को हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund- GCF) के रूप में जाना जाता है।
  - GCF का उद्देश्य विकासशील और अल्प विकसित देशों (Least Developing Countries) को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से समाधान में सहायता करना है।
  - हालाँकि वर्तमान में विकसित देशों द्वारा केवल 10-20 बिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जा रही है ।
- बैठक का आयोजन समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: CBDR-RC) के सिद्धांतों के आधार पर किया गया।
  - CBDR-RC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के तहत एक सिद्धांत है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का आह्वान करता है।
- बैठक में UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल (वर्ष 1997-2012) और पेरिस समझौते के पूर्ण, प्रभावी एवं निरंतर कार्यान्वयन के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण [Environment Pollution (prevention & Control) Authority-EPCA] ने दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (Graded Action Response Plan) के तहत वायु प्रदूषण की आपातकालीन श्रेणी के दौरान ट्रकों के आवागमन पर प्रतिबंध के स्थान पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- EPCA द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित 13 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली (Radio Frequency Identification-RFID, System) आधारित टोल बूथों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
- टोल बूथों पर RFID प्रणाली प्रारंभ होने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू होने से पहले दिल्ली में लगभग 8000 ट्रक प्रतिदिन प्रवेश करते थे, इस प्रणाली के लागू होने के बाद इनकी संख्या 3664 प्रतिदिन हो गई है।
- टोल बूथों पर कैश लेन अथवा फ्री लेन का उपयोग कर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से बचने वाले ट्रकों की संख्या 33% से घटकर 18% हो गई है।
- EPCA के अनुसार, ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने से दिल्ली बॉर्डर पर स्थित टोल बूथों पर ट्रकों की संख्या बढ़ने के कारण जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अत: पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ट्रकों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा ट्रकों की संख्या कम करने का अच्छा माध्यम है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली (Radio Frequency Identification -RFID, System):

- RFID प्रणाली के अंतर्गत किसी वस्तु या वाहन से जुड़े टैग पर संग्रहीत जानकारी को पढ़ने और समझने के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- इस तकनीक के माध्यम से किसी टैग को कई फीट की दूरी से पढ़ा जा सकता है और इसे पढ़ने के लिये स्कैनर या रीडर का एक सीधी रेखा में होना आवश्यक नहीं है।
- RFID प्रणाली की सहायता से टोल बूथों पर बिना रुके डिजिटल रूप से भुगतान किया जाता है।
- जैसे ही कोई वाहन टोल बूथ को पार करता है वैसे ही सेंसर RFID प्रणाली के माध्यम से टैग की पहचान कर लेता है तथा टोल राशि स्वचालित रूप से काट ली जाती है।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण [Environment Pollution (Prevention & Control) Authority-EPCA]:

- EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये उपाय सुझाने का कार्य करती है।
- इसकी अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 1998 में जारी की गई थी।
- यह संस्था प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) लागू करने का भी कार्य करती है।

ग्लाइफोसेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्मनी की फार्मा कंपनी बायेर (Bayer) के एक खरपतवारनाशी उत्पाद के खिलाफ अमेरिका में हजारों लोगों ने मुक़दमा दायर किया है तथा तर्क दिया जा रहा है कि यह उत्पाद कैंसर का कारक है।

वर्तमान संदर्भ :

- कृषि तथा बागवानी कार्यों के लिये अमेरिका में बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किये गए एक शोध से यह पता चला है कि ग्लाइफोसेट संभवत: मानव में कैंसर का कारक (Carcinogenic) है जिसकी वजह से वहाँ ग्लाइफोसेट आधारित उत्पादों का विरोध किया जा रहा है।
- ग्लाइफोसेट के वास्तविक प्रभावों के संबंध में अभी भी निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, साथ ही WHO ने इसे कैंसर के कारक के रूप में संभावित तौर पर ही माना है। इस वजह से जहाँ फ्राँस, इटली तथा वियतनाम ने खरपतवारनाशी में इसके प्रयोग पर पाबंदी लगाई है वहीं अमेरिका, चीन, ब्राज़ील तथा कनाडा इसका समर्थन करते हैं।

नोट :

- भारत में इसका प्रयोग पिछले दो दशकों में काफी बढ़ा है। पहले इसका प्रयोग सिर्फ असम तथा बंगाल के चाय बागानों में किया जाता था लेकिन अब इसका सर्वाधिक प्रयोग महाराष्ट्र में गन्ना, मक्का तथा फलों जैसे-अंगूर, केला, आम व संतरे को उगाने में किया जाता है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) के अनुसार, भारत में ग्लाइफोसेट का प्रयोग विशेषकर राउंडअप, ग्लाईसेल तथा ब्रेक नामक खरपतवारनाशी दवाओं में होता है।
- ग्लाइफोसेट क्या है ?
- ग्लाइफोसेट एक खरपतवारनाशी है तथा इसका IUPAC नाम N-(phosphonomethyl) Glycine है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था। फसलों तथा बागानों में उगने वाले अवांछित घास-फूस को नष्ट करने के लिये इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है।
- यह एक प्रकार का गैर-चयनात्मक (Non-Selective) खरपतवारनाशी (Herbicide) है जो कई पौधों को नष्ट कर देता है। यह पौधों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण को रोक देता है जोकि पौधों के विकास के लिए सहायक होते हैं।
- ग्लाइफोसेट मिट्टी को कसकर बांधे रखता है, इस वजह से यह भूजल में भी नहीं मिलता। यह विशेष परिस्थितियों में 6 महीने तक मिट्टी में बना रह सकता है तथा मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा इसका अपघटन होता है।
- हालाँकि शुद्ध ग्लाइफोसेट जलीय या अन्य वन्यजीवों के लिये हानिकारक नहीं है, लेकिन ग्लाइफोसेट युक्त उत्पाद, उनमें मौजूद अन्य अवयवों के कारण विषाक्त हो सकते हैं। ग्लाइफोसेट अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है क्योंकि पौधों के नष्ट होने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इंसानों के ग्लाइफोसेट के बाहरी संपर्क में आने से उनकी त्वचा या आँखों में जलन हो सकती है। इसको निगलने से मुँह तथा गले में जलन, उल्टी, डायरिया आदि लक्षण हो सकते हैं।

IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) रसायन विज्ञान से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है जो आवर्त सारणी में उपस्थित रासायनिक तत्त्वों को नाम प्रदान करने, उनके द्रव्यमान संख्या आदि को निर्धारित करने के लिये एक मानक तय करता हैं।

कीटों के प्रतिरक्षा स्तर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

बेंगलूरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र (National Centre for Biological Sciences, Bengaluru) के अनुसंधानकर्त्ताओं ने पौधे की वाष्पशीलता (Plant volatiles) का कृमियों के प्रतिरक्षा स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अनुसंधान में वनस्पति, परजीवी एवं परभक्षी कीट के मध्य संबंधों का अध्ययन किया गया।
- इस अनुसंधान को कपास के पौधे पर किया गया जिसमे इस पौधे की वाष्पशीलता का स्पोडोप्टेरा लिटूरा (Spodoptera Litura) नामक कृमियों के प्रतिरक्षा स्तर पर प्रभाव एवं परभक्षी कीट/बर्र यानी ब्रोकेन ब्रेविकोर्निस (Bracon brevicornis) के मध्य संबंधों को पता लगाया गया है।
- जब कृमी कपास के पौधे की पत्तियों को खाता है तो पत्तियां सुगंधित और वाष्पशील वाष्प को वातावरण में विमोचित करती हैं यह सुगंधित वाष्प परभक्षी कीटों एवं बर्र/ततैया आदि को आकर्षित करती है।
- ये परभक्षी कीट, स्पोडोप्टेरा लिटूरा की त्वचा पर अंडे देते हैं तथा इन अंडो से निकला लार्वा इस कृमी के शरीर का ही भक्षण करता है जो इसकी मृत्यु का कारण बनता है।
- इस कृमी की त्वचा पर अंडे देने के लिये पहले परभक्षी कीट डंक से जहरीले पदार्थ को कृमी स्पोडोप्टेरा लिटूरा के शरीर में पहुँचा कर उसे गतिहीन कर देता है एवं तत्पश्चात इसके शरीर पर अंडे देता है।
- इस प्रयोग में बीटा-ओसीमीन और लिनालूल जैसे छह पादप वाष्पशील का उपयोग किया गया और प्रत्येक का कपास की पत्ती के कृमी की प्रतिरक्षा प्रणाली पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा।

नोट :

- पादप वाष्पशील पदार्थ बीटा-ओसीमीन (Beta-Ocimene) को पत्तियों पर छिडकने पर कृमि के प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होता है जिससे परभक्षी कीट के डंक से कृमि गतिहीन नहीं होता है। इस स्थिति में कृमि के गतिशील होने के कारण परभक्षी इसके शरीर पर अंडे नही दे पाते हैं।
- पादप वाष्पशील पदार्थ लिनालूल (Linalool) को पत्तियों पर छिडकने के कारण कृमियों में बैक्टीरिया व रोगजनकों के विरुद्ध बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होता है।
- बीटा-ओसीमीन आधारित प्रतिरक्षा परिवर्तन कृमियों/शाकभक्षियों की परजीवियों के प्रति प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करता है
- कृमियों/शाकभक्षियोंक के प्रतिरक्षा में सुधार परभक्षी कीट के लार्वा को नियंत्रित करने के स्थान पर इनके प्युवा (Pupal) के आकार में कमी व इनकी व्यस्क परभक्षी कीटों के जीवनकाल में कमी के कारण होता है।

पौधे के वाष्पशील पदार्थ (Plant volatiles)

- पौधे विभिन्न रक्षात्मक तंत्रों के माध्यम से परजीवी कृमियों के प्रति प्रतिरक्षा करते हैं।
- ये पदार्थ पौधों द्वारा इनके ऊतकों की क्षति होने पर विमोचित किये जाते हैं।

बीटा-ओसीमीन

- यह एक कार्बनिक यौगिक है इसका रसायनिक सूत्र $C_{10}H_{16}$ है।
- यह पौधों पत्तों और फूलों से विमोचित होने वाला वाष्पशील पदार्थ है।
- इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों फ्लेवर व सौन्दर्य प्रसाधनों में सुंगंध के लिए किया जाता है।

लिनालूल

- यह एक कार्बनिक यौगिक है इसका रसायनिक सूत्र $C_{10}H_{18}O$ है।
- पौधों के मेटाबोलाइट, वाष्पशील तेल घटक, रोगाणुरोधी एजेंट और सुगंध के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- इसका उपयोग इत्र, साबुन, और खाद्य सामग्री में किया जाता है।

बढ़ता हुआ समुद्र जल स्तर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'क्लाइमेट सेंट्रल' (Climate Central) नामक संगठन द्वारा किये गए एक शोध के अनुसार, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र जल स्तर से भविष्य में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 36 मिलियन व्यक्तियों के प्रभावित होने की आशंका है।

मुख्य बिंदु:

- इस नए शोध के अनुसार, भारत में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जो कि पहले के अनुमानों से लगभग सात गुना अधिक हैं, बढ़ते हुए समुद्र स्तर के कारण खतरे की चपेट में हैं।
- इस शोध के अनुसार, भारत में लगभग 36 मिलियन लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये तटीय क्षेत्र वर्ष 2050 तक वार्षिक बाढ़ तट रेखा से नीचे आ जाएंगे, इससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम, बुनियादी ढाँचे तथा आजीविका के नुकसान सहित स्थायी विस्थापन जैसी समस्याएँ सामने आ सकती हैं।

शोध की प्रक्रिया:

- 'क्लाइमेट सेंट्रल' के वैज्ञानिकों के अनुसार, उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पहले की तुलना में अधिक सटीकता के साथ समुद्र स्तर से भूमि तल की ऊँचाई (भूमि उत्थान स्तर) मापता है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा विश्व के अन्य भागों में पहले किये गए भूमि उत्थान मापन में काफी त्रुटियाँ थीं।
- इनमें से अधिकांश भूमि उत्थान के आँकड़े नासा (NASA) के शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (Shuttle Radar Topography Mission- SRTM) के तहत उपग्रह द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

नोट :

- वैज्ञानिकों का कहना है कि उपग्रह से प्राप्त भूमि उत्थान के आँकड़ों में पृथ्वी पर स्थित पेड़ों और इमारतों के शीर्ष को भी भूमि तल के विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार SRTM द्वारा अमेरिका के तटीय शहरों में किये गए भूमि उत्थान मापन में भूमि उत्थान स्तर को औसतन 15.5 फीट अधिक मापा गया।
- क्लाइमेट सेंट्रल के वैज्ञानिकों द्वारा इस कमी को दूर करने के लिये विकसित उपकरण का नाम 'कोस्टलडैम' (CoastalDEM-Coastal Digital Elevation Model) है। यह उपकरण 51 मिलियन आँकड़ों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग प्रक्रिया का प्रयोग करता है।
- इस उपकरण के माध्यम से भूमि उत्थान मापन प्रक्रिया में केवल 2.5 इंच से कम की त्रुटि आती है।
- इस शोध के अनुसार, 300 मिलियन व्यक्ति में से 80 मिलियन व्यक्ति जिन्हें पहले के अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था, तटीय क्षेत्रों में वार्षिक बाढ़ तट रेखा से नीचे रहते हैं।
- इस सदी के अंत तक तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 200 मिलियन व्यक्तियों के घर स्थायी रूप से उच्च ज्वार रेखा से नीचे होंगे।
- वार्षिक बाढ़ तटीय रेखा से नीचे रहने वाले 300 मिलियन व्यक्तियों में से 80% चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड में रहते हैं, इनमें से 43 मिलियन व्यक्ति केवल चीन में रहते हैं।

भारत के सुभेद्य क्षेत्र:

- इस नए उपकरण की सहायता से यह पता चला है कि भारत में पश्चिमी तट रेखा पर स्थित भुज, जामनगर, सूरत, पोरबंदर, भरूच और मुंबई बढ़ते हुए समुद्र जल स्तर के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- पूर्वी तटीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संपूर्ण तटीय सीमा तथा कलकत्ता भी विशेष रूप से संवेदनशील स्थिति में है।
- नए मापन के अनुसार, काकीनाडा के आस-पास के क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी राज्यों को खतरे से बाहर बताया गया है।
- इस शोध के अनुसार, भारत में वर्ष 2050 तक वार्षिक बाढ़ तटीय रेखा की ऊँचाई में वृद्धि होगी जिससे भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 36 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।

शटल रडार टोपोग्राफी मिशन: (Shuttle Radar Topography Mission- SRTM)

- SRTM को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 11 फरवरी, 2000 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था।
- SRTM द्वारा पृथ्वी की लगभग 80% भूमि के स्थलाकृतिक आँकड़े एकत्रित किये गए हैं।
- SRTM ने पहली बार भूमि उत्थान स्तर के बारे में वैश्विक आँकड़े एकत्रित किये थे।

तीव्र श्वसन संक्रमण (ARI)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट-2019 में फेफड़े के संक्रमण संबंधी बीमारियों के बढ़ते प्रभावों पर चिंता जाहिर की गई है।

मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में केवल तीव्र श्वसन संक्रमण (Acute Respiratory Infection-ARI), कुल संक्रामक बीमारियों का लगभग 69 प्रतिशत था तथा ARI से संक्रमित 27 प्रतिशत लोग मौत के शिकार हुए।
- ARI के सर्वाधिक मामले आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में दर्ज किये गए।
- WHO के अनुसार, ARI एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख मौतें होती हैं।

ARI क्या है ?

- ARI एक गंभीर संक्रमण है जो सामान्य श्वास क्रिया को रोक देता है। यह आमतौर पर नाक, श्वासनली (Trachea) या फेफड़ों में वायरल संक्रमण के रूप में शुरू होता है तथा एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है।

नोट :

वायु प्रदूषण: ARI का प्रमुख कारक

- हवा में बढ़ता प्रदूषण गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के लिये नुकसानदायक होता है। भ्रूण को ऑक्सीजन की प्राप्ति माँ से होती है, यदि माँ प्रदूषित हवा में साँस लेती है तो यह भ्रूण के स्वास्थ्य को खतरा पहुँचा सकता है।
- भ्रूण में जन्म से पहले प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण समय से पूर्व प्रसव, जन्म के समय कम वज़न तथा बच्चे के विकास में बाधा पहुँचती है।
- छोटी उम्र के बच्चों में यह समस्या अधिक होती है क्योंकि अधिकांश बच्चे मुँह से साँस लेते हैं जिसकी वजह से नाक की नली द्वारा होने वाला निस्पंदन (Filteration) नहीं हो पाता है तथा हवा में मौजूद प्रदूषक फेफड़ों में गहराई तक समाहित हो जाते हैं।
- भारतीयों में यह समस्या बढ़ाने में वायु प्रदूषण दोहरी भूमिका निभाता है। प्रदूषित हवा में साँस लेने से वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण व अन्य प्रदूषक फेफड़े व श्वासनलियों को छिद्रित तथा संक्रमित करते हैं। यह कई बीमारियों को जन्म देता है। जैसे- वायुस्फिती (Emphysema), अस्थमा, श्वासनली का संक्रमण, हृदय रोग, खाँसी, गले में जलन या साँस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

पेरिस समझौते से अमेरिका का अलगाव

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए स्वयं को पेरिस समझौते से अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अमेरिका इस समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश होगा। इससे पहले सीरिया तथा निकारागुआ ही इस समझौते से बाहर थे लेकिन वर्ष 2017 में उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिये।

पेरिस समझौता क्या है ?

- 4 नवंबर, 2016 को संपन्न पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है जिसने दुनिया के 200 देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये एकजुट किया।
- इस संधि द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-Industrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही तापमान वृद्धि को और आगे चलकर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रत्येक देश को अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था।
- वर्ष 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) की स्थापना के बाद जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- इस संधि द्वारा विकसित तथा अमीर देशों को निर्देशित किया गया था कि वे जलवायु परिवर्तन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विकासशील देशों को आर्थिक तथा तकनीकी मदद प्रदान करें।

पेरिस समझौते से अलग होने की प्रक्रिया

- पेरिस समझौते का अनुच्छेद-28, किसी भी हस्ताक्षरकर्त्ता देश के इससे अलग होने के प्रावधानों का वर्णन करता है।
- इसके अनुसार, कोई भी हस्ताक्षरकर्त्ता देश पेरिस समझौते के गठन के तीन वर्ष बाद (4 नवंबर 2016) ही इससे अलग होने के लिये सूचना दे सकता है। इसके अलावा सूचित करने के एक वर्ष बाद ही उक्त देश को इस समझौते से अलग माना जाएगा। इस प्रकार अमेरिका इस समझौते से वर्ष 2020 में औपचारिक रूप से अलग होगा।

अमेरिका के इससे अलग होने की वजह:

- वर्ष 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते को अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया था तथा अपने चुनावी वादों में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि यदि वे बतौर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अमेरिका को इस समझौते से अलग करना उनकी प्राथमिकता होगी।
- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जून 2017 में उन्होंने अमेरिका के इस समझौते से अलग होने की यह घोषणा की लेकिन तब तक पेरिस समझौते को तीन वर्ष पूरे नहीं हुए थे।

नोट :

अमेरिका का अलग होना: पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर प्रभाव

- चीन (27%) के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (15%) विश्व में ग्रीनहाउस गैसों दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यदि इसके द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं की जाती है तो समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार अमेरिका को अपने 2005 के स्तर से 2025 तक अपने उत्सर्जन को घटाकर 26-28 प्रतिशत तक कम करना था।
- अमेरिका का इससे अलग होने का सबसे बड़ा प्रभाव जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों पर पड़ेगा। समझौते के अंतर्गत हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) में अमेरिका की सर्वाधिक भागीदारी थी। अत: इसकी अनुपस्थिति में समझौते के लक्ष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- समझौते के अनुसार सभी विकसित देशों का यह कर्त्तव्य होगा कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये वे हरित जलवायु कोष में वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दें। अमेरिका का इससे अलग होने से अन्य देशों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा।
- अमेरिका के इस समझौते से अलग होने का यह अर्थ नहीं है कि वह अपने इन लक्ष्यों का परित्याग कर देगा लेकिन ऐसा करने से वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बाध्य नहीं होगा। इसके साथ ही अमेरिका पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने के लिये स्वतंत्र होगा।
- हालाँकि अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हो जाएगा लेकिन पेरिस समझौते की मातृसंस्था UNFCCC का हस्ताक्षरकर्त्ता होने की वजह से वह इस संगठन के अन्य प्रक्रियाओं तथा बैठकों में शामिल रहेगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)

- यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन की समस्या को संज्ञान में लिया गया था। इसका प्रस्ताव वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मलेन (Rio Earth Summit) में रखा गया था तथा वर्ष 1994 में यह प्रभावी रूप से लागू हुआ।
- इसका प्रमुख उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को संतुलित करना तथा मानवजनित कारकों का वातावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकना है।
- इसका सचिवालय बॉन, जर्मनी में है।

आर्थिक मंदी और कार्बन उत्सर्जन

संदर्भ:

कार्बन ब्रीफ के अध्ययन के अनुसार, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन स्तर वर्ष 2001 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में सिल्वर लाइनिंग (वर्तमान में मंदी लेकिन आगे वृद्धि की उम्मीद) की स्थिति से गुज़र रही है।
- बिजली, कोयला, तेल, गैस और विदेशी व्यापार इत्यादि से संबंधित मंत्रालयों के आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया कि इस वर्ष भारत की कार्बन उत्सर्जन दर में पिछले वर्षों की तुलना में केवल 2% की वृद्धि देखी गई है।
- वर्ष 2019 के ये आँकड़े अगस्त महीने तक के ही हैं लेकिन कोयले की मांग में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान को देखते हुए इन आँकड़ों में परिवर्तन की संभावना कम है।

कार्बन उत्सर्जन में गिरावट के कारण:

- वर्ष 2017 में निर्माण क्षेत्र मंदी की वज़ह से औद्योगिक कोयला की मांग में गिरावट आई है, हालाँकि इस क्षेत्र में वर्ष 2018 में सीमित उछाल देखा गया।

नोट :

- कोयले की कम मांग होने के कारण कोयला खदानों में कम खनन हुआ तथा इसके आयात में भी 14% की गिरावट आई।
- वर्ष 2019 के पहले छह महीनों में पवन ऊर्जा उत्पादन में एक वर्ष पहले इसी अवधि की तुलना में 17%, सौर ऊर्जा में 30% और जल विद्युत ऊर्जा में 22% की वृद्धि हुई।

प्रभाव:

- इन आँकड़ों के आधार पर भविष्य में वायु प्रदूषण में कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है।

महत्त्व:

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) पर अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक कम करने का वादा किया है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है।
- कार्बन ब्रीफ (Carbon Brief)
- यह यूनाइटेड किंगडम से संचालित की जाने वाली एक वेबसाइट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और इससे संबंधित अन्य आँकड़ों के रुझानों को ट्रैक करती है।
- इसके अतिरिक्त यह जलवायु विज्ञान, जलवायु नीति और ऊर्जा नीतियों से संबंधित मुद्दों को कवर करती है।
- यह वेबसाइट जलवायु परिवर्तन की समझ को बेहतर बनाने के लिये आँकड़ों, लेख और ग्राफिक्स का प्रयोग करती है।
- वर्ष 2019 में कार्बन ब्रीफ ने 1.5C, 2C और उससे आगे के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर इंटरएक्टिव फीचर (Interactive Feature) के लिये एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश साइंस राइटर्स (Association of British Science Writers) का "इनोवेशन ऑफ द ईयर" (Innovation of the year) पुरस्कार जीता है।

इंडएयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सीएसआईआर- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR- National Environment Engineering Research Institute- NEERI) ने वायु गुणवत्ता पर शोध संकलन के लिये देश की पहली संवादात्मक ऑनलाइन रिपोज़िटरी 'इंडएयर' (IndAIR- Indian Air Quality Studies Interactive Repository) की स्थापना की है।

मुख्य बिंदु:

- NEERI के अनुसार, 'इंडएयर' की स्थापना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता अनुसंधान की जानकारी को सभी के लिये उपलब्ध कराना है।
- 'इंडएयर' ने देश में पूर्व में हुए वायु प्रदूषण से जुड़े अनुसंधानों तथा क़ानूनी प्रक्रियाओं के इतिहास को सामान्य जन तक पहुँचाने के लिये लगभग 1,215 शोध-पत्र, 170 रिपोर्ट और केस स्टडी, लगभग 100 से अधिक मामले तथा 2000 कानूनों तथा इंटरनेट पूर्व समय के लगभग 700 दस्तावेज़ों को संग्रहीत किया है।
- 'इंडएयर' वर्ष 1905 तक के सभी प्रमुख कानूनों को संग्रहीत करता है।
- 'इंडएयर' भारत में वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अविष्कारमूलक अनुसंधान एवं विश्लेषण तथा इसके नुकसान एवं प्रभावों के बारे में सबको जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा इसकी सहायता से वायु प्रदूषण के संबंध में किये जा रहे अध्ययनों तक शोधकर्त्ताओं, मीडिया तथा शिक्षाविदों की ऑनलाइन पहुँच सुनिश्चित करेगा।

'इंडएयर' के संबंध में अन्य तथ्य:

- 'इंडएयर' देश के विभिन्न संस्थानों से संग्रहीत सामग्री को एकत्रित करता है तथा इंटरनेट डोमेन पर अनुपस्थित शोधों की जानकारी को संग्रहीत करता है।

नोट :

- 'इंडएयर' के अन्य कार्यों में वेबसाइट का निर्माण तथा इतिहास में किये गए कार्य और वर्तमान कार्यक्रमों की तार्किक समझ के लिये भारतीय पर्यावरण विशषज्ञों से साक्षात्कार करना है।
- NEERI ने इस नवाचारी पहल का प्रारंभ सीएसआईआर- राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऊर्जा संसाधन संस्थान, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाओं के सहयोग से किया है।
- NEERI के अनुसार, पहले के समय में उचित उपकरण न होने के कारण वायु की गुणवत्ता मापना मुश्किल कार्य था, पर वर्तमान में ऐसे उपकरण विद्यमान हैं जिनकी सहायता से हम सटीकता के साथ वायु की गुणवत्ता के बारे में जान सकते हैं।
- 'इंडएयर' द्वारा दिल्ली में दीपावली के बाद अचानक बढ़ें वायु प्रदूषण जैसी गंभीर परिस्थितियों के समाधान में सहायता मिलेगी।
- सीएसआईआर- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
- (CSIR-National Environment Engineering Research Institute- NEERI)
- NEERI वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्तपोषित संस्थान है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है।
- NEERI वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific & Industrial Research- CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है।
- इसकी पाँच क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ क्रमश: चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई में स्थित हैं।

RO सिस्टम के संबंध में NGT का निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को RO (Reverse Osmosis) सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिये अल्टिमेटम जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- NGT ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी खारा नहीं है, RO सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
- निर्देश के अनुसार जिन जगहों पर पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स (Total Dessolved Solids- TDS) की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहाँ RO सिस्टम के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाए।
- सरकार की प्रस्तावित नीति में इसका प्रावधान होना चाहिये कि RO सिस्टम में व्यर्थ होने वाले पानी के 60% से अधिक का पुन: प्रयोग किया जा सके।
- NGT के अनुसार अगर टीडीएस का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो आरओ सिस्टम उपयोगी नहीं होगा, बल्कि पानी में मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों की हानि के साथ पानी की बर्बादी भी होगी।

आरओ (Reverse Osmosis)

रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) एक जल उपचार प्रक्रिया है जो पानी से दूषित पदार्थों को दबाव (Pressure) का उपयोग करके अर्धचालक झिल्ली (Semipermeable Membrane) के माध्यम से बाहर निकालती है।

WHO का पेयजल संबंधी मानक

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे के टीडीएस स्तर वाले जल को उत्कृष्ट, 900 मिलीग्राम प्रति लीटर टीडीएस स्तर वाले जल को खराब और 1200 मिलीग्राम से ऊपर के टीडीएस स्तर वाले जल को अस्वीकार्य माना गया है।

नोट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

- यह भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नियोजन, संवर्द्धन, समन्वय और निगरानी हेतु केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढाँचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है।
- इस मंत्रालय का मुख्य दायित्व देश की झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पशु कल्याण,आदि से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है।
- इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मंत्रालय सतत् विकास एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का पालन करता है।
- यह मंत्रालय देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP), अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (ICIMOD) तथा पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के लिये भी नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है।
- इस मंत्रालय को बहुपक्षीय निकायों और क्षेत्रीय निकायों के पर्यावरण से संबंधित मामले भी सौंपे गए हैं।
- मंत्रालय के व्यापक उद्देश्यों के अंतर्गत वनस्पतियों, जीवों, जंगलों एवं वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, पर्यावरण का संरक्षण व पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना शामिल है।

ज़ीरो कार्बन बिल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यूज़ीलैंड ने वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णत: समाप्त करने के उद्देश्य हेतु एक "ज़ीरो कार्बन" बिल पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- नए कानून में निर्धारित किया गया है कि आने वाले वर्षों में न्यूज़ीलैंड मीथेन को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा।
- ध्यातव्य है कि न्यूज़ीलैंड ने पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करते हुए यह कदम उठाया है।
- इस विधेयक में जानवरों द्वारा मीथेन उत्सर्जन तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों के लिये अलग-अलग नियम निर्धारित किये गए हैं।
  - हालाँकि अभी भी वर्ष 2030 तक मीथेन को 10 प्रतिशत और वर्ष 2050 तक 47 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के तहत सरकार को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सलाह देने तथा 'कार्बन बजट' के निर्धारण हेतु एक स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन आयोग की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा न्यूज़ीलैंड की सरकार ने यह भी वादा किया है कि वह अगले 10 वर्षों में 1 बिलियन पेड़ लगाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2035 तक बिजली ग्रिड पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चले।

राष्ट्रीय राजमार्ग-766

चर्चा में क्यों ?

केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग-766 (NH-766) पर यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए 8 नवंबर, 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले NH-766 के वन क्षेत्र में रात्रि के समय यात्रा पर वर्ष 2009 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- वर्ष 1989 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया और NH-212 नाम दिया गया जिसे बाद में बदलकर NH-766 कर दिया गया।
- यह वायनाड के लोगों के लिये एक जीवित मार्ग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इस स्थान पर रेल और पानी की कनेक्टिविटी का अभाव है।

नोट :

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान

- यह परस्पर जंगलों का हिस्सा है जिसमें मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य (तमिलनाडु), वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल) और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक) शामिल हैं।
- पेंच टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) के बाद भारत में इस स्थान पर बाघों की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है।

मैंग्रोव वनों का घटता क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तीव्र चक्रवात 'बुलबुल' से बचाव में मैंग्रोव वनों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई किंतु मैंग्रोव वनों का घटता क्षेत्रफल जैव पारिस्थितिकी के लिये एक चिंता का विषय है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय सुंदरबन क्षेत्र में पड़ने वाले सागर द्वीप (Sagar Island) से बुलबुल चक्रवात (Bulbul Cyclone) के तेजी से टकराने से वहाँ के मछुआरों तथा उनकी नावों को काफी नुकसान हुआ।
- परंतु इसी बीच कलश द्वीप (Kalash Island) पर फँसे कुछ पर्यटक इसलिये सुरक्षित बचे क्योंकि उन्होंने वहाँ स्थित मैंग्रोव क्षेत्र में शरण ली।
- पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, 110 से 135 किलोमीटर/घंटा की रफ़्तार से चलने वाली चक्रवाती हवाओं से सुंदरबन को बचाने में मैंग्रोव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी अनुपस्थिति में यह चक्रवात खतरनाक साबित हो सकता था।
- 'जादवपुर विश्वविद्यालय' द्वारा किये गए एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 10,000 वर्ग किमी. मैंग्रोव क्षेत्र, जो लाखों लोगों के भोजन, पानी और वन उत्पादों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, के लिये जलवायु परिवर्तन एक उभरता हुआ खतरा उत्पन्न कर रहा है।
- आम तौर पर नदियों द्वारा लाई गई तलछट, यहाँ अवस्थित द्वीपों के क्षेत्रफल में वृद्धि करती थी, अब यह तलछट नदियों पर बनाए जा रहे बांधों द्वारा रोक ली जाती है। फलस्वरूप द्वीपों के क्षेत्रफल में कमी के साथ ही मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में भी कमी देखी जा रही है।

मैंग्रोव क्या है ?

- ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहानों पर स्थित ज्वारीय, दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। मुख्यत: खारे पानी में इनका विकास होता है।
- इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पतियों के लिये भी किया जाता है, जिसमें ऐसी ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- मैंग्रोव वन मुख्यत: 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- भारत में सुंदरबन का क्षेत्र 9,630 वर्ग किमी. में फैला हुआ है जिसमें 4,263 वर्ग किमी. में मैंग्रोव विद्यमान है।
- यह दम्पियर-हॉज़स रेखा (Dampier-Hodges line) के दक्षिण में पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा दक्षिणी चौबीस परगना जिलों में स्थित है।

दम्पियर-हॉज़स रेखा (Dampier-Hodges line)

यह एक काल्पनिक रेखा है जिसका निर्माण वर्ष 1829-30 में सुंदरबन डेल्टा के उत्तरी सीमा के निर्धारण के लिये किया गया था। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा दक्षिणी चौबीस परगना ज़िलों में स्थित है।

मैंग्रोव के दोहन का कारण:

- हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने मैंग्रोव वनों के दोहन की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया जिसमें पाया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलर आबास (Banglar Abas) नामक योजना में घरों के वितरण के लिये मैंग्रोव वनों की कटाई की।

नोट :

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) द्वारा सैटेलाइट से लिये गए आँकड़ों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार, फरवरी 2003 से फरवरी 2019 के मध्य 9990 हेक्टेयर भूमि का अपरदन हुआ है। इसके अलावा 3.71 प्रतिशत मैंग्रोव तथा अन्य वनों का ह्रास हुआ है। मैंग्रोव वनों का दोहन न सिर्फ एक्वाकल्चर के लिये बल्कि तटबंधों तथा मानवीय आवासों के लिये भी हुआ है।

मैंग्रोव संरक्षण के उपाय

- सुंदरबन के कुछ हिस्सों को कानूनी तौर पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों (विशेष रूप से बाघ संरक्षण) के रूप में संरक्षित किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड की तर्ज़ पर समुद्रतटीय मृदा के कटाव को रोकने हेतु डाइकों (Dikes) के निर्माण का सुझाव दिया है।
- सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाना एक सकारात्मक कदम है। यह कन्वेंशन नमभूमि (Wetlands) और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराता है।
- सुभेद्यता के अनुसार सुंदरबन को विभिन्न उपक्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक के लिये एक निर्देशित समाधान कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिये।
- इस क्षेत्र में नदियों के अलवणीय जल की मात्रा में वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिये।
- मानवीय कारणों से होने वाले निम्नीकरण को रोकने के लिये-
  - स्थानीय समुदायों को जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं के लिये वैकल्पिक समाधानों को लागू करना।
  - सामान्य पर्यटन की जगह जैव-पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देना।
  - वनोन्मूलन (Deforestration) पर रोक एवं वनीकरण को बढ़ावा देना।
  - संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  - जैव-तकनीक के माध्यम से मैंग्रोव का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन।

साइक्लोफाइन एयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आई.आई.टी. मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग तथा एन्वीट्रान (EnviTran) नामक आई.आई.टी. मद्रास के ही विद्यार्थियों के एक स्टार्टअप द्वारा एक एयर प्यूरीफायर का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य कार्य वायु में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 तथा PM10) का निष्कासन करना है।

मुख्य बिंदु

- इस एयर प्यूरीफायर का नाम साइक्लोफाइन (Cyclofine) रखा गया है जिसका मुख्य कार्य वायु में मौजूद प्रदूषकों तथा पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 तथा PM10) का निष्कासन करना है।
- इस मशीन में चार चरणों में हवा को फ़िल्टर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एयर क्वालिटी मानीटरिंग सेंसर भी लगाया गया है जो किसी वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) को प्रदर्शित करेगा।
- यह मशीन अपने आस-पास की वायु को 750 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा की दर से स्वच्छ करेगी।
- यह मशीन प्रदूषकों के अलावा, PM2.5 (वह पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 2.5 माइक्रोन या उससे कम हो) को 80 प्रतिशत तक तथा PM10 (वह पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 10 माइक्रोन या उससे कम हो) को हवा से निकालने में सक्षम है।
  PM2.5- वे पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 2.5 माइक्रोन या उससे कम हो।
  PM10- वे पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 10 माइक्रोन या उससे कम हो।
- यह मशीन खुले में या किसी स्थान विशेष पर लगाई जाएगी जहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक हो। जैसे- किसी औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पार्टिकुलेट कणों की सघनता अधिक हो वहाँ इस मशीन को एक लंबे टावर की तरह लगाया जा सकता है तथा ट्रैफिक सिग्नलों पर भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है।
- यह मशीन अभी प्रायोगिक स्तर पर है तथा विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह देखा जा रहा है कि यह कितनी दूरी तक एवं कितनी मात्रा में प्रदूषकों को फ़िल्टर करने में सक्षम है।

नोट :

नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ता स्तर

चर्चा में क्यों ?

नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार, नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) के स्तर में वर्ष 2000-2005 और वर्ष 2010-2015 के बीच 10% वृद्धि हुई।

निष्कर्ष:

- यह शोध यूरोप और अमेरिका के कई संस्थानों जैसे-इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (International Institute for Applied Systems Analysis- IIASA) और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर एयर रिसर्च (Norwegian Institute for Air Research- NILU) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।
- इसके स्तर में वृद्धि का निरपेक्ष मूल्य (Absolute Value) 1.6 TgN प्रतिवर्ष रहा।
- इस शोध द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) के N_2O स्तरों के अनुमान में विसंगति को भी चिह्नित किया गया। वर्तमान शोध में अनुमान कारक 2.2 (+/- 0.6) % व्यक्त किया गया, यह IPCC द्वारा अनुमानित 1.375% से अधिक है।
- IIASA ने ग्रीनहाउस गैस और वायु प्रदूषण इंटरैक्शन और सिनर्जी (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies- GAINS) मॉडल के डेटा का प्रयोग किया।

GAINS:

- GAINS कम-से-कम लागत पर वायु प्रदूषकों और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके नकारात्मक प्रभावों को कमी के लिये पारगमन रणनीतियों का आकलन करने हेतु ऑनलाइन उपकरण है।
- इसकी मेज़बानी वाशिंगटन स्थित विश्व संसाधन संस्थान (World Resource Institute) द्वारा की जाती है।
- शोधपत्र में वर्ष 1998 से 2016 तक तीन वैश्विक वायुमंडलीय व्युत्क्रम फ्रेमवर्क (Global Atmospheric Inversion Framework) से प्राप्त N_2O उत्सर्जन अनुमानों को एक साथ स्पष्ट किया गया, इस डेटा के लिये वैश्विक नेटवर्क से N_2O अवलोकन डेटा का भी प्रयोग किया गया।

नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में ?

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) के बाद N_2O तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है। इसमें CO_2 की तुलना में 300 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है।

नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर बढ़ने का कारण:

- वैश्विक स्तर पर उर्वरकों और खाद (Manure) का उपयोग की सीमा से अधिक प्रयोग, नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी है।
- नाइट्रोजन-फिक्सिंग फसलों {जैसे तिपतिया (Clover) घास, सोयाबीन, अल्फाल्फा, ल्यूपिन (Lupins), मूँगफली} की व्यापक खेती।
- जीवाश्म और जैव ईंधन का दहन।

वन अधिनियम, 1927

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 (Forest Act of 1927) में संशोधन के लिये लाए गये एक मसौदे में कुछ खामियाँ होने के कारण उसे वापस लेने का निर्णय लिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मार्च 2019 में इस मसौदे के प्रस्तावित किये जाने के बाद से ही कुछ पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्तावित कानून का विरोध किया जा रहा था।
- केंद्र सरकार ने मसौदा वापस लेने का फैसला किया है ताकि जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीने जाने के बारे में किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके।

वन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

- भारतीय वन अधिनियम (Indian Forest Act) 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के रूप में की गई है।
- यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है।
- इसमें वन अपराध को रोकने के लिये हथियारों आदि का उपयोग करते हुए वन-अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- संशोधन मसौदा के अनुसार, वन अधिकारी (जिसका पद रेंजर के पद से नीचे न हो) के पास वन अपराधों की जाँच करने और दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CrPC), 1973 के तहत तलाशी करने करने या तलाशी संबंधी वारंट जारी करने की शक्ति होंगी।
- कोई भी वन-अधिकारी, वनपाल या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी, किसी भी समय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है।
- इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के आकलित मूल्य का 10% तक वन विकास उपकर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह राशि एक विशेष कोष में जमा की जाती और इसका उपयोग विशेष रूप से वनीकरण; वन संरक्षण और वृक्षारोपण, वन विकास और संरक्षण से जुड़े अन्य सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाना था।

क्यों विवादास्पद था यह अधिनियम ?

- नए मसौदे के अनुसार, वन अधिकारियों को "कानूनों के उल्लंघन" करने वाले आदिवासियों को गोली मारने का पूर्ण अधिकार दिया गया था।
- किसी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा "अपराधी" को मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार तब तक उस मामले पर अभियोजन शुरू नहीं कर सकती थी जब तक कि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधीन इस मामले की जाँच शुरू न हो।
- नए संशोधन के तहत, वन विभाग किसी भी जंगल को आरक्षित घोषित करने और वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दिया गया था।
- इससे अपने जीवन-यापन के लिये वनों पर निर्भर जनजातीय आबादी बहुत अधिक प्रभावित होती।

जर्मनी का जलवायु संरक्षण अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर 2019 को जर्मनी की संसद ने जलवायु संरक्षण अधिनियम (Climate Protection Act) पारित किया।

प्रमुख बिंदु

- जर्मनी द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2030 तक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में पारित किया गया है।
- यह जर्मनी का पहला जलवायु कार्रवाई कानून होगा।
- इस विधेयक के तहत, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विभिन्न उपायों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्रकों तथा ऊष्मन को बढ़ावा देने वाले अन्य क्षेत्रकों (Heating Sectors) द्वारा होने वाले कार्बन उत्सर्जन शुल्क अध्यारोपित किया जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत उड़ान टिकटों की कीमतों में वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की विशेषताएँ

- विधेयक में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों जैसे- परिवहन, ऊर्जा और आवास के लिये उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, उड़ान यात्राओं को भी पहले की तुलना में अधिक महंगा बना दिया जाएगा।
- इसके विपरीत, लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा पर मूल्य वर्द्धि कर (Value Added Tax-VAT) की वर्तमान दर 19 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो जाएगी।
- जर्मनी की संसद जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विभिन्न उपायों के साथ-साथ एक विधायी पैकेज भी अपनाना चाहती है जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के उत्सर्जन पर शुल्क आरोपित करना।
- जर्मनी द्वारा इस प्रकार का कदम उठाने का कारण यह है कि यह वर्ष 2030 तक अपने जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही वर्ष 1990 के मुकाबले अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत से अधिक की कमी करना चाहता है।

न्यूजीलैंड भी उठा चुका है ऐसा कदम

- इससे पहले, न्यूजीलैंड भी पेरिस जलवायु समझौते के अनुपालन और वर्ष 2050 तक कार्बन-उदासीन राष्ट्र (Carbon-Neutral Nation) बनने के लिये शून्य-कार्बन कानून (Zero-Carbon Law) पारित कर चुका है।
- लेकिन जहाँ न्यूजीलैंड में कानून को पूर्ण समर्थन के साथ पारित किया गया था, वहीं जर्मनी में कुछ लोगों ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

आलोचना

- जर्मनी की संसद में विपक्ष द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया क्योंकि उनका मानना था कि जलवायु पैकेज इतने पर्याप्त नहीं थे जिनसे लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

जहाज़ों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने जहाज़ों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 (Recycling of Ships Bill, 2019) तथा जहाज़ों के सुरक्षित तथा बेहतर पुनर्चक्रण के लिये हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (Hong Kong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009-HKC) में भारत के शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार ने जहाज़ों के पुनर्चक्रण विधेयक 2019 को पारित करने का प्रस्ताव किया है जिसके द्वारा देश के अंदर जहाज़ों के पुनर्चक्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक निर्धारित किये जा सकें तथा इन मानकों के क्रियान्वयन हेतु वैधानिक प्रावधान किये जा सकें।
- इसके द्वारा यह भी निश्चित किया गया है कि भारत जहाज़ों के सुरक्षित तथा बेहतर पुनर्चक्रण के लिये हॉन्गकॉन्ग अभिसमय (Hong Kong Convention) के प्रावधानों का पालन करेगा।
- जहाज़ों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 को पारित किये जाने के पश्चात् HKC में निहित प्रावधान इसमें शामिल किये जाएंगे।
- भारत जहाज़ों के पुनर्चक्रण उद्योग में एक अग्रणी देश है। वैश्विक स्तर पर जहाज़ों के पुनर्चक्रण उद्योग का 30% बाज़ार भारत में है।
- समुद्री यातायात समीक्षा पर अंकटाड की रिपोर्ट 2018 (UNCTAD's Report on Review of Maritime Transport, 2018) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2017 में 6,323 टन वजन के जहाज़ों को पुनर्चक्रित किया है।
- जहाज़ पुनर्चक्रण उद्योग, एक श्रम गहन उद्योग (Labour Intensive Industry) है परंतु इसके द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- यह विधेयक जहाज़ों के निर्माण में उपयोग होने वाले खतरनाक पदार्थों (Hazardous Materials) के प्रयोग पर पाबंदी लगाता है भले ही वह जहाज़ पुनर्चक्रण के लिहाज से बनाया गया हो या नहीं।
- नए जहाज़ों के लिये यह नियम तभी से लागू माना जाएगा जब यह विधेयक कानूनी रूप लेगा जबकि पुराने जहाज़ों को पाँच वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि वे इन पदार्थों का प्रयोग बंद कर सकें।

नोट :

- खतरनाक पदार्थों के प्रयोग संबंधी यह पाबंदी नौसैनिक युद्धपोतों तथा सरकार द्वारा संचालित गैर-वाणिज्यिक जहाज़ों पर नहीं लागू होगी।
- जहाज़ों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण के लिये उनका सर्वेक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा।
- इस विधेयक के तहत जहाज़ों के पुनर्चक्रण संबंधित सभी कार्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पुनर्चक्रण केंद्रों पर ही होंगे।
- विधेयक के प्रावधानों में यह भी शामिल किया गया है कि जहाज़ों को एक विशेषीकृत योजना के तहत ही पुनर्चक्रित किया जाए। जिन जहाज़ों का पुनर्चक्रण भारत में होगा उन्हें हॉन्गकॉन्ग अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्चक्रण के लिये तैयार प्रमाण-पत्र (Ready for Recycling Certificate) प्राप्त करना होगा।

हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2009 (Hong Kong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009-HKC):

- इस अभिसमय का मुख्य उद्देश्य परिचालन अवधि (Operational Life) समाप्त होने के बाद किसी जहाज़ का पुनर्चक्रण करने से उसका मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करना है।
- जहाज़ पुनर्चक्रण उद्योग में अनेकों प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं जिसमें एज्बेस्टस, भारी तत्त्व, हाइड्रोकार्बन, ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले कारक शामिल होते हैं। ये पदार्थ पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य दोनों के लिहाज़ से नुकसानदायक हैं।
- इस अभिसमय में जहाज़ों की संरचना, उनका निर्माण, संचालन तथा उनके पुनर्चक्रण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पुनर्चक्रण उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कोई खतरा न उत्पन्न हो।
- जहाज़ पुनर्चक्रण उद्योग समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले प्रदूषक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये नुकसानदायक होते हैं।

प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिये उपग्रह

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के मौसम उपग्रह इनसैट- 3D और 3DR का प्रयोग एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (Aerosol Optical Depth- AOD) की निगरानी के लिये किया जाएगा।

एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (Aerosol Optical Depth- AOD):

- AOD, जैवभार के जलने से दृश्यता को प्रभावित करने वाले धुँए और कणों की उपस्थिति तथा वातावरण में PM2.5 व PM10 की सांद्रता के बढ़ने का सूचक है।
  - वायुमंडल में उपस्थित छोटे ठोस और तरल कणों को एरोसोल कहा जाता है।
  - समुद्री लवण, ज्वालामुखीय राख, जंगल और कारखानों से निकलने वाले धुंए , एरोसोल के उदाहरण हैं।
  - एरोसोल सतह को ठंडा कर सकता है या गर्म यह उनके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है।
  - एरोसोल बादलों के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
  - एरोसोल लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं।
- उपग्रहों पर लगे हुए इमेज़र पेलोड द्वारा ज्ञात हुआ है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में अक्तूबर तथा नवंबर के दौरान एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, PM2.5 एवं PM10 की सांद्रता सबसे अधिक है।
- उपग्रह आधारित जलवायवीय अध्ययन के अनुसार अक्तूबर और नवंबर के महीने में वर्ष 2003 से वर्ष 2017 के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 4% की वृद्धि दर्ज़ की गई।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान केंद्र (Indian Space Research Organisation-ISRO)वर्ष 2015 से पराली जाने की घटनाओं की निगरानी करता रहा है।

नोट :

इनसैट 3D और 3DR

- इनसैट- 3D भारत का उन्नत मौसम उपग्रह है जो बेहतर इमेजिंग सिस्टम के साथ विकसित किया गया है।
- इसको मौसम पूर्वानुमान और आपदा की चेतावनी के लिये,भूमि और समुद्र की सतहों की निगरानी के लिये बनाया गया है।
- इनसैट- 3DR में कुछ उल्लेखनीय सुधार किये गए हैं-
  - रात के समय कम बादलों और कोहरे में इमेज़ लेने की क्षमता।
  - समुद्र सतह तापमान के बेहतर आकलन के लिये दो थर्मल इन्फ्रारेड बैंड में इमैजिंग।
  - दृश्य और तापीय इन्फ्रारेड बैंड (Visible and Thermal Infrared bands) में उच्च स्थानिक विभेदन।

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (United Nations Environment) द्वारा जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट (Production Gap Report) जीवाश्म ईंधन अप्रसार (Non-Proliferation) की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नेतृत्व वाले अनुसंधान गठबंधन ने प्रोडक्शन गैप पर 20 नवंबर, 2019 को अपनी पहली रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत वैश्विक तापन के 1.5 तथा 2°C तक के लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन उत्पादन के प्रयोग के मध्य के अंतर को मापा गया है।
- प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित किया है-
  1. जलवायु प्रतिबद्धताओं और नियोजित उत्पादन के बीच असंतुलन
  2. कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसे समाधानों को लेकर अनिश्चितता
  3. जीवाश्म ईंधन उत्पादन समस्या की सामूहिक कार्रवाई प्रकृति
- पिछले वर्ष प्रकाशित IPCC की ग्लोबल वार्मिंग 1.5°C रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक वार्मिंग के 1.5°C से नीचे रहने के लिये वर्ष 2030 तक कोयले से संचालित 66% विद्युत संयंत्रों को बंद करना होगा। इसके अतिरिक्त IPCC ने कहा कि वर्ष 2050 तक विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक गैस का उपयोग दसवें हिस्से से कम होगा।
- प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार विश्व के देश वर्ष 2030 तक अत्यधिक कोयला उत्पादन की राह पर अग्रसर हैं। विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित कुल कोयला वैश्विक स्तर पर तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे रखने की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक तथा तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लक्ष्य की तुलना में 280 प्रतिशत अधिक होगा।
- वैश्विक स्तर पर तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे रखने के लिये वर्ष 2030 में तेल का उत्पादन 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लिये तेल उत्पादन को 59 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया था। गैस के लिये, ओवरशूट के आंकड़े 2°C के लिये 14 प्रतिशत और 1.5°C के लिये 70 प्रतिशत थे।
- IPCC ने जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा के साथ-साथ अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के प्रयास किये जाने की आवश्यकता को इंगित किया है।
- IPCC की योजना वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा इसके बाद शेष शताब्दी के लिये शुद्ध नकारात्मक उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र (Net Negative Emissions Trajectory) लक्ष्य पर आगे बढ़ना है।

नोट :

सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पेरिस शहर ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रमुख बिंदु

- यद्यपि पेरिस शहर ने सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन फ्राँस अभी भी जंगली जानवरों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रहा है।
- वर्ष 2020 से लागू होने वाले इन प्रस्तावों के अनुसार, यदि किसी सर्कस को जंगली जानवरों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उनके संचालन परमिट को रद्द कर दिया जाएगा।

क्यों लगाया गया है प्रतिबंध ?

- जानवरों के अधिकारों, उनके साथ क्रूरता और खराब परिस्थितियों में रहने और प्रदर्शन करने के लिये मज़बूर किये जाने से संबंधित मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं।
- हालाँकि विश्वभर में सर्कस में प्रदर्शन करने के लिये मज़बूर किये जाने वाले जंगली जानवरों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है (विशेष रूप से विगत दो दशकों के दौरान) लेकिन अब भी कुछ देशों के सर्कस में जंगली जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है।
- सर्कस में प्रयोग होने वाले जानवरों की स्थिति
- सर्कस में प्रदर्शन करने वाले अधिकाँश जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है। जानवरों के आकार की तुलना में ये पिंजरे बहुत ही छोटे और गंदे होते हैं।
- सर्कस में जानवरों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार और शारीरिक शोषण सामान्य बात है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब इन्हें सर्कस में प्रदर्शन करने के लिये मजबूर किया जाता है। इन जानवरों द्वारा किये जाने वाले अधिकाँश प्रदर्शन अस्वाभाविक होते हैं। उदाहरण के लिये हाथियों को लंबे समय तक केवल एक पैर पर खड़े रहने के लिये मज़बूर करना।
- सर्कस में बजने वाले तेज़ संगीत और दर्शकों के शोर के कारण भी जानवरों को परेशानी होती है।
- कई वर्षों तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव में कार्य करने के कारण ये दीर्घावधिक शारीरिक तथा मानसिक विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- पेरिस ने दिसंबर 2017 में एक योजना की घोषणा की थी ताकि फ्राँस की राजधानी में होने वाले सर्कसों में जंगली जानवरों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सके।
- AFP (Agence France-Presse) की रिपोर्ट के अनुसार, फ्राँस की 65 नगरपालिकाओं ने पहले ही जंगली जानवरों को सर्कस से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि फ्राँस राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को लागू करने पर विचार कर रहा है।

कैद में जंगली जानवरों पर फ्राँस का रुख

- सर्कस के जानवरों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध पर विचार करने की बावजूद फ्राँसीसी सरकार ने मई 2017 में डॉल्फ़िन और व्हेल के कैप्टिव वंशवृद्धि (Captive Breeding) पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- AFP के अनुसार, लगभग दो-तिहाई फ्राँसीसी लोग सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर आपत्ति करते हैं।

अन्य देशों में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध

- एनिमल डिफेंडर्स इंटरनेशनल (Animal Defenders International- ADI) नामक पशु अधिकार समूह जो मानव मनोरंजन के लिये जानवरों के उपयोग की निगरानी करता है, के आँकड़ों के अनुसार, अधिकाँश यूरोपीय देशों ने सर्कस में जंगली जानवरों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है।
- ADI के अनुसार, फ्राँस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ऐसे राष्ट्र हैं, जहाँ वर्तमान में केवल स्थानीय प्रतिबंध प्रभावित हैं और जंगली जानवरों उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध का अभाव है।

नोट :

भारत का रुख

- भारत में दशकों से सर्कस में जंगली जानवरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन नवंबर 2018 में, केंद्र सरकार ने मसौदा नियम जारी किये, जिसमें सर्कस में सभी जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था।
- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्याक 59) [Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960] की धारा 38 के तहत, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने 'पशु प्रदर्शन (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2018' [Performing Animals (Registration) (Amendment) Rules, 2018] प्रस्तावित किया और "पशुओ के प्रदर्शन तथा निर्दिष्ट प्रदर्शन के लिये जानवरों के प्रशिक्षण को निषेध" घोषित किया।
- मसौदा नियमों के तहत, "किसी भी सर्कस या गतिशील/चलनशील मनोरंजन सुविधा में प्रदर्शन के लिये जानवरों का उपयोग नहीं किया जाएगा।"
- इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सर्कस जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, को बिना अनुमति प्राप्त किये या केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) के आदेशों में संशोधन के बिना अपने प्रदर्शन कार्यक्रमों में जंगली जानवरों के उपयोग की अनुमति नही है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एक राष्ट्रीय सरकारी निकाय है जो भारत में सर्कस और मनोरंजन और चिड़ियाघर में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की स्थितियों की देखरेख करता है।

"भारत में सर्कस खेल एवं युवा मामलों के विभाग की परिधि में आता है।"

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environmental Programme-UNEP) ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 (Emission Gap Report 2019) प्रकाशित की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों को लेकर चिंता जाहिर की गई है।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में यह बात कही गई कि यदि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2020-30 के दौरान प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत की कमी नहीं की गई तो विश्व, पेरिस समझौते के तहत किये 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों (Green House Gases-GHG) के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- इस वजह से वर्तमान में कुल वैश्विक GHG उत्सर्जन 55.3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (Gigatonne Carbon Dioxide Equivalent-GtCO2e) हो गया है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में यदि पेरिस समझौते के तहत निर्धारित सभी लक्ष्यों का पालन किया जाता है, तब भी वर्ष 2030 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी जिसके जलवायु पर व्यापक एवं घातक परिणाम होंगे।
- उपभोग आधारित उत्सर्जन अनुमान (Consumption-based Emission Estimates) के आधार पर कुछ विकासशील देशों द्वारा अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किये जाने के बावजूद यह विकसित देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के तौर पर चीन यूरोपियन संघ की तुलना में अधिक CO_2 या CO_2e का उत्सर्जन करता है परंतु प्रति व्यक्ति CO_2 उपभोग के मामले में यह यूरोपियन संघ से कहीं पीछे है।
- विश्व का 78 प्रतिशत GHG का उत्सर्जन G20 देशों द्वारा होता है जबकि चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा भारत मिलकर 55 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
- यद्यपि लगभग 65 देशों ने वर्ष 2050 तक अपने GHG के उत्सर्जन में कुल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिये कुछ ही देशों ने अपनी रणनीति बनाई है।

नोट :

उत्सर्जन गैप (Emission Gap) क्या है ?

- उत्सर्जन अंतर को प्रतिबद्धता गैप (Commitment Gap) भी कहा जा सकता है। इसके द्वारा यह आकलन किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये हमें क्या करना चाहिये तथा हम वास्तविकता में क्या कर रहे हैं।
- इसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्यों तक कम करने के लिये आवश्यक स्तर तथा वर्तमान के कार्बन उत्सर्जन स्तर का अंतर निकाला जाता है।

इस रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु भविष्य की रणनीति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है जो इस प्रकार है:

- GHG उत्सर्जन में कमी करने तथा वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2020 से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि दर को 2oC तक लाने के लिये वर्ष 2020 तक देशों को अपनी राष्ट्रीय निर्धारित भागीदारी (Nationally Determined Contribution-NDC) के लक्ष्य को तीन गुना बढ़ाना होगा, जबकि 1.5oC तक लाने के लिये इस लक्ष्य को पाँच गुना करना होगा।
  - राष्ट्रीय निर्धारित भागीदारी (NDC): यह पेरिस समझौते के तहत इसके सदस्य देशों द्वारा निर्धारित एक लक्ष्य है जिसके माध्यम से प्रत्येक देश अपने स्तर पर GHG उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास करेगा ताकि इस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- G20 के सदस्य देशों द्वारा GHG उत्सर्जन में कमी हेतु निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा इसमें G20 के सात बड़े GHG उत्सर्जक देशों के लिये एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है ताकि वैश्विक CO_2 या CO_2e के उत्सर्जन में कमी की जा सके। ये देश हैं- अमेरिका, जापान, चीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपियन संघ तथा भारत।
- GHG के उत्सर्जन में कमी हेतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के अकार्बनीकरण (Decarbonization) की आवश्यकता होगी जिसके लिये मूलभूत ढाँचागत बदलाव ज़रूरी है।
- CO_2 या CO_2e के उत्सर्जन में कमी के लिये आवश्यक होगा कि अक्षय उर्जा के स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ उर्जा के उपयोग में दक्षता के लिये प्रयास किया जाना चाहिये। इसके लिये रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव बताए गए हैं-
  - विद्युत निर्माण में नवीकरणीय उर्जा का प्रयोग।
  - तीव्र अकार्बनीकरण के लिये उर्जा उत्पादन प्रणालियों से कोयले के प्रयोग पर रोक।
  - विद्युत आधारित यातायात के साधनों का विकास।
  - उर्जा गहन उद्योगों को अकार्बनीकृत करना।
  - सभी तक उर्जा की पहुँच सुनिश्चित करने के साथ ही भविष्य में GHG के उत्सर्जन में कमी करना।
- रिपोर्ट में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में नवीकरणीय उर्जा के स्रोतों की कीमतों में काफी कमी आई है तथा आगामी वर्षों में इसमें और कमी की उम्मीद की जा रही है। अत: इसके प्रयोग को बढ़ावा देने से जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- ऐसे पदार्थ जिनकी वैश्विक स्तर पर मांग अधिक है तथा इनके उत्पादन में GHG का उत्सर्जन अधिक होता है, उनमें संरचनात्मक सुधार किया जाए ताकि वे अधिक टिकाऊ बन सकें एवं 3R (Reduce, Reuse, Recycle) के द्वारा उनके उत्पादन को सीमित किया जा सके।
  - इनमें लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, चूना एवं प्लास्टर, भवन निर्माण सामग्री, प्लास्टिक और रबर उत्पाद आदि शामिल हैं।

समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत

चर्चा में क्यों ?

2-13 दिसंबर, 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड (Madrid) में आयोजित होने वाले 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के 25वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-25) में भारत समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों के सिद्धांत पर ज़ोर देगा।

नोट :

समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व तथा संबंधित क्षमताएँ (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities- CBDR-RC):

- इसका अर्थ यह है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई में विकासशील और अल्पविकसित देशों की तुलना में अधिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये क्योंकि विकसित होने की प्रक्रिया में इन देशों ने सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन किया है और ये देश जलवायु परिवर्तन के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं।
- पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए विभेदित उत्तरदायित्त्वों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत का पालन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2019 के सम्मेलन के आयोजन की ज़िम्मेदारी चिली की थी लेकिन चिली ने आंतरिक कारणों से देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए COP-25 के आयोजन में असमर्थता जताई थी।
- COP-25 के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा किया जाएगा।

क्या रहेगा भारत का रुख ?

- भारत सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, COP-25 में भारत का दृष्टिकोण UNFCCC और पेरिस समझौते के सिद्धांतों पर आधारित होगा तथा विशेष रूप से CBDR-RC के सिद्धांत पर आधारित होगा।
- इस विज्ञप्ति के अनुसार, विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन विरोधी महत्त्वाकांक्षी कार्यों को करने तथा इस क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2020 तक 100 बिलियन डॉलर जुटाने की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।
- भारत के अनुसार, विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित प्रयासों के लिये अपना वित्तीय समर्थन बढ़ाना चाहिये ताकि विकासशील देश अपनी कार्य योजनाओं को सुनिश्चित कर सकें।
- भारत विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक तय की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर ज़ोर देगा ताकि वर्ष 2020 से पहले विकसित देशों द्वारा पूरी न की जा सकी प्रतिबद्धताएँ वर्ष 2020 के बाद विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ न बन पाएँ।
- वर्ष 2015 में संपन्न पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2020 के बाद विश्व के सभी राष्ट्रों के लिये जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने की योजना प्रस्तुत करता है।
- इसके अनुसार, सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (Nationally Determined Contributions- NDCs) करना होगा।
- 'क्योटो प्रोटोकॉल' के तहत विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 से पहले जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित की गई थीं।
- इस विज्ञप्ति में भारत की दो जलवायु कार्रवाई पहलों की चर्चा की गई है-

आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिये गठबंधन (The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure):

- इस पहल के माध्यम से विभिन्न देशों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे पर जानकारी के आदान-प्रदान करने के लिये एक मंच उपलब्ध होगा।

उद्योग संक्रमण के लिये नेतृत्त्व समूह (Leadership Group for Industry Transition):

- इस पहल को भारत और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। इस पहल के माध्यम से विभिन्न देशों में सरकारी और निजी क्षेत्र के लिये एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर कार्य किया जा सके।

ग्लोबल सल्फर कैप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के पोत परिवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) ने 1 जनवरी, 2020 से ग्लोबल सल्फर कैप (Global Sulphur Cap) के अनुपालन के लिये विभिन्न हितधारकों को अधिसूचित किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- ग्लोबल सल्फर कैप के तहत जहाज़ों के ईंधन में प्रयोग होने वाले सल्फर के प्रयोग में 0.50% m/m (mass by mass) की कटौती की जाएगी।
- कच्चे तेल के आसवन (Distillation) के बाद बचे हुए अवशेष से जहाज़ों में प्रयोग होने वाला बंकर ऑयल प्राप्त किया जाता है। इसमें भारी मात्रा में सल्फर पाया जाता है तथा इसके दहन पर यह सल्फर ऑक्साइड बनाता है।
- सल्फर ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। यह श्वसन तथा फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है।
- पर्यावरण में यह अम्लीय वर्षा के लिये उत्तरदायी है जिससे फसल, जंगल तथा जलीय जीवों को नुकसान पहुँचता है। साथ ही यह समुद्र के अम्लीकरण के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (International Maritime Organisation-IMO) ने जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) या मारपोल अभिसमय 1973 (MARPOL Convention) द्वारा वर्ष 2005 में जहाज़ों से होने वाले सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- IMO ने पर्यावरणीय प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी, 2020 से सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में और अधिक कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण क्षेत्र (Designated Emission Control Area) से बाहर संचालित किसी जहाज़ में प्रयुक्त ईंधन में सल्फर की मात्रा में 0.50% m/m (mass by mass) की कमी की जाएगी।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

मानसूनी वर्षा की मात्रा में विविधता

चर्चा में क्यों ?

जून के महीने में कम वर्षा के बाद अगस्त और सितंबर महीने में मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमानों के विपरीत भारी वर्षा हुई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस वर्ष के मानसून में जून माह की सामान्य औसत वर्षा में 30% की कमी देखी गई, इसके विपरीत पूरे मानसून में औसतन 10% अधिक वर्षा हुई। इस प्रकार की घटना वर्ष 1931 के बाद पहली बार देखी गई है।
- सितंबर महीने की वर्षा की औसत दीर्घावधि (Long Period Average- LPA) 152%, वर्ष 1917 के बाद सबसे अधिक और अगस्त की वर्षा का LPA 115%, वर्ष 1996 के बाद सबसे अधिक था। इसके अतिरिक्त समग्र मानसूनी वर्षा का LPA 110%,वर्ष 1994 के बाद सबसे अधिक रहा।
- सितंबर के पहले सप्ताह के अंत में भारत के मौसम विभाग ने यह बताया था कि इस मानसूनी वर्ष में वर्षा LPA के 96-104% तक होगी।
- भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रशांत क्षेत्र का अल-नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation- ENSO) इस वर्ष सामान्य रहा, इसके बाद भी भारत में हुई अप्रत्याशित वर्षा के कारणों की मौसम वैज्ञानिक जाँच कर रहे हैं।

हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD)

- हिंद महासागर द्विध्रुव अल-नीनो के समान ही एक महासागर-वायुमंडल अंतर्संबंध (Ocean-Atmosphere Interaction) की परिघटना है।
- IOD पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर) और पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशियाई तट का दक्षिण भाग) के समुद्र सतह के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है।
- इस परिघटना में पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म होता है तो इसे सकारात्मक IOD और इसकी विपरीत स्थिति को नकारात्मक IOD कहते हैं।
- भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल-नीनो के समान ही IOD भी मौसम और जलवायु की घटनाओं को प्रभावित करता है, हालाँकि इसका प्रभाव कमज़ोर होता है क्योंकि हिंद महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर की तुलना में कम है, इसके अतिरिक्त हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में उथला भी है।
- IOD भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इस वर्ष की असामान्य वर्षा:
- इस वर्ष IOD की शुरुआत जून के आसपास हुई और यह अगस्त के बाद अधिक मज़बूत हुआ। इस वर्ष का IOD सामान्य से कुछ अधिक मज़बूत था।
- IOD के रिकॉर्ड बहुत पुराने नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो के अनुसार इसकी सटीक माप वर्ष 1960 के बाद से उपलब्ध है। वर्तमान वर्ष में IOD + 2.15°C (सकारात्मक) के स्तर पर रहा जो वर्ष 2001 के बाद से सबसे अधिक मज़बूत है।
- इस प्रकार IOD के इस परिवर्तन को अभी तक मौसम वैज्ञानिक भारत में इस वर्ष की अप्रत्याशित वर्षा हेतु एक संभावना मान रहे हैं क्योंकि पिछले वर्षों में सकारात्मक IOD की स्थिति में मानसून में उच्च वर्षा हुई थी।
- वर्तमान वर्ष के पहले वर्ष 1997 और वर्ष 2006 में सकारात्मक IOD की स्थिति देखी गई थी, दोनों ही वर्षों में भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक देखी गई थी।

नोट :

इस वर्ष का पूर्वानुमान:

- वास्तव में भारतीय मानसून की वर्षा पर IOD के प्रभाव को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। मौसम पूर्वानुमान का गलत होना इसका एक कारण हो सकता है।
- सामान्यत: यहाँ माना जाता है कि अल-नीनो की तुलना में IOD का प्रभाव भारत की वर्षा पर कम पड़ता है लेकिन इस मत को भी लेकर कोई विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
- IOD सामान्यत: मानसूनी वर्षा के उत्तरार्द्ध यानि अगस्त और सितंबर में विकसित होता है एवं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानसून IOD की उत्पत्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- इस वर्ष सुमात्रा तट (पूर्वी हिंद महासागर) पर ठंडी हवाओं की उपस्थिति के कारण समुद्री सतह का तापमान सामान्य से कम रहा परंतु अरब सागर (पश्चिमी हिंद महासागर) में तापमान सामान्य देखा गया था। इस कारण से भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किये गए पूर्वानुमान सटीक नहीं रहे।
- ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 1960 के बाद से अब तक मात्र 10 बार मज़बूत सकारात्मक IOD की घटनाएँ हुई हैं। इनमें से चार वर्षों में मानसूनी वर्षा में कमी, चार वर्षों में वृद्धि और शेष दो वर्षों में सामान्य वर्षा की प्रवृत्ति देखी गई थी।

दीर्घावधिक औसत (Long Period Average- LPA)

- LPA दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूरे देश में 50 वर्ष की अवधि की औसत वर्षा है।
- वर्तमान में भारत का LPA 89 सेमी. है जो वर्ष 1951-2000 की अवधि की औसत वर्षा पर आधारित है।
- यह एक मानदंड के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर किसी भी मानसून के मौसम में वर्षा को मापा जाता है।
- मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश में अगर किसी वर्ष वर्षा का LPA 90% से कम है तो वर्षा को औसत से कम माना जाता है इसके विपरीत LPA के 110% होने की स्थिति में औसत वर्षा से अधिक वर्षा की स्थिति होती है।
- इस प्रकार अगर किसी वर्ष वर्षा का प्रतिशत LPA से अधिक होता है तो अधिक वर्षा और यदि वर्षा का प्रतिशत LPA से कम होता है तो कम वर्षा मानी जाती है।
- भारत में मानसूनी वर्षा का LPA सामान्यत: 96-104 % के बीच होता है।

LPA का महत्त्व:

- इसके माध्यम से 50 वर्षों की औसत वर्षा का उपयोग किया जाता है क्योंकि भारत की वार्षिक वर्षा में अत्यधिक परिवर्तनशीलता होती है।
- भारत की मानसूनी वर्षा पर प्रत्येक तीन या चार वर्षों में एक बार अल-नीनो और ला-नीना जैसी मौसमी घटनाओं का प्रभाव देखा जाता है।
- प्रशांत महासागर के जल की सतह के असामान्य तापमान से व्युत्पन्न अल-नीनो और ला-नीना जैसी मौसमी घटनाओं के कारण भारत में भयंकर सूखे, बाढ़ एवं तूफानों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- LPA के माध्यम से भारतीय मौसम विभाग का वर्षा का पूर्वानुमान कई बार गलत भी हो जाता है जैसे वर्ष 2013 में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की गई थी लेकिन वास्तविक वर्षा LPA के स्तर से 106% रही जो सामान्य वर्षा के औसत से काफी ऊपर है।
- LPA के माध्यम से वर्षा के कई पूर्वानुमान गलत तो साबित हुए हैं लेकिन इस प्रकार के पूर्वानुमानों से सरकार और किसानों को बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलती है सरकार इसके माध्यम से सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बेहतर तैयारियाँ कर सकती है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा वर्षा आँकड़ों का संग्रहण:

- भारतीय मौसम विभाग द्वारा एकत्र वर्षा के आँकड़े 3,500 रेन-गेज स्टेशनों के माध्यम से 2,412 स्थलों पर दर्ज किये गए वास्तविक वर्षा पर आधारित हैं।
- इन रेन-गेज स्टेशनों से प्राप्त दैनिक वर्षा के आँकड़ों के आधार पर, मानसून के आँकड़े प्रशासनिक क्षेत्रों जैसे- ज़िलों, राज्यों और देश के लिये तैयार किये जाते हैं।
- ये आँकड़े 36 मौसम संबंधी उपखंडों, चार व्यापक क्षेत्रों- दक्षिण प्रायद्वीप, उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत एवं उत्तर-पूर्व भारत से प्राप्त आँकड़ों के संकलन के बाद समग्र देश के स्तर पर जारी किये जाते हैं।

नोट :

वर्षा का क्षेत्रवार विवरण:

- देशव्यापी आँकड़े के समान ही भारतीय मौसम विभाग देश के प्रत्येक सजातीय क्षेत्रों (Homogeneous Regions) के लिये एक स्वतंत्र LPA जारी करता है इन क्षेत्रों का औसत 71.6-143.83 सेमी. के मध्य होता है।
- क्षेत्रवार LPA के आँकड़े इस प्रकार हैं-
  - पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के लिये 143.83 सेमी.
  - मध्य भारत के लिये 97.55 सेमी.
  - दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिये 71.61 सेमी.
  - उत्तर-पश्चिम भारत के लिये 61.50
- मानसून के सीज़न में LPA के माहवार आँकड़े इस प्रकार हैं-
  - जून 16.36 सेमी.
  - जुलाई 28.92 सेमी.
  - अगस्त 26.13 सेमी.
  - सितंबर 17.34 सेमी.
- किसी क्षेत्र की औसत वर्षा के लिये उन क्षेत्रों की सामान्य वर्षा का पिछले 50 वर्षों की वर्षा के आँकड़ों के साथ तुलना की जाती है। इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों के आउटपुट के अनुसार, वर्षा के स्तर को श्रेणीबद्ध किया जाता है।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा प्रतिरूप के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
  - सामान्य या निकट सामान्य (Normal or Near Normal): वास्तविक वर्षा सामान्य LPA से +/- 10% या 96-104%।
  - सामान्य से नीचे (Below Normal) : वास्तविक वर्षा सामान्य LPA से 10% कम या 90-96%।
  - सामान्य से ऊपर (Above Normal): वास्तविक वर्षा 104-110% के मध्य।
  - कमी (Deficient): वास्तविक वर्षा 90% से कम।
  - अतिरिक्त (Excess): वास्तविक वर्षा 110% से अधिक।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2019 को पहले कंटेनर कार्गो की खेप हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (Haldia Dock Complex-HDC) से देश के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI) टर्मिनल के लिये गुवाहाटी के पांडु में रवाना हुई।

प्रमुख बिंदु

- 12-15 दिनों की यह समुद्री यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग-97 (सुंदरबन), भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (Indo-Bangladesh Protocol-IBP) मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के रास्ते एक एकीकृत आईडब्ल्यूटी आवाजाही होगी।
- इस अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport-IWT) मार्ग पर यह पहला कंटेनरीकृत कार्गो आवाजाही है।
- इस 1425 किलोमीटर लंबी आवाजाही से इन विविध जलमार्गों का उपयोग करके IWT मोड की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित किये जाने की उम्मीद है, साथ ही इस भू-भाग पर अग्रगामी आवाजाहियों की एक श्रृंखला की योजना भी बनाई गई है।
- इस नवीनतम IWT आवाजाही का उद्देश्य कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन के लिये एक वैकल्पिक मार्ग खोलने के द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना है।

नोट :

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर IWT द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा की नेविगेशन क्षमता में संवर्धन में अच्छी वृद्धि देखी गई है
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर यातायात 2017-18 के 5.48 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 में 6.79 मिलियन टन तक पहुँच गया है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर 6.79 मिलियन टन के कुल ट्रैफ़िक में से, लगभग 3.15 मिलियन टन भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्गों का उपयोग करके भारत और बांग्लादेश के बीच एक्जिम व्यापार है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 2

- 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किमी. तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 घोषित किया गया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम (National Waterways Act), 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई हैं। परंतु अभी भी इस संबंध में घाटों के निर्माण, टर्मिनल और नेविगेशन चैनलों जैसी बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्त्वपूर्ण बंदरगाह है।

भारत के अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग

- राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1: इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3: उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्रतट नहर (कोट्टापुरम से कोल्लम) के बीच स्थित है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4: गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा काकीनदा-पुदुचेरी नहर (1078 किलो मीटर) को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग- 4 घोषित किया गया है।

सक्षम जल- परिवहन के आवश्यक तत्त्व

- पर्याप्त गहराई व चौड़ाई वाला जलमार्ग।
- चौबीस घंटे नौवहन लायक सुविधाएँ।
- सभी साजोसमान से लैस टर्मिनल।
- पर्याप्त संख्या में उच्च क्षमता वाले जलयान।

जल-परिवहन के समक्ष प्रमुख चुनौती

- नदियों में भारी गाद भरना तथा वर्ष भर जल की समुचित मात्रा का आभाव।
- माल परिवहन के लिये जलयानों की भारी कमीं।
- फेयरवे बेहतर बनाने के लिये उचित टर्मिनल और रैंपों का आभाव।
- टर्मिनलों पर मकैनिकल हैंडलिंग का आभाव।

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार (Protocol on Inland Water Transit and Trade-PIWTT)

- भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (PIWTT) पर नयाचार दोनों देशों के पोतों द्वारा दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही हेतु अपने जलमार्ग के उपयोग के लिये पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था की अनुमति देता है।
- IBP मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर कोलकाता (भारत) से राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (नदी ब्रह्मपुत्र) पर सिलघाट (असम) और करीमगंज (असम) पर राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी) पर फैला हुआ है।
- बांग्लादेश के अंतर्देशीय जलमार्गों के IBP मार्ग पर दो भू-भागों नामत: सिराजगंज-दाइखवा और आशूगंज-जाकिगंज मार्ग का विकास कुल 305.84 करोड़ रुपए की लागत से 80:20 लागत साझाकरण के आधार पर (भारत द्वारा 80% और बांग्लादेश द्वारा 20% वहन किया जा रहा है) किया जा रहा है।

नोट :

- इन दोनों खंडों के विकास से IBP मार्ग के रास्ते जलमार्ग के जरिये उत्तर पूर्व भारत को निर्बाध नेविगेशन प्रदान किये जाने की उम्मीद है। अपेक्षित गहराई हासिल करने और बनाए रखने के लिये दो हिस्सों पर ड्रेजिंग के अनुबंध दिए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, भारत और बांग्लादेश ने हाल के दिनों में जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिये बड़े कदम उठाए हैं। इनमें भारत में कोलाघाट में PIWTT, धुलियान, माया, सोनमुरा और बांग्लादेश में चिलमारी, राजशाही, सुल्तानगंज, दौखंडी में अतिरिक्त पोर्ट ऑफ कॉल की घोषणा पर समझौता शामिल है।

दोनों देशों ने निम्नलिखित पर भी सहमत जताई

1. करीमगंज (असम, भारत) के विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में बदरपुर और बांग्लादेश में आशूगंज का घोरासल
2. कोलकाता, भारत के विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में ट्रिबेनी और बांग्लादेश में पनगाँव का मुक्तारपुर
3. प्रोटोकॉल रूट नंबर 5 और 6 यानी राजशाही-गोडागरी-धुलियान को अरिचा (बांग्लादेश) तक विस्तारित किया जाएगा।
4. नये रूट नम्बर 9 और 10 के रूप में गुमटी नदी पर दाउदखंडी-सोनमुरा खंड का समावेश।

बांग्लादेश में चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के ज़रिये भारत से माल की आवाजाही को सुगम बनाने के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) पर दोनों देशों द्वारा 5 अक्तूबर, 2019 को हस्ताक्षर किये गए हैं। इन दोनों बंदरगाहों की निकटता से संभारतंत्र लागत में कमी आएगी और उत्तर पूर्व राज्यों की व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में सुधार होगा।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI)

- अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्तूबर, 1986 को की गई।
- IWAI जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (New Okhla Industrial Development Authority-NOIDA) में, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल 'फोकल' (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।

रेड एटलस एक्शन प्लान मैप

चर्चा में क्यों

हाल ही में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली हेतु रेड एटलस एक्शन प्लान मैप का अनावरण किया।

रेड एटलस एक्शन प्लान मैप (Red Atlas Action Plan Map):

- इसका उद्देश्य बाढ़ शमन, प्रबंधन, तैयारियों और संचालन संबंधी पहलुओं को सुलभ बनाना है। इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका अनौपचारिक प्रयोग तमिलनाडु की सरकार द्वारा चेन्नई में प्रभावी बाढ़ शमन में मदद करने के लिये तैयार किया गया था।

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान National Institute of Ocean Technology- NIOT

- NIOT को नवंबर, 1993 में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।

नोट :

- NIOT को शासन परिषद द्वारा प्रबंधित किया जाता है और जिसका प्रमुख संस्थान का निदेशक होता है।
- NIOT का मुख्य उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusiv Economic Zone- EEZ) में संसाधनों के समुचित दोहन के लिये स्वदेशी तकनीक विकसित करना है।
- **मिशन:**
  - महासागर संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना और उनका अनुप्रयोग ।
  - महासागरों के लिये कार्य करने वाले संगठनों के लिये तकनीकी सेवाओं और समाधानों को समन्वित करना।
  - समुद्री संसाधनों और पर्यावरण के प्रबंधन हेतु भारत में संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।

डेलाइट सेविंग टाइम

संदर्भ

डेलाइट सेविंग टाइम (Daylight Saving Time- DST) मार्च में प्रारंभ होकर नवंबर के पहले रविवार को समाप्त होता है। इस वर्ष DST 10 मार्च को शुरू हुआ और 3 नवंबर, 2019 को समाप्त हो गया।

- इस वर्ष यूरोप की घड़ियों में रविवार को समय एक घंटे पीछे हो गया, इस घटना ने DST की समाप्ति के संकेत दिये। इसी प्रकार की घटनाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखी गईं। दक्षिणी गोलार्द्ध में इसके विपरीत घटना देखी गई और न्यूज़ीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में घड़ियों में समय एक घंटे आगे बढ़ गया।

डेलाइट सेविंग टाइम क्या है ?

- DST गर्मियों के महीनों के दौरान मानक समय (Standard Time) से घड़ियों को एक घंटे आगे करने की प्रक्रिया है ताकि दिन की अवधि का बेहतर उपयोग किया जा सके। इस DST का प्रयोग यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बसंत से शरद ऋतु (दिन की कम अवधि) के दौरान किया जाता है जिससे यहाँ पर शाम को 1 घंटा अतिरिक्त मिलता है।
- भारत और लंदन के बीच मानक समय में साढ़े पाँच घंटे का अंतर है, वहाँ पर DST के प्रयोग से भारत का मानक समय भी प्रभावित होता है।

डेलाइट सेविंग टाइम: इतिहास

- ऊर्जा को बचाने और वार्षिक स्तर पर दिन की अवधि के लिये घड़ियों के समय को समायोजित करने का विचार लगभग 200 वर्ष से अधिक पुराना है।
- पोर्ट आर्थर (ओंटारियो) के लेखों में 1 जुलाई, 1908 में कनाडाई लोगों के एक समूह द्वारा DST का पहली बार प्रयोग किया गया था। बाद के वर्षों में इसका प्रयोग कनाडा के अन्य हिस्सों में किया गया।
- अप्रैल 1916 में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान यूरोप में कोयले की भारी कमी हो गई। इस प्रकार की परिस्थितियों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी द्वारा दिन की अवधि को समायोजित करने के लिये DST का प्रयोग किया गया था ।

DST के उपयोगकर्त्ता:

- भूमध्य रेखा के आसपास के देश (अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में) आमतौर पर DST का पालन नहीं करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष दिन की अवधि लगभग एक समान रहती है।
- भारत में DST का प्रयोग नहीं किया जाता है, हालाँकि देश के कई हिस्सों में सर्दियों में दिन काफी छोटे होते हैं।
- अधिकांश खाड़ी देश DST का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिये रमज़ान के महीने में दिन की अवधि बढ़ जाती है। पूर्वी एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में DST की व्यवस्था नहीं है।

नोट :

पम्बा-अचनकोविल-वैपर नदी जोड़ो परियोजना

चर्चा में क्यों ?

केरल सरकार प्रस्तावित पम्बा-अचनकोविल-वैपर (Pamba-Achankovil-Vaippar) नदी परियोजना के कार्यान्वयन का विरोध कर रही है क्योंकि इस परियोजना से केरल-तमिलनाडु के मध्य जल का डायवर्ज़न बढ़ जाएगा। केरल के अनुसार राज्य की नदियों में अतिरिक्त जल नहीं है।

परियोजना के बारे में:

- इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1995 में केरल के लिये 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा तमिलनाडु में भूमि सिंचाई हेतु की गई थी।
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency-NWDA) की परियोजनाओं में सूचीबद्ध इस परियोजना के तहत केरल में पम्बा और अचनकोविल नदियों से तमिलनाडु के वैपर बेसिन के लिये 634 क्यूबिक मिलीमीटर पानी के डायवर्जन की परिकल्पना की गई है।
  - हालाँकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना को इसमें शामिल राज्यों की मंज़ूरी के बाद ही क्रियान्वित किया जाएगा।

नदी जोड़ो परियोजनाओं के लाभ:

- ये परियोजनाएँ देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिये आवश्यक हैं।
- परियोजना द्वारा जल का संग्रहण करना या जल अधिशेष क्षेत्र से कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना, मानसून की विफलता के कारण होने वाली समस्या का एक व्यावहारिक समाधान है।
- चूँकि ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यदि किसी वर्ष मानसून विफल हो जाता है, तो कृषि गतिविधियों में ठहराव आ जाता है जो ग्रामीण गरीबी बढ़ने का एक कारक है।
- इसके अलावा ये परियोजनाएँ, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये एक नया व्यवसाय सृजित करती हैं जैसे- मछली पालन

इनसे संबंधित मुद्दे:

- इस परियोजना का विरोध करने वालों ने जल-जमाव, लवणता और मरुस्थलीकरण जैसे सामाजिक-पारिस्थितिकीय प्रभावों के समग्र मूल्यांकन के अभाव का हवाला देते हुए इसकी उपादेयता पर प्रश्न उठाए हैं।
- नहरों और जलाशयों के निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है इससे वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पम्बा नदी

- इस नदी का उद्भव केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित पीरमेड पठार (Peermade Platue) से होता है और यह अंत में अरब की खाड़ी में गिरती है।
- पम्बा नदी का पूरा जलग्रहण क्षेत्र केरल राज्य में है।
- पम्बा बेसिन पूर्व में पश्चिमी घाट से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है।

अचनकोविल नदी

- इस नदी का उद्भव पश्चिमी घाट में केरल के पठानमथिट्टा (Pathanamthitta) ज़िले से होता है।
- यह वीयपुरम (Veeyapuram) में पम्बा नदी से मिलती है।
- यह नदी पूरी तरह से केरल राज्य में विस्तारित है।

वैपर नदी

- इस नदी का उद्भव तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के वरुशनाड पहाड़ी श्रृंखला (Varushanad hill) रेंज के पूर्वी ढलानों से होता है।

नोट :

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency-NWDA):

- NWDA की स्थापना जुलाई 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी।
- इसके कार्य इस प्रकार हैं-
  - राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परियोजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को ठोस आकार देना।
  - जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिये वैज्ञानिक और यथार्थवादी आधार पर जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन करने एवं संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करना।

एक्वा अल्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इटली में एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित वेनिस में बाढ़ के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई।

- यह घटना तट पर आए उच्च ज्वार के कारण घटित मानी जा रही है। हालाँकि कुछ विश्लेषक एवं इटली के राजनीतिज्ञ इसकी व्याख्या जलवायु परिवर्तन के परिणाम के रूप में कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- "एक्वा अल्ता" (Acqua Alta) एड्रियाटिक सागर में असाधारण उच्च ज्वार को दिया गया नाम है।
- वेनिस उत्तर-पूर्व इटली में एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है।
- वेनिस में इस जलभराव का स्तर 1.87 मीटर (6 फीट से अधिक) के करीब था। वर्ष 1966 में आई बाढ़ के दौरान जल स्तर 1.91 मीटर था। अत: वर्तमान बाढ़ की विभीषिका पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक मानी जा सकती है।
- शहर के सेंट मार्क स्क्वायर में जलभराव एक मीटर था जबकि निकटवर्ती सेंट मार्क बेसिलिका में पिछले 1,200 वर्षों में छठी बार और पिछले 20 वर्षों में चौथी बार इतनी तीव्र बाढ़ आई थी।
- शरद ऋतु के उत्तरार्द्ध में तथा शीत ऋतु में इस क्षेत्र में उच्च ज्वार या जिसको अधिक तीव्रता के कारण एक्वा अल्ता भी कहा जाता है, के घटित होने की दशाएँ उत्पन्न होती हैं।
- पिछले वर्ष अक्तूबर के अंत में उच्च ज्वार के कारण वेनिस की नहरों के जल स्तर में वृद्धि हुई, इससे शहर का लगभग 75 प्रतिशत भाग जलमग्न हो गया था।

वेनिस

- वेनिस उत्तर-पूर्वी इटली का एक शहर और वेनेटो प्रदेश की राजधानी है।
- यह 118 छोटे द्वीपों का समूह है, जो नहरों द्वारा अलग किये गए हैं और 400 से अधिक पुलों से आबद्ध हैं।
- ये द्वीप विनीशियन लैगून में स्थित हैं, जो एक संलग्न खाड़ी है तथा पो और पियावे नदियों के मुहाने के मध्य स्थित है।
- लैगून और शहर के एक हिस्से को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वेनिस को 'ला डोमिनेंट', 'ला सेरेनिसीमा', 'एड्रियाटिक की रानी', 'पानी का शहर', 'पुलों का शहर', 'तैरता हुआ शहर' और 'नहरों का शहर' के रूप में जाना जाता है।

MOSE परियोजना: बाढ़ अवरोधक प्रणाली

- वर्ष 1991 के बाद से वेनिस को अत्यधिक महँगे और आवश्यक बाढ़ अवरोधक प्रणाली की ज़रूरत है, जिसे MOSE (प्रायोगिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मॉड्यूल के लिये संक्षिप्त नाम) कहा जाता है, जो 2003 से निर्माणाधीन है किंतु यह अब तक पूर्ण नहीं हो सका है।
- MOSE परियोजना को वर्ष 2014 में पूर्ण किया जाना था बाद में इस अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2016 कर दिया गया। किंतु इस परियोजना के वर्ष 2021 से पूर्व पूर्ण होने की संभावना नहीं है। लोगों का मानना है कि यदि यह प्रणाली पूर्ण रूप से सक्रीय होती तो इस प्रकार की बाढ़ से बचा जा सकता था।

नोट :

- वर्ष 2003 के बाद से इस बाढ़ अवरोधक प्रणाली के निर्माण में लगभग 5.5 बिलियन यूरो खर्च किया जा चुका है। इस परियोजना में अत्यधिक खर्च एवं देरी का कारण इसके अकुशल प्रशासन एवं भ्रष्टाचार को माना जा रहा है, जिसको लेकर प्राय: इसकी आलोचना होती रही है।
- इस परियोजना की शुरुआती लागत 1.6 बिलियन यूरो थी, इसकी अत्यधिक बढ़ी हुई लागत इसके महँगा होने की ओर इशारा करती है वहीं दूसरी ओर MOSE परियोजना इस क्षेत्र में स्थित लैगून के लिये पर्यावरणीय संकट को जन्म दे रही है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का निर्माणाधीन हिस्सा भी खराब गुणवत्ता को लेकर चर्चा में बना हुआ है।

वास्तव में, पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च और निरंतर शक्तिशाली ज्वारों की स्थिति देखी जा रही है, जिसके लिये MOSE जैसी परियोजना उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हालाँकि इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं वह अपने आप में इस क्षेत्र के लैगून पारिस्थितिकी तंत्र के लिये गंभीर खतरा है।

बंजर भूमि रूपांतरण

संदर्भ

बढ़ते बंजर भूमि (Wasteland) से लोगों की आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को खतरा है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में 14,000 वर्ग किमी. बंजर भूमि का वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के बीच उत्पादन उपयोग (Productive Use) योग्य भूमि में रूपांतरण किया गया।
- हाल ही में भूमि संसाधन विभाग (Land Resources Department) ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) के सहयोग से तैयार किये गए बंजर भूमि एटलस (Wastelands Atlas) को जारी किया।
- यह 23 अलग-अलग प्रकार की बंजर भूमियों को मापने हेतु उपग्रह डेटा का उपयोग करता है और भूमि सुधार (Reclamation) के प्रयासों के प्रभाव को ट्रैक करता है।
- बंजर भूमि रूपांतरण सबसे अधिक राजस्थान में हुआ, जहाँ 4,803 वर्ग किमी. बंजर भूमि को उत्पादन योग्य भूमि में बदल दिया गया।
- राजस्थान की बंजर भूमियों में व्यापक स्तर पर सौर पार्क (Solar Park) स्थापित किये गए है, इन सौर पार्कों से प्राप्त की अक्षय ऊर्जा का औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उच्च स्तर पर बंजर भूमि रूपांतरण हुआ है।

बंजर भूमि रूपांतरण का महत्त्व:

- सरकार बंजर भूमि के रूपांतरण को प्रोत्साहित कर रही है, यह इंगित करते हुए कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है और इसके पास केवल 2.4% कृषि भूमि क्षेत्र है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा उत्पादन योग्य भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने और अतिरिक्त भूमि बढ़ाने (बंजर भूमि रूपांतरण) की तत्काल आवश्यकता है।
- यह अनुपयोगी बंजर भूमि खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने और वनस्पति आवरण का विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आगे की राह:

- बंजर भूमि को उत्पादक उपयोग में लाने के लिये वनीकरण के प्रयासों, बुनियादी ढाँचे के विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिये।
- सरकार द्वारा संचालित प्रयासों के साथ ही स्थानीय निवासियों द्वारा किये जाने वाले बंजर भूमि रूपांतरण के प्रयास महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

पारंपरिक सार्वजनिक भूमि (Traditional Commons Land):

- बंजर भूमि कई अवसरों पर पारंपरिक सार्वजनिक भूमि होती है जिस पर सार्वजानिक स्वामित्व होता है।

नोट :

- दक्षिणी भारत में इन पारंपरिक सार्वजनिक भूमि क्षेत्रों को पोरोम्बोक (Poromboke) भूमि कहा जाता है, सार्वजनिक स्वामित्व होने के कारन इन भूमि क्षेत्रों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है।
- कर्नाटक में इसी प्रकार के सार्वजनिक स्वामित्व वाले चराई क्षेत्रों को गोमल भूमि (Gomal land) कहा जाता है।

मेघालय वर्षावन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी' (North Eastern Hill University) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि मेघालय के वर्षावनों की संरचना और जैव विविधता भूमध्यरेखीय वर्षावनों (Equatorial Rainforests) के समान है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर-पूर्वी राज्य मेघालय जीवित जड़ों से निर्मित पुलों तथा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये जाना जाता है।
- मेघालय में कर्क रेखा के उत्तर में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों (Tropical Rainforests) की अधिकता है।

उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन:

- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतुओं और वनस्पतियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती हैं। ये वर्षावन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।
- पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका है परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का 4/5वाँ भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ही पाया जाता है।
- यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता है।
- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार के वनों का अत्यधिक विस्तार भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में पाया जाता है, जहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ वर्ष भर वर्षा होती है।

अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन का उद्देश्य वर्षावनों की उत्तरी सीमा को जानना तथा इन वर्षावनों की भूमध्यरेखीय वर्षावनों से भिन्नता को जानना था।
- इस अध्ययन में पाया गया कि मेघालय में उच्च वर्षा और आर्द्रता, उचित वार्षिक औसत तापमान वर्षावनों के अस्तित्व के लिये अनुकूल हैं।
- इस अध्ययन में 2500 से अधिक वृक्षों, झाड़ियों आदि पर शोध किया गया तथा 180 विभिन्न कुलों (वर्गिकी) की पहचान की गई।
- भूमध्यरेखीय वर्षावनों की अपेक्षा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में फगेसी (Fagaceae) तथा थिएसी (Theaceae) कुल के वनों का अधिक प्रतिनिधित्व पाया गया।

छोटे वृक्षों की अधिकता:

- इस अध्ययन के अनुसार, मेघालय के वर्षावनों की विविधता अन्य वर्षावनों के समान थी परंतु इन वर्षावनों में पेड़ों की ऊँचाई काफी कम थी। मेघालय के वर्षावनों में पेड़ो की ऊँचाई लगभग 30 मीटर तक ही पहुँच पाती है जब कि भूमध्यरेखीय वर्षावनों में पेड़ों की ऊँचाई 45 से 60 मीटर तक होती है।
- मेघालय वर्षावनों में 467 पेड़ प्रति हेक्टेयर का उच्च घनत्व है, यह भूमध्य रेखीय वर्षावनों की तुलना में कम है।
- इन वर्षावनों में कर्क रेखा के पास पाए जाने वाले विश्व के सभी वर्षावनों से अधिक समृद्ध जैव विविधता पाई गई।

मेघालय वर्षावन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के वैश्विक मानचित्र में शामिल नहीं:

- इस अध्ययन के अनुसार, मेघालय वर्षावनों को विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के मानचित्र से नजरंदाज किया गया है।
- इन वर्षावनों का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है।
- स्थानीय जनजातियों में इन वनों को 'पवित्र उपवन' के रूप में संरक्षित करने की समृद्ध संस्कृति है।
- हाल ही में प्रारंभ हुई विकासात्मक गतिविधियों और बढ़ते हुए पर्यटन ने इन वर्षावनों की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है।

नोट :

विद्युत उत्पादन के लिये परमाणु ऊर्जा संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिये अनुमानित ऊर्जा की आवश्यकता 15,66,023 मिलियन यूनिट है जो वर्ष 2018-19 के लिये 12,74,595 मिलियन यूनिट थी।

- अर्थात् वर्ष 2021-22 के लिये कुल उर्जा की मांग में 22.86% की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास में 22 परमाणु संयंत्र शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावॉट है। इनमें से एक संयंत्र, आरएपीएस -1 (100 मेगावॉट) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के कारण बंद (Shutdown) है।
- देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग 3% का योगदान है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का क्रियान्वयन:

- भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों का प्रचालन एवं इनसे संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Nuclear Power Corporation of India Limited- NPCIL) द्वारा किया जाता है।

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Nuclear Power Corporation of India Limited- NPCIL)

- NPCIL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy-DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
- इसे सितंबर, 1987 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE):

- DAE की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत 3 अगस्त, 1954 को की गई थी।
- परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अधिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर प्रदान कर भारत को और शक्ति संपन्न बनाना है।

निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावॉट)
गुजरात	काकरापुर	KAPP-3-4	2 X 700
राजस्थान	रावतभाटा	RAPP-7-8	2 X 700
हरियाणा	गोरखपुर	GHAVP-1-2	2 X 700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	KKNPP– 3-4	2 X 1000
तमिलनाडु	कलपक्कम	PFBR	500

प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी प्राप्त परियोजनाएँ:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावॉट)
मध्य प्रदेश	चुटका	Chutka - 1-2	2 X 700
कर्नाटक	कैगा	Kaiga - 5-6	2 X 700
राजस्थान	बांसवाड़ा	Mahi Banswara - 1-2	2 X 700

नोट :

Mahi Banswara - 3-4	2 X 700	KKNPP– 3-4	2 X 1000
2 X 700	कलपक्कम	PFBR	500
हरियाणा	गोरखपुर	GHAVP - 3-4	2 X 700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	KKNPP - 5-6	2 X 1000

कोलबेड मीथेन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा संचालित कोयला खदान से कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited-CIL) को आगामी दो से तीन वर्षों के लिये 2 एमएमएससीबी (Million Metric Standard Cubic Metres-MMSCB) प्रतिदिन कोलबेड मीथेन के उत्पादन का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- कोलबेड मीथेन (Coalbed Methane-CBM) एक अपरंपरागत गैस का भंडार है। यह कोयले की चट्टानों में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद रहती है।
- मीथेन गैस कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है। इसे ड्रिल किया जाता है तथा नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है।
- भारत कोयले के भंडार के मामले में विश्व में पाँचवें स्थान पर है तथा इस दृष्टिकोण से CBM स्वच्छ उर्जा का एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
- पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (Directorate General of Hydrocarbon-DGH) के अनुसार, भारत में CBM भंडार लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट या 2,600 बिलियन क्यूबिक मीटर है।
- देश के 12 राज्यों में कोयला तथा CBM भंडार पाए जाते हैं। जहाँ गोंडवाना निक्षेप (Gondwana Sediments) में यह बहुतायत में मौजूद है।
- वर्तमान में CBM का उत्पादन झारखंड के रानीगंज, झरिया तथा बोकारो कोलफील्ड में होता है।
- आगामी समय में सरकार दामोदर-कोयल घाटी तथा सोन घाटी में CBM के उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर सकती है।

CBM का महत्त्व:

- CBM का उपयोग विद्युत उत्पादन में, वाहनों के ईंधन में संपीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas-CNG) के तौर पर, खाद (Fertiliser) के निर्माण में किया जा सकता है।
- इसके अलावा इसका प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में जैसे- सीमेंट उद्योग, रोलिंग मिलों में, स्टील प्लांट तथा मीथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकता है।
- CBM एक स्वच्छ ईंधन है जो कि तुलनात्मक रूप से अन्य ईंधनों की अपेक्षा कम प्रदूषण उत्पन्न करता है।

एटालिन जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की अनुशंसा की है।

नोट :

अवस्थिति

- यह परियोजना दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। इसके पूर्ण होने की समयावधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है।
  - दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुज़रती है।
- परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियों (दिर तथा टैंगो) पर दो बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पुरापाषाणकालीन, इंडो-चाइनीज़ और इंडो-मलयन जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के संधि-स्थल पर स्थित होगी।

महत्त्व:

- भारत सरकार द्वारा यह परियोजना चीन से आने वाली नदियों पर प्राथमिक उपयोगकर्त्ता अधिकार स्थापित करने और उत्तर-पूर्व में परियोजनाओं को तेज़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।
- इस परियोजना के भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है।

मुद्दे:

- इस परियोजना से कुल 18 गाँवों के निवासी प्रभावित होंगे।
- इसके तहत लगभग 2,80,677 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- इस क्षेत्र में पक्षियों की 680 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भारत में पाई जाने वाली कुल एवियन प्रजातियों (Avian Species) का लगभग 56% है।

नोट:

- जैव भौगोलिक क्षेत्र, समान पारिस्थितिकी, बायोम प्रतिनिधित्व, समुदाय और प्रजातियों की वृहद् विशिष्ट इकाइयाँ हैं। जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट।
- पुरापाषाण क्षेत्र में आर्कटिक और शीतोष्ण यूरेशिया, आर्कटिक क्षेत्र में महाद्वीप के आसपास के सभी द्वीप, जापान के समुद्री क्षेत्र और उत्तरी अटलांटिक के पूर्वी हिस्से शामिल हैं।
  - इसमें मैकरोल द्वीप, भूमध्यसागरीय उत्तरी अफ्रीका और अरब भी शामिल हैं।
- इंडो-मलयन प्रांत की प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय एशिया में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पहाड़ों से लेकर हिमालय शिखर के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व तक, इसके अलावा इसमें संपूर्ण दक्षिणपूर्वी एशिया, फिलीपींस और चीन की उष्णकटिबंधीय दक्षिणी सीमा के साथ ताइवान भी शामिल है।

भूकंप आपदा जोखिम इंडेक्स रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (National Disaster Management Authority-NDMA) तथा आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से भूकंप आपदा जोखिम इंडेक्स रिपोर्ट (Earthquake Disaster Risk Index) का प्रकाशन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 56 प्रतिशत क्षेत्र, जहाँ लगभग 82 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, बड़े भूकंपों के दृष्टिकोण से सुभेद्य हैं।
- इस इंडेक्स में देश के 50 शहरों तथा 1 ज़िले (बरेली) को शामिल किया गया।
- इस सर्वेक्षण में शहरों को जनसंख्या घनत्व, घरों की बनावट में जोखिम के आधार पर तथा स्मार्ट सिटी योजना को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया।

नोट :

- वे शहर जो पहाड़ों की ढलान पर बसे थे, वहाँ भूकंप की निम्न अनावृति (Low Exposure) थी, जबकि समतल क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है वहाँ इसकी उच्च अनावृति (High-Exposure) थी।
- सर्वेक्षण में शामिल सभी शहरों में भूकंप सुभेद्यता (Vulnerability)- पाँच शहरों में निम्न (Low), 36 शहरों में मध्यम (Medium) तथा 9 शहरों में उच्च (High) पाई गई।
- 50 शहरों के सर्वेक्षण से प्राप्त अंतिम आँकड़ों के आधार पर केवल सात शहरों को निम्न स्तरीय जोखिम की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 30 शहरों को मध्यम तथा 13 शहरों को उच्च जोखिम की श्रेणी में शामिल किया गया है।

- खतरा (Hazard) का तात्पर्य है कि भूकंप के दौरान कोई क्षेत्र कितनी तीव्रता का कंपन महसूस करता है। यह प्राकृतिक घटना है तथा इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।
- अनावृति (Exposure) का आशय इससे है कि किसी स्थान विशेष में कितने भवनों का निर्माण हुआ है जो भूकंप के दौरान प्रभावित हो सकते हैं।
- सुभेद्यता (Vulnerability) का तात्पर्य भूकंप प्रवण (Prone) क्षेत्र में बनी इमारतों की सहनशक्ति से है। सुभेद्यता को व्यवस्थित इंजीनियरिंग तथा आर्किटेक्चर द्वारा ठीक किया जा सकता है।

आगे की राह:

- इस रिपोर्ट के माध्यम से तथा अन्य जन जागरूकता के प्रयासों द्वारा भूकंप के खतरों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है जिससे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में घरों के निर्माण से बचा जा सके।
- आर्किटेक्ट तथा इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण में निर्धारित मानदंडों का प्रयोग करते हुए भूकंपरोधी घर बनाए जाएँ।
- इस अध्ययन से प्राप्त आँकड़े नीति निर्माताओं के लिये भूकंप जैसी आपदा से बचाव तथा उसके प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

भोपाल गैस त्रासदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा भोपाल गैस त्रासदी पर किया गया शोध विवादों में रहा है।

मुख्य बिंदु:

- इस विशेषज्ञ समिति में 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (All India Institute of Medical Sciences-AIIMS), राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (National Institute for Research in Environmental Health-NIREH) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council for Medical Research- ICMR) के वैज्ञानिक शामिल थे।
- भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित पीड़ितों के लिये कार्य कर रहे कुछ संगठनों ने ICMR पर यह आरोप लगाया है कि इस समिति द्वारा किये गए शोध में कुछ गलतियाँ थीं फिर भी इन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकाशित नहीं किया गया।
- इस शोध से संबंधित रिपोर्ट को भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिये कार्य करने वाल कार्यकर्त्ताओं के एक संघ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किया गया है।
- इस समिति द्वारा तकरीबन 48 लाख रुपए की लागत किये गए शोध की कार्यप्रणाली में बहुत खामियाँ थीं तथा इसे गलत तरीके से गठित किये जाने के कारण इसके निष्कर्ष भी अनिर्णायक रहे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक पुनर्विचार याचिका स्वीकार की है जिसमें इस घटना से प्रभावित लोगों के लिये अधिक मुआवज़े की मांग की गई है
- इस मामले में बच्चों में जन्मजात विकृतियों से संबंधित आँकड़े पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के लिये महत्वपूर्ण हैं।

नोट :

शोध से संबंधित अन्य तथ्य:

- विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गए इस शोध में यह बात सामने आई है कि सामान्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित माताओं और उनसे जन्म लेने बच्चों में कई तरह की स्वास्थ्य कमियाँ पाई गईं तथा इन बच्चों में अधिकतर 'जन्मजात विकृति' से प्रभावित थे।
- इस शोध के अनुसार, भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित गर्भवती महिलाओं से जन्मे 1048 बच्चों में से 9 प्रतिशत में कई जन्मजात स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ विद्यमान थीं। इसके विपरीत 1247 सामान्य गर्भवती महिलाओं से जन्मे बच्चों में यह समस्याएँ केवल 1.3 प्रतिशत में पाई गई।
- इन विकृतियों से प्रभावित होने बच्चों में भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित गर्भवती महिलाओं की अगली पीढ़ी के भी बच्चे थे।

भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy):

- 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) [परिवर्तित नाम- डाउ केमिकल्स (Dow Chemicals)] कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट (Methyl Isocyanate) गैस का रिसाव हुआ था।
- इस घटना में हज़ारों लोगों की मौत हो गई थीं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे।
- रिसाव की घटना पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही के कारण हुई थी, पहले भी कई बार रिसाव की घटनाएँ हुई थीं लेकिन कंपनी ने सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किये थे।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

फेफड़ों के स्वास्थ्य पर यूनियन विश्व सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2019 तक हैदराबाद में फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वें यूनियन विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का विषय (Theme) 'एंडिंग द इमरजेंसी: साइंस, लीडरशिप, एक्शन' (Ending the Emergency: Science, Leadership, Action) है।
  - इस सम्मेलन के माध्यम से प्रतिबद्धताओं को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकताओं और जीवन रक्षक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - सम्मेलन के विषय का उद्देश्य टीबी के उन्मूलन हेतु दृढ़ता से प्रतिबद्धता है। इसके अतिरिक्त यह फेफड़ों के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह अनेक आपात स्थितियों जैसे- वायु प्रदूषण एवं तंबाकू सेवन से संबंधित खतरों से निपटने पर ज़ोर देता है।
- फेफड़ों की बीमारी से संबंधित हितधारकों का यह विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह सम्मेलन विशेष रूप से निम्न और निम्न-मध्यम आय वाली जनसंख्या के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वर्ष 1920 से इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लुसोसिस (International Union Against Tuberculosis- IUAT) इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- भारत टीबी के उन्मूलन हेतु दृढ़ता से प्रयत्नशील है और इसने वर्ष 2025 तक टीबी के पूर्णत: उन्मूलन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत ने रिफ़ापेंटाइन (Rifapentine) का मूल्य कम करने के लिये एक समझौता भी किया गया। रिफ़ापेंटाइन एक महत्त्वपूर्ण दवा है जिसका उपयोग टीबी की रोकथाम के लिये किया जाता है।

तपेदिक (TB)

- यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Bacterium Mycobacterium Tuberculosis) जीवाणु के कारण होता है।
- इसका प्रसार पीड़ित व्यक्ति से हवा के माध्यम से हो सकता है। सामान्यत: एक वर्ष में एक रोगी दस या अधिक लोगों को संक्रमित करता है।
- टीबी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर दर्ज किये गए टीबी के सभी मामलों में से 26% मामले भारत में दर्ज हैं।
- वर्ष 2011 में अनुमानित 8.8 मिलियन वैश्विक टीबी के मामलों में से लगभग 2.3 मिलियन मामले भारत से संबंधित थे।
- टीबी के लिये प्रयोग की जाने वाली बेसिलस कैलमेट-गुएरिन (Bacillus Calmette– Guérin- BCG) वैक्सीन को अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुरेन ने वर्ष 1921 में विकसित किया था।

इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लुसोसिस

- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1920 में पेरिस में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस की स्थापना की गई।
- वर्ष 1940 में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पहला गैर- आधिकारिक संगठन बना।
- यह टीबी के इलाज में नए साधनों के उपयोग हेतु सर्वोत्तम तरीकों को निर्धारित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षणों में केंद्रीय भूमिका निभाता है इसके अतिरिक्त यह टीबी निगरानी अनुसंधान इकाई (TB Surveillance Research Unit) का सह-संस्थापक भी है।

नोट :

अनैच्छिक गर्भधारण से खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 36 देशों में किये गए एक नए अध्ययन में कहा गया है कि अनैच्छिक गर्भधारण (Unintended Pregnancy) बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य जोखिमों की व्यापकता को बढ़ा देता है। अध्ययन के अनुसार, अनैच्छिक गर्भधारण की उच्च दर का संबंध परिवार नियोजन सेवाओं में विद्यमान कमियों से है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार, अध्ययन में शामिल दो-तिहाई महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और दुष्प्रभावों के डर तथा गर्भाधान की संभावना को कम आँकते हुए गर्भनिरोधक का उपयोग बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक 4 गर्भधारण में से 1 अनैच्छिक था।

अनैच्छिक गर्भधारण क्या है ?

- अनैच्छिक गर्भधारण से तात्पर्य- असमय (Mistimed), अनियोजित (Unplanned) या अनचाहे (Unwanted) गर्भधारण से है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाली 74 मिलियन महिलाएँ प्रत्येक वर्ष अनैच्छिक गर्भधारण करती हैं। इस अनैच्छिक गर्भधारण के कारण प्रत्येक वर्ष 25 मिलियन असुरक्षित गर्भपात और साथ ही 47,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
- अध्ययन से पता चलता है कि गर्भनिरोधक का उपयोग बंद करने वाली 85% महिलाएँ पहले वर्ष के दौरान ही गर्भवती हो गईं।
- जिन महिलाओं ने अनैच्छिक गर्भधारण के कारण गर्भपात कराया है, उनमें से आधी महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, दुष्प्रभावों या उपयोग में असुविधा जैसे मुद्दों के कारण अपने गर्भनिरोधक तरीकों को बंद कर दिया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी 4794 महिलाओं का अध्ययन किया, जिनका गर्भनिरोधक का उपयोग बंद करने के बाद अनैच्छिक गर्भधारण हुआ था। इसमें से 56% गर्भवती महिलाओं ने पिछले 5 वर्षों से गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं किया था। अनैच्छिक गर्भधारण वाली 9.9% महिलाओं ने गर्भधारण को रोकने के लिये पारंपरिक विधियों {जैसे- प्रत्याहार (Withdrawal) या कैलेंडर-आधारित विधि}, 31.2% ने लघुकालिक आधुनिक विधि (जैसे जन्म नियंत्रण हेतु गोलियाँ एवं कंडोम) और 2.6% ने दीर्घकालिक गर्भनिरोधक तरीके {जैसे अंतर्गर्भाशयी उपकरण (Intrauterine Device- IUD) तथा प्रत्यारोपण (Implants)} का इस्तेमाल किया}।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में गर्भपात की दर 15-49 वर्ष की आयु समूह में प्रति 1,000 महिलाओं पर 47 थी। 3.4 मिलियन गर्भपात (22%) स्वास्थ्य सुविधाओं (Health Facility) में किये गए, 11.5 मिलियन (73%) गर्भपात स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर दवाओं (Medication Abortion) के माध्यम से और 0.8 मिलियन (5%) गर्भपात में अन्य तरीकों का उपयोग किया गया। भारत में, सभी गर्भधारण में से लगभग एक-तिहाई गर्भपात के रूप में परिणत होते हैं और लगभग आधे गर्भधारण अनैच्छिक होते हैं।
- WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने में गर्भनिरोधक के आधुनिक तरीकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- उच्च गुणवत्तायुक्त परिवार नियोजन से न केवल मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- WHO के अनुसार कानूनी, नीतिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर किये जाने से अधिक लोगों को प्रभावी गर्भनिरोधक सेवाओं का लाभ मिलेगा।

अनैच्छिक गर्भधारण के दुष्प्रभाव:

1. कुपोषण और बीमारी।
2. दुर्व्यवहार और उपेक्षा।
3. बच्चे या माँ की मृत्यु।
4. उच्च प्रजनन दर के फलस्वरूप तीव्र जनसंख्या वृद्धि।
5. शिक्षा और रोज़गार की संभावनाओं को कम करता है।
6. गरीबी ।

नोट :

परिवार नियोजन के अंतर्गत गर्भनिरोधक सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिये WHO द्वारा की गई अनुशंसाएँ:

- गर्भनिरोधक के प्रभावी तरीकों के चयन और उपयोग के लिये एक साझा निर्णय प्रक्रिया को अपनाना, जिससे उपयोगकर्त्ता की आवश्यकताओं और वरीयताओं की पूर्ति हो सके।
- महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली गर्भनिरोधक विधि से संबंधित मुद्दों की अतिशीघ्र पहचान करना।
- महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों तथा गरिमा का सम्मान करने के साथ-साथ प्रभावी परामर्श (Effective Counselling) उपलब्ध कराना एवं आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों को अपनाने के लिये उन्हें सक्षम बनाना।

स्वास्थ्य आपातकाल

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है क्योंकि 1 नवंबर, 2019 को प्रदूषण का स्तर अत्यंत गंभीर (Severe Plus) श्रेणी का पाया गया।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर, 2019 को दिल्ली का समग्र AQI (Air quality Index) स्कोर 504 के स्तर पर पहुँच गया था।
- इसके अतिरिक्त 1 नवंबर, 2019 को दिल्ली का औसत AQI स्कोर (24 घंटों में 32 निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आँकड़ों के औसत के अनुसार) 484 अत्यंत गंभीर श्रेणी का पाया गया।
- नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में क्रमश: 499, 496, 479, 496 और 469 AQI स्कोर था जो अत्यंत गंभीर श्रेणी को प्रदर्शित करता है।

प्रभाव:

- इस प्रकार के प्रदूषण से आँख और साँस संबंधित समस्याएँ बढ़ जाती हैं।
- लोग गले में जलन, सूखी त्वचा और त्वचा की एलर्जी जैसे प्रदूषण से जुड़े लक्षणों का सामना कर रहे हैं।
- इसके कारण दमा रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है।

कारण:

- दीपावली के पटाखे।
- दिल्ली में प्रदूषण के लिये का सबसे अधिक ज़िम्मेदार पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को माना जा रहा है।
- प्रतिकूल मौसम परिस्थितियाँ।
- वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण 'सफर' के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट का यह सर्वाधिक निम्न स्तर है।

आगे की राह:

- लोगों को इस अवधि के दौरान घर से बाहर केवल ज़रूरी होने पर ही निकलने का परामर्श जारी किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

नोट :

सामाजिक-आर्थिक संकेतक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018 [Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report, 2018] तथा इम्प्लॉयमेंट-अनइम्प्लॉयमेंट सर्वे, 2011-12 (Employment Unemployment Survey (EUS), 2011-12) के आँकड़ों के आधार पर मुस्लिम युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिंदु:

- जिस प्रकार लोकसभा-चुनाव 2019 के परिणामों में संसद के निचले सदन में मुस्लिम सांसदों की संख्या काफी कम होने से मुसलमानों के राजनीतिक रूप से हाशिये पर आने की पुन: पुष्टि हुई है उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से भी हाशिये पर है।
- PLFS रिपोर्ट, 2018 तथा EUS, 2011-12 के आँकड़ों का प्रयोग करके इस लेख में मुस्लिम युवाओं तथा अन्य वर्गों के युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना की गई है।
- यह रिपोर्ट उन 13 राज्यों से संबंधित आँकड़ों से तैयार की गई है जो वर्ष 2011 की जनगणना में उपस्थित 17 करोड़ मुस्लिमों की संख्या के 89% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मुस्लिम युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिये तीन वर्ग बनाए गए हैं-

- स्नातक उपाधि प्राप्त युवा:
  - स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके युवाओं को शिक्षा प्राप्त युवाओं की श्रेणी में रखा गया है।
  - वर्ष 2017-18 के दौरान शिक्षा प्राप्ति का अनुपात मुस्लिम युवाओं में 14%, दलित समुदाय में 18%, हिन्दू ओबीसी वर्ग में 25% तथा हिंदू उच्च जातियों में 37% है।
  - वर्ष 2011-12 में मुस्लिम वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग के युवाओं के बीच शिक्षा प्राप्ति का अंतर केवल 1% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 4% हो गया, इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में मुस्लिम समुदाय तथा हिंदू ओबीसी वर्ग के युवाओं के बीच यह अंतर 7% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 11% हो गया, वहीं वर्ष 2011-12 के दौरान कुल हिंदू और मुस्लिम वर्ग के युवाओं के बीच यह अंतर 9% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 11% हो गया।
  - हिंदी-भाषी राज्यों में वर्ष 2017-18 के दौरान शिक्षित युवा मुस्लिमों की सबसे कम संख्या (3%) हरियाणा राज्य में है। यह संख्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्रमश: 7% तथा 11% है। हिंदी-भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहाँ मुस्लिम समुदाय के शिक्षित युवाओं की संख्या (17%) अनुसूचित वर्ग के युवाओं की संख्या की तुलना में अधिक है।
  - वर्ष 2011-12 में हरियाणा और राजस्थान में अनुसूचित वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय के शिक्षा प्राप्त युवाओं की संख्या में अंतर 12% का था, वहीं उत्तर प्रदेश में यह अंतर 7 प्रतिशत का था।
  - पूर्वी भारतीय राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या क्रमश: 8%, 8% और 7% है, जबकि इन्हीं राज्यों में अनुसूचित वर्ग के शिक्षित युवाओं की संख्या क्रमश: 7%, 9% और 8% है।
  - पश्चिमी भारत में शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या के आँकड़े बेहतर हुए हैं लेकिन ये आँकड़े हिंदू ओबीसी वर्ग और अनुसूचित वर्ग की तुलना में महत्त्वपूर्ण सुधारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। वर्ष 2017-18 में गुजरात के मुस्लिम समुदाय तथा अनुसूचित वर्ग के शिक्षित युवाओं की संख्या में 14% का अंतर था जो कि वर्ष 2011-12 में केवल 8 प्रतिशत था।
  - वर्ष 2011-12 में महाराष्ट्र राज्य के शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या अनुसूचित वर्ग के युवाओं की संख्या से 2% अधिक थी जो कि अब तुलनात्मक रूप से 8% कम हो गई है।
  - तमिलनाडु 36% स्नातक उपाधि प्राप्त युवा मुस्लिम समुदाय के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह अनुपात क्रमश: 28%, 21% और 18% है।
  - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय के युवाओं के बीच जहाँ करीबी प्रतिस्पर्द्धा है वहीं केरल में मुस्लिम समुदाय काफी पीछे है।
  - दक्षिण के राज्यों में मुस्लिम समुदाय की इन उपलब्धियों को राज्यों के इनके प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

नोट :

- वर्तमान में किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित युवा (15-24 वर्ष):
  - जब हम वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मुस्लिम युवाओं से संबंधित आँकड़ों का अध्ययन करते हैं तब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर मुस्लिम युवाओं का हाशिये पर होना और अधिक स्पष्ट हो जाता है।
  - वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले युवाओं में मुस्लिम युवाओं का प्रतिशत सबसे कम है।
  - मुस्लिम समुदाय के 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 39% युवा शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, वहीं अनुसूचित वर्ग के 44%, हिंदू ओबीसी वर्ग के 51%, हिंदू उच्च जातियों के 59% युवा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।
- शिक्षा, रोज़गार और प्रशिक्षण से वंचित युवा:
  - युवाओं की इस श्रेणी को NEET (Not in Employment, Education or Training) श्रेणी में रखा गया है। मुस्लिम युवाओं की एक बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है।
  - मुस्लिम समुदाय के 31% युवा इस श्रेणी में आते हैं जो कि देश के किसी भी समुदाय के युवाओं से अधिक हैं, वहीं अनुसूचित वर्ग के 26% युवा, हिंदू ओबीसी वर्ग के 23% युवा तथा हिंदू उच्च जातियों के 17% युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
  - यह प्रवृत्ति हिंदी-भाषी राज्यों में अधिक देखी गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के क्रमशः 38%, 37%, 37% और 35% युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
  - दक्षिण भारत के राज्यों में आनुपातिक रूप से बेहतर स्थिति है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के क्रमशः 17%, 19%, 24% और 27% युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO):

- NSSO का कार्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों का सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण कर आँकड़े एकत्रित करना है।
- NSSO का प्रमुख एक महानिदेशक होता है जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- NSSO किसी व्यक्ति के रोज़गार और बेरोज़गार होने की स्थिति को तीन आधारों पर स्पष्ट करता है:
  - रोज़गार प्राप्त व्यक्ति
  - रोज़गार के लिये उपलब्ध
  - रोज़गार के लिये उपलब्ध नहीं

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) द्वारा जारी 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के अनुसार, पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है।

- गौरतलब है कि इस सूची में महाराष्ट्र के बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
- इसके अलावा न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बड़े राज्यों में सबसे खराब रहा है।

रिपोर्ट संबंधी बिंदु

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में विभिन्न सरकारी आँकड़ों का प्रयोग करते हुए भारतीय न्याय प्रणाली के मुख्यतः 4 स्तंभों (1) पुलिस, (2) न्यायतंत्र, (3) कारागार या जेल और (4) कानूनी सहायता का आकलन किया गया है।
- ध्यातव्य है कि यह पहली बार है जब भारतीय न्याय प्रणाली की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करते हुए कोई रिपोर्ट सामने आई है।
- शोधकर्त्ताओं ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए नगालैंड, मणिपुर, असम और जम्मू और कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश होने से पूर्व) का अध्ययन नहीं किया है।

नोट :

- रिपोर्ट के दौरान दी गई रैंकिंग में राज्यों को मुख्यत: 2 भागों में बाँटा गया है (1) 18 बड़े या मध्यम आकार वाले राज्य जिनमें जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है और (2) 7 छोटे राज्य जिनमें 10 मिलियन या उससे कम लोग रहते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, न्याय वितरण के मामले में महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है।

स्तंभवार विश्लेषण

पुलिस

- रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस क्षमता के मामले में तमिलनाडु और उत्तराखंड पहले और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इस क्षेत्र में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब आँकी गई। वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर रहा और मिज़ोरम अंतिम स्थान पर।
- ज्ञातव्य है कि समग्र रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों का प्रदर्शन इस विषय पर अपेक्षाकृत थोड़ा भिन्न रहा। उदाहरण के लिये केरल समग्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जबकि पुलिस कार्यप्रणाली के मामले में वह 13वें स्थान पर रहा।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्येक 100000 नागरिकों पर मात्र 151 पुलिसकर्मी ही मौजूद हैं, विदित हो कि यह अनुपात दुनिया भर के अन्य देशों के मुकाबले काफी खराब है। भारत के ब्रिक्स साझेदारों जैसे- रूस और दक्षिण अफ्रीका में यह अनुपात भारत से 2-3 गुना अधिक है।
- पुलिस विभाग में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों के लोगों की भर्ती से संबंधित विविधता कोटे का भी काफी सीमित उपयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस कार्य में सफल हुआ है।
- रिपोर्ट में दिये गए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) के आँकड़ों के अनुसार, देश के कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 7 प्रतिशत है, जो कि महिला सशक्तीकरण के नज़रिये से एक अच्छी स्थिति नहीं है।

न्यायतंत्र

- न्यायपालिका की क्षमता के मामले में तमिलनाडु अव्वल स्थान पर रहा और पंजाब को दूसरा स्थान हासिल हुआ। वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर रहा और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर।
- वर्ष 2013-2017 के मध्य तमिलनाडु ने उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने में काफी सुधार किया। साथ ही न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से भी तमिलनाडु ने अच्छा कार्य किया था।
- न्यायतंत्र के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार और उत्तर प्रदेश का रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 23 प्रतिशत पद खाली हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत अपने कुल बजट का मात्र 0.08 प्रतिशत हिस्सा ही न्यायतंत्र पर खर्च करता है।
  - दिल्ली के अतिरिक्त कोई भी अन्य राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश अपने क्षेत्र में न्यायतंत्र पर बजट का 1 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, नवगठित राज्य तेलंगाना के अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक तकरीबन 44 प्रतिशत पाई गई।
- बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 39.5 प्रतिशत मामले 5 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं।

कारागार या जेल

- कारागार या जेल के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल और महाराष्ट्र का रहा, जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में कारागार से संबंधित कई संकेतकों पर सुधार किया। वहीं छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा और सिक्किम अंतिम स्थान पर।
- गौरतलब है कि विश्लेषण की अवधि के दौरान केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र ने अधिकारी एवं कैडर स्टाफ दोनों स्तरों पर रिक्तियों को कम कर दिया।
- रिपोर्ट के अनुसार, जेल प्रशासन के सभी स्तरों पर लगभग 9.6 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएँ हैं।
- देश के केवल 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिला प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से अधिक है।
  - नगालैंड (22.8%), सिक्किम (18.8%), कर्नाटक (18.7%), अरुणाचल प्रदेश (18.1%), मेघालय (17%) और दिल्ली (15.1%)।

नोट :

- जेल कर्मचारियों में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में गोवा (2.2%) और तेलंगाना (2.3%) का प्रदर्शन काफी खराब रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कारागारों या जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या सबसे प्रमुख है और इनमें सबसे अधिक वे विचाराधीन कैदी होते हैं जो जाँच, पूछताछ या परीक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक एक दोषी कैदी पर 2 विचारधीन कैदी हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सालाना 20,000 से 35,000 रुपए प्रति कैदी खर्च होता है। उल्लेखनीय है कि यह एक कैदी पर 100 रुपए प्रतिदिन से भी कम है।

कानूनी सहायता

- कानूनी सहायता का उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों की कानूनी मदद करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।
- आम नागरिकों को क़ानूनी सहायता प्रदान करने के मामले में केरल और हरियाणा सबसे अव्वल स्थान पर हैं, जबकि इस सूची में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहे। वहीं छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर।
- रिपोर्ट में सामने आया है वर्ष 2017-18 में देश में कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 0.75 रुपए प्रतिवर्ष था।
- उल्लेखनीय है कि देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने नालसा (NALSA) के तहत आवंटित बजट का पूर्णत: उपयोग नहीं किया।

ईट-लांसेट आयोग : प्लैनेटरी हेल्थ डाइट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान (International Food Policy Research Institute-IFPRI) ने एक शोध में कहा कि ईट-लांसेट आयोग (EAT-Lancet Commission) द्वारा सुझाए गए एक मानक 'प्लैनेटरी हेल्थ डाइट' को विश्व की एक बड़ी आबादी के लिये अपनाना नामुमकिन होगा।

क्या है ईट-लांसेट आयोग ?

ईट-लांसेट आयोग (EAT-Lancet commission on Food, Planet, Health) 16 देशों के 32 प्रमुख वैज्ञानिकों (जो कि अलग-अलग क्षेत्रों से हैं) का संगठन है। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर एक मानक बनाना है जिससे विश्व में सभी के लिये सतत् खाद्य उत्पादन तथा स्वस्थ भोजन मुहैया कराया जा सके।

ईट-लांसेट आयोग के सुझाव:

- वर्ष 2019 के मध्य में एक शोध के दौरान इस संस्था ने एक स्वस्थ वयस्क के लिये एक 'प्लैनेटरी हेल्थ डाइट' (Planetary Health Diet) नामक एक विस्तृत खाद्य मानक निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत फल, सब्जियाँ, ड्राईफ्रूट, साबुत अनाज, दालें, असंतृप्त तेल, पर्याप्त मात्रा में मांस, दूध, स्टार्चयुक्त सब्जियाँ आदि शामिल हैं। शोध के अनुसार, इस प्रकार के आहार से खराब स्वास्थ्य आदतें तथा पर्यावरणीय दोहन दोनों से बचा जा सकता है।
- वर्तमान में खाद्यान्नों की बढ़ती मांग तथा अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों की वजह से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस प्रकार की भोजन आदतों से भविष्य में एक बड़े खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

IFPRI द्वारा किये गए शोध के मुख्य बिंदु:

- इसके अनुसार, इन सुझावों के पालन में मुख्य समस्या इसके लिये आवश्यक खर्च को लेकर होगी। साथ ही अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया के लगभग 1.58 बिलियन लोग इसके लिये आवश्यक खर्च वहन नहीं कर सकेंगे।
- शोध में ईट-लांसेट द्वारा सुझाया गया डाइट प्लान, एक आम वयस्क के लिये आवश्यक पर्याप्त पोषणयुक्त आहार से 64 प्रतिशत महँगा बताया गया। साथ ही इसके द्वारा सुझाए गए भोजन में आवश्यकता से अधिक जानवरों से प्राप्त आहार (दूध व मांस), फल तथा सब्जियाँ शामिल की गई हैं।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित इस डाइट की औसत कीमत तकरीबन 2.84 डॉलर (200 रुपए) प्रतिदिन होगी। कम आय वाले देशों में यह राशि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय का 89.1 प्रतिशत होगी तथा एक परिवार के लिये सिर्फ भोजन पर इतना खर्च करना नामुमकिन है। उच्च आय वाले देशों में यह धनराशि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय का 6.1 प्रतिशत होगी जो वास्तविकता में उनके द्वारा किये जाने वाले खर्च से कहीं कम है।
- अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में लगभग 57 प्रतिशत लोग ईट-लांसेट द्वारा सुझाए गये एक दिन के भोजन की कीमत से कम कमाते हैं। दक्षिण एशिया में यह आँकड़ा 38.4 प्रतिशत है। पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में यह 19.4 प्रतिशत है। पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में यह 15 प्रतिशत है। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबिया में यह 11.6 प्रतिशत है। यूरोप तथा मध्य एशिया में 1.7 प्रतिशत लोग तथा उत्तरी अमेरिका में 1.2 प्रतिशत है।
- फल, सब्जियाँ तथा जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन एक स्वस्थ आहार का आवश्यक हिस्सा होने के साथ ही काफी महँगा भी होता है। इसकी लागत विश्व के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती हैं।
- यदि बहुतायत संख्या में गरीब उपभोक्ता स्वस्थ आहार लेने के लिये इच्छुक भी हों तो आय तथा लागत से संबंधित बाधाओं के कारण यह उनके लिये अवहनीय हो जाता है।
- आय में वृद्धि, सुरक्षित लाभ हस्तांतरण तथा संस्थानिक तौर पर खाद्यान्नों की कीमत में कमी द्वारा ही विश्व के प्रत्येक हिस्से के निवासियों को स्वस्थ व सतत् आहार की प्राप्ति हो सकती है।

मातृत्व मृत्यु दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate-MMR) पर वर्ष 2015-17 के आँकड़े जारी किये गये।

मुख्य बिंदु

MMR पर जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में एक वर्ष में 8 अंकों (6.2%) की कमी दर्ज की गई है। इसका अर्थ है कि प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 की कमी आई है।

MMR पर जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-16 में प्रति एक लाख जीवित शिशुओं पर यह संख्या 130 थी वहीँ वर्ष 2015-17 में यह संख्या घटकर 122 प्रति एक लाख हो गई।

वर्ष (Year)	2011-13	2014-16	2015-17
मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	167	130	122

- भारत में मातृत्व मृत्यु दर की प्रकृति को क्षेत्रीय आधार पर समझने के लिये सरकार ने देश को तीन समूहों में विभाजित किया है। जिसमें पहला समूह - Empowered Action Group-EAG, दूसरा समूह - दक्षिणी राज्य तथा तीसरा समूह - अन्य राज्य है।

Empowered Action Group-EAG	बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा असम
दक्षिणी राज्य (Southern States)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु
अन्य राज्य (Other states)	शेष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश

- MMR में सर्वाधिक कमी EAG राज्यों में आई है। जो की वर्ष 2014-16 में 188 था तथा वर्ष 2015-17 में घटकर 175 हो गया। दक्षिणी राज्यों में यह पिछली गणना (77) की तुलना में 5 की कमी के साथ 72 प्रति 1 लाख हो गया है। अन्य राज्यों के समूह में यह 93 से घटकर 90 हो गया है।
- आँकड़ों के अनुसार राजस्थान के MMR में सर्वाधिक 13 अंकों की कमी की है। उसके बाद ओडिशा तथा कर्नाटक क्रमशः 12 तथा 11 अंकों की कमी की है। आंध्रप्रदेश, बिहार तथा पंजाब के आँकड़ों में कोई कमी नहीं आई है।
- देश में न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर (Lowest MMR) में पहले स्थान पर केरल (46), दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (55) तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु (63) है।

नोट :

मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate-MMR) :

प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर (MMR) कहते हैं।

MMR में कमी के कारण

- पिछले एक दशक में किये गए सुधारों की वजह से MMR में लगातार कमी आई है। जिसके अंतर्गत देश के सबसे पिछड़े तथा सीमान्त क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान तथा अंतर-क्षेत्रक कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा उसकी व्यापक पहुँच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी सरकारी योजनाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अंतर्गत लक्ष्य (LaQshya), पोषण अभियान, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा हाल ही में लॉन्च सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव (SUMAN) योजना आदि शामिल है।

भारत में बंधुआ मज़दूरी

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में ज़िक्र किया गया कि यदि देश में सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है, तो बंधुआ मज़दूरी को क्यों नहीं ?

- गौरतलब है कि भारत में बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से बंधुआ मज़दूरी को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि बीते 4 वर्षों में 13,500 से अधिक बंधुआ मज़दूरों को रिहा करवाया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

बंधुआ मज़दूरी और भारत में उसकी स्थिति

- बंधुआ मज़दूरी में व्यक्ति निश्चित समय तक सेवाएँ देने के लिये बाध्य होता है। ऐसा वह साहूकारों या ज़मींदारों से लिये गए ऋण को चुकाने के लिये करता है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2018 में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मज़दूर थे और इनमें से अधिकांश ऋणग्रस्तता के शिकार थे।
- वर्ष 2016 में जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक, भारत में तकरीबन 8 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं।
- बंधुआ मज़दूरी मुख्यत: कृषि क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे- सूती कपड़ा हथकरघा, ईंट भट्टे, विनिर्माण, पत्थर खदान, रेशमी साड़ियों का उत्पादन, चाँदी के आभूषण, सिंथेटिक रत्न आदि में प्रचलित है।
- गौरतलब है कि कम आय वाले राज्य जैसे- झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि बंधुआ मज़दूरी की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं।

बंधुआ मज़दूरी के प्रसार के कारण

- विशेषज्ञों के अनुसार, देशव्यापी स्तर पर फैली गरीबी और सामाजिक-आर्थिक असमानता बंधुआ श्रम के प्रसार के पीछे प्रमुख कारण है।
- भूमिहीनता को भी बंधुआ मज़दूरी के प्रसार का बड़ा कारण माना जा सकता है। भूमि न होने के कारण लोगों को मज़दूरी के विकल्प का चुनाव करना पड़ता है और वे ऋण जाल में फँस जाते हैं।
- औपचारिक ऋण की अनुपस्थिति में ग्रामीण गरीब धन उधारदाताओं से ऋण लेने के लिये मजबूर हो जाते हैं।
- श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य इस संबंध में जागरूकता की कमी भी देखी गई है।

बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

- बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के शोषण को रोकने के उद्देश्य वर्ष 1976 में इसे अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत बंधुआ मज़दूरी को पूरी तरह से खत्म कर मज़दूरों को रिहा कर दिया गया और उनके कर्ज़ भी समाप्त कर दिये गए।

नोट :

- साथ ही इस अधिनियम के तहत बंधुआ मज़दूरी प्रथा को एक दंडनीय संज्ञेय अपराध भी घोषित किया गया।
- विदित हो कि यह कानून श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मंत्रालय द्वारा बंधुआ मज़दूरी को पूर्णत: समाप्त करने के उद्देश्य से बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास से संबंधित भी कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

- बंधुआ मज़दूरी प्रणाली को समाप्त कर प्रत्येक बंधुआ मज़दूर को मुक्त किया जाए।
- कोई भी प्रथा, समझौता या अन्य साधन जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को बंधुआ मज़दूरी जैसी कोई सेवा देने की आवश्यकता हो, को निरस्त किया गया है।
- अधिनियम के लागू होने से पूर्व लिये गए ऋण को चुकाने के लिये बंधुआ मज़दूर के दायित्व को समाप्त किया जाता है।
- पुनर्वास के प्रयास- बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना 2016
- इस योजना के तहत बंधुआ मज़दूरी से मुक्त किये गए वयस्क पुरुषों को 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मज़दूरों और महिला बंधुआ मज़दूरों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- साथ ही योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिये भी प्रति ज़िला 4.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नेशनल हेल्थ स्टैक तथा नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन में तकनीक के प्रयोग के लिये आई. टी. तथा संचार सचिव जे. सत्यनारायण की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

- इस रिपोर्ट में नेशनल हेल्थ स्टैक (National Health Stack-NHS) तथा नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (National Digital Health Blueprint-NDHB) के प्रयोग का प्रस्ताव रखा गया।

नेशनल हेल्थ स्टैक (National Health Stack-NHS)

वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया NHS एक डिजिटल अवसंरचना है जिसका निर्माण देश की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा मज़बूत बनाना है। NHS के पाँच मुख्य घटक हैं।

1. एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्री (National Health Registry) का निर्माण किया जाएगा जो पूरे देश के स्वास्थ्य आँकड़ों के लिये एकल स्रोत का कार्य करेगी।
2. कवरेज तथा दावा प्लेटफॉर्म (Coverage and claims platform), यह बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत पहुँच तथा उनसे संबंधित दावों के लिये एक मंच का कार्य करेगा। इसके साथ ही यह राज्यों को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार हेतु अनुमति देगा तथा इनके क्रियान्वयन में धोखाधड़ी का पता लगाने में एक मज़बूत भूमिका निभाएगा।
3. मानव स्वास्थ्य की समझ को और अधिक विकसित करने के लिये एक एकीकृत व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (Federated Personal Health Record) बनाया जाएगा। इसका प्रयोग मरीज़ द्वारा उसके स्वयं के स्वास्थ्य आँकड़ों को देखने तथा चिकित्सा क्षेत्र में शोध के लिये किया जा सकता है।
4. इसके तहत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्लेषण प्लेटफॉर्म (National Health Analytics Platform) का निर्माण किया जाएगा जो कि विभिन्न स्वास्थ्य नवाचारों पर आधारित सूचनाओं को एकत्रित करेगा। इसके द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के नीति निर्माण में मदद मिलेगी।
5. इसके अलावा कई अन्य घटक इसमें शामिल हैं। जैसे कि यूनिक हेल्थ आईडी (Unique Health ID-UHID), हेल्थ डेटा डिक्शनरी (Health Data Dictionary) तथा दवाओं की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management) और उससे संबंधित भुगतान प्रणाली का निर्माण आदि।

नोट :

नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (National Digital Health Blueprint-NDHB)

- यह NHS के क्रियान्वयन के लिये तैयार किया गया एक संरचनात्मक दस्तावेज़ है। इसका लक्ष्य एक ऐसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी (Digital Health Ecosystem) का निर्माण करना है जिसके माध्यम से देश में दक्ष, सुलभ, समावेशी, सस्ता, समयोचित तथा सुरक्षित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage) को लागू किया जा सके।
- इस ब्लूप्रिंट की मुख्य विशेषताओं में एक एकीकृत संरचना, संरचना से संबंधित सिद्धांत, पाँच स्तरीय संरचनात्मक इकाई (Building Blocks), यूनिक हेल्थ आईडी (UHID), निजता तथा सहमति प्रबंधन, स्वास्थ्य विश्लेषण आदि शामिल हैं।
- इसके साथ ही इन सभी सुविधाओं तक आसानी से पहुँच के लिये इसे कॉल सेंटर, डिजिटल इंडिया हेल्थ पोर्टल (Digital India Health Portal) तथा माय हेल्थ मोबाइल एप (MyHealth App) से जोड़ा जाएगा।
- NDHB के सफल क्रियान्वयन तथा प्रचार के लिये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन National Digital Health Mission) की स्थापना की जाएगी।

NHS की आवश्यकता

- वर्तमान में भारत में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अतिरिक्त अनेक योजनाएँ राज्यों के स्तर पर चल रही हैं। जैसे- पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी, तेलंगाना में आरोग्यश्री, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief minister's Comprehensive Health Insurance Scheme), महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आदि। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि इन सभी योजनाओं को एकीकृत किया जाए जिसके लिये NHS एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- देश में संचालित अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन तथा अंतर-संचालनीयता (Inter-Operabilty) के लिये एक सामान्य भाषा की आवश्यकता होगी। NHS इसके लिये प्रभावी होगा।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

- यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तथा सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के अनुदेशों पर की गई थी।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसकी दो शाखाएँ हैं। पहली शाखा है- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसके अंतर्गत प्राथमिक उपचार शामिल है तथा दूसरी शाखा है- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) जिसके अंतर्गत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी।
- पश्चिम बंगाल ने स्वयं को आयुष्मान भारत योजना से अलग कर लिया है। तेलंगाना तथा ओडिशा प्रारंभ से ही इसका हिस्सा नहीं थे।

HIV के नए उप-प्रकार की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने ह्यूमन इम्यूनोडिफ़िशिएंसी वायरस (Human Immunodeficiency Virus- HIV) का एक नया उप-प्रकार खोजा है जिसे HIV-1 ग्रुप M, उप-प्रकार L कहा गया है। यह पहली बार है जब लगभग दो दशकों में HIV के एक उप-प्रकार की खोज की गई है।

- HIV दो प्रकार के होते हैं:
  - HIV-1
  - HIV-2
- HIV-1 को विश्व भर में अधिकांश संक्रमणों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख प्रकार माना जाता है, जबकि HIV-2 कम क्षेत्रों में पाया जाता है और यह मुख्यत: पश्चिम एवं मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में ही केंद्रित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने इस नए उप-प्रकार की पहचान करने के लिये अगली पीढ़ी की जीनोम अनुक्रमण तकनीक की टेलर्ड विधि का प्रयोग किया।
  - जीनोम अनुक्रमण के तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौज़ूद चारों तत्त्वों- एडानीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C) और थायामीन (T) के क्रम का पता लगाया जाता है।
  - यह तकनीक उत्परिवर्तित होने वाले विषाणुओं से एक कदम आगे की सुरक्षा प्रदान करती है तथा महामारियों से लड़ने में मदद करती है।
- ग्रुप एम वायरस वैश्विक महामारी के लिये ज़िम्मेदार हैं। यह उप-सहारा अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में खोजा गया है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस- एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम

- HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। इसके इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं के संयोजन को एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (Antiretroviral Therapy- ART) कहा जाता है।
- HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सीडी 4 नामक श्वेत रक्त कोशिका (टी-सेल्स) पर हमला करता है।
- यह रोग रक्त, वीर्य, योनि स्राव, गुदा तरल पदार्थ और माँ के दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- भारत में HIV संक्रमित व्यक्तियों की संख्या: विश्व में HIV ग्रस्त लोगों की कुल संख्या 2017 में 21.40 लाख थी। भारत में 2017 में 87,000 से अधिक नए मामले देखे गए तथा 1995 की तुलना में HIV के मामलों में 85% की गिरावट भी देखी गई है ।
- विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है।

पुरुषों में बढ़ता एनीमिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'द लांसेट ग्लोबल हेल्थ' (The Lancet Global Health) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन द्वारा यह पता चला कि देश के लगभग एक चौथाई पुरुष किसी न किसी प्रकार की एनीमिया से ग्रसित हैं।

मुख्य बिंदु :

- अध्ययन में शामिल 1 लाख लोगों, जिनकी उम्र 15-54 वर्ष के बीच थी, में से लगभग 18 प्रतिशत पुरुषों में निम्न स्तर पर एनीमिया पाया गया, 5 प्रतिशत में मध्यम स्तर पर तथा 0.5 प्रतिशत में तीव्र स्तर पर एनीमिया पाया गया।
- पुरुषों में एनिमिया की वजह से थकान, ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई, आलस आदि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पुरुषों में होने वाले एनीमिया से आगामी पीढ़ियों में अल्प-पोषण या एनीमिया की शिकायत तो नहीं होती है लेकिन इससे व्यक्ति की कुल उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- अध्ययन से यह भी पता चला कि पुरुषों में एनीमिया का प्रभाव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यह आँकड़ा बिहार में सर्वाधिक, 32.9 प्रतिशत है तथा मणिपुर में न्यूनतम, 9 प्रतिशत है। अशिक्षित, ग़रीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों में इसकी शिकायत अधिक है।
- प्राय: यह माना जाता है कि एनीमिया शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है जिसे आयरन की दवाओं तथा फ़ूड-फोर्टीफिकेशन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जागरूकता की कमी, अल्पपोषण जैसे अन्य कारण भी इसके लिये जिम्मेदार हैं।
- वर्ष 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा पुरुष व महिला वयस्कों में एनीमिया की कमी को दूर करना है।

एनीमिया - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एनीमिया वह स्थिति है जब रक्त में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाएँ (Red Blood Cells-RBCs) की संख्या में कमी हो जाए या उनमें ऑक्सीजन ढ़ोने की क्षमता कम हो जाए। यह शरीर के विकास को प्रभावित करता है।

नोट :

निमोनिया तथा डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर (International Vaccine Access Center-IVAC) द्वारा 10वीं न्यूमोनिया तथा डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट (10th Pneumonia and Diarrhoea progress report) प्रकाशित की गई।

न्यूमोनिया तथा डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट पिछले दस वर्षों से प्रत्येक वर्ष जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) की संस्था इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर (International Vaccine Access Center-IVAC) द्वारा प्रकाशित की जाती है।

मुख्य बिंदु:

- विश्व के 23 देशों में जहाँ डायरिया तथा न्यूमोनिया से होने 75 प्रतिशत बच्चों (5 वर्ष से कम आयु के) की मौत हो जाती है, इन रोगों के उपचार एवं रोकथाम के लिये आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- विश्व में होने वाली प्रत्येक 4 शिशुओं की मृत्यु में से 1 की मृत्यु डायरिया तथा निमोनिया से होती है।
- भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की बड़ी संख्या निवास करती है तथा डायरिया व निमोनिया से होने वाली मौतों की संख्या भी भारत में अधिक है।
- भारत में वर्ष 2016 में शुरू की गई रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine) तथा वर्ष 2017 में न्यूमोकोकल कॉनजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) के प्रयोग से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।
- 23 देशों की सूची में भारत में स्तनपान दर (Exclusive Breastfeeding Rate) सर्वाधिक 55 % है। इसके बावजूद आवश्यक उपचार के मामले में भारत निर्धारित लक्ष्य से पीछे है।
- इन देशों में डायरिया से ग्रसित केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही ओआरएस (Oral Rehydration Solution-ORS) तथा 20 प्रतिशत को जिंक सप्लीमेंट दिया जाता है। जो डायरिया तथा निमोनिया से सुरक्षा, रोकथाम तथा उपचार के लिये आवश्यक है।
- डायरिया तथा निमोनिया से बचाव के लिये 10 आवश्यक हस्तक्षेप निर्धारित किये गए हैं, जिसमें स्तनपान, टीकाकरण, एंटीबायोटिक का प्रयोग, ओआरएस तथा जिंक सप्लीमेंट आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक 25 प्रति एक हज़ार करना है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में 'सेव द चिल्ड्रेन' तथा 'यूनिसेफ' द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में निमोनिया से बच्चों की मौत के कारणों में, 53 प्रतिशत बच्चों में उनकी आयु की अपेक्षा कम वजन (Wasted) का होना था, 27 प्रतिशत द्वारा प्रदूषित हवा तथा 22 प्रतिशत का ठोस ईंधन के कारण प्रदूषित वायु में साँस लेना था।
- डायरिया तथा निमोनिया की रोकथाम के लिये बनाई गई वैक्सीन अभी भी इन 23 देशों में पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं है तथा इसके उपचार के लिये आवश्यक एंटीबायोटिक तथा ओआरएस का प्रयोग भी इन देशों में बहुत कम है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और बाल श्रम

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (United Nation) द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains) में बाल श्रम का सर्वाधिक प्रयोग होता है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष:

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी विशेष रूप से एशिया में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम का स्तर अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में बाल श्रम स्तर सर्वाधिक 26%, इसके पश्चात् लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई क्षेत्र में 22%, मध्य तथा दक्षिणी एशिया में 12% और उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया में 9% है।

नोट :

- वैश्विक रूप से एकीकृत व्यवसाय (Integrated Business) में एक उत्पाद उपभोग या उपयोग के लिए तैयार होने तक कई चरणों से गुज़रता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लगभग सभी चरणों में बाल श्रम का उपयोग किया जाता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिकांश बाल श्रमिक मूल के देशों में तैनात हैं, जिन्हें एक श्रृंखला की अपस्ट्रीम रीचेज (Upstream Reaches) के रूप में जाना जाता है।
- कृषि क्षेत्र के निर्यात में योगदान देने वाले अनुमानित बाल श्रम का 97% कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चें है।

रिपोर्ट के बारे में ?

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम, ज़बरन श्रम और मानव तस्करी इत्यादि में बाल श्रम की जाँच करने वाली यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है।
- यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD), अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रवासन (International Organization for Migration- IOM) तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (Unicef) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

रिपोर्ट के सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दे:

- इस रिपोर्ट में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अध्ययन किया गया, जबकि बाल श्रम का प्रयोग घरेलू उत्पादन प्रक्रियाओं (Domestic Production Processes) में अधिक किया जाता है। इसलिये इस प्रकार की रिपोर्ट पूरी तरह से बल श्रम की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने सामान्यत: बाल श्रम से मुक्त होने का दावा करते हैं।

आगे की राह:

- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) में लक्ष्य 8.7 वर्ष 2030 तक बाल श्रम की समाप्ति की प्रतिबद्धता से संबंधित है।
- ILO के अनुसार, यह रिपोर्ट श्रम अधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिये प्रभावी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। इसलिये सरकारों को अपने परिचालन (Operation) और आपूर्ति श्रृंखलाओं में मानवाधिकारों का सम्मान करने के प्रयासों को बढ़ाने तथा मज़बूत करने पर बल देने की ज़रूरत है।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा (मैन्युअल स्कैवेंजिंग)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर स्वच्छता कर्मचारियों के संदर्भ में स्वच्छता श्रमिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा -एक प्रारंभिक मूल्यांकन (Health, Safety and Dignity of Sanitation Workers- An Initial Assesment) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में टॉयलेट, सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में कार्यरत श्रमिकों का जीवन स्तर चिंताजनक है।
- इस क्षेत्र में निवेश की कमी और खराब बुनियादी ढाँचे के कारण लाखों लोग अपर्याप्त जल आपूर्ति और अस्वच्छता से जुडी बीमारियों से मर जाते हैं।
- जब श्रमिक मानव अपशिष्ट के सीधे संपर्क में आते हैं और बिना किसी उपकरण या सुरक्षा के साथ काम करते हुए इसे हाथ से साफ करते हैं, तो प्राय: उन्हें जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
- रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के श्रम में सबसे अधिक शोषण अनौपचारिक श्रमिकों का होता है। इन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

नोट :

- इनके हितों की रक्षा के लिये सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का भी उचित रूप से पालन नहीं किया जाता।
- WHO के अनुसार, अस्वच्छता के कारण प्रतिवर्ष डायरिया से 432,000 मौतें होती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वाटरएड, वर्ल्ड बैंक और WHO द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस रिपोर्ट में नौ निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में स्वच्छता श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।
- इन देशों में भारत, बांग्लादेश, बोलीविया, बुर्किना फासो, हैती, केन्या, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं।

भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवांछनीय और उच्च जोखिम वाले कार्य प्राय: अस्थायी और अनौपचारिक श्रमिकों से करवाए जाते हैं।
- श्रमिकों द्वारा हाथ से किये जाने वाले स्वच्छता कार्यों में शौचालयों, खुली नालियों, रेल के पटरियों से मानव अपशिष्ट को इकठ्ठा करना, ले जाना और निपटान करना शामिल है।
- हाथ से किये जाने निम्न श्रेणी के स्वच्छता कार्यों के लिये श्रमिकों को पर्याप्त मज़दूरी भी नहीं दी जाती है।
- सीवर की सफाई में कार्यरत श्रमिक मैनहोल से सीवर में प्रवेश करते हैं और ठोस अपशिष्ट को हाथ से साफ करते हैं।
- इस रिपोर्ट में BBC द्वारा जारी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार, भारत में हर पाँचवे दिन एक सीवर श्रमिक की मौत होती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल 5 मिलियन स्वच्छता श्रमिक कार्य करते हैं।इनमे से 2 मिलियन श्रमिक उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों (High Risk Condition) में कार्य करते हैं।
- भारत में हाथ से मैला ढोने पर लगी रोक के बाद भी कुल 700 ज़िलों में से 163 ज़िलों में 20,596 ऐसे श्रमिकों की पहचान की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार इन श्रमिकों की 60-70% संख्या शहरों में पाई गई, जिसमें 50% महिला श्रमिक हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई, इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

ईको एंज़ायटी

चर्चा में क्यों ?

विश्व में बढ़ते प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों से लोगों में एक विशेष प्रकार का मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है जिसे मनोवैज्ञानिकों ने ईको एंज़ायटी (Eco anxiety) नाम दिया है।

क्या है ईको एंज़ायटी ?

यह एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति इस बात से भयभीत रहता है कि आने वाले समय में पर्यावरण का अंत हो जाएगा। इसमें व्यक्ति जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों को लेकर अपने, बच्चों के तथा आगामी पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है।

ईको एंज़ायटी का प्रभाव:

- ईको एंज़ायटी से प्रभावित व्यक्ति, जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में अपनी व्यक्तिगत अक्षमता को लेकर शक्तिहीन, असहाय तथा अवसादित महसूस करता है।
- Anxiety UK द्वारा किये गए एक सर्वे के अनुसार, प्रत्येक 10 में से 1 ब्रिटिश वयस्क अपने जीवन में कुछ समय के लिये इस प्रकार के अवसाद से ग्रसित रहता है।
- हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट आँकड़े नहीं उपलब्ध हैं किंतु लोगों का एक बड़ा हिस्सा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रदूषण के संभावित खतरों को लेकर अवसादित तथा चिंतित रहता है, साथ ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है।
- वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (UN Inter-governmental Panel on Climate Change; UN-IPCC) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी पर ज़ोर दिया गया था। साथ ही इसमें कहा गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमें शीघ्र तथा अप्रत्याशित प्रयास करना होगा, वरना बाढ़, सूखा, अकाल, प्रतिकूल मौसम की दशा आदि समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस रिपोर्ट का ईको एंज़ायटी से प्रभावित लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

नोट :

- इस अवसाद से ग्रसित कुछ लोग भविष्य को लेकर संदेह की स्थिति में रहते हैं तथा इस अवसाद से छुटकारा पाने के लिये वे शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं।
- भारत में भी इस प्रकार के लक्षण लोगों में देखने को मिले हैं। खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में लोग प्रदूषण बढ़ने की वजह से अपने तथा अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।
- मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ईको एंज़ायटी एक हद तक ठीक है क्योंकि यह आपको पर्यावरण के प्रति सचेत करता है तथा जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिये लोगों को जागरूक करता है किंतु इसकी अधिकता एक गंभीर समस्या बन सकती है।

ईको एंज़ायटी पर नियंत्रण के उपाय:

- इस प्रकार के अवसाद पर नियंत्रण पाने के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिये। इसके साथ ही स्वयं के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रयास करना चाहिये।
- प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले साधनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे- निजी वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना, जैव-अपघटित (Bio-Degradable) वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन आदि।
- ईको एंज़ायटी से प्रभावित व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों के साथ जीने के लिये अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिये जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। जैसे- मांस व डेरी उत्पादों के उपयोग को सीमित करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की खरीदारी न करना आदि।
- अपने आसपास वृक्षारोपण करना चाहिये तथा पहले से उपस्थित पेड़-पौधों का संरक्षण करना चाहिये।
- ईको एंज़ायटी से ग्रसित व्यक्ति को अपने जैसे लोगों के साथ बातचीत करना चाहिये तथा सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से जन-जागरूकता फैलानी चाहिये। इससे जहाँ लोगों में आपसी सहयोग तथा मित्रता की भावना का विकास होगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मदद मिलेगी।

OCSAE रोकथाम/जाँच इकाई

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय अन्वेक्षण/जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) ने एक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण (Online Child Sexual Abuse and Exploitation-OCSAE) रोकथाम/जाँच इकाई की स्थापना की है।

प्रमुख बिंदु

- CBI ने इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न के खतरे से निपटने के लिये नई दिल्ली में अपने विशेष अपराध क्षेत्र के तहत एक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण रोकथाम/जाँच इकाई की स्थापना की है।
- जर्मनी पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल पोर्नोग्राफी (International Child Pornography) में शामिल सात भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी दिये के बाद यह कदम उठाया गया है, इस मामले की जाँच CBI द्वारा ही की जा रही है।
  - हाल ही में CBI के सामने बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material-CSAM) के प्रसार से संबंधित बहुत से पहलु सामने आए हैं जो इंटरपोल और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदत्त जानकारी पर आधारित हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह इकाई, जो दिल्ली में CBI के विशेष अपराध क्षेत्र के तहत कार्य करेगी, ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण पर जानकारी एकत्र एवं प्रसारित करेगी।
- नई विशेष इकाई ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण जैसे अपराधों से संबंधित सूचनाओं के वितरण, प्रकाशन, प्रसारण, निर्माण, संग्रह, मांग, ब्राउज़िंग, डाउनलोडिंग, विज्ञापन, प्रचार, आदान-प्रदान आदि के संबंध में जानकारी एकत्र करेगी, उन्हें नष्ट करेगी तथा इस प्रकार के कार्यवाही का प्रचार करेगी।
- इस प्रकार के सभी अपराधों को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) 1860, पोक्सो (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम 2012 (2012 का 32) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा विभिन्न कानूनों (लागू होने के साथ ही) के तहत शामिल किया जाएगा।

नोट :

प्रभाव क्षेत्र

- CBI के नई OCSAE रोकथाम/जाँच इकाई का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पूरे भारत में होगा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI):

- CBI, कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है।
- यह नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल के सदस्य-राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वयन करती है।
- एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर CBI एक बहुआयामी, बहु-अनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि के शासनादेश का पालन करते हुए जाँच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है।

CBI का अधिकार क्षेत्र क्या है ?

- 1946 के अधिनियम की धारा (2) के तहत केवल केंद्रशासित प्रदेशों में अपराधों की जाँच के लिये CBI को शक्ति प्राप्त है।
  - हालाँकि केंद्र द्वारा रेलवे तथा राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में उनके अनुरोध पर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।
  - वैसे CBI केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जाँच के लिये अधिकृत है।
- कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत CBI से कर सकता है।
- इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में CBI स्वयं कार्रवाई कर सकती है।
  - जब कोई राज्य केंद्र से CBI की मदद के लिये अनुरोध करता है तो यह आपराधिक मामलों की जाँच करती है या तब जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसे किसी अपराध या मामले की जाँच करने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष:

पिछले दो दशकों में इंटरनेट और सूचना एवं संचार उपकरणों के तेज़ी से हुए विकास ने न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के लिये भी उनके आसपास की दुनिया को और अधिक विस्तार से जानने, समझने के अद्वितीय अवसर प्रदान किये हैं। कई देशों में ये प्रौद्योगिकियाँ सर्वव्यापी रूप धारण कर चुकी हैं, ये हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हैं चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा पेशेवर या फिर सामाजिक। दिनोंदिन विकसित होती इन तकनीकों ने एक नया आयाम स्थापित कर लिया है, यदि मनमाने तरीके से इसके अनियंत्रित इस्तेमाल को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो इससे बाल यौन शोषण के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी कर सकता है।

'साँस' अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साँस (SAANS) अभियान की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु:

- साँस (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully-SAANS) अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है।
- भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में 15 प्रतिशत की मौत निमोनिया की वजह से होती है।
- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System-HMIS) द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों में 37 की मौत हो जाती है जिसमें 5.3 मौतें सिर्फ निमोनिया की वजह से होती हैं।
- HMIS के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किये गए, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर रहा।
- सरकार ने बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों के नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मौतों को 3 से कम करने का लक्ष्य रखा है।

नोट :

- इस अभियान द्वारा बच्चों में होने वाले निमोनिया पर नियंत्रण के लिये सरकार प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य हितधारकों के माध्यम से उपचार मुहैया कराएगी।
- इसके अलावा निमोनिया से ग्रसित बच्चों को आशा (Accredited Social Health Activist-ASHA) कार्यकर्ता द्वारा अमोक्सीसीलीन (Amoxicillin) नामक एंटीबायोटिक की खुराक दी जाएगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पल्स-ऑक्सीमीटर (Pulse-Oximeter) द्वारा बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलिंडर के प्रयोग से उसका उपचार किया जाएगा।

पल्स-ऑक्सीमीटर (Pulse-Oximeter) - यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है।

- इसके तहत बच्चों में निमोनिया के उन्मूलन हेतु स्तनपान तथा आयु के अनुसार पूरक आहार पर बल देने के लिये प्रचार एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

भारतीय पोषण कृषि कोष (BPKK)

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने भारतीय पोषण कृषि कोष (Bharatiya Poshan Krishi Kosh-BPKK) की शुरुआत की।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करने के लिये बहुक्षेत्रीय ढाँचा विकसित करना है जिसके तहत बेहतर पोषक उत्पाद हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर ज़ोर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- महिला और बाल विकास मंत्रालय इस परियोजना को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के सहयोग से चलाएगा।
- देश को सामान्यत: कृषि जलवायु विशेषताओं, विशेष रूप से मिट्टी के प्रकार, तापमान और वर्षा सहित जलवायु एवं इसकी विविधता तथा जल संसाधनों के आधार पर पंद्रह कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Harvard Chan School of Public Health) भारत में स्थित अपने शोध केंद्र तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के साथ मिलकर भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में खान-पान की आदतों का एक दस्तावेज तैयार करेंगे और उसका मूल्याकंन करेंगे।
- इसके अलावा ये दोनों (हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन) देश की क्षेत्रीय कृषि खाद्य प्रणाली का एक नक्शा भी बनाएंगे।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परामर्श से, परियोजना टीम लगभग 12 ऐसे राज्यों का चयन करेगी जो भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में परियोजना टीम एक स्थानीय साझेदार संगठन की पहचान करेगी, जिसके पास सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavior Change Communication-SBCC) तथा नक्शा तैयार करने के लिये पोषक आहारों का आवश्यक अनुभव हो।

एम. एस. स्वामिनाथन का सुझाव

इस कोष की शुरुआत के अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डा. एम एस स्वामिनाथन भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिये पांच सूत्री कार्य योजना लागू करने का सुझाव दिया जो इस प्रकार हैं:

- महिलाओं,गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिये कैलोरी से भरपूर आहार सुनिश्चित करना।
- महिलाओं और बच्चों में मुखमरी खत्म करने के लिये भोजन में समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन का शामिल किया जाना।

नोट :

- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों (जैसे-विटामिन A, विटामिन B, आयरन तथा जिंक) की कमी की वजह से होने वाली भूख को खत्म करना।
- पीने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक गाँव में पोषण साक्षरता का प्रसार विशेष रूप से उन महिलाओं को पोषण के बारे में जागरुक बनाना जिनके बच्चों की 100 दिन से कम है।

एम. एस. स्वामिनाथन द्वारा सुझाई गई यह पाँच सूत्री कार्य योजना विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों जैसे- SDG-2 (शून्य भूख), SDG-3 (अच्छा स्वास्थ्य) और SDG-6 (शुद्ध जल और स्वच्छता) के भी अनुरूप है।

आगे की राह

बेहतर पोषण की दिशा में भारत सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा ऐसे ही अन्य आपूर्ति योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। लेकिन स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने के लिये सरकार के प्रयासों के लिये पूरक के तौर पर दो और बातें आवश्यक हैं:

- पहला यह कि इतने बड़े पैमाने पर कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिये सामाजिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक बुनियादी समझ ज़रूरी है।
- दूसरा, ज़िले में प्रासंगिक कृषि-खाद्य प्रणाली के आँकड़ों को जोड़ने वाले ऐसा डेटा बेस तैयार करना जिसका उद्देश्य ऐसी देशी फसलों की किस्मों की विविधता का मानचित्र बनाना है जो लंबे समय तक कम लागत वाली बनी रहें तथा टिकाऊ रह सकें।

निष्कर्ष

भारत को सतत् विकास लक्ष्य (SDG) हासिल करने के लिये अब संचार के वैज्ञानिक तरीकों को कार्यान्वयन विज्ञान के साथ जोड़ना होगा ताकि स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के साथ ही पोषण भी राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडे में शामिल हो सके। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का निराकरण देश के विकास में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा और सतत् विकाल लक्ष्यों को हासिल करने में देश की मदद करेगा।

जनसंख्या स्थिरता कोष

संदर्भ:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) का एक स्वायत्त निकाय, जनसंख्या स्थिरता कोष (Jansankhya Sthirata Kosh- JSK) जनसंख्या नियंत्रण हेतु कुछ योजनाएँ लागू कर रहा है।

1. प्रेरणा योजना (विवाह, प्रसव और रिक्ति (Spacing) में देरी के लिये)
2. संतुष्टि योजना (नसबंदी सेवाओं के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी)
3. राष्ट्रीय हेल्पलाइन (परिवार नियोजन की जानकारी के लिये)

जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गए कदम:

- मिशन परिवार विकास:
  - सरकार ने 7 उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के 146 उच्च उर्वरता (High Fertility) वाले ज़िलों {जिनमें कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) 3 से अधिक है} में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं की लगातार पहुँच को बढ़ाने के लिये मिशन परिवार विकास की शुरुआत की।
  - ये उच्च उर्वरता वाले 146 ज़िले: 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों से हैं, जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 44% हिस्सा निवास करता है।
- पुन: डिज़ाइन की गई गर्भनिरोधक पैकेजिंग (Redesigned Contraceptive Packaging):
  - कंडोम, OCPs (Oral Contraceptive Pill) और ECPs (Emergency Contraceptive Pills) की पैकेजिंग में सुधार किया गया है ताकि इनकी मांग बढ़ाई जा सके।

नोट :

- नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना (Compensation scheme for Sterilization Acceptors):
  - इस योजना के तहत लाभार्थी को मज़दूरी के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- क्लीनिकल आउटरीच टीम्स योजना (Clinical Outreach Teams Scheme):
  - इस योजना के माध्यम से 146 उच्च उर्वरता वाले ज़िलों में मान्यता प्राप्त संगठनों की मोबाइल टीमों के माध्यम से दूर-दराज़ और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (Family Planning Logistic Management and Information System- FPLMIS):
  - यह स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन से संबंधित वस्तुओं की खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिये समर्पित एक सॉफ्टवेयर है।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (National Family Planning Indemnity Scheme- NFPIS)
  - इस योजना के तहत लाभार्थियों की मृत्यु और नसबंदी की विफलता की स्थिति में बीमा किया जाता है।

उइगर तथा चीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लीक हुए चीन के कुछ आधिकारिक दस्तावेज़ों ने चीन के पश्चिमी क्षेत्र 'शिनजियांग' (Xinjiang) में उइगर (Uighurs) तथा अन्य मुस्लिमों पर चीन की कठोर नीतियों को उजागर किया है।

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को शिनजियांग प्रांत के शिविरों में नज़रबंद रखा गया है।
- लीक हुए दस्तावेज़ों के आधार पर 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' (The Newyork Times) की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद, घुसपैठ और अलगाववाद के खिलाफ तानाशाही का उपयोग करते हुए तथा इन उइगर एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों को प्रताड़ित करते हुए एक 'ऑल आउट' संघर्ष प्रारंभ किया है।
- इन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि अन्य देशों में हुए आतंकी हमलों तथा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से भी चीन को आतंकवादी हमले का भय सता रहा है।
- हालाँकि चीन ने उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार संबंधित घटनाओं से इनकार किया है। चीन के अनुसार, वह उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को इस्लामी चरमपंथ तथा अलगाववाद से बाहर लाने के लिये उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है।

उइगर मुस्लिम: (Uighurs muslim):

- उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं।
- उइगर नृजातीय रूप से तुर्की के मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं।
- चीन के शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40 प्रतिशत है।

अन्य तथ्य:

- यूरोपीय संघ की संसद द्वारा इस वर्ष के सखारोव पुरस्कार के लिये उईगर बुद्धिजीवी 'इल्हाम तोहती' (Ilham Tohti) को चुना गया है।
- इल्हाम तोहती को यह पुरस्कार चीन के उइगर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने के लिये प्रदान किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि उन्होंने उईगर और चीन के लोगों के मध्य बातचीत व परस्पर विश्वास को बढ़ाने के लिये निरंतर कार्य किया है।
- इल्हाम तोहती बीज़िंग यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 में उन्हें चीन सरकार द्वारा 'अलगाववादी' होने के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व भर में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा के लिये प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (International Children's Day) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nation Children's Fund) द्वारा गो ब्लू कैम्पेन (Go Blue Campaign) और 'भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन' (National Summit for Every Child in India) का आयोजन किया गया।
- गो ब्लू कैम्पेन के तहत विभिन्न राज्यों में महत्त्वपूर्ण इमारतों को नीले रंग से रंगा जायेगा या तो नीली लाइटों से सजाया जायेगा।
- 'भारत में प्रत्येक बच्चे के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन UNICEF द्वारा भारतीय संसद में किया गया, इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिये सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज द्वारा सुरक्षित तथा न्यायपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने की बात की गई।
- इस सम्मेलन में बाल अधिकारों के अभिसमय के अनुच्छेद 30 के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये अपनी मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं के सीखने पर ज़ोर दिया गया है।
- सम्मेलन में बच्चों को 'गुणवत्तापूर्ण ,सस्ती, प्रासंगिक एवं दक्षता प्रदान करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई।
- बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिये 'राष्ट्रीय पोषण अभियान' (National Nutrition Mission) जैसी योजनाओं को और विस्तार देने की बात की गई।

बाल अधिकारों का अभिसमय (Conventions of Rights of Child):

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों का अभिसमय अपनाया गया।
- इस अभिसमय में निहित प्रावधान के अनुसार बच्चे माता पिता के संरक्षण में प्रशिक्षणरत भावी वयस्क मात्र नहीं है, सर्वप्रथम वह मनुष्य हैं और उनके अपने अधिकार हैं।
- बचपन बच्चों का एक विशेष, संरक्षित समय है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को समान रूप से बढ़ने, सीखने, खेलने और सर्वांगीण विकास का वातावरण मिलना चाहिये।
- अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।
- यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
  - इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार, मानसिक और शारीरिक शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं।
- भारत ने वर्ष 1992 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। भारत द्वारा इस दिशा में अपनाए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले-
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर वर्ष 1990 में 117/1000 थी जो वर्ष 2016 में घट कर 39/1000 हो गई।
  - बेहतर पेयजल की सुविधा वर्ष 1992 के 62% से वर्ष 2019 में बढ़कर 92% हो गई है।
  - प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति दर वर्ष 1992 के 10% से बढ़कर वर्ष 2019 में 61% हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (World Children's Day):

- अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और कल्याण के लिये 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह सबसे पहले वर्ष 1954 में मनाया गया था।
- इसी तिथि पर वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों के लिये अभिसमय अपनाया गया था।

नोट :

किशोरों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा किशोरों में शारीरिक सक्रियता (Physical Activity in Adolescents) पर एक अध्ययन किया गया जिसे द लांसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ (The Lancet Child and Adolescents Health) में प्रकाशित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन वर्ष 2001-2016 के दौरान 146 देशों के 298 स्कूलों में किया गया जिसमें 11 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 16 लाख छात्र शामिल थे।
- इस अध्ययन का शीर्षक 'किशोरों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता का वैश्विक प्रचलन' (Global Trends in Insufficient Physical Activity among Adolescents) है। इसमें आँकड़ों को अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता (Insufficient Physical Activity) के रूप में दर्शाया गया है।
- इस अध्ययन में सक्रिय रूप से खेलना, मनोरंजन तथा खेल, सक्रिय घरेलू कार्य, टहलना तथा साइकिल चलाना आदि शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया गया है।
- अध्ययन का सुगमता से विश्लेषण करने के लिये विश्व बैंक के आय समूहों के आधार पर देशों को निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय तथा उच्च आय समूहों में विभाजित किया गया।
- इस अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले विश्व के 80% किशोर (Adolescents) प्रतिदिन 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम नहीं करते। इसमें 85% लड़कियाँ तथा 78% लड़के शामिल हैं।
- वर्ष 2001 में यह आँकड़ा वैश्विक स्तर पर लगभग 83% था जहाँ अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता लड़कों में 80% तथा लड़कियों में 85% थी।
- अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता में पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया (94%) है जहाँ लड़कों में यह आँकड़ा 91% है, वहीं लड़कियों में 97% (विश्व में सर्वाधिक) है। किशोर लड़कों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता सर्वाधिक फिलीपींस में (93%) पाई गई।
- भारत के लिये यह आँकड़ा 74% रहा जिसमें 72% लड़के तथा 76% लड़कियाँ शामिल हैं। हालाँकि भारत इसमें वैश्विक औसत से कुछ ही कम है, इसके बावजूद तीन-चौथाई किशोर अभी भी पर्याप्त तौर पर शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण किशोर लड़कों में यह आँकड़ा लड़कियों तुलना में कम है।
- वर्ष 2001 में भारत में यह आँकड़ा 76.6% था जहाँ लड़कों तथा लड़कियों के लिये यह समान रूप से 76.6% था।
- अमेरिका में यह आँकड़ा 64% है। इसका मुख्य कारण स्कूलों में शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, मीडिया द्वारा खेल-कूद को बढ़ावा देना तथा स्पोर्ट्स क्लबों की लोकप्रियता आदि शामिल है।
- हालाँकि अध्ययन में वर्ष 2001 से 2016 के दौरान कुल वैश्विक अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता में कमी आई है। इसके बावजूद जहाँ लड़कों में यह आँकड़ा 2.5% कम हुआ है, वहीं लड़कियों के मामले में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर किशोरों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता के बढ़ते प्रभाव में 15% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- विश्व के चार देश- टोंगा, सामोआ, ज़ाम्बिया तथा अफ़गानिस्तान में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता के मामले में लड़कियाँ की स्थिति लड़कों की तुलना में बेहतर थी, जबकि अमेरिका तथा आयरलैंड में लड़कियों एवं लड़कों के बीच अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता का अंतर सर्वाधिक 15% था।

आगे की राह

- शारीरिक सक्रियता में वृद्धि हेतु खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना चाहिये।

नोट :

- खेल-कूद तथा बाहरी कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करना चाहिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
- स्कूलों में अनिवार्य रूप से 1 घंटे के लिये शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलाप होने चाहिये जिससे बच्चों तथा किशोरों में मोटापे जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सके।

नए साइकोएक्टिव पदार्थों पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार सिंथेटिक दवाओं और नए साइकोट्रोपिक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिये दवाओं के निर्माण में स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रयोग को रोकने लिये एक उच्च स्तरीय सरकारी पैनल की बैठक आयोजित की गई।
- इस बैठक में दर्दनिवारक दवा ट्रेमेडॉल और कोडीन (Codien) आधारित कफ़ सिरप की बांग्लादेश में तस्करी से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई।
- पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी, नशीले पदार्थ वाली दवाओं के दुरुपयोग, नए साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण और देश में अफीम की खेती से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती करने वालों से अफीम निकालने के बाद बचे तने का पूर्ण हल सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
  - पोस्ता स्ट्रॉ अफीम की फलियों से अफीम निकालने के बाद बचे भूसे को कहते हैं।
  - जिसमें थोड़ी मात्रा में मॉर्फिन पाई जाती है और इसे नशे के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
  - किसानों द्वारा पोस्ता स्ट्रॉ का स्वामित्व, विक्रय और प्रयोग राज्य नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नियमों के तहत विनियमित किया जाता है।
  - एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत पोस्ता स्ट्रॉ मादक पदार्थों की श्रेणी में आता है।
  - लाइसेंस या राज्य प्राधिकरण के आदेश के बिना पोस्ता स्ट्रॉ की बिक्री, खरीद या उपयोग करना, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है।

नए साइकोट्रोपिक पदार्थ (New Psychotropic Substance- NPS):

- ऐसे नशीले पदार्थ जिनका निर्माण, क्रय-विक्रय और उपयोग संयुक्त राष्ट्र के नशीली दवाओं संबंधी अभिसमय (United Nation's Drugs Convention) द्वारा नियंत्रित नहीं किये जाते और लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं NPS की श्रेणी में आते हैं।
- NPS को लीगल हाई (Legal high), बाथ सॉल्ट (bath salt) या शोध रसायन भी कहते है, जिसे स्पष्ट करने के लिये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने इसे NPS नाम दिया है।

संयुक्त राष्ट्र औषधि नीति संबंधी अभिसमय (United Nation's Drugs Convention):

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 अभिसमय अपनाए गए, जो एक साथ मिलकर औषधि नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय कानून की रूपरेखा तैयार करती हैं:
  - नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय, 1961
  - साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय, 1971
  - नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक औषधि की तस्करी के विरुद्ध अभिसमय, 1988
- भारत इन तीनों अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

नोट :

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act 1985):

- NDPS का अधिनियमन वर्ष 1985 में मादक औषधि नीति संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को पूरा करने के लिये किया गया था।
- इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे।
- वर्ष 2001 में NDPS अधिनियम के सज़ा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया।
- इसके तहत 10 से 20 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड और दोहराए गए अपराधों के लिये कुछ मामलों में जुर्माने के साथ मौत की सज़ा का भी प्रावधान है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (United nation's Office on Drugs and Crime- UNODC):

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई।
- यह संयुक्त राष्ट्र के औषधि और अपराध नियंत्रक कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है।

छत्तीसगढ़ पंचायतों में दिव्यांग कोटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों (Differently Abled) के लिये आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय से प्रत्येक पंचायत में एक स्थान दिव्यांग सदस्य के लिये आरक्षित होगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत है।
- दिव्यांग सदस्यों का या तो चुनाव होगा या उन्हें नामित किया जाएगा।
- यदि दिव्यांग सदस्य का चयन चुनावी प्रक्रिया द्वारा नहीं होता, तो किसी एक पुरुष या महिला सदस्य को बतौर पंच नामित किया जाएगा।
- ब्लाक तथा ज़िला पंचायतों के लिये ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार दो दिव्यांग सदस्यों को नामित करेगी जिसमें एक महिला तथा एक पुरुष शामिल होगा।
- इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य पंचायती राज अधिनियम, 1993 (State Panchayati Raj Act, 1993) में संशोधन करना होगा।

निर्णय का महत्त्व:

- इस प्रावधान के लागू होने के बाद राज्य में लगभग 11,000 दिव्यांग सदस्य राज्य की पंचायती व्यवस्था का हिस्सा होंगे।
- इस निर्णय के माध्यम से राज्य के दिव्यांग वर्गों की न सिर्फ सामाजिक तथा राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी बल्कि वे मानसिक रूप से सशक्त होंगे।
- इस व्यवस्था के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़, पंचायतों में दिव्यांगों के लिये आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

दिव्यांगों से संबंधित संवैधानिक तथा कानूनी उपबंध:

- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद-41 बेरोज़गार, रोगियों, वृद्धों तथा शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिलाने के लिये राज्य को दिशा निर्देश देता है।

नोट :

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची (State List) के विषयों में दिव्यांगों तथा बेरोज़गारों के संबंध में प्रावधान दिये गए हैं।
- दिव्यांग अधिकार कानून, 2016 (Rights of Person with Disability Act, 2016) के तहत दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4% तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं में 5% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था:

- पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन (Local Self Government) का विकास करना था। इसके लिये सरकार ने वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की।
- इसके अंतर्गत सभी राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु अधिनियम पारित किये।
- इस व्यवस्था में पंचायतों को तीन स्तर पर बाँटा गया है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लाक पंचायत तथा ज़िला पंचायत।
- पंचायत के सभी स्तर के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- पंचायतों से संबंधित चुनाव की ज़िम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है।
- पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला तथा अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण का प्रावधान है।

पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का भाग-9 तथा 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है।
- पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-243 से 243(O) में दिये गए हैं।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-40 में स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- स्थापना - 1 नवंबर, 2000
- राजधानी - रायपुर
- ज़िले - 27
- लोकसभा सीटें - 13
- विधानसभा सीटें - 91
- संभाग - 5 (बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा)
- जनसंख्या - 2,55,40,196
- लिंगानुपात - 991 (महिला प्रति 1000 पुरुष)
- जनसंख्या घनत्व - 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता दर - 71.4%
- अनुसूचित जनजाति - 31.8%
- अनुसूचित जाति - 11.6%
- राजकीय पशु - जंगली भैंसा
- राजकीय पक्षी - पहाड़ी मैना
- राजकीय वृक्ष - साल

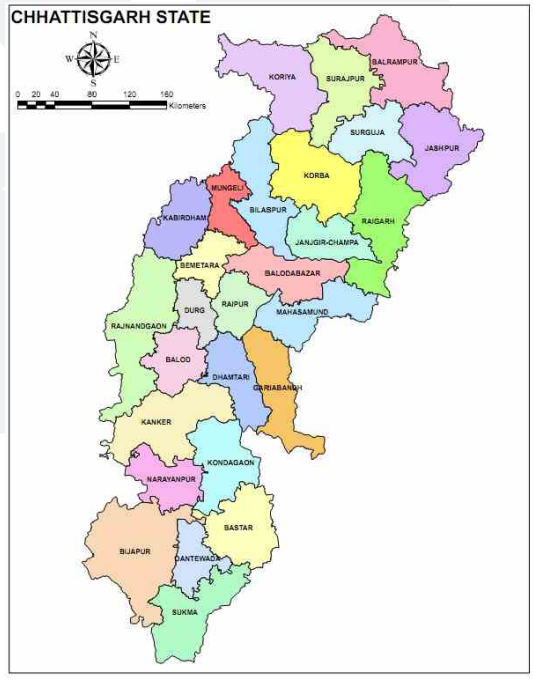

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

चर्चा में क्यों ?

महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Elimination of Violence against Women) मनाया जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए गए यूनाइट अभियान (UNiTE campaign) के अंतर्गत किया गया।
  - वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिये यूनाइट अभियान चलाया गया।
- इस वर्ष की थीम ऑरेंज द वर्ल्ड: जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप (Orange the world: Generation Equality Stand Against Rape) है।
- इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिये 16 डेज एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वॉइलेंस कैम्पेन (16 Days Activism Against Gender Based Violence Campaign) का आयोजन 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र महिला (United Nation's Women) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में लगभग 15 मिलियन किशोर लडकियाँ (15-19 आयु वर्ग) अपने जीवन में कभी-न-कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं।
- इसके अलावा 3 बिलियन महिलाएँ वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) की शिकार होती हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, करीब 33% महिलाओं व लड़कियों को शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- हिंसा की शिकार 50% से अधिक महिलाओं की हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती है।
- वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार लोगों में 50% वयस्क महिलाएं हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में लगभग 650 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ है।
- WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।

भारत के संदर्भ में:

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau) द्वारा राष्ट्रीय अपराध 2017 रिपोर्ट जारी की गई।
  - रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल 3,59,849 मामले दर्ज किये गए।
  - इस सूची में सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किये गए, इसके बाद क्रमश: महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
  - महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल मामलों में 27.9% मामले पति या परिजनों द्वारा किये गए उत्पीड़न के अंतर्गत दर्ज किये गए।
  - इसके अलावा अपमान के उद्देश्य से किये हमले (21.7%), अपहरण (20.5%) और बलात्कार (7%) के मामले सामने आए।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 15(1) में राज्यों को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया।
- महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिये कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लाया गया।

संयुक्त राष्ट्र महिला (United Nations Women):

- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला का गठन किया गया।
- यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करती है।
- इसके तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के 4 अलग-अलग प्रभागों के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है:
  - महिलाओं की उन्नति के लिये प्रभाग (Division for the Advancement of Women -DAW)
  - महिलाओं की उन्नति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (International Research and Training Institute for the Advancement of Women -INSTRAW)

नोट :

- लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार कार्यालय (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women-OSAGI)
- महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (United Nations Development Fund for Women-UNIFEM)

शहरी बेरोज़गारी दर

चर्चा में क्यों ?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor Force Survey- PLFS) के आँकड़ों के अनुसार भारत में जनवरी-मार्च, 2019 (तिमाही) के दौरान शहरी बेरोज़गारी दर में कमी आई है।

मुख्य बिंदु:

- साप्ताहिक स्थिति के आधार पर जारी PLFS के आँकड़ों के अनुसार, जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान शहरी बेरोज़गारी दर 9.3 प्रतिशत, अक्तूबर-नवंबर, 2018 के दौरान 9.9 प्रतिशत, जुलाई-सितंबर, 2018 के दौरान 9.7 प्रतिशत तथा अप्रैल-जून, 2018 के दौरान 9.8 प्रतिशत थी।
- हालाँकि इन आँकड़ों में महिलाओं की बेरोज़गारी दर जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान 11.6 प्रतिशत, अक्तूबर-दिसंबर, 2018 के दौरान 12.3 प्रतिशत और अप्रैल-जून, 2018 के दौरान 12.8 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की बेरोज़गारी दर जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान 8.7 प्रतिशत, अक्तूबर-दिसंबर, 2018 के दौरान 9.2 प्रतिशत और अप्रैल-जून, 2018 के दौरान 9 प्रतिशत थी।
- सभी आयु-वर्ग की महिलाओं में राज्यवार आँकड़ों में जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक 38.2 प्रतिशत, उत्तराखंड में 33.7 प्रतिशत तथा केरल में 21.5 प्रतिशत बेरोज़गारी दर है।
- सभी आयु-वर्गों के पुरुषों में सर्वाधिक बेरोज़गारी दर ओडिशा में 15.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 13 प्रतिशत तथा दिल्ली में 12.9 प्रतिशत है।

श्रम शक्ति भागीदारी दर: (Labour Force Participation Rate)

- नवीनतम तिमाही आँकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे उपर के आयु-वर्ग की श्रम शक्ति भागीदारी दर जनवरी-मार्च, 2019 की तिमाही के दौरान 46.5 प्रतिशत रही जो कि पिछली तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर, 2018) के दौरान 46.8 प्रतिशत थी।
- 15 वर्ष और उससे उपर के आयु-वर्ग की महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान 19.1 प्रतिशत और अक्तूबर-दिसंबर, 2018 के दौरान 19.5 प्रतिशत थी, जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी दर जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान 73.4 प्रतिशत थी तथा अक्तूबर-दिसंबर, 2018 के दौरान यह दर 73.6 प्रतिशत थी।
- जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान 15-29 वर्ष आयु-वर्ग के युवाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 37.7 प्रतिशत जबकि अक्तूबर-दिसंबर, 2018 के दौरान 38.2 प्रतिशत थी।
- 15 वर्ष और उससे उपर के आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर उत्तर प्रदेश (6 प्रतिशत) तथा बिहार (5.6 प्रतिशत) में सबसे कम थी।

नोट- उपर्युक्त सभी आँकड़े शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (Periodic Labor Force Survey- PLFS):

- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Organisation- NSSO) द्वारा जारी की जाती है।
- जुलाई, 2017 से जून, 2018 के लिये पहली PLFS रिपोर्ट मई, 2019 में जारी की गई थी।
- जुलाई, 2018 से जून, 2019 के लिये दूसरी PLFS रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है।

नोट :

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संसद की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019] पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ।
- इस विधेयक से हाशिये पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।
- इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोज़गारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

भारत में एक्सलेरेटर प्रयोगशाला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत (दिल्ली) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nation Development Program- UNDP) ने एक एक्सलेरेटर प्रयोगशाला (Accelerator Lab) की स्थापना की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रयोगशाला की स्थापना UNDP तथा भारत सरकार के अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission) के आपसी समन्वय से की गई है।
- एक्सलेरेटर प्रयोगशाला की स्थापना के बाद UNDP और भारत ने 'डेट फॉर डेवलेपमेंट' (#DateForDevelopment), जो एक तरह का "मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (Matchmaking Platform) है का भी आयोजन किया।
  - इसका लक्ष्य स्थानीय नवाचारियों को अनुभवी और विकसित नवाचारियों से जोड़ना है।

उद्देश्य:

- यह प्रयोगशाला कुछ प्रमुख मुद्दों, जैसे- वायु प्रदूषण, सतत् जल प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान नवाचारों के माध्यम से करने की कोशिश करेगी।
- इसके अलावा नवाचारी देश के सामने आने वाली आम समस्याओं के समाधान के लिये ज़मीनी स्तर के ऊर्जा/नवाचारों को एक साथ लाने की कोशिश कर सकेंगे।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तेज़ी से प्रगति करना है।
- एक्सलेरेटर प्रयोगशाला क्या है ?
- एक्सलेरेटर प्रयोगशाला UNDP, जर्मनी और कतर द्वारा 21वीं सदी की जटिल नई चुनौतियों का हल खोजने के लिये शुरू की गई एक नई पहल है।

नोट :

- भारत की एक्सीलरेटर प्रयोगशाला 60 वैश्विक प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क का हिस्सा होगी जो जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के नए समाधानों का परीक्षण और पैमाना करेगी।
- एक्सलेरेटर प्रयोगशाला विभिन्न देशों जैसे- इराक, जॉर्डन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, सर्बिया, नेपाल, मैक्सिको और वियतनाम आदि में स्थित हैं।

लाभ:

- इस प्रयोगशाला से जुड़े लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पेश किए गए अभिनव समाधानों से न केवल भारत बल्कि कई अन्य देश भी लाभान्वित होंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nation Development Program- UNDP)

- UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है
- UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता और बहिष्कार को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है।
- इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क

चर्चा में क्यों ?

वर्ल्ड सिटीज़ डे (31 अक्तूबर, 2019) के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के मुंबई तथा हैदराबाद समेत विश्व के 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु:

- मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स (Creative City of Films) तथा हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी (पाक कला) (Creative City of Gastronomy) के रूप में नामित किया गया है।
  - इससे पूर्व भारत के चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को के संगीत शहरों में शामिल किया गया है, जबकि जयपुर को शिल्प तथा लोककला के शहर के रूप में शामिल किया गया है।
- नेटवर्क में शामिल शहर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिक समाज को शामिल करने हेतु साझेदारी विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध होते हैं।

वर्ल्ड सिटीज़ डे 2019 (World Cities Day 2019):

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्तूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है।
- वर्ल्ड सिटीज़ डे 2019 का विषय "दुनिया को बदलना: नवाचार और भविष्य की पीढ़ियों के लिये बेहतर जीवन" है।

यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network- UCCN):

- UCCN को 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था जिन्होंने रचनात्मकता को स्थायी शहरी विकास हेतु एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है।
- वर्तमान में 246 शहर निम्नलिखित उद्देश्यों की दिशा में एक साथ काम कर रहे हैं:
  - स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं हेतु रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों को केंद्र में रखना।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना।
- UCCN का उद्देश्य अभिनव सोच और कार्रवाई के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) को प्राप्त करना है।
- UCCN में संगीत, कला, लोकशिल्प, डिज़ाइन, सिनेमा, साहित्य तथा डिजिटल कला और पाककला जैसे सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं।
- यूनेस्को के अनुसार, यह नेटवर्क उन शहरों को एक साथ लाता है जिन्होंने अपनी रचनात्मकता के आधार पर विकास किया है।

कुंग फू नन्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री ने डुकपा विरासत के कुंग फू नुन्स (Kung Fu Nuns) से मुलाकात की।

प्रमुख बिंदु

- कुंग फू नन्स (Kung Fu Nuns) को हाल ही में न्यूयॉर्क में एशियाटिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित गेम चेंजर अवार्ड (Game Changer Award) से सम्मानित किया गया है।

नोट :

- कुंग फू नन्स को हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण और महिला-पुरुष आधारित भेदभाव को दूर करने के लिये उनके अनुकरणीय कार्य को लेकर यह अवार्ड दिया गया।
- इनकी टैगलाइन 'बी योर ओन हीरो' (Be Your Own Hero) हैं।
- नन्स अपने प्रथम नाम के रूप में जिग्मे (Jigme) का इस्तेमाल करती हैं और जिग्मे (Jigme) का अर्थ 'निडर' होता है।

कुंग फू नन्स के बारे में:

- कुंग फू नन्स 1000 साल पुरानी ड्रुकपा विरासत के लगभग 700 नन्स का एक मज़बूत समुदाय है
- ये बौद्धिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- इसके अलावा अपने शिक्षण का इस्तेमाल महिला-पुरुष समानता और पर्यावरणवाद को बढ़ावा देकर विश्व में सार्थक बदलाव लाने के लिये करती हैं।
- इसी मान्यता के साथ कुंग फू नन्स इन्द्रा नूई, मुकेश अंबानी और देव पटेल जैसे भारतीय नायकों की श्रेणी में शामिल हो गई हैं।
- सशक्तीकरण और समानता को बढ़ावा देने तथा समुदायों को बेहतर बनाने के लिये ये प्राचीन मार्शल आर्ट का उपयोग करती हैं।
- इसके अलावा युवा लड़कियों को रूढ़िवादी दायरे से बाहर निकालकर अपनी स्वयं की नायक बनने के लिये प्रेरित कर रही हैं।

एशियाटिक सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड (Game Changer Award)

- एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1956 में की गई थी यह एक पक्षपात-मुक्त, गैर-लाभकारी शैक्षिक संस्थान है।
- वैश्विक संदर्भ में एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, नेताओं एवं संस्थानों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने तथा साझेदारी को मज़बूत करने के लिये समर्पित हैं।
- गेम चेंजर अवार्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या आंदोलनों को दिया जाता है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के अनुसार अनेक क्षेत्रों में प्रेरक, प्रबुद्ध और उच्च नेतृत्व दर्शाया है।

तिरुवल्लुवर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्राचीन संत तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) राजनीतिक मुद्दों के कारण तमिलनाडु में चर्चा में रहे।

प्रमुख बिंदु

- तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि और संत थे जिन्हें वल्लुवर (Valluvar) के नाम से भी जाना जाता था।
- धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि में विरोधाभास है सामान्यत: उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है।
- सामान्यत: उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि, हिंदुओं का दावा किया है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे।
- द्रविड़ समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
- उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी।
- इस रचना को तीन भागों में विभाजित किया गया है-
  - अराम- Aram (सदगुण- Virtue)।
  - पोरुल- Porul (सरकार और समाज)।
  - काम- Kamam (प्रेम)।

संगम साहित्य Sangam Literature

- संगम 'शब्द संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप है जिसका अर्थ व्यक्तियों का समूह या संघ होता है।
- तमिल संगम कवियों की एक अकादमी थी जो तीन अलग-अलग कालखंडों और विभिन्न स्थानों पर पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई।

नोट :

- तीसरे संगम के समय के साहित्य, ईसाई युग की शुरुआत की सामाजिक स्थितियों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
- ये साहित्य मुख्यत: सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों जैसे सरकार, युद्ध दान, व्यापार, पूजा, कृषि जैसे धर्मनिरपेक्ष मामले से संबंधित थे।
- संगम साहित्य में तोलक्कापियम, 10 कविताओं का समूह- पट्टुपट्टू (Pattupattu), एत्तुतोगई (Ettutogai) और पडिनेनकिलकानाक्कू (Padinenkilkanakku) जैसे तमिल रचनाएँ शामिल हैं।

विश्व स्मारक निगरानी सूची

चर्चा में क्यों ?

न्यूयार्क स्थित गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष (World Monuments Fund-WMF) ने प्राचीन भूमिगत जल प्रणाली सुरंगा बावड़ी (Suranga Bawadi) को विश्व स्मारक निगरानी सूची-2020 में शामिल किया है।

मुख्य बिंदु

- WMF द्वारा इस बावड़ी का चयन WMF द्वारा 'दक्कन के पठार की प्राचीन जल प्रणाली' (Ancient Water System of the Deccan Plateau) की श्रेणी के तहत किया गया है।
- वर्ष 2020 के लिये इस सूची में विश्व के 25 स्थलों का चयन किया गया है।
- इस सूची में शामिल होने के बाद इस बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिये WMF द्वारा अगले 2 वर्षों के लिये जीर्णोद्धार (Restoration) वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
- WMF इसके जीर्णोद्धार के लिये स्थानीय प्रशासन व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) सहित अन्य हितधारकों के साथ मिल कर कार्य करेगा।

सुरंगा बावड़ी (Suranga Bawadi)

- सुरंगा बावड़ी कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है।
- सुरंगा बावड़ी प्राचीन कारेज़ प्रणाली पर आधारित है।
- इस बावड़ी का निर्माण 16वीं शताब्दी में आदिल शाह प्रथम ने करवाया था तथा आदिल शाह प्रथम के उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसको मज़बूत करने के लिये इसमें कई संरचनात्मक सुधार किये थे।
- इस बावड़ी का प्रयोग शहर को जलापूर्ति हेतु किया जाता था।

कारेज़ प्रणाली (Karez system)

- कारेज़ प्रणाली में भूमिगत नहरों का जाल होता है तथा इन नहरों के द्वारा शहर को जलापूर्ति की जाती थी।
- यह प्रणाली भूमिगत जलस्रोतों (कुओं/झरनों) से जल का संग्रहण करती है।
- इस प्रणाली की उत्पत्ति फारस में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी।

विश्व स्मारक कोष (World Monuments Fund-WMF)

- वर्ष 1965 में स्थापित WMF न्यूयार्क स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (Non Governmental Organisations- NGO) है।
- विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1995 में शुरु किया गया।
- कोष का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

2000 वर्ष पुरानी बस्ती की खोज

चर्चा में क्यों ?

आंध्रप्रदेश के नेल्लोर में नायडूपेट के निकट गोट्टीप्रोलू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम द्वारा की गई खुदाई के पहले चरण में व्यापक तौर पर ईंटों वाली संरचना से घिरी एक विशाल बस्ती के अवशेष मिले हैं।

नोट :

स्थल के विषय में

- गोट्टीप्रोलू (13° 56' 48" उत्तर; 79° 59' 14" पूरब) में नायडूपेट से लगभग 17 किलोमीटर पूरब और तिरूपति तथा नेल्लोर से 80 किलोमीटर दूर स्वर्णमुखी की सहायक नदी के दाएँ किनारे पर स्थित है।
- विस्तृत कटिबंधीय अध्ययन और ड्रोन से मिली तस्वीरों से एक किलेबंद प्राचीन बस्ती की पहचान करने में मदद मिली है।
- बस्ती की पूर्वी और दक्षिणी ओर किलाबंदी काफी स्पष्ट है, जबकि दूसरी ओर आधुनिक बस्तियों के कारण यह अस्पष्ट प्रतीत होती है।
- इस स्थान की खुदाई से ईंट से निर्मित विभिन्न आकारों और रूपों की संरचना मिली है।
- खुदाई में मिली कई अन्य प्राचीन वस्तुओं में विष्णु की एक आदमकद मूर्ति और वर्तमान युग की शुरूआती शताब्दियों के दौरान प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तन शामिल हैं।
- इस खुदाई में पक्की ईंटों से निर्मित संरचना मिली है, जो 75 मीटर से अधिक लंबी, लगभग 3.40 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊँची है।
- खुदाई में ईंटों से बना आयताकार टैंक भी मिला है।

स्थल के निर्माण की समायावधि

- ईंटों का आकार 43-40 सेमी आकार है, जिसकी तुलना कृष्णा घाटी यानी अमरावती और नागार्जुनकोंडा की सातवाहन/इक्ष्वाकु काल की संरचनाओं से की जा रही है।
- ईंटों के आकार और अन्य खोजों के आधार पर इन्हें दूसरी-पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा उसके कुछ समय बाद (लगभग 2000 वर्ष पूर्व) के समय का माना जा रहा है।
- खुदाई में मिले अवशेषों के अलावा, गाँव के पश्चिमी हिस्से की खुदाई से विष्णु की मूर्ति भी मिली है।
- इस क्षेत्र के लोगों ने, प्राचीनकाल में व्यापार में सुगमता के लिये समुद्र, नदी और झील (पुलिकट) से निकटता को ध्यान में रखते हुए, 15 किलोमीटर की दूरी पर दो नगरों को बसाने को प्रमुखता दी थी।

विष्णु की आदमकद मूर्ति

- खुदाई से प्राप्त विष्णु की मूर्ति की ऊँचाई लगभग 2 मीटर है।
- विष्णु की यह प्रतिमा चार भुजाओं वाली है जिसमें ऊपर की ओर दाहिनी तथा भुजाओं में क्रमश: चक्र और शंख विद्यमान है।
- नीचे की ओर दाहिनी भुजा श्रेष्ठ वरदान मुद्रा में है और बायाँ हाथ कटिहस्थ मुद्रा (कूल्हे पर आराम की मुद्रा) में है।
- अलंकृत शिरोवस्त्र, जनेऊ/यज्ञोपवीत (तीन सूत्रों वाला धागा) और सजावटी वस्त्र जैसी मूर्तिकला विशेषताएँ इस तथ्य की और संकेत करती हैं कि यह मूर्ति पल्लव काल (लगभग 8 वीं शताब्दी) की है।

टेराकोटा से निर्मित स्त्री की लघुमूर्ति

- दूसरी प्राचीन वस्तु जो खुदाई से प्राप्त हुई है वह है स्त्री की लघु मूर्ति (टेराकोटा से निर्मित) जिसमें दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं।

शंक्वाकार घड़े

- मिटटी के बर्तनों में सबसे आकर्षक खोज निर्माण संरचना के पूर्व दिशा में रखे गए शंक्वाकार घड़ों या जार का तल/आधार है।
- इस तरह के शंक्वाकार जार तमिलनाडु में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें रोमन एम्फ़ोरा जार (ऐसे जार जिन्हें पकड़ने के लिये दो हैंडल बने होते थे) की नकल करके बनाया गया है।
- खुदाई से प्राप्त टूटी हुई टेराकोटा पाइप की एक शृंखला जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, से इस स्थल के निवासियों द्वारा निर्मित नागरिक सुविधाओं के बारे में पता चलता है।

जल निकासी की व्यवस्था (Drainage system)

- स्थल की खुदाई से प्राप्त जल निकासी के अवशेषों से उस समय की जल निकासी व्यवस्था को समझा सकता है।
- पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मिश्रित पत्थर के औजार इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक जीवन की और भी संकेत करते हैं।

नोट :

स्थल का महत्त्व

- खुदाई स्थल पर एम्फोरा जारों की उपस्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि ये बस्तियाँ व्यापार का महत्त्वपूर्ण केंद्र रही होंगी।
- समुद्र तट से स्थल की निकटता से पता चलता है कि यह स्थल समुद्री व्यापार में शामिल रणनीतिक बस्ती के रूप में कार्य करता होगा। स्थल पर भविष्य में किये जाने वाला शोध कार्यों से इस स्थल के बारे में और अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे।
- गोट्टीप्रोलू और इसके चारों और 15 किमी. के दायरे में किये अन्वेषणों से महत्त्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसे- पुडुरु में ऐतिहासिक ऐतिहासिक बस्ती, मल्लम में सूर्यब्रह्मण्य मंदिर, यकासिरी (Yakasiri) में अद्वितीय रॉक-कट लेटराइट वापी/बावड़ी (Step-well) तथा तिरुमुरु के विष्णु मंदिर।
- इसके अलावा इस स्थल के पूर्व में समग्र समुद्री तट विभिन्न प्रकार के पुरावशेषों से भरा हुआ है, जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं।
- प्रागैतिहासिक समय के दौरान 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित ये दोनों किलेबंद नगरीय बस्तियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक उपस्थिति (समुद्र तट, नदी तथा पुलीकट झील से निकटता) के चलते इस स्थान को व्यापार हेतु अधिक प्रमुखता दी गई थी।

चवांग कुट महोत्सव Chavang Kut Festival

हाल ही में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में चवांग कुट महोत्सव (Chavang Kut Festival) पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया।

चवांग कुट महोत्सव के बारे में:

- यह महोत्सव एंग्लो-कूकी युद्ध की शताब्दी वर्ष का प्रतीक है।
- चवांग कुट महोत्सव फसल कटाई के उपलक्ष्य में कूकी-चिन-मिज़ो समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
- यह प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मिज़ोरम, असम तथा देश के अन्य हिस्सों में प्रचुर मात्रा में फसल की उपज के लिये कृतज्ञता प्रकट करने हेतु आयोजित किया जाता है।
- मणिपुर में इस दिन राजकीय अवकाश होता है।
- मिज़ोरम में इस वर्ष यह महोत्सव तीसरी बार मनाया गया।
- महोत्सव के दौरान चिन-कूकी-मिज़ो आदिवासी समूह द्वारा पारंपरिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, पारंपरिक संगीत और भोजन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

5वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2019 Fifth India International Science Festival-2019

कोलकाता में 4 दिवसीय (5 नवंबर से 8 नवंबर) 5वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2019 (Fifth India International Science Festival-2019- IISF) का आयोजन किया जाएगा।

थीम:

वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम 'राइजेन इंडिया'- राष्ट्र को सशक्त बनाता अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान (RISEN India- Research, Innovation, Science Empowering the Nation) रखी गई है।

उद्देश्य

- IISF-2019 का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता का प्रसार करना तथा पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का योगदान और लोगों को इससे प्राप्त लाभों को प्रदर्शित करना है।
- इसका लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समावेशी विकास हेतु रणनीति तैयार करना है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव- 2019

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मंत्रालयों एवं विभागों और विज्ञान भारती द्वारा आयोजित यह एक वार्षिक आयोजन है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार IISF-2019 का समन्वय करने वाली नोडल एजेंसी है।

नोट :

- IISF-2019 भारत और विश्व के दूसरे देशों के विद्यार्थियों, नवाचारी, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों तथा तकनीकविदों का समागम है।
  - इसमें विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को समायोजित किया जाएगा।

महोत्सव के एक मुख्य आकर्षण

- छात्र विज्ञान गाँव- इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के करीब 2500 स्कूली विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है।
- युवा वैज्ञानिक सम्मेलन- इस कार्यक्रम में शामिल युवा वैज्ञानिक और शोधकर्त्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों से सीधा संवाद कर सकेंगे।
- विज्ञानिका- इसके अंतर्गत विज्ञान संचार की अनेक विधाओं से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- इसके अलावा महिला वैज्ञानिक एवं उद्यमियों की सभा के अंतर्गत महिलाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास से जुड़े नए अवसरों की खोज की जाएगी।

तवांग महोत्सव Tawang Festival

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ।

तवांग महोत्सव

- यह अरुणाचल प्रदेश का एक वार्षिक उत्सव है जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी।
- महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, देशी खेल, फिल्में और वृत्तचित्र (Documentaries)आदि का प्रदर्शन किया जाता है।
- इसकी शुरुआत एक धार्मिक परंपरा सेबंग (Sebung) से की जाती है जिसके अंतर्गत भिक्षुओं को रैलियों के रूप में तवांग मठ से तवांग शहर के उत्सव स्थल तक जाना होता है।
- महोत्सव का मुख्य आकर्षण याक नृत्य और अजी-लामू नृत्य हैं।

बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन BIMSTEC Port Conclave

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा पहले 'बिम्सटेक बंदरगाह' सम्मेलन (BIMSTEC Port Conclave) का उद्घाटन किया गया।

बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन

- इस सम्मेलन का उद्देश्य आयात-निर्यात तथा तटीय जहाज़रानी को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना को तलाशना है।
- BIMSTEC के सभी सात सदस्य देशों के साथ-साथ व्यापार और विभिन्न जहाज़रानी संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।
- सम्मेलन के दौरान पाँच सत्र हुए-
  - पहले सत्र का उद्देश्य बंदरगाहों पर आधारित 'औद्योगिक और पर्यटन विकास' के क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा बंदरगाहों के नज़दीक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर चर्चा करना था।
  - दूसरे सत्र का उद्देश्य- विस्तार आपूर्ति श्रृंखलाओं और उपलब्ध समाधानों की पृष्ठभूमि में बंदरगाहों तथा टर्मिनलों की उभरती भूमिका पर चर्चा करना था।
  - तीसरे सत्र का उद्देश्य सुरक्षा खतरों पर चर्चा करना था तथा इस सत्र का विषय (Theme) 'सुरक्षित और संरक्षित बंदरगाह' थी।
  - चौथा सत्र 'पोर्ट्स सर्विसेज़: डिलीवरिंग वैल्यू' (Ports Services: Delivering Value) पर आधारित था जिसका उद्देश्य कारोबारी सुगमता के लिये उठाये गए विभिन्न कदमों पर चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करना है।
  - अंतिम सत्र 'ग्रीन पोर्ट ऑपरेशंस' अर्थात् पर्यावरण अनुकूल बंदरगाह संचालन पर आधारित था।

बिम्सटेक

- बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और आसपास के सात देश (भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल) शामिल हैं।

नोट :

- यह संगठन क्षेत्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता है।
- बिम्सटेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभ का उपयोग करके आम हित के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से व्यापार में तेज़ी लाना तथा विकास को गति देना है।

भीमिली उत्सव-2019 Bheemili Utsav 2019

हाल ही में आंध्रप्रदेश में विशाखापट्टनम ज़िले के भीमुनिपट्टनम में दो दिवसीय भीमिली उत्सव-2019 (Bheemili Utsav-2019) का आयोजन किया गया।

भीमिली उत्सव के बारे में:

- इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी दौड़ है।
- उत्सव के दौरान लोक कलाकारों और मछुआरों द्वारा पारंपरिक नृत्य 'पुली वेशलु' (Puli Veshalu) का आयोजन किया गया।
- इसके अलावा उत्सव में कबड्डी, खो-खो, रंगोली, घुड़दौड़ आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव Brahmaputra Pushkaram Festival

असम राज्य में 5 नवंबर से 16 नवंबर तक 12 दिवसीय नदी उत्सव 'ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव' (Brahmaputra Pushkaram Festival) का आयोजन किया गया।

उत्सव के बारे में:

- इससे पहले वर्ष 2018 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में तामिरापर्णी के तट पर पुष्करम उत्सव मनाया गया था।
- पुष्करम उत्सव नदियों का एक उत्सव है जो भारत की 12 महत्त्वपूर्ण नदियों से संबंधित है।
- नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के बाद यह असम का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है।
  - ब्रह्मपुत्र नदी की सौंदर्यता को नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के रुप में प्रदर्शित किया जाता है। जिसका आयोजन असम सरकार द्वारा किया जाता है।
  - यह पाँच दिवसीय उत्सव है जिसमें असम की कला, विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है।

महाबोधि मंदिर Mahabodhi Temple

हाल ही में दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर (Mahabodhi Temple) में प्रार्थना की।

मंदिर के बारे में

- महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है।
  - गौतम बुद्ध को यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
  - इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था तथा वर्तमान मंदिर अनुमानत: 5 वीं या 6 वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है।
  - यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है।
  - महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं ?

- बुद्ध के अनुयायियों के दो वर्ग थे- उपासक (जो परिवार के साथ रहते थे) और भिक्षु (जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागकर संयासी जीवन अपना लिया)।
- बौद्ध भिक्षु एक संगठन के रूप में रहते थे जिन्हें बुद्ध ने संघ का नाम दिया।
- स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

इनर लाइन परमिट और मेघालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल ने 'मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम' 2016 [Meghalaya Residents Safety and Security Act (MRSSA) 2016] में संशोधन की मंजूरी दी है।

- इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मेघालय के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करना है।

मुख्य बिंदु :

- मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम' 2016 में संशोधन से मेघालय में प्रवेश करने वाले अनिवासी आगंतुकों को भी उसी प्रकार पंजीकरण करना होगा जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड एवं मिज़ोरम में लागू इनर लाइन प्रणाली (Inner Line Permit-ILP) के तहत पंजीकृत कराना होता है।
- कोई भी व्यक्ति जो मेघालय का निवासी नहीं है और राज्य में 24 घंटे से अधिक समय के लिये रुकना चाहता है, उसे मेघालय सरकार के समक्ष सभी अनिवार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- मेघालय के नागरिक समाज, राजनीतिक दलों के नेताओं तथा मुख्यमंत्री ने भी ILP जैसी व्यवस्था की मांग करते हुए इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) से बाहर किये गए लोग मेघालय में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।
- मेघालय सरकार के अनुसार, उपर्युक्त अधिनियम में हुए संशोधनों को जल्द ही अध्यादेश के माध्यम से प्रभाव में लाया जाएगा तथा अगले विधानसभा सत्र में उन्हें अधिनियमित किया जाएगा। इन संशोधनों को सरकार द्वारा राजनीतिक दलों, हितधारकों तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से सलाह करके मंजूरी दी गई है।
- मेघालय सरकार के अनुसार, मूल अधिनियम किरायेदारों के पंजीकरण और प्रलेखीकरण पर केंद्रित था परंतु अब इस अधिनियम में अनिवासी आगंतुकों और किरायेदारों को कवर करने के लिये नियमों में विस्तार किया जा सकेगा।
- मेघालय सरकार जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें आगंतुकों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची जारी की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को छोटा और सरल बनाया जाएगा।
- संशोधन के अनुसार, जो भी व्यक्ति अनिवार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है या फिर झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया जा सकेगा।

मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम, 2016 [Meghalaya Residents Safety and Security Act (MRSSA)], 2016

- वर्ष 2016 में पारित इस अधिनियम का उद्देश्य किरायेदारों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह राज्य में किराये के मकानों में रहने वाले लोगों के सत्यापन और विनियमन को अनिवार्य बनाता है।
- इस अधिनियम में नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिये निर्मित विभिन्न कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिये ज़िला टास्क फोर्स और सुविधा केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit-ILP):

- ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिये आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है।

नोट :

- आगंतुकों को इस संरक्षित क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है।
- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा मिज़ोरम राज्यों के मूल निवासियों की पहचान को बनाए रखने के लिये यहाँ बाहरी व्यक्तियों का ILP के बिना प्रवेश निषिद्ध है।
- इस दस्तावेज़ को 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' एक्ट, 1873 के तहत जारी किया जाता है।
- इस दस्तावेज़ की सेवा-शर्तें और प्रतिबंध राज्यों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार लागू किये गए हैं।

गुजरात आतंकवादरोधी क़ानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति ने विवादास्पद आतंकवादरोधी क़ानून से संबंधित 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (Gujarat Control Of Terrorism And Organised Crime Bill) ' को स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बिंदु

- गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण क़ानून के तहत जाँच एजेंसियाँ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर सकती हैं और उसे सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश भी कर सकती हैं।
- इस क़ानून के अनुसार, ऐसा कोई भी कृत्य जो कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न डालने या राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या किसी भी वर्ग के लोगों के मन में आतंक फैलाने के इरादे से किया जाता है,आतंकवाद की श्रेणी में आएगा।
- GCTOC के अंतर्गत आर्थिक अपराध जैसे पॉन्जी स्कीम (Ponzi Scheme), मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (Multi Level Marketing Scheme) और संगठित सट्टेबाज़ी शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत ज़बरन वसूली, ज़मीन हथियाना, अनुबंध हत्याएँ, साइबर अपराध और मानव तस्करी भी शामिल हैं।
- इस तरह के किसी भी अपराध में शामिल होने या उसकी योजना बनाने के मामलों में 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
- ऐसे अपराधों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के संदर्भ में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है।
- इसके तहत चार्जशीट दाखिल करने की अवधि सामान्य 90 दिनों के बजाय 180 दिन करने का प्रावधान किया गया है।
- इस कानून में संगठित अपराधों के संदर्भ में विशेष न्यायालय के गठन के साथ-साथ विशेष सरकारी अभियोजकों (Special Public Prosecuter) की नियुक्ति का भी प्रावधान है।
- इसके तहत संगठित अपराधों के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को नीलाम किया जा सकता है साथ ही संपत्तियों के हस्तांतरण को रद्द किया जा सकता है।

विवाद के बिंदु

- इस विधेयक में जाँच एजेंसियों द्वारा फोन कॉल रिकॉर्ड करने और उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश करने का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण है।
- पुलिस की हिरासत में अभियुक्त से लिये गए बयान को साक्ष्य के रूप में पेश करने के प्रावधान अनुच्छेद 20 के अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

- गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक वर्ष 2003 में गुजरात विधानसभा में पेश किया गया।
- पूर्व में इस विधेयक को गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (Gujarat Control of Organised Crime Bill -GUJCOC) का नाम दिया गया था।
- राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक लगातार 3 बार वर्ष 2004, 2008 और 2015 में अस्वीकृत किया जा चुका है।

नोट :

राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता क्यों ?

राज्यपाल धन विधेयक के अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।चूँकि इस विधेयक के कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के साथ ओवरलैप कर रहे थे, जैसे साक्ष्य अधिनियम , अत: ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

'नो मनी फॉर टेरर' (No Money for Terror) पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) मे किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन में आतंकवाद के वित्तपोषण (Terrorism Financing) को रोकने के लिये 5 विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

- इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (Islamic State in Iraq and Syria-ISIS) की क्षेत्रीय स्तर पर हार के बाद वैश्विक एवं हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न नए खतरों (ISIS अब नए भौगोलिक क्षेत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन नए लड़ाकों को भर्ती करने का प्रयास करेगा) पर विचार करना।
- आतंकवाद के वित्तपोषण (फिरौती के लिये अपहरण भी शामिल है) को रोकने के लिये अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग और एक तंत्र की स्थापना करने के लिये समर्थन पर विचार करना।
- आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ाने हेतु व्यावहारिक तरीकों की पहचान करना।
- उभरती प्रौद्योगिकियों (क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन फ्रॉड) से उत्पन्न नए जोखिमों का पता लगाना।
- गैर-लाभकारी संगठनों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और सरकार द्वारा इनकी निगरानी से जुड़े मुद्दों पर विचार करना।

भारत का दृष्टिकोंण

भारत की ओर से निम्नलिखित 4 बिंदुओं को भी प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया गया है:

- आतंकवाद शांति, सुरक्षा और विकास के लिये सबसे बड़ा खतरा है।
- सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को मंजूरी देनी चाहिये।
- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फॉर्स (Financial Action Task Force-FATF) के मानकों को प्रभावी रूप से लागू करने पर सहमति बनाने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आतंकी संगठनों की सूची एवं FATF का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिये।
- कट्टरपंथ को आतंकवाद की प्रारंभिक चरण मानते हुए कट्टरपंथ के वित्तपोषण को रोकने हेतु पहल पर चर्चा।

उद्देश्य:

- इस सम्मेलन का उद्देश्य नए आतंकी खतरों की पहचान, आतंकवाद के वित्तपोषण के नए तरीकों पर चर्चा एवं उन जोखिमों का मुकाबला करने के लिये सर्वोत्तम पद्धतियों और रणनीतियों को परस्पर साझा करना है।
- डिजिटल और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बढ़ते उपयोग, स्टोर् वैल्यू कार्ड (Stored Value Cards), ऑनलाइन भुगतान प्रणाली (Online Payment System) और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म (Crowdfunding Platform) जैसे माध्यमों का प्रयोग आतंकवाद के वित्तपोषण हेतु किये जाने के खतरे को कम करना।

अन्य प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2020 में भारत 'नो मनी फॉर टेरर' पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2017 के अनुसार, आतंकवादी घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक हानि का अनुमान था।

नोट :

'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (No Money for Terror Ministerial Conference)

- यह सम्मेलन एग्मोंट ग्रुप (Egmont Group) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह एग्मोंट ग्रुप 164 देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों (Financial Intelligence Units) का समूह है।
- वर्ष 2018 में इस सम्मेलन का प्रथम आयोजन पेरिस में किया गया था।
- यह समूह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिये विशेषज्ञता एवं वित्तीय खुफिया जानकारी के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करता है।

ब्रू जनजाति समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने ब्रू जनजाति को दी जाने वाली खाद्य आपूर्ति को, जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया था, पुन: प्रारंभ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ब्रू समुदाय के साथ लगातार हुई पुनर्स्थापन की कोशिशों के विफल होने के बाद केंद्र सरकार ने शरणार्थी शिविर में होने वाली खाद्य आपूर्ति को 1 अक्तूबर 2019 से समाप्त कर दिया।
- साथ ही केंद्र सरकार ने ब्रू समुदाय के समक्ष एक अंतिम प्रस्ताव रखा कि जो परिवार 30 नवंबर 2019 से पहले वापस मिज़ोरम (मूल स्थान) लौटने को तैयार हो जाएगा उसे 25,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इसके बावजूद भी इस समुदाय के लोग वापस जाने को तैयार नहीं हुए।
- खाद्य आपूर्ति रोकने के बाद छ: लोगों की मौत हो गई जिसमें चार नवजात बच्चे भी शामिल थे। इन मौतों की वजह भुखमरी को बताया गया। हालाँकि स्थानीय प्रशासन ने इसका खंडन किया है।
- इस घटना के बाद इस समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिसके चलते त्रिपुरा सरकार ने अपनी ओर से खाद्य आपूर्ति पुन: प्रारंभ कर दी लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 तक ही जारी रहेगी।

कौन है ब्रू ?

- ब्रू या रेयांग (Bru or Reang) समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यत: त्रिपुरा, मिज़ोरम तथा असम में रहते हैं। किवदंतियों के अनुसार, माना जाता है कि त्रिपुरा का एक राजकुमार, जिसे राज्य से निकाल दिया गया था वह, अपने समर्थकों के साथ मिज़ोरम में जाकर बस गया। वहाँ उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ब्रू समुदाय के पूर्वज उस राजकुमार के समर्थक थे। वर्तमान में संख्या में कम होने के कारण त्रिपुरा में इनकी पहचान एक सुभेद्य आदिवासी समूह की है।
- वर्ष 1995 में मिज़ोरम की 'मिज़ो' तथा 'ब्रू' जनजातियों के बीच हुए आपसी झड़प के बाद 'यंग मिज़ो एसोसिएशन' (Young Mizo Association) तथा 'मिज़ो स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (Mizo Students' Association) ने यह मांग रखी कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाए क्योंकि वे मूल रूप से मिज़ोरम के निवासी नहीं हैं।
- इसके बाद ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (Bru National Liberation Front-BNLF) तथा एक राजनीतिक संगठन (Bru National Union-BNU) के नेतृत्व में वर्ष 1997 में मिज़ो जनजातियों के समूह से हिंसक नृजातीय संघर्ष हुआ। जिसके बाद लगभग 37,000 ब्रू लोगों को मिज़ोरम छोड़ना पड़ा।
- उसके बाद उन्हें त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रखा गया। तब से अभी तक लगभग 5,000 ब्रू लोग वापस मिज़ोरम लौट सके हैं जबकि शेष 32,000 अभी भी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।
- उनके जीवन निर्वाह के साधन
- केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री के तहत एक वयस्क ब्रू व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल सभी वस्तुओं के अलावा प्रतिदिन 5 रुपए व 600 ग्राम चावल तथा किसी अल्पवयस्क को 2.5 रुपए व 300 ग्राम चावल दिया जाता है।
- अधिकतर शरणार्थी राहत सामग्री के तौर पर प्राप्त होने वाले अनाजों तथा अन्य वस्तुओं को बेच देते हैं तथा उसके बदले में प्राप्त धन को दवा आदि खरीदने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

नोट :

- एक स्थाई निवास न होने की वजह से उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा राशन कार्ड आदि नहीं हैं। इसकी वजह से उन्हें घर, बिजली, स्वच्छ पानी, अस्पताल तथा बच्चों के लिये स्कूल जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।
- उनके शरणार्थी बने रहने की वजह
- वर्ष 2018 में ब्रू समुदाय के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा दो राज्य सरकारों (त्रिपुरा व मिज़ोरम) के साथ दिल्ली में एक समझौता किया। इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने ब्रू जनजातियों के पुनर्वास के लिये आर्थिक मदद तथा घर निर्माण के लिये ज़मीन देना स्वीकार किया। साथ ही इस समुदाय को झूम खेती करने की अनुमति, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र आदि देना तय किया गया।
- इसके बावजूद सिर्फ 5,000 लोग ही वापस मिज़ोरम जाने के लिये तैयार हुए तथा शेष 35,000 लोगों ने यह कहते हुए लौटने से मना कर दिया कि समझौते के प्रावधान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं साथ ही उन लोगों ने यह माँग भी रखी कि उन्हें एक साथ समूहों (Clusters) में बसाया जाए।

भारत में निगरानी कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इज़रायली स्पाइवेयर (Spyware) पेगासस (Pegasus) द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से की गई जासूसी का शिकार भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्त्ता, वकील और पत्रकार जासूसी का शिकार हुए हैं।

संदर्भ:

पेगासस स्पाइवेयर को विकसित करने वाली कंपनी एनओएस NOS ने कहा है कि वह अपनी सेवाएँ केवल सरकारों तथा उनकी एजेंसियों को बेचती है।

भारत में निगरानी तंत्र:

- भारत में इस प्रकार की निगरानी करने हेतु भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) प्रमुख कानूनी प्रावधान हैं।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 कॉल अवरोधन (Interception of Calls) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डेटा अवरोधन (Interception of Data) से संबंधित है।
- इन दोंनों अधिनियमों के तहत केवल सरकार को कुछ परिस्थितियों में निगरानी करने की अनुमति है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और 66 द्वारा क्रमश: सिविल और आपराधिक डेटा चोरी तथा हैकिंग को प्रतिबंधित किया गया है।
- धारा 66 (B) चुराए गए कंप्यूटर संसाधन तथा इसके संचार को गलत उद्देश्य से ग्रहण करने पर दंड का प्रावधान करती है।

निगरानी कानूनों की व्यापकता:

- वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी बताते हुए कुछ दिशा-निर्देश दिये, जिन्हें वर्ष 2007 में नियमों में संहिताबद्ध किया गया था। इसमें एक विशिष्ट नियम शामिल किया गया कि संचार के अवरोधन पर आदेश केवल गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी किये जाएंगे।
- अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में (जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स) सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया।
- वर्ष 2018 के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी कंप्यूटर संसाधन में तैयार, पारेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना की जाँच, सूचना को इंटरसेप्ट, सूचना की निगरानी और इसे डिक्रिप्ट कर सकती हैं। इन 10 केंद्रीय एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय (केवल जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिये) तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

नोट :

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सरकार की आलोचना की गई कि सरकार एक 'निगरानी राज्य' (surveillance state) का निर्माण कर रही है तथा इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा समिति (Justice B.N. Shrikrishna Committee):

- वर्ष 2017 में सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी।
- इस समिति ने वर्ष 2018 में एक डेटा संरक्षण कानून का मसौदा पेश किया, हालाँकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह मसौदा निगरानी कानून संबंधी सुधारों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 (Information Technology Act, 2000)

सूचना प्रौद्योगिकी कानून (IT Act), 2000 को इलेक्ट्रोनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजेक्शन के लिये कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई-शासन को बढ़ावा देने, कम्प्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करने के लिये अमल में लाया गया था। यह कानून 17 अक्तूबर, 2000 को लागू किया गया।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885)

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम काफी पुराना है।
- यह कानून एक अक्तूबर 1885 को लागू किया गया था हालांकि इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपातकाल में या लोक-सुरक्षा के हित में फोन संदेश को प्रतिबंधित करने एवं उसे टेप करने तथा उसकी निगरानी का अधिकार हासिल है।

वैश्विक साइबर अपराध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रूस के साइबर अपराध संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रस्ताव के तहत अगस्त 2020 में न्यूयॉर्क में एक नई संधि स्थापित किये जाने योजना है जिसके तहत सभी सदस्य राष्ट्र साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ो को साझा कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर रूस और चीन बुडापेस्ट अभिसमय का विरोध करते रहे हैं, बुडापेस्ट अभिसमय के समकक्ष रूस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध से निपटने के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया।
- भारत ने बुडापेस्ट अभिसमय हस्ताक्षर नहीं किये हैं, हाल ही में हुए इसके एक सम्मेलन में भारत ने गैर- सदस्य के रूप में अपनी यथास्थिति बनाए रखी।
- भारत लम्बे समय से डेटा सुरक्षा की समस्या से लड़ रहा है।

भारत में डेटा सुरक्षा संबंधी क़ानून:

- वर्तमान समय में भारत में डेटा सुरक्षा सम्बन्धी उपयुक्त क़ानून और नियमों का अभाव है.
- कानूनी संरचना के अंतर्गत अभी तक भारत में निम्लिखित कदम उठाये गये है-
  - सूचना तकनीक अधिनियम, 2000- यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित किया गया।
    - इस अधिनियम के 13 अध्यायों में कुल 94 अनुच्छेद हैं।
    - इस अधिनियम में डेटा सुरक्षा और संरक्षण संबंधी प्रावधान हैं।
    - इस अधिनियम द्वारा ई-वाणिज्य, दस्तावेज़ों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता प्रदान की गई।
    - इस अधिनियम के तहत सूचना और संचार से संबंधित अपराधों को शामिल किया गया।
    - किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, द्वारा भारत के बाहर किये गए किसी भी साइबर अपराध पर यह अधिनियम लागू होता है।

नोट :

- इस अधिनियम के तहत कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड्स से छेड़छाड़, आक्रामक संदेश भेजना, संचार यंत्रों की चोरी और दुरुपयोग, अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार, जानकारी को अवरुद्ध करना, कानूनी अनुबंध की जानकारी का खुलासा करना आदि दंडात्मक अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

- वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 अपनाई गई।
- वर्ष 2018 में भारत सरकार ने बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की अनुशंसा के आधार पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (ड्राफ्ट) बिल पेश किया।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Record Bureau- NCRB) द्वारा एकत्रित 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967' [Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967] से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत किये।

मुख्य बिंदु:

- इन आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में UAPA के तहत मणिपुर में सर्वाधिक 35% से अधिक लगभग 330 मामले दर्ज किये गए तथा इन मामलों के अंतर्गत लगभग 352 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- वर्ष 2017 में UAPA के तहत पंजीकृत कुल मामलों के 17% (156) मामले जम्मू-कश्मीर में तथा 14% (133) मामले असम में दर्ज किये गए।
- वर्ष 2017 में UAPA के तहत पंजीकृत कुल मामलों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्रमश: 12% (109) तथा 5% (52) मामले दर्ज किये गए।
- UAPA के तहत कुल पंजीकृत मामलों में से केवल 12% उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत हुई कुल गिरफ्तारियों (1554 व्यक्ति) में से सर्वाधिक 382 गिरफ्तारियाँ उत्तर प्रदेश में हुईं।
- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, झारखंड में क्रमश: 374, 352, 35 और 57 गिरफ्तारियाँ हुईं।
- गृह मंत्रालय या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को जाँच एजेंसी से संपर्क करने के बाद सात दिनों में चार्जशीट दाखिल करने की मंज़ूरी देनी होती है।
- गृह मंत्रालय द्वारा NCRB के आँकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार, UAPA के तहत वर्ष 2015, 2016 और 2017 में क्रमश: 1128, 999, 1554 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो: (National Crime Record Bureau- NCRB)

- NCRB की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना संग्रह करने के लिये की गई थी।
- वर्ष 2009 से यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) योजना की देख-रेख, समन्वय तथा लागू करने का कार्य कर रहा है।
- NCRB का उद्देश्य भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराध तथा अपराधियों की जानकारी देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना है।

कुकी और ज़ोमी समूह

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ समय से भारत सरकार मणिपुर के 23 कुकी और ज़ोमी समूहों (Kuki and Zomi groups) के साथ शांति वार्ता को किसी परिणाम पर पहुँचाने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में न केवल ये जनजातीय समूह चर्चा का विषय बने हुए हैं बल्कि भारत सरकार के इन प्रयासों की पृष्ठभूमि भी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- 15 अक्तूबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय से पहले मणिपुर एक रियासत थी। यहाँ नगा, कुकी और मैती सहित कई जातीय समुदाय निवास करते हैं।
- मणिपुर के विलय और पूर्ण विकसित राज्य (वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला) का दर्जा मिलने में हुई देरी से मणिपुर के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई।
- प्राकृतिक संसाधनों पर अतिव्यापी दावों के संबंध में अलग-अलग आकांक्षाओं और कथित असुरक्षा के कारण विभिन्न जातीय समुदाय एक दूसरे से दूर होते चले गए।
- शुरुआती दौर में मणिपुर में एक स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर आंदोलन हुआ और राज्य की स्थापना के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। परंतु, वर्ष 1978 में यहाँ पुन: हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और लोगों ने विकास तथा पिछड़ेपन को आधार बनाकर भारतीय गणराज्य से अलग होने की मांग की।
- इसके अलावा वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में नगा एवं कुकी के बीच हुए जातीय संघर्ष के बाद, नगा आधिपत्य और दावे का सामना करने के लिये कई तरह के कुकी संगठनों का भी जन्म हुआ। इसके फलस्वरूप वर्ष 1998 में कुकी नेशनल फ्रंट (Kuki National Front-KNF) का गठन हुआ।
  - कुकी जनजाति के लोग एक अलग राज्य की मांग करते हैं। ये लोग एक उग्रवादी संगठन मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट की छत्रछाया में काम करते हैं।
- इस दौरान नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (National Socialist Council of Nagalim) अर्थात् Issac (वर्ष 1988 में गठित) ने मणिपुर के कुछ ऐसे क्षेत्रों को नगालैंड में मिलाये जाने की मांग की, जिनमें बड़ी संख्या में कुकी जनजाति निवास करती हैं।

हालाँकि वर्ष 2008 में दो बड़े संगठनों [कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF)] के तहत कुकी और ज़ोमिस से संबंधित 20 उग्रवादी समूहों ने भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार के साथ SoO (Suspension of Operations) समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते का उद्देश्य चरमपंथी समूहों द्वारा की गई मांगों पर चर्चा करना और मणिपुर में शांति स्थापित लाना है।

मणिपुर में जातीय समुदाय

मणिपुर के लोगों को तीन मुख्य जातीय समुदायों में बाँटा गया है- मैती जो घाटी में निवास करते हैं और 29 प्रमुख जनजातियाँ, जो पहाड़ियों में निवास करती हैं, को दो मुख्य नृवंश-समुदायों (Ethno-Denominations); नगा और कुकी-चिन में विभाजित किया जाता हैं।

नगा समूह में ज़ेलियानग्रोंग (Zeliangrong), तंगखुल (Tangkhul), माओ (Mao), मैरम (Maram), मारिंग (Maring) और ताराओ (Tarao) शामिल हैं।

चिन-कुकी समूह

- चिन-कुकी समूह (Chin-Kuki group) में गंगटे (Gangte), हमार (Hmar), पेइती (Paite), थादौ (Thadou), वैपी (Vaiphei), जोऊ/ज़ो (Zou), आइमोल (Aimol), चिरु (Chiru), कोइरेंग (Koireng), कोम (Kom), एनल (Anal), चोथे (Chothe), लमगांग (Lamgang), कोइरो (Koirao), थंगल (Thangal), मोयोन (Moyon) और मोनसांग (Monsang) शामिल हैं।
- चिन पद का प्रयोग पड़ोसी राज्य म्याँमार के चिन प्रांत के लोगों के लिये किया जाता है जबकि भारतीय क्षेत्र में चिन लोगों को कुकी कहा जाता है। अन्य समूहों जैसे पेइती, जोऊ/ज़ो, गंगटे और वैपी अपनी पहचान ज़ोमी के रूप में करते हैं तथा स्वयं को कुकी नाम से दूर रखते हैं।
- यह इस बात पर विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है कि सभी विभिन्न जातीय समूह एक ही मंगोलॉयड समूह (Mongoloid group) के हैं और उनकी संस्कृति एवं परम्पराओं में बहुत करीबी समानताएँ हैं।

हालाँकि मैती हिंदू रीति-रिवाज़ों का पालन करने वाला जनजातीय समूह हैं, यह अपने आसपास की पहाड़ी जनजातियों से सांस्कृतिक रूप से भिन्न है।

नोट :

बोडोलैंड विवाद

चर्चा में क्यों ?

24 नवंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने उग्रवादी समूह 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड' (National Democratic Front of Bodoland- NDFB) पर प्रतिबंध को और पाँच साल के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- असम आधारित उग्रवादी समूह NDFB पर हत्या और जबरन वसूली सहित कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने तथा भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप है।
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार NDFB को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।
- केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन द्वारा की गई घटनाओं की संख्या का भी उल्लेख किया है। आँकड़ों के अनुसार, जनवरी 2015 के बाद से अभी तक लगभग 62 हिंसक घटनाएँ घटित हुई हैं, जिसमें 19 लोगों की हत्या की गई। इस दौरान लगभग 55 चरमपंथी मारे गए हैं, 450 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 444 हथियार बरामद किये गए।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक, NDFB ने नरसंहार और जातीय हिंसा पैदा की जिसके परिणामस्वरूप हत्याएँ हुईं, गैर-बोडो की संपत्ति को नष्ट किया गया, असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में निवास करने वाले गैर-बोडो के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया गया, देश की सीमा पर शिविर एवं ठिकाने स्थापित किया गया ताकि अलगाववादी गतिविधियों को हवा दी जा सके।

बोडो समुदाय

- बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5-6 प्रतिशत से अधिक हैं। बोडो (असमिया) समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है।
- असम के चार ज़िले कोकराझार (Kokrajhar), बक्सा (Baksa), उदलगुरी (Udalguri) और चिरांग (Chirang) बोडो प्रादेशिक क्षेत्र ज़िला (Bodo Territorial Area District- BTAD) का गठन करते हैं।

क्या है बोडोलैंड का मुद्दा?

- 1960 के दशक से ही बोडो अपने लिये अलग राज्य की मांग करते आए हैं।
- असम में इनकी ज़मीन पर अन्य समुदायों का आकर बसना और ज़मीन पर बढ़ता दबाव ही बोडो असंतोष की वजह है।
- अलग राज्य के लिये बोडो आंदोलन 1980 के दशक के बाद हिंसक हो गया और तीन धड़ों में बंट गया। पहले का नेतृत्व नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने किया, जो अपने लिये अलग राज्य चाहता था। दूसरा समूह बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स है, जिसने अधिक स्वायत्तता की मांग की। तीसरा धड़ा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन है, जिसने मध्यम मार्ग की तलाश करते हुए राजनीतिक समाधान की मांग की।
- बोडो अपने क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन पर जो वर्चस्व चाहते थे, वह उन्हें 2003 में मिला। तब बोडो समूहों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में आने पर सहमति जताई।
- इसी का नतीजा था कि बोडो समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किये गए और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड National Democratic Front of Bodoland- NDFB

- अक्तूबर 1986 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स (Bodo Security Force- BdSF) का गठन हुआ। बाद में BdSF का नाम बदलकर NDFB हो गया, जो एक ऐसा संगठन है, जिसे हमलों, हत्याओं और जबरन वसूली करने के लिये जाना जाता है।
- 1990 के दशक में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस समूह के खिलाफ व्यापक अभियान चलाए, जिस कारण इस समूह का भूटान की सीमा पर पलायन हुआ। इस समूह को वर्ष 2000 की शुरुआत में भारतीय सेना और रॉयल भूटान सेना द्वारा किये गए कठोर आतंकवाद विरोधी अभियानों का सामना करना पड़ा।

नोट :

विविध

गिरीश चन्द्र मुर्मू: गिरीश चन्द्र मुर्मू को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राधा कृष्ण माथुर: श्री राधा कृष्ण माथुर को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

अभिनेता रजनीकांत: भारत सरकार ने प्रथम बार 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के प्रतीक' के रूप में एक विशेष पुरस्कार का गठन किया है, इस पुरस्कार को प्रख्यात फिल्म अभिनेता एस. रजनीकांत को प्रदान किया जाएगा। उनका जन्म 12 दिसंबर, 1950 को कर्नाटक के एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण (वर्ष 2000) और पद्म विभूषण (वर्ष 2016) से सम्मानित किया है। 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (वर्ष 2014) में उन्हें "भारतीय फिल्म अभिनेता के तौर पर शताब्दी पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

अभिनेत्री इसाबेल हूपर्ट: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2019 के स्वर्ण जयंती समारोह में अपनी पीढ़ी की फ्राँस की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री इसाबेल ऐनी मैडेलिन हूपर्ट को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, IFFI समारोह का सर्वोच्च सम्मान और सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत रुपए 10,000,00/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्राँसीसी अभिनेत्री को उनके उल्लेखनीय कलात्मक कौशल और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन: प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन की खबर मिलते ही पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले कई सालों से वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने आंइस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। वशिष्ठ नारायण सिंह जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नजर उन पर पड़ी। प्रोफेसर कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना तथा उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया।

गोटाबाया राजपक्षे

- श्रीलंका के पूर्व रक्षामंत्री एवं श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिये शनिवार को मतदान हुआ था।
- गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह मैत्रीपाल सिरिसेना का स्थान लेंगे। उनके साथ मुकाबले में मुख्य प्रतिद्वंद्वी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सजित प्रेमदासा थे।
- गोटाबाया को 52.25% प्रतिशत वोट मिले, जबकि प्रेमदासा 41.99% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे ।
- गोटबाया की जीत का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गोटबाया, राजपक्षे परिवार से हैं, जिसका झुकाव चीन की ओर रहा है।

श्रीलंका का क्षेत्रफल 65 हज़ार वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 2.2 करोड़ है। सबसे अधिक लगभग 70% आबादी सिंहली बौद्धों की है, 12.6% लोग तमिल हिंदू हैं, 10% ईसाई और 8% आबादी मुसलमानों की है।

सुमन बिल्ला

केरल कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुमन बिल्ला को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) में नियुक्ति मिली है। सुमन बिल्ला UNWTO में D1 स्तर पर निदेशक, तकनीकी सहयोग और सिल्क रोड डेवलपमेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह एक विशेष एजेंसी है, जो सतत् और सार्वभौमिक रूप से सुगम पर्यटन को बढ़ावा देती है। सुमन बिल्ला वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

क्या है UNWTO: इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाईजेशन है। यह पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के पर्यटन को बढ़ावा देता है। साथ ही दुनियाभर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों

नोट :

को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र को नेतृत्व एवं समर्थन प्रदान करता है। UNWTO पर्यटन के लिये वैश्विक आचार संहिता (Global Code of Conduct for Tourism) के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक योगदान को अधिकतम किया जा सके।

सुधीर धर

प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुधीर धर का 87 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। प्रयागराज में जन्मे सुधीर धर ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। उनके बनाए कार्टून द इंडिपेंडेंट, द पायोनियर, दिल्ली टाइम्स, न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और सैटरडे रिव्यू सहित कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

सर डेविड एटनबोरो

वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिये प्रसिद्ध प्रकृतिवादी एवं प्रसारणकर्त्ता सर डेविड एटनबोरो के नाम की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष का पुरस्कार सुनीता नारायण को दिया गया था।

लक्ष्य सेन

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रति स्पर्द्धा का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता ग्लासगो में आयोजित की गई थी।

एलियूड किपचोगे

दो घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पुरुष एथलीट एलियूड किपचोगे (Eliud Kipchoge) को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पुरस्कार दिया गया है। किपचोगे ने हाल ही में तब इतिहास रचा था, जब उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी एक घंटे 59 मिनट 40.2 सेकेंड में तय की थी। इस ओलंपिक चैम्पियन के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड भी है, जो दो घंटे एक मिनट 39 सेकेंड का है।

दालिलाह मुहम्मद

400 मीटर महिला बाधा दौड़ में विश्व चैम्पियन दालिलाह मुहम्मद (Dalilah Muhammad) को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका की दालिलाह ने जुलाई में अमेरिकी ट्रायल्स में 52.20 सेकेंड के समय से वर्ष 2003 से चले आ रहे रिकार्ड को तोड़कर विश्व रिकार्ड बनाया था। इसके बाद उन्होंने दोहा में नए विश्व रिकार्ड समय 52.16 सेकेंड से विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक जीता था। विदित हो कि International Association of Athletics Federations द्वारा विश्व एथलेटिक्स के 50 प्रतिशत खिलाड़ियों, कोचों व पत्रकारों के 25 प्रतिशत तथा आम जनता के 25 प्रतिशत मतों से विजेताओं को चुना जाता है।

एडमिरल सुशील कुमार

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह वर्ष 1998 से वर्ष 2001 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे थे। एडमिरल सुशील कुमार ने वर्ष 1965 व वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। वे गोवा मुक्ति संग्राम में भी शामिल रहे। वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी वह उस समूह में शामिल थे जो रणनीति बना रहा था। पूर्व एडमिरल संसद पर हुए हमले के जवाब में बनी ऑपरेशन पराक्रम योजना के दौरान चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष थे। चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी में थलसेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख होते हैं। उन्होंने 'ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर- मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ' नाम से एक किताब भी लिखी हैं। उनके रणकौशल को देखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाज़ा गया था।

उद्धव ठाकरे

लगभग डेढ़ महीने तक चले अभूतपूर्व राजनीतिक ड्रामे के बाद शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नेता उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मध्य मुंबई में शिवाजी पार्क में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना के 56, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 54 और कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति ने मुख्मंत्री पद की शपथ ली।

नोट :

दीपिका कुमारी

भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बैंकॉक में 21वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंकिता भगत को रजत पदक मिला। इससे पहले दीपिका और अंकिता ने सेमीफाइनल में पहुँचकर व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। इस 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप के अंतिम दिन अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स की कंपाउंड स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल में वर्मा और ज्योति को जोड़ी ने चीनी ताइपै की यि-हसुआन चेन और चीह-लुह चेन की जोड़ी को हराया। भारत ने चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक सहित कुल सात पदक जीते।

जनरल बाजवा (Follow-up of 27 नवंबर)

19 अगस्त, 2019 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिये बढ़ा दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सेना के 16वें सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया था, जो पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा, 255 में संशोधन किया और नियम में कानूनी खामी को दूर करने के लिये 'कार्यकाल में विस्तार' शब्द शामिल किया। इसे राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पास मंज़ूरी के लिये भेजा गया जिन्होंने इस नई अधिसूचना को मंज़ूरी दे दी। इसके बाद 28 नवंबर, 2019 को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की सशर्त मंज़ूरी दे दी।

ध्रुपद

हाल ही में ध्रुपद उस्ताद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत गुंदेचा का निधन हो गया है।

ध्रुपद

- ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन श्रेणी है।
- ध्रुपद ध्रुव+पद से मिलकर बना है जिसका अर्थ है निश्चित नियम वाला जो अटल हो तथा नियम में बँधा हुआ हो।
- इसमें संस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम मंदिरों में हुआ था।
- इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है।
- ध्रुपद रचनाओं में 4 से 5 पद होते हैं और ये रचनाएँ जोड़ों में गाई जाती हैं।
- प्राचीन काल में ध्रुपद को कलावंत कहा जाता था।
- इस शैली के विकास में संगीत सम्राट तानसेन एवं उनके गुरु स्वामी हरिदास का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- इसके प्रमुख गायकों में डागर बंधु, गुंदेचा बंधु, पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी आदि शामिल हैं।
- इसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर अधिक ज़ोर दिया जाता है और पुरुष ही इसे गा सकते हैं, इसलिये इसे मर्दाना गायकी भी कहा जाता है।
- हाल के दिनों में कुछ महिलाओं ने भी इसे गाने की शुरुआत की है जिसमें भारत की अमिता सिन्हा महापात्रा और पकिस्तान की आलिया राशिद प्रमुख हैं।

झारखंड स्थापना दिवास-बिरसा मुंडा जयंती

15 नवंबर 2019 को झारखंड राज्य का 19वाँ स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई।

झारखंड राज्य के बारे में:

- 15 नवंबर, 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी।
- इसके क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना के वन क्षेत्र आते हैं।
- इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित हैं।

नोट :

बिरसा मुंडा के बारे में:

- बिरसा का जन्म 15 नवंबर को एक मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिये इन्हें बिरसा मुंडा कहा गया।
  - मुंडा छोटा नागपुर में रहने वाला एक जनजातीय समूह है।
- बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दु:ख दूर करने के लिये भेजा है, इसलिये वे स्वयं को भगवान मानते थे।
  - इन्हें जगत पिता (धरती आबा) भी कहा जाता था।
- बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वर्ष 1899-1900 में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था।
  - इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई।
  - इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही।
- फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर राँची जेल में डाल दिया गया जहाँ जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी।

रानी लक्ष्मीबाई

19 नवंबर, 2019 को रानी लक्ष्मीबाई की 191वीं जयंती मनाई गई।

लक्ष्मीबाई के बारे में:

- इनका जन्म 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी के एक मराठी परिवार में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था।
- वर्ष 1842 में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया उसके बाद से इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया।

1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका:

- इस विद्रोह का आरंभ 10 मई, 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया, तत्पश्चात यह कानपुर, बरेली, झाँसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया।
- झाँसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ।
- लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत द्वारा अंग्रेज़ों ने राजाओं के दत्तक पुत्र लेने ले अधिकार को समाप्त कर दिया तथा वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेज़ी राज्यों में कर दिया गया।
- रानी लक्ष्मीबाई द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया गया।

इदरीस एल्बा

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ततैया (Wasp) की एक प्रजाति को इदरीस एल्बा (Idris Elba) का नाम दिया है।

पृष्ठभूमि:

- ब्रिटिश अभिनेता इदरीस एल्बा को थोर नामक एक हॉलीवुड फिल्म में हेमडाल के किरदार के लिये जाना जाता है।
- हेमडाल, एक नोर्वेगियाई देवता हैं, जिन्हें मानव और देवताओं को जोड़ने वाले माध्यम का एकमात्र रक्षक माना जाता है।

इदरीस एल्बा ततैया के विषय में:

- हाल में ततैया की इस प्रजाति को मैक्सिको में खोजा गया था, इसे बैग्रडा बग (Bagrada Bug) नामक अन्य परजीवी के अंडों पर जीवित पाया गया जो कि पत्तेदार सब्जियों का एक प्रमुख कीट है।
- वर्तमान में इदरीस वर्ग में 300 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं जिनमें सबसे नई खोजी गई प्रजाति को एल्बा नाम दिया गया है।

नोट :

स्थान

करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 09 नवंबर, 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उन्होंने करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के साथ ही गुरुनानक जी के 550 प्रकाशोत्सव के मौके पर 550 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। विदित हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर को लेकर पहले ही एक समझौते हो चुका है। इस समझौते के तहत भारतीय तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा आने हेतु पाकिस्तान वीज़ा मुक्त प्रवेश देगा। इस समझौते के तहत करीब 5,000 भारतीय श्रद्धालु रोज़ाना गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकेंगे। गौरतलब है कि करतारपुर कॉरिडोर सिखों हेतु सबसे पवित्र जगहों में से एक है। सिखों के पहले गुरु, गुरुनानक देव जी का निवास स्थान करतारपुर साहिब था. सिखों के पहले गुरु, गुरुनानक देव ने अपनी जिंदगी के अंतिम 18 साल यहीं गुजारे थे।

देश का पहला प्लास्टिक पार्क

- ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि देश में पहला पूरी तरह से परिचालन के लिये तैयार प्लास्टिक पार्क लगभग तैयार हो गया है, लेकिन निवेशकों को इसमें अपनी इकाइयाँ स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- उद्यमियों में जागरूकता की कमी (Lack of Entrepreneur Awareness) राज्य सरकार की इस धारणा को गलत साबित कर रही है कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये गैर-वित्तीय प्रोत्साहन संभावित निवेशकों के लिये अधिक फायदेमंद है, बजाय कर छूट वित्तीय प्रोत्साहन देने के।
- ओडिशा सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, भारत का घरेलू उत्पादन प्लास्टिक की मांग का केवल 50 प्रतिशत है, जो निर्माण और बुनियादी ढाँचे के उद्योग के साथ बढ़ रहा है।
- ओडिशा के इस प्लास्टिक पार्क के लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अवसंरचना विकास के लिये 40 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इंडियन ऑयल और राज्य सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी ओडिशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (IIDCO) ने संयुक्त उपक्रम के रूप में इस प्लास्टिक पार्क को विकसित किया है।
- हालाँकि इस पार्क में अब तक 80 इकाइयों की तुलना में केवल 9 इकाइयों को भूखंड आवंटित किये गए हैं, जो बुने हुए बोरों, प्लास्टिक पाइपों और इंजेक्शन बनाने वाले उपकरणों, फिल्मों, पाउच और उपभोक्ता प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। आठ इकाइयों के पास लीज़ पर उपलब्ध भूमि का केवल 30 प्रतिशत है।
- ओडिशा के इस प्लास्टिक पार्क में प्रशासनिक ब्लॉक, परीक्षण प्रयोगशाला, कौशल विकास केंद्र, बैंकों के लिये जगह, क्लीनिक, पानी और बिजली के साथ-साथ सभी वैधानिक अनुमोदन, जैसे- पर्यावरणीय मंज़ूरी और स्थापना के लिये सहमति के अलावा श्रमिकों के रहने के लिये स्थान (Dormitory), वरिष्ठ अधिकारियों के लिये आवास, भंडारण सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराई गई हैं।

वर्तमान समय में भारत में लगभग 12 मिलियन टन प्रति वर्ष की प्लास्टिक की खपत है, जिसमें से लगभग 6 मिलियन टन का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाता है और शेष का आयात किया जाता है। प्लास्टिक आयात को कम करने के लिये रसायन और उर्वरक विभाग ने असम के तिनसुकिया, मध्य प्रदेश के रायसेन, ओडिशा के जगतसिंहपुर और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में चार प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी। इन पार्कों में प्लास्टिक क्षेत्र की इकाइयाँ स्थापित होने से प्रत्यक्ष रोज़गार के साथ छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

लद्दाख में विंटर ग्रेड डीज़ल

- लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र ने एक कदम और बढ़ाया है। इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ने विंटर ग्रेड डीज़ल (Winter Grade Diesel) का उत्पादन शुरू किया है। यह विंटर ग्रेड डीज़ल -33 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करेगा। विंटर ग्रेड डीज़ल से लद्दाख में बर्फीले मौसम में वाहनों की आवाजाही आसान होगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ सैन्य वाहनों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी।

क्या है विंटर ग्रेड डीज़ल

- विंटर ग्रेड डीज़ल की विशेषता यह है कि इसमें लगभग 5 प्रतिशत बायोडीज़ल का मिश्रण भी किया गया है। इसकी वजह से जहाँ डीज़ल वाहन के लिये बेहतर रहेगा वहीं इसके जम जाने की समस्या से निज़ात मिलेगी।

नोट :

- दरअसल, लद्दाख में तापमान की गिरावट के साथ सर्दियों में सामान्य डीज़ल जम जाता है। इससे वाहन चलाने में परेशानी होती है।
- लेकिन इस डीज़ल को -33 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- यह डीज़ल BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के मानकों पर भी खरा उतरा है तथा BS-6 मानकों पर भी खरा उतरता है।
- गौरतलब ही कि केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में डीज़ल स्थानीय निवासियों के साथ-साथ भारतीय सेना, सुरक्षा बलों के लिये भी बहुत अहमियत रखता है। लद्दाख में चीन, पाकिस्तान से लगती सीमा की रक्षा करने वाली भारतीय सेना के अधिकांश वाहन डीज़ल से ही चलते हैं।

जम्मू-कश्मीर में 'मिशन हिमायत'

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन में वहाँ के 68 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और रोज़गार देने के लिये हिमायत मिशन के अन्तर्गत 42 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने पर काम चल रहा है।
- इन युवाओं को 3 से 12 महीने की अवधि वाला कौशल विकास का निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रशिक्षण के बाद सभी को रोज़गार देने की व्यवस्था भी की जा रही है।
- जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में तथा इसके बाहर इस तरह के 63 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे।
- अब तक इन केंद्रों में लगभग 6 हज़ार लोगों ने पंजीकरण कराया है।
- लगभग 4 हज़ार लोगों को अब तक निजी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया जा चुका है।

गाँव वापसी कार्यक्रम का दूसरा चरण: इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन गाँव वापसी कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है। 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किये जाने वाले इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों का सशक्तीकरण और विकास करना है। इसके तहत श्रम शक्ति कल्याण, शत- प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए ग्रामीणों की आय दुगुनी करने में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासनिक परिषद का गठन: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज निपटाने के लिये प्रशासनिक परिषद गठित की गई है। उपराज्यपाल गिरीश चन्द्र मुर्मू इस परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव प्रशासनिक परिषद के सचिव होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के दो सलाहकारों को विभिन्न सरकारी विभागों का प्रभार सौंपा गया है। विदित हो कि के.के. शर्मा और फारूख खान को 14 नवंबर को उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया था।

गोंडावन के आवास स्थलों का संरक्षण

राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को संरक्षित करने के लिये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्राणिशास्त्र विभाग के नेतृत्व में तीन वर्षीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना पर 26 लाख रुपए खर्च किये जाएंगे।

- गोडावण की प्रमुख आश्रय स्थली माने जाने वाले बाड़मेर जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान के कुल 3162 वर्ग किमी. क्षेत्र में गोडावण पर खतरा लगातार बढ़ रहा है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों की टीम ने गोडावण संरक्षण व स्टेटस के लिये डीएनपी क्षेत्र के 34 आवास क्षेत्रों में सेम्पल आधारित सर्वे किया।
- सर्वे के अनुसार गोडावण की संख्या का घनत्व क्षेत्र में 0.86 प्रति 100 वर्ग किमी में एक से भी कम है। इसमें गोडावण की संख्या 70 से 169 तक संभावित मानी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की संकटग्रस्त जातियों की रेड डाटा लिस्ट में गोडावण को गंभीर रूप से विलुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है।
- इस प्रकार के विलुप्त हो रहे वन्यजीव पर शोध और संरक्षण की जिम्मेदारी पहली बार किसी स्थानीय विश्वविद्यालय को सौपी गई है।
- गोडावण मुख्य रूप जैसलमेर जिले के डीएनपी सेंचुरी के सुदासरी, गजेई माता व आसपास के इलाकों में से चांधन, खेतोलाई, पोकरण व रामदेवरा में विचरण करते हैं। यहाँ भी उनकी संख्या दिनोंदिन घटते जाना चिंता का विषय है।

नोट :

इस नए प्रोजेक्ट के तहत जैसलमेर में वर्तमान में गोडावण की संख्या का विवरण और स्टेटस, रिमोट सेंसिंग और GIS का प्रयोग करते हुए सैटेलाइट इमेज़ की सहायता से गोडावण के लिये उपयुक्त आवास स्थल का मैप तैयार किया जाएगा। संभावित खतरों की पहचान और उनके समाधान पर शोध किया जाएगा। ये शोध गोडावण के संरक्षण में सहायक होंगे।

कालापानी क्षेत्र Kalapani Territory

हाल ही में भारत द्वारा जारी नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी क्षेत्र (Kalapani Territory) की सीमा को लेकर नेपाल ने औपचारिक विरोध किया।

कालापानी

- कालापानी क्षेत्र भारतीयों के एक तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है।
- इसके अलावा यह काली नदी का उद्गम स्थल भी है।
- यही काली नदी कालापानी से भारत और नेपाल दोनों देशों का सीमांकन करती है जो आगे चलकर टनकपुर में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है।

रानोंग बंदरगाह Ranong Port

हाल ही में भारत और थाईलैंड के रानोंग बंदरगाह (Ranong Port) के बीच आर्थिक सहयोग के लिये समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।

रानोंग बंदरगाह

- भारत और थाईलैंड के बीच नए समुद्री मार्ग को बढ़ावा देने के लिये पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड (Port Authority Of Thailand- PAT) रानोंग पोर्ट को लॉजिस्टिक गेटवे के रूप में विकसित कर रहा है।
- इसके साथ ही भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री यात्रा का समय 10-15 दिन से घटकर 7 दिन रह जाएगा।
- वर्तमान में मालवाहक जहाज़, मलेशिया के रास्ते होते हुए कृष्णापट्टनम बंदरगाह से चोन बुरी (Chon Buri) में चबांग बंदरगाह (Chabang Port) और बैंकॉक के बैंकॉक बंदरगाह तक की यात्रा करते हैं।
- इस समुद्री मार्ग के विकसित हो जाने से रानोंग बंदरगाह भारतीय वस्तुओं के लिये मुख्य प्रवेश बिंदु बनने की क्षमता रखता है।
- समकालीन संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट 'नीति (Act East Policy) की थाईलैंड की' लुक वेस्ट 'नीति (Look West Policy) द्वारा सराहना की जाती रही है जिससे दोनों देशों के बीच गहरा, मज़बूत और बहुमुखी रिश्ता बन गया है।
- थाईलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह (रानोंग बंदरगाह) और भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों, जैसे- चेन्नई, विशाखापत्तनम तथा कोलकाता के बीच सीधी कनेक्टिविटी से दोनों देशों के मध्य आर्थिक साझेदारी मज़बूत होगी।

बंगाल विभाजन Partition of Bengal

हाल ही में पश्चिम बंगाल विरासत आयोग (West Bengal Heritage Commission) ने वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान हुए बंगाल विभाजन को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

- संग्रहालय में बंगाल विभाजन के ऐतिहासिक तथ्यों तथा उसके प्रभावों को विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया जाएगा।
- संग्रहालय को अलीपुर जेल में स्थापित किया जाएगा जिसे अब एक विरासत भवन में बदला जा रहा है।
- वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान के निर्माण के दौरान बंगाल और पंजाब प्रांतों का विभाजन हुआ।
- इसने न केवल हिंसा को बढ़ावा दिया बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवास का उदाहरण बना।
- विभाजन के बाद, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया गया।

नोट :

- पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और वर्ष 1956 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसका नामकरण किया गया।
- वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (Bangladesh liberation War) के बाद यह बांग्लादेश के रूप में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
- प्रस्तावित संग्रहालय में विभाजन पर आधारित दस्तावेजों, लेखों, वृत्तचित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा उसके माध्यम से बंगाल विभाजन के कारण तथा उसके प्रभावों को दर्शाया जाएगा।

कृष्णापट्टनम पोर्ट Krishnapatanam Port

हाल ही में अडानी समूह ने कृष्णापट्टनम पोर्ट (Krishnapatanam Port) के पूर्वी क्षेत्र के विस्तार के लिये अपनी रुचि प्रकट की है।

कृष्णापट्टनम पोर्ट के बारे में:

- कृष्णापट्टनम पोर्ट चेन्नई से लगभग 180 किमी. दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में अवस्थित है।
- यह आधुनिक सुविधाओं के साथ गहरे पानी वाला पोर्ट है।
- पिछले वर्ष इस पोर्ट से लगभग 54 मिलियन टन कार्गो का आयात-निर्यात किया गया था।
- इस पोर्ट का नामकरण विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के नाम पर किया गया है।
- 1980 के दशक में, भारत सरकार ने इस पोर्ट को छोटे पोर्ट की श्रेणी में शामिल कर दिया था।
  - केंद्र सरकार बड़े पोर्ट के विकास के लिए ज़िम्मेदार है जबकि छोटे पोर्ट, संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विलिंग्डन द्वीप Willingdon Island

हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कोच्चि स्थित विलिंग्डन द्वीप (Willingdon Island) पर फिट इंडिया और गो ग्रीन (Fit India and Go Green) नामक दो पहलों का आयोजन किया गया।

विलिंग्डन द्वीप के बारे में:

- विलिंग्डन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है।
- यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाद झील का ही एक हिस्सा है।
- विलिंग्डन द्वीप कोच्चि बंदरगाह के साथ-साथ भारतीय नौसेना की कोच्चि नौसेना बेस के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve

अखिल भारतीय बाघ अनुमान (All India Tiger Estimation-AITE) के चौथे चक्र के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- एक अवधि तक लगातार गिरावट के बाद आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve- NSTR) में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

टाइगर रिज़र्व क्वे विषय में:

- NSTR भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
- NSTR को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया।
- वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था।

NSTR कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 ज़िलों में विस्तारित है।

इसके अलावा बहुउद्देशीय जलाशय- श्रीशैलम और नागार्जुनसागर NSTR में ही अवस्थित हैं।

नोट :

NSTR की जैव-विविधता:

- NSTR विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थान है, यहाँ बंगाल टाइगर के अलावा, तेंदुआ, चित्तीदार बिल्ली, पेंगोलिन, मगर, इंडियन रॉक पायथन और पक्षियों की असंख्य किस्में पाई जाती हैं।

दुधवा नेशनल पार्क Dudhwa National Park

पर्यटन सीज़न शुरू होने पर दुधवा नेशनल पार्क (Dudhwa National Park-DNP) पर्यटकों के लिये फिर से खोल दिया गया है।

दुधवा नेशनल पार्क के बारे में:

- यह पार्क पर्यटकों के लिये प्रतिवर्ष 15 नवंबर को खोला जाता है और 15 जून को बंद कर दिया जाता है।
- यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है तथा यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके अंतर्गत तीन महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं:
  - दुधवा नेशनल पार्क
  - किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य
  - कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य
- राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर के अंतिम व्यवहार्य निवास होने के कारण इन तीनों संरक्षित क्षेत्रों को प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत संयुक्त करके दुधवा टाइगर रिज़र्व के रूप में गठित किया गया है।
  - दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1987 में तथा कतर्निया वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2000 में दुधवा टाइगर रिज़र्व में शामिल किया गया था।

पार्क की जैव-विविधता

- दुधवा नेशनल पार्क में दलदल, घास के मैदान और घने वृक्ष हैं। यह क्षेत्र मुख्यत: बारहसिंगा और बाघों की प्रजातियों के लिये प्रसिद्ध है। इसके अलावा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं।

जयकवाड़ी बांध Jayakwadi Dam

हाल ही में महाराष्ट्र में अवस्थित जयकवाड़ी बांध (Jayakwadi Dam) पर लगे भूकंपमापी उपकरण ने कार्य करना बंद कर दिया है।

जयकवाड़ी बांध के बारे में

- इस भुकंपमापी उपकरण को वर्ष 1993 में लातूर ज़िले के किलारी में आए विनाशकारी भूकंप के बाद स्थापित किया गया था।
- भूकंपीय तरंगों को मापने और रिकॉर्ड करने के लिये सिस्मोमीटर (Seismometer) नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
- यह बाँध महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में गोदावरी नदी पर अवस्थित है।
  - औरंगाबाद शहर को 'दरवाज़ों का शहर' भी कहा जाता है।
- इस बांध का उद्देश्य मराठवाडा जैसे क्षेत्र में वर्षाकाल के दौरान आई बाढ़ तथा बाकी समय में पड़ने वाले सूखे जैसी समस्याओं से निपटना है।

पावूर उलिया द्वीप Pavoor-Uliya Island

पावूर उलिया (Pavoor-Uliya) कर्नाटक के मैंगलोर में नेथरावती नदी के बीच में अवस्थित एक द्वीप है।

- नेथरावती नदी का उद्गम कर्नाटक के चिक्कमगलुरु (Chikkamagaluru) से होता है।
- अरब सागर में गिरने से पहले यह नदी उप्पनंगडी में कुमारधारा नदी से मिल जाती है।
- नेथरावती नदी बंतवाल और मैंगलोर में जल का मुख्य स्रोत है।

नोट :

श्रीशैलम बांध Srisailam Dam

एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम बांध (Srisailam Dam) की स्थिति खराब होने के कारण इसके मरम्मत, संरक्षण और रख-रखाव कार्यों की तत्काल आवश्यकता है।

श्रीशैलम बांध की अवस्थिति:

- यह बाँध आंध्र प्रदेश के कुन्नूर ज़िले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है।
- वर्ष 1960 में शुरू की गई यह परियोजना देश में दूसरी, सबसे अधिक क्षमता वाली पनबिजली परियोजना है।
- इस बाँध का निर्माण समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊँचाई पर नल्लामलाई पहाड़ियों की एक गहरी खाई में किया गया है।

पन्ना टाइगर रिज़र्व Panna Tiger Reserve

मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर ज़िलों में लगभग 576 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना टाइगर रिज़र्व (Panna Tiger Reserve) में बाघों की वर्तमान आबादी 55 तक पहुँच गई है।

स्थापना:

- पन्ना टाइगर रिज़र्व की स्थापना 1981 में की हुई थी।
- इस रिज़र्व को भारत के 22वें टाइगर रिज़र्व के रूप में शामिल किया गया था।

अवस्थिति:

- पन्ना टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में पन्ना और छतरपुर ज़िलों में फैला हुआ है।
- इस टाइगर रिज़र्व में उत्तरी मध्य प्रदेश के बाघ निवास का अंतिम छोर शामिल है।
- इस रिज़र्व के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर केन नदी बहती है।

वनस्पति और जीव:

- पन्ना टाइगर रिज़र्व में व्यापक खुले वुडलैंड्स के साथ-साथ सूखी और छोटी घास पाई जाती है।
- यहाँ पठारों की सूखी खड़ी ढलानों पर बबूल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं।
- बाघ के अलावा यह तेंदुए, नीलगाय, चिंकारा, चौंसिंगा, चीतल, चित्तीदार बिल्ली, साही और सांभर जैसे अन्य जानवरों का निवास स्थान भी है।
- यहाँ केन नदी में घड़ियाल और मगर भी पाए जाते हैं।

अटापका पक्षी अभयारण्य Atapaka Bird Sanctury

आंध्र प्रदेश के कोल्लेरू स्थित अटापका पक्षी अभयारण्य (Atapaka Bird Sanctury) दो प्रवासी पक्षियों (ग्रे पेलीकल और सारस) का अकेला सुरक्षित प्रजनन स्थल बन गया है।

अटापका पक्षी अभयारण्य की अवस्थिति:

- यह पक्षी अभयारण्य, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा ज़िलों की सीमा पर कोल्लेरू झील में अवस्थित है।
- इस पक्षी अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।

कोल्लेरू झील के विषय में:

- कोल्लेरू झील (Kolleru Lake) देश की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है।
  - यह झील दोनों नदियों के लिये प्राकृतिक बाढ़-संतुलन जलाशय का कार्य करती है।

नोट :

- इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य (wildlife sanctuary) के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- यह एक रामसर स्थल है।

अल्बानिया Albania

हाल ही में यूरोपीय देश अल्बानिया (Albania) की राजधानी तिराना में भूकंप ने दस्तक दी।

अवस्थिति:

- अल्बानिया उत्तर-पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक छोटा पहाड़ी देश है तथा इसकी राजधानी तिराना है जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है।

सीमाएँ:

- इसकी स्थलीय सीमाएँ उत्तर में मोंटेनेग्रो, उत्तर-पूर्व में सर्बिया (कोसोवो), पूर्व में मैसीडोनिया गणराज्य तथा दक्षिण-पश्चिम में ग्रीस से मिलती हैं।
- अल्बानिया, क्रोएशिया और इटली के साथ समुद्री सीमाएँ भी साझा करता है।
- इसके अलावा पश्चिम में एड्रियाटिक और आयोनियन सागर में इसकी तटीय सीमा है।

बाल्कन देश:

- सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया- हर्ज़ेगोविना, मैसीडोनिया, कोसोवो।
- अल्बानिया ने वर्ष 2009 में नाटो (NATO) की सदस्यता प्राप्त की।

व्यास सम्मान:

वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिये हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यकार नासिरा शर्मा को चुना गया है। नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार उनके उपन्यास कागज की नाव के लिये चुना गया है। यह पुरस्कार केके बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसमें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाता है।

इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड

- प्रख्यात भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रोम में 'इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड, 2019' से सम्मानित किया गया।
- इटली के लेचे में 13 नवंबर से 17 नवंबर, 2019 तक आयोजित 'इंटरनेशनल स्कोरानो सैंड नेटिविटी' कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पटनायक ने रूसी कलाकार पैवेल मिनिकोव के साथ मिलकर महात्मा गांधी की 10 फुट ऊँची रेत की आकृति बनाई।
- रेत कला में योगदान के लिये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं।
- 'पद्मश्री' से सम्मानित पटनायक ने अब तक 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सवों और दुनियाभर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर भारत का नाम रौशन किया है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

प्रख्यात मलयाली कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने उनका चयन वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिये किया है। वर्ष 1926 में जन्मे अक्कतीम ने कविताओं के अलावा नाटक, संस्मरण, आलोचनात्मक निबंध, बाल साहित्य और अनुवाद का उत्कृष्ट काम किया है। इनकी कई रचनाओं का कई भारतीय व विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अक्कीतम की ज्यादातर रचनाओं को क्लासिक माना जाता है। उनकी कविताओं में भारतीय दार्शनिक व सामाजिक मूल्यों का समावेश मिलता है जो कि आधुनिकता और परंपरा के बीच एक सेतु की तरह हैं। अक्कीतम में अब तक 55 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से 45 कविता संग्रह है। पद्मश्री

नोट :

से सम्मानित अक्कीतम को वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1972 और 1988 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा मातृभूमि पुरस्कार और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। विदित हो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिये दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी. शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था।

इन्फोसिस पुरस्कार-2019

हाल ही में इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन (Infosys Science Foundation- ISF) ने 11वें इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा की है।

पुरस्कार के बारे में:

- यह पुरस्कार समकालीन शोधकर्त्ताओं और वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिये छह श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के लिये एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 100,000 डॉलर (USD) की राशि प्रदान की जाती है।

पुरस्कार की छह श्रेणियाँ और वर्ष 2019 के लिये घोषित नाम:

1. इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान- सुनीता सरावगी
2. ह्यूमैनिटीज- मनु वी. देवदेवन
3. लाइफ साइंस- मंजुला रेड्डी
4. गणितीय विज्ञान- सिद्धार्थ मिश्रा
5. भौतिक विज्ञान- जी. मुगेश
6. सामाजिक विज्ञान- आनंद पांडियन

इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन

इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन की स्थापना एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में वर्ष 2009 में हुई थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2019

19 नवंबर, 2019 को विश्व शौचालय (World Toilet Day) दिवस के अवसर पर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2019 (Swachh Survekshan Grameen Awards 2019) प्रदान किये गए।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2019 के बारे में:

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार- 2019, विभिन्न श्रेणियों में राज्यों/केंद्रशासित राज्यों और ज़िलों को नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में दिये गए।
- राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद रैंकिंग में क्रमश: हरियाणा तथा गुजरात राज्य हैं।
- ज़िलों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पेडापल्ली (तेलंगाना) का है इसके बाद क्रमश: फरीदाबाद तथा रेवाड़ी (हरियाणा) हैं।
- उत्तर प्रदेश अधिकतम जन भागीदारी वाला राज्य रहा है।
- इस वर्ष प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिये स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, निगमों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया जिनमे सीमेंट निर्माता संघ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तथा अमूल शामिल हैं।
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मानकों के आधार पर भारत के सभी ज़िलों की रैंकिंग तय करने के लिये "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2019" (SSG 2019) की शुरुआत की थी।
- इस सर्वेक्षण में भारत के सभी गाँवों के सार्वजनिक स्थानों जैसे- स्कूल, आँगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाज़ार/धार्मिक स्थानों आदि का सर्वेक्षण किया।

नोट :

इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड

- प्रख्यात भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रोम में 'इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड, 2019' से सम्मानित किया गया।
- इटली के लेचे में 13 नवंबर से 17 नवंबर, 2019 तक आयोजित 'इंटरनेशनल स्कोरानो सैंड नेटिविटी' कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पटनायक ने रूसी कलाकार पैवेल मिनिकोव के साथ मिलकर महात्मा गांधी की 10 फुट ऊँची रेत की आकृति बनाई।
- रेत कला में योगदान के लिये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं।
- 'पद्मश्री' से सम्मानित पटनायक ने अब तक 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सवों और दुनियाभर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर भारत का नाम रौशन किया है।

राज्योत्सव दिवस

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केरल का गठन 1 नवंबर 1956, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर, 2000 को हुआ।

म्याँमार का प्रकाश महोत्सव

म्याँमार के शान प्रांत में प्रकाश महोत्सव मनाया जाता हैं, इसमें लोग आतिशबाजी और पटाखे तैयार करते हैं। इस महोत्सव के दौरान पटाखों को गुब्बारों में भरकर, गुब्बारों को आसमान में छोड़ दिया जाता है। गुब्बारे कुछ ऊँचाई पर पटाखों के कारण फट जाते हैं, इनके फटने से रंग-बिरंगी चिंगारियाँ निकलती हैं इससे आसमान में अदभुत नज़ारा दिखाई देता है।

गॉइ फॉक्स महोत्सव

इसे बोनफायर नाइट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, इस महोत्सव के दौरान लुईस शहर में नाइट परेड निकाली जाती है। इस महोत्सव के दौरान देश-दुनिया की सबसे विवादास्पद सामाजिक अथवा राजनीतिक हस्ती का पुतला जलाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 16वीं शताब्दी में की गई थी। यह महोत्सव कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष की याद दिलाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस

- 19 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men's Day) का आयोजन किया जाता है।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा पुरुष रोल मॉडल्स के महत्त्व को उजागर करना है।
- इसके अलावा यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिये भी मनाया जाता है।
- विदित हो कि 80 देशों में 19 नवंबर को इसे मनाया जाता है और इसे यूनेस्को का भी सहयोग प्राप्त है।
- इस बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम- मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज (Making a Difference for Men & Boys) रखी गई है।
- इस दिवस को मनाने की शुरुआत 7 फरवरी, 1992 को थॉमस ओस्टर ने की थी।
- भारत में इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 से हुई।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप

- भारत ने वर्ल्ड पैरा एथेलटिक्स चैंपियनशिप-2019 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत इस चैंपियनशिप में 24वें स्थान पर रहा।
- दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथेलटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने दो स्वर्ण, दो रजत और पाँच कांस्य पदक हासिल किये। इसके बाद भारत के कई खिलाड़ी चौथे स्थान पर आकर पदक से भी चूके।

नोट :

- भारत ने इस विश्व चैंपियनशिप से कुल 13 टोक्यो पैरालम्पिक-2020 कोटा हासिल किये।
- भारत के जेवेलिन थ्रोअर संदीप चौधरी ने एफ-44 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बना स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 64 कैटेगरी में भी अपना सर्वश्रेष्ठ 65.08 मीटर का थ्रो फेंक सोने का तमगा हासिल किया। इसी इवेंट में भारत के सुमित अंटिल ने 62.88 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता।
- एफ-46 में सुंदर सिंह गुर्जर ने 61.22 मीटर की थ्रो फेंक अपना विश्व खिताब बचाए रखा। ऊँची कूद (टी63) में शरद कुमार और टी मरियप्पन ने रजत और कांस्य पदक जीतकर अगले साल होने वाले टोक्यो पैरालंपिक के लिये क्वॉलिफाई किया।
- चीन 25 स्वर्ण सहित कुल 59 पदक लेकर शीर्ष पर रहा। उसके बाद ब्राज़ील (39) और ग्रेट ब्रिटेन (28) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन 2017 में था जहाँ देश के पैरा खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण सहित पाँच पदक हासिल किये थे और टीम तालिका में 34वें स्थान पर रही थी।

आपको बता दें कि पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली मल्टी-स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें शीतकालीन और समर पैरालाम्पिक खेल होते हैं, जो इन ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित किये जाते हैं। सभी पैरालम्पिक गेम्स अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक कमेटी द्वारा संचालित होते हैं।

विश्व बाल दिवस

- 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) को अपनाया गया था।
- यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है
- इस वर्ष इस दिवस की थीम फॉर चिल्ड्रेन, बाई चिल्ड्रेन (For Children, by Children) रखी गई है।
- यूनिसेफ 14 से 20 नवंबर, 2019 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाकर विश्व में बच्चों के अधिकार को लेकर कई कार्यक्रम किये।
- इस वर्ष बच्चों के लिये सात अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख है।
- इसके अलावा यूनिसेफ दुनियाभर में (Go Blue) गो ब्लू अभियान चला रहा है। गौरतलब है कि इस रंग को बाल अधिकारों का प्रतीक माना गया है।

विश्व मात्स्यिकी दिवस

- प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मात्सियिकी दिवस का आयोजन किया जाता है।
- इस दिन 1997 में 18 देशों के मत्स्य कृषकों और मत्स्य कर्मकारों के विश्व मंच का प्रतिनिधित्व करने वाले मछुआरों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी।
- इस बैठक में सतत् मत्स्य-आखेट के प्रयोगों और नीतियों के एक वैश्विक जनादेश का समर्थन करते हुए विश्व मात्स्यिकी मंच (World Fisheries Forum-WFF) की स्थापना की गई थी।
- इसके बाद से हर वर्ष 21 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मात्स्यिकी दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता है।

भारतीय मत्स्य पालन एवं जल-कृषि खाद्य उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो 14 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका और लाभकारी रोज़गार के अलावा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है तथा कृषि निर्यात में योगदान देता है। गहरे समुद्रों से लेकर पर्वतों में झीलों तक तथा मत्स्य और सीपदार मछलियों की प्रजातियों के निबंधनों के अनुसार वैश्विक जैव-विविधता के 10% से अधिक के विविध संसाधनों के साथ, देश ने मत्स्य उत्पादन में स्वाधीनता से एक निरंतर तथा समर्थित वृद्धि दर्शाई है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 6.3% का योगदान करते हुए, 11.60 मिलियन मीट्रिक टन का कुल मत्स्य उत्पादन वर्तमान समय में अंतर्देशीय क्षेत्र से लगभग 65% और लगभग वही मात्स्यिकी कृषि से 50% का योगदान कर रहा है।

नोट :

NCC का 71वाँ स्थापना दिवस

- दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Core-NCC) ने 24 नवंबर को अपना 71 वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- भारत में NCC की स्थापना 15 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत हुई थी।
- NCC का उद्देश्य वाक्य - 'एकता और अनुशासन' है, जिसे वर्ष 1957 में अपनाया गया था।
- NCC तीन साल की होती है- पहले साल 'A', दूसरे साल 'B' और तीसरे साल 'C' grade का certificate मिलता है। NCC समूह का नेतृत्व 'लेफ्टिडेंट जनरल' रैंक का अधिकारी करता है और पूरे देश में ऐसे कुल 17 अधिकारी हैं।
- NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- देश में इसकी कुल 788 टुकड़ियाँ हैं, इनमें से 667 सेना की, 60 नौसेना और 61 वायु सेना की हैं।

NCC अपनी बहुआयामी गतिविधियों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के समक्ष स्व-विकास के लिये अवसर प्रदान करता है। NCC युवाओं को कल के ज़िम्मेदार नागरिकों में रूपान्तारित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है।

संविधान दिवस

- हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगाँठ है।
- 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर, 1949 को इसे अपनाया गया था।
- 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के अन्य प्रमुख सदस्य थे।
- संविधान सभा के सदस्यों का पहला सेशन 9 दिसंबर, 1947 को आयोजित हुआ। इसमें संविधान सभा के 207 सदस्य थे।
- संविधान की ड्रॉफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है।
- भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था।
- सरकार ने 19 नवंबर, 2015 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी कि वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्त्व का प्रसार करना है। साथ ही भारतीय संविधान में व्यक्त किये गए मूल्यों और सिद्धांतों को नागरिकों के समक्ष दोहराना तथा सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

- भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' (National Milk Day) के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2014 में 26 नवंबर के दिन भारतीय डेयरी एसोसिएशन (Indian Dairy Association-IDA) ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी।
- वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए 'ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई।
- दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जबकि गुजरात स्थित अमूल देश की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है।

विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2019 की थीम- 'ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे' (Drink Milk: Today & Everyday) रखी गई है। वर्ष 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था।

नोट :

50वाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

20 नवंबर, 2019 से गोवा में शुरू हुए 50वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का 28 नवंबर, 2019 को समापन हुआ। इस दौरान 76 देशों की 190 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड ब्लेस हैरिसन को फिल्म पार्टिकल्स के लिये मिला। बेस्ट एक्टर मेल सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड सियू जॉर्ज को फिल्म मारिघेल्ला के लिये मिला। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड ऊषा जाधव को फिल्म माई घाट क्राइम नंबर 103/2005 के लिये मिला। भारतीय निर्देशक लिजो जोस पेलिसरी ने अपनी फिल्म जल्लीकट्टू के लिये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को लीजेंड्स ऑफ इंडिया कैटेगरी में सम्मानित किया गया।

गौरा-गौरी उत्सव

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में गौरा-गौरी उत्सव (Gaura-Gauri festival) मनाया गया।

उत्सव के बारे में

यह उत्सव दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है जहाँ गौरा का तात्पर्य भगवान् शिव से तथा गौरी का तात्पर्य पार्वती से होता है।

- इस उत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों के ग्रामीण जीवन को दर्शाया जाता है।
- इसमें लोक नृत्यों के रूप में गेडी, कर्मा, सुआ, राउत नाचा, पंथी नृत्य और गौरी गौरा आदि का प्रदर्शन किया जाता है।
- उत्सव के दौरान लोक गीतों की प्रस्तुति के लिये पारंपरिक वाद्ययंत्र जैसे झांझर, मंदर और गुदुम बाजा आदि का प्रयोग किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के सुरती, हरेली, पोला और तीजा आदि कुछ अन्य त्योहार हैं।

शिल्पोत्सव-2019

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव-2019 (Shilpotsav-2019) का आयोजन किया जा रहा है।

- शिल्पोत्सव का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों के शिल्पियों को प्रोत्साहन देना है।
- शिल्पोत्सव-2019 का आयोजन 1-15 नवंबर, 2019 तक किया जा रहा है।
- महोत्सव में शिल्प कारीगरों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सर्वोच्च निगमों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। ये है-
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (National Backward Classes Finance & Development Corporation- NBCFDC)
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Caste Finance & Development Corporation-NSFDC)
  - राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (National Handicapped Finance & Development Corporation- NHFDC)
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (National Safai Karamchari Finance & Development Corporation- NSKFDC)
  - नेशनल ट्रस्ट (National Trust)
- महोत्सव में सिल्क साडियाँ, दरियाँ, सिले-सिलाए वस्त्र, मिट्टी के उत्पाद, जूट उत्पाद, ड्रैस मैटिरियल, कश्मीरी शॉल/स्टोल, संगमरमर की कलाकृतियाँ और हथकरघा आदि उत्पाद शामिल होंगे।

गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती

12 नवंबर 2019 (कार्तिक पूर्णिमा) को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को प्रकाश पर्व के रुप में मनाया जा रहा है।

गुरु नानक देव जी कौन थे ?

- गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब (वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है) में हुआ था।
- गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे।

नोट :

- गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक और कवि थे
- इन्होने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- गुरु नानक देव जी ने विश्व को 'नाम जपो, किरत करो, वंड छको' का संदेश दिया जिसका अर्थ है- ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ तथा जो कुछ भी कमाते हो उसे ज़रूरतमंदों के साथ बाँटो।
- ये एक आदर्श व्यक्ति थे, जो एक संत की तरह रहे और पूरे विश्व को 'कर्म' का संदेश दिया।
- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी।
- इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा (संगत) के लिये कुछ नियम बनाए।

भारत करेगा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिये चुना है, जिससे देश लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। एफआईएच के अनुसार, पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से 29 जनवरी, 2023 तक खेला जाएगा। गौरतलब है कि यह फैसला एफआईएच के कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिया गया है। इसी बैठक में फैसला किया गया कि स्पेन और नीदरलैंड एक से 22 जुलाई तक आयोजित होने वाले 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान होंगे। उल्लेखनीय है कि पुरुष और महिला दोनों विश्व कप के स्थलों की घोषणा बाद में मेज़बान देशों द्वारा की जाएगी। इस तरह भारत चार पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन करने वाला पहला देश बन गया। वह इससे पहले 1982 में मुंबई में, 2010 में नयी दिल्ली और 2018 में भुवनेश्वर में इस टूर्नमेंट का आयोजन कर चुका है।

भारत ने बांग्लादेश को हराकर सीरीज़ जीती

भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने 30 रनों के अंतर से जीत लिया। मैच के साथ-साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की T20 सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 174 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 144 रन बना सकी और मैच 30 रन से और सीरीज़ 2-1 से हार गई। भारत के लिये दीपक चाहर ने सात रन देकर छह विकेट लिये। इसी के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा, वह एक मैच में पाँच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं।

लद्दाख में विंटर ग्रेड डीज़ल

- लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र ने एक कदम और बढ़ाया है। इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ने विंटर ग्रेड डीज़ल (Winter Grade Diesel) का उत्पादन शुरू किया है। यह विंटर ग्रेड डीज़ल -33 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करेगा। विंटर ग्रेड डीज़ल से लद्दाख में बर्फीले मौसम में वाहनों की आवाजाही आसान होगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ सैन्य वाहनों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी।

क्या है विंटर ग्रेड डीज़ल

- विंटर ग्रेड डीज़ल की विशेषता यह है कि इसमें लगभग 5 प्रतिशत बायोडीज़ल का मिश्रण भी किया गया है। इसकी वजह से जहाँ डीज़ल वाहन के लिये बेहतर रहेगा वहीं इसके जम जाने की समस्या से निज़ात मिलेगी।
- दरअसल, लद्दाख में तापमान की गिरावट के साथ सर्दियों में सामान्य डीज़ल जम जाता है। इससे वाहन चलाने में परेशानी होती है।
- लेकिन इस डीज़ल को -33 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- यह डीज़ल BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के मानकों पर भी खरा उतरा है तथा BS-6 मानकों पर भी खरा उतरता है।
- गौरतलब ही कि केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में डीज़ल स्थानीय निवासियों के साथ-साथ भारतीय सेना, सुरक्षा बलों के लिये भी बहुत अहमियत रखता है। लद्दाख में चीन, पाकिस्तान से लगती सीमा की रक्षा करने वाली भारतीय सेना के अधिकांश वाहन डीज़ल से ही चलते हैं।

नोट :

IAAF हो गया वर्ल्ड एथलेटिक्स

- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (International Association Of Athletics Federation-IAAF) का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स (World Athletics) किया जा रहा है।
- नाम बदलने से कुछ समय पहले ही नया लोगो भी लॉन्च किया गया था।
- विश्व एथलेटिक्स की संचालन संस्था तथा एथलेटिक्स महासंघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (IAAF) का गठन वर्ष 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ के रूप में किया गया था।

Tiger Triumph सैन्य अभ्यास

- भारतीय और अमेरिकी सेना का पहला संयुक्त त्रि-सेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत Humanitarian Assistance and Disaster Relief ((HADR) अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 13 से 21 नवंबर, 2019 तक बंगाल की खाड़ी के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज़ जलअश्व, ऐरावत और संध्यक, 19 मद्रास एवं 7 गाड्र्स की भारतीय सेना की टुकड़ियों और भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर और रैपिड एक्शन मेडिकल टीम ने हिस्सा लिया।
- टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का उद्देश्य HDAR अभियान में अंत: पारस्परिकता का विकास करना था।
- काकीनाडा में सामुद्रिक चरण के तहत दोनों नौसेनाओं के जवानों ने जहाज पर और सामुद्रिक, एम्फिबियोस और HADR अभियान में हिस्सा लिया।
- यह दूसरा ऐसा अवसर था जब भारत ने थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित किसी दूसरे देश के साथ त्रि-सेना सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया।
- इससे पहले भारत ने वर्ष 2017 में रूस के व्लादिवोस्तोक में त्रि-सेना युद्ध अभ्यास 'इंद्र' में हिस्सा लिया था।

एंटी-टैंक मिसाइल 'स्पाइक'

हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले के समीप महू के इंफैंट्री स्कूल में टैंक भेदी स्पाइक LR' (लांग-रेंज) का सफल परीक्षण किया। इससे सेना की युद्ध क्षमता में और इजाफा होगा। स्पाइक LR चार किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के टैंक पर अचूक निशाना साध सकती है। स्पाइक LR चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। स्पाइक LR 'दागो और भूल जाओ' की क्षमता के साथ ही 'दागो, देखो और फिर निशाना साधो' (फायर, ऑब्जर्व एंड अपडेट) तकनीक से भी लैस है। यह हवा में ही लक्ष्य बदलने की क्षमता भी रखती है। इसे ऊँचे या कम ऊँचाई वाले ट्रैक से दागा जा सकता है। भारतीय सेना ने इसका DRDO के ज़रिये देश में निर्माण का फैसला किया है। फिलहाल तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिये सीमित मात्रा में इन्हें इज़राइल से हासिल किया गया हैं। भारत ने 240 स्पाइक मिसाइलों के लिये इज़राइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इन टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों और इसके लांचर को उत्तरी युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है और इस समय इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर

चीन में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (African Swine Fever- ASF) के व्यापक प्रसार के कारण सूअर के मांस की कीमतें उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं।

- अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक गंभीर संक्रामक रोग है जो घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है।
- यह रोग जीवित या मृत सुअरों, घरेलू या जंगली और इनसे बने मांस उत्पादों द्वारा फैलता है।
- इसके अलावा इस रोग का प्रसार कीटों (Biting Insects) तथा चिचड़ियों (Ticks) आदि के काटने से भी होता है।
- इस रोग का कोई एंटीडोट या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
- इस रोग को फैलने से रोकने के लिये एकमात्र ज्ञात उपाय संक्रमित पशुओं का सामूहिक रूप से न्यूनीकरण करना है।
- चीन विश्व में सूअर के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है।

नोट :

नौसैनिक अभ्यास 'समुद्र शक्ति'

हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास 'समुद्र शक्ति' (Samudra Shakti) का आयोजन किया गया।

समुद्र शक्ति:

- इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया।
- इसमें भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉरवेट- आईएनएस कमोर्ता (INS KAMORTA) और इंडोनेशियाई युद्धक जहाज़ केआरआई उस्मान हारून (KRI Usman Haroon) भाग ले रहे हैं।
- 12 नवंबर, 2018 को भारत और इंडोनेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'समुद्र शक्ति' का आयोजन किया गया था।
- इस संयुक्त युद्धाभ्यास में आपसी तालमेल (Co-operation), युद्धाभ्यास, वायु रक्षा अभ्यास, फायरिंग ड्रिल, हेलिकॉप्टर संचालन एवं बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल हैं।

शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शहरी भूकंप खोज और बचाव पर शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास (SCOJtEx-2019) का आयोजन किया गया।

अभ्यास के बारे में:

- इस चार दिवसीय अभ्यास का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह (International Search & Rescue Advisory Group- INSARAG) की कार्यप्रणाली और दिशा निर्देशों के तहत किया गया है।
  - भारत की ओर से SCOJtEx-2019 के नवीनतम संस्करण की मेज़बानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल (National Disaster Management Force- NDRF) द्वारा की गई।

भागीदार

- इस अभ्यास में शंघाई सहयोग संगठन के सभी 08 सदस्य देश- भारत, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान प्रतिभागी के रुप में शामिल थे।

उद्देश्य

- SCOJtEx का उद्देश्य भूकंप के संदर्भ में बहु-एजेंसी अभियानों (Multi-Agency Operations) को शामिल करते हुए समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है।
- इसके अलावा प्रतिभागी देशों के आपसी समन्वय के लिये आपदा प्रतिक्रिया तंत्र का पूर्वाभ्यास, ज्ञान का आदान-प्रदान, अनुभव और तकनीक आदि साझा करना इसका उद्देश्य है।

सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण- XIV' Military Exercise 'Surya Kiran- XIV'

भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य-किरण-XIV' (Military Exercise Surya Kiran- XIV) का आयोजन नेपाल के रूपन्देही ज़िले में स्थित सलझंडी गाँव में 3 से 16 दिसंबर, 2019 तक किया जाएगा।

उद्देश्य:

- इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और नेपाल दोनों देशों की सेनाओं के मध्य बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है।
- इससे वन और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधी परिचालनों, मानवीय सहायता तथा आपदा राहत, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और विमानन के क्षेत्रों में अंतर-सक्रियता बढ़ाई जा सकेगी।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से रक्षा सहयोग के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के विषय में:

- सैन्य अभ्यास सूर्य किरण एक वार्षिक आयोजन है।
- नेपाल और भारत में इसका आयोजन बारी-बारी से किया जाता है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)

जेम ने इंडियन बैंक और केनरा बैंक के साथ सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत पोर्टल पर एक कैशलेस, पेपरलेस एवं पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही सरकारी निकायों के लिये एक दक्ष खरीद प्रणाली तैयार की जाएगी। इस साझेदारी के ज़रिये दोनों बैंक पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को कई तरह की सेवाएँ मुहैया कराने में समर्थ हो जाएंगे जिनमें जेम पूल खातों (GPA) के माध्यम से धनराशि का अंतरण, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (e-PBG) और पेमेंट गेटवे से जुड़े परामर्श देना भी शामिल हैं।

- जेम भारत सरकार की एक पहल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के लिये आवश्यक जन उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा हेतु एकल स्टॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2019

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 4 से 6 नवंबर, 2019 के दौरान लंदन (ब्रिटेन) में आयोजित तीन दिवसीय वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) में भाग ले रहा है। WTM 2019 में इंडिया पवेलियन की थीम 'अतुल्य भारत – अतुल्य भारत को जानें' है। भारत के विभिन्न पर्यटन अवयवों को प्रदर्शित करने के अलावा इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी प्रचार-प्रसार WTM 2019 के इंडिया पवेलियन में किया जा रहा है। WTM विश्वभर के यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के लिये एक ऐसी अनूठी प्रदर्शनी है। यह कारोबारियों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने एवं इनके पारस्परिक संवाद वाली प्रदर्शनी है।

रोबो-बी

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड माइक्रोरोबोटिक्स लेबोरेटरी के शोधकर्त्ताओं ने रोबो-बी रोबोट तैयार किया है। जो मधुमक्खी की तरह उड़ान भर सकता है और इसके आसानी से उड़ान भरने तथा लचीलेपन के लिये कोमल आर्टिफिशियल मांसपेशियों (एक्ट्यूएटर) का प्रयोग किया गया है। यह रोबोट आसानी से दुर्गम स्थानों पर जा सकता है। सामान्यत: यह किसी सतह से टकराने पर टूटता नहीं हैं। इनका प्रयोग रोबोटिक आर्मी में भी किया जा सकता है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि दुश्मन को आसानी से नज़र नहीं आ सकते हैं।

ईरान का फोरडो संयंत्र

ईरान ने परमाणु समझौते के विपरीत अपने भूमिगत परमाणु संयंत्र, फोरडो में दोबारा कार्य शुरू कर दिया है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक को हिरासत में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी निरीक्षक को हिरासत में लेने का विश्व में यह पहला मामला है। अपने फोरडो परमाणु संयंत्र में ईरान यूरेनियम गैस को सेंट्रीफ्यूज में डालने का प्रयोग करने जा रहा है।

फारमित्र एप

निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने फारमित्र एप लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य किसानों से संबंधित विभिन्न ज़रूरतों से जुड़ी सूचना प्रदान करना है इस एप के माध्यम से किसानों को न केवल बीमा से जुड़ी समस्त सूचनाएँ दी जाएंगी बल्कि इसके माध्यम से मौसम में होने वाले बदलावों, फसलों का बाज़ार मूल्य आदि के बारे में लगातार जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस एप के ज़रिये सीधे PM फसल बीमा योजना की वेबसाइट तक पहुँचा जा सकेगा।

खादी को मिला एचएस कोड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खादी उत्पादों के लिये अलग से एचएस कोड (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) आबंटित किया है। केंद्र सरकार ने देश और विदेश में खादी की बिक्री, मांग, उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी का स्तर बरकरार रखने हेतु विश्व में इसकी अलग पहचान के लिये ज़रूरी

नोट :

एचएस कोड दिलाने का फैसला किया था। एचएस कोड एक अंतरराष्ट्रीय कोड होता है, इस कोड की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में होती है। एचएस छह अंकों का एक पहचान कोड है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) ने विकसित किया है। एचएस कोड से अब विदेशों में खपत को टेक्सटाइल से अलग चिह्नित किया जा सकेगा।

महाराष्ट्र में कार्यवाहक मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के कई दिनों बाद भी वहाँ नई सरकार के बनाने का रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ''कार्यवाहक मुख्यमंत्री'' के तौर पर बने रहने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। फड़नवीस ने बताया कई वैकल्पिक व्यवस्था कुछ भी हो सकती है। इसके तहत या तो एक नई सरकार का गठन हो सकता है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुवाहाटी में कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टु प्रेजेंट नामक पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया। उन्होंने इसे न्याय के स्थापत्य की संज्ञा दी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाशन डिविज़न की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक का अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का न्यायालय ने निर्णय लिया था। सबसे पहला अनुवाद असमिया भाषा में भारतबोर्षोर अदालतखोमूह: ओतीतोर पोरा बोर्तोमानोलोई शीर्षक से मुद्रित हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुस्तक में भारतीय न्यायिक पद्धति की बहुत शानदार ढंग से व्याख्या की गई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कानून के विद्यार्थियों को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन

रविवार को देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन का निधन हो गया। 87 वर्ष के शेषन ने कार्डियक अरेस्ट के बाद चेन्नई में अंतिम सांस ली। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का पूरा नाम तिरुनेलै नारायण अय्यर शेषन था। उल्लेखनीय है कि वे 12 दिसंबर, 1990 से 11 दिसंबर, 1996 तक इस पद पर रहे थे। टीएन शेषन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ ज़िले में हुआ था। टीएन शेषन ने वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला और इस दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बदलाव किए। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत भी भारत में उन्हीं के द्वारा की गई थी। वर्ष 1996 में उन्हें रैमन मैग्सेसे अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था।

सचिन के नाम पर मकड़ी की नई प्रजाति

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम अब क्रिकेट के अलावा मकड़ी के नाम से भी जुड़ गया है। गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक जूनियर शोधकर्त्ता ने सचिन के नाम पर मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा है। शोधकर्त्ता ने मकड़ियों की दो नई प्रजातियों की खोज की है और उनमें से एक का नाम 'मारेंगो सचिन तेंदुलकर' रखा है। इसके अलावा अन्य मकड़ी को इंडोमारेंगो चवारापटेरा नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 'मारेंगो सचिन तेंदुलकर' प्रजाति की मकड़ी केरल, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती है, जबकि इंडोमारेंगो चवारापटेरा प्रजाति की मकड़ी एक एशियाई जंपिंग स्पाइडर है तथा केरल में पाई जाती है।

'केजीएमयू एफएम रेडियो'

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में फरवरी 2020 से FM रेडियो शुरू होने जा रहा है, जिसे 30 किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकेगा। शुरू में शाम पाँच बजे से रात नौ बजे के बीच चलने वाले केजीएमयू के इस एफएम रेडियो से बाद में रोज़ाना 12 घंटे तक उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करने की योजना है। FM रेडियो के ज़रिये गंभीर बीमारियों के शिकार मरीज़ों को जल्द स्वस्थ होने का संदेश दिया जाएगा।

गुजरात CNG पोर्ट टर्मिनल

गुजरात सरकार ने 1900 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले दुनिया के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस टर्मिनल को ब्रिटेन के फोरसाइट ग्रुप और मुंबई के पद्मनाभ मफतलाल समूह द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित CNG पोर्ट टर्मिनल में 6

नोट :

मिलियन मैट्रिक टन ढुलाई की वार्षिक क्षमता होगी, जिससे पोर्ट की कुल ढुलाई क्षमता बढ़कर 9 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। गुजरात सरकार के गुजरात मैरिटाइम बोर्ड और लंदन स्थित फोरसाइट समूह ने इस वर्ष वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान इस परियोजना के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस टर्मिनल को भावनगर बंदरगाह के उत्तर की ओर विकसित किया जाएगा, जिसमें रो-रो टर्मिनल, लिक्विड टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल विकसित करने का प्रावधान है।

लिट्टे पर प्रतिबंध की पुष्टि

केंद्र सरकार द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर पाँच साल का प्रतिबंध लगाने के फैसले की एक न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की है। इस न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार ने इस बात की पड़ताल करने के लिये किया था कि क्या इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध जारी रहने चाहिये या नहीं। न्यायाधीश संगीता धींगरा सहगल की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने छह नवंबर को लिट्टे पर प्रतिबंध की पुष्टि की और इससे संबंधित आदेश एक सीलबंद कवर में केंद्र सरकार को भेजा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में लिट्टे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से इस संगठन पर लगाये गए प्रतिबंध को प्रत्येक पाँच साल बाद बढ़ा दिया जाता है।

के-4 मिसाइल का परीक्षण

हाल ही में भारत ने अपनी के-4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। यह परिक्षण आठ नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से पनडुब्बी के ज़रिये प्रयोगिक तौर पर किया गया। इस मिसाइल को रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान (डीआरडीओ) द्वारा तैयार किया है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह दो हज़ार किलोग्राम का आयुध (वॉरहेड) ले जा सकती है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत की पनडुब्बियों की मारक क्षमता बढ़ जाएगी।

दुनिया का सबसे ऊँचा पुल

कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पुल तैयार किया जा रहा है। यह पुल कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देगा और अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में भी मददगार साबित होगा। अब तक इस पुल का 82 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और रेल मंत्रालय के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इस पुल के तैयार होने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊँचा पुल होगा। कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे इस पुल को 359 मीटर की ऊँचाई पर तैयार किया जा रहा है।

RTI के दायरे में मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर (CJI office) एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आता है। गौरतलब है कि CJI जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सभी न्यायमूर्ति भी RTI के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सूचना अधिकार कानून की मज़बूती के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन

महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिये वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने की स्वीकृति दे दी गई। सेना में महिलाओं के लिये एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा। अभी तक सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है। सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 वर्ष का होता है। वायुसेना में महिलाएँ पहले ही लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है।

नोट :

छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज़

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं पहले से संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पाँच लाख और अन्य परिवारों को सालभर में 50 हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि वे बीमारियाँ जो योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं या हितधारक का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे परिवारों के लिये वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

ई-कॉमर्स के नए नियम

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियमन, 2019 का मसौदा जारी किया।

- इस मसौदे के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियाँ अपने मंचों पर बिकने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती तथा उन्हें व्यापार के निष्पक्ष तरीकों का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को विक्रेताओं के कारोबार की पहचान, वैध नाम, भौगोलिक पता, वेबसाइट का नाम, उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद और उनसे उपभोक्ता कैसे संपर्क करे समेत सारी जानकारियाँ मुहैया करानी होंगी।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं के निजी आँकड़ों व सूचनाओं को संरक्षित रखना होगा।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को देर से डिलिवरी होने, उत्पाद में खराबी होने, नकली उत्पाद होने की स्थिति में सामान को वापस लेना होगा और अधिकतम 14 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं का पैसा वापस करना होगा।

अरुणाचल में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक

- 14 नवंबर, 2019 को अरूणाचल प्रदेश में एपीडा एवं अरूणाचल प्रदेश के कृषि तथा बागवानी विभाग ने कृषि और बागवानी उत्पाद पर पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
- इस बैठक का उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र खासतौर से अरूणाचल प्रदेश से कृषि-निर्यात के लिये बाज़ार से संपर्क बढ़ाना था।
- इस बैठक में सात देशों- भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ग्रीस के दस अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने हिस्सा लिया।
- यह सम्मेलन आयातकों और निर्यातकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की B2B और B2G बैठकें और कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात के अवसरों तथा संभावनाओं का पता लगाने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और उत्पादकों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
- गौरतलब है कि राज्य की 75-80 प्रतिशत भूमि अनछुई है और इन इलाकों में अनेक कृषि फसलों को लगाया जा सकता है, क्योंकि अरूणाचल प्रदेश जलवायु के अनुसार वर्ष में पाँच प्रकार की फसलें उगा सकता है।
- इससे पहले इस वर्ष मार्च में गुवाहाटी, असम में BSM का आयोजन किया गया था। इसके बाद मणिपुर, इम्फाल में जून, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और बैठक आयोजित की गई। इसके बाद एक बैठक सितंबर 2019 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी हुई।

आपको बता दें कि एपीडा कृषि निर्यात के क्षेत्रों में संवर्द्धन गतिविधियाँ चलाता है। इनमें निर्यातकों को पैक हाउसेज और शीतगृहों जैसी बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान करना शामिल है। एपीडा निर्यातकों की भी मदद करता है, ताकि वह अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकें। ईटानगर में आयोजित यह बैठक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को निर्यात के नक्शे पर लाने के लिये एपीडा की पहल का ही हिस्सा थी।

39वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 14 नवंबर, 2019 को दिल्ली के प्रगति मैदान में 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) का उद्घाटन किया।

नोट :

- व्यापार मेले के इस संस्करण की थीम 'कारोबार को आसान बनाना' है। यह थीम विश्व बैंक की कारोबार आसान बनाने के सूचकांक में विशिष्ट उपलब्धि से प्रेरित है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में भारत कारोबार आसान बनाने की रैंकिंग में 142वें पायदान पर था जो अब 63वें पायदान पर आ गया है।
- ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ब्रिटेन, वियतनाम, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, हॉन्गकॉन्ग और इंडोनेशिया सहित अन्य कई देश इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं।
- इस साल अफगानिस्तान को भागीदार देश का दर्जा दिया गया है, जबकि बिहार और झारखंड ध्यान केंद्रित राज्य हैं।

विदित हो कि इस तरह के आयोजन 'ब्रांड इंडिया' को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में मदद करते हैं। यह मेला विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों एवं एजेंसियों के लिये सतत् सुधारों, नई योजनाओं तथा पहलों के बारे में सूचना के प्रसार के लिये महत्त्वपूर्ण मंच है।

न्यू इंडिया के लिये स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट

- नीति आयोग ने 'न्यू इंडिया के लिये स्वास्थ प्रणाली: बिल्डिंग ब्लॉक्स- सुधार के संभावित तरीके' पर 18 नवंबर, 2019 को एक रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र के लिये ACCES हेल्थ इंटरनेशनल द्वारा और निजी क्षेत्र के लिये PWC इंडिया फोर्स द्वारा एकत्रित किये गए डेटा पर आधारित है।
- इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रयासों और विचार-विमर्श के निष्कर्षों को शामिल किया गया है।
- इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये भुगतान करने वालों और जोखिम घटकों तथा स्वास्थ्य सेवाओं एवं इसे संचालित करने वाले डिजिटल आधार के विभिन्न स्तरों पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में बताया गया है।
- रिपोर्ट में देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये बिखरी हुई स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने के आवश्यक प्रयासों से जुड़े दृष्टिकोणों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है।

स्वास्थ्य प्रणाली पर बहस और चर्चा 'विकास संवाद श्रृंखला' के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। आयोग ने 30 नवंबर, 2018 को आई.टी. न्यू इंडिया: बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिये स्वास्थ्य प्रणाली नामक कार्यशाला के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत की थी। इसमें देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर गहन और सकारात्मक चर्चा के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा प्रमुख हितधारकों को साथ लाया गया।

यह रिपोर्ट सभी निष्कर्षों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। रिपोर्ट भारत के समक्ष अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये विशेष रूप से सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधारों के संदर्भ में उपलब्ध रणनीतिक विकल्पों ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

मेडिकल डिवाइस पार्क

- सरकार ने चार मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की योजना को मंज़ूरी दी है। इन पार्क की स्थापना से देश में विश्वस्तरीय मेडिकल उपकरणों का उत्पादन किया जा सकेगा। इन्हें घरेलू बाज़ार में उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनुमति हासिल करने वाले पार्कों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में स्थापित होने वाला एक-एक पार्क शामिल है, जबकि उत्तराखंड और गुजरात ने भी इस तरह के पार्क स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार से संपर्क किया था।
- एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश के रिटेल मार्केट में मेडिकल डिवाइस का कारोबार करीब 70 हजार करोड़ रुपए का है।
- इन उपकरणों के मामले में भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है। इसके बावजूद भारतीय मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री बहुत छोटी है।
- इस क्षेत्र में भारत अपनी ज़रूरत के लिये आयात पर निर्भर है। मेडिकल डिवाइस पार्कों के निर्माण के बाद इस स्थिति सुधार आएगा तथा इससे 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।
- इन पार्कों में इलाज में काम आने वाले उपकरण बनाने के लिये कंपनियों को सभी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे इन महंगे उपकरणों के आयात पर आने वाले खर्च में कमी आएगी, साथ ही उत्पादन लागत घटने से ये उपकरण कम दाम पर उपलब्ध होंगे।
- गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉयल टेस्टिंग के लिये CFC की स्थापना को मंज़ूरी दी है।

नोट :

'वन नेशन-वन पे डे' सिस्टम

- औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, खासतौर पर कामकाजी वर्ग (Working Class) के कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार वन नेशन-वन पे डे सिस्टम पर विचार कर रही है।
- यदि यह सिस्टम लागू हो जाता है तो पूरे देश में औपचारिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक ही दिन वेतन मिलेगा।
- सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्युरिटी इंडस्ट्री की ओर से सिक्युरिटी लीडरशिप समिट 2019 में इस बात पर बल दिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान के लिये पूरे देश में हर महीने एक दिन वेज-डे के लिये निश्चित होना चाहिये। सरकार इस कानून को जल्द पारित चाहती है।
- इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) तय करने की दिशा में काम चल रहा है।
- श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके तहत 44 जटिल श्रम कानूनों में सुधार का कार्य किया गया है।
- केंद्र सरकार ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और कोड ऑन वेजेस को लागू करने पर काम कर रही है। संसद पहले ही इन कानूनों को पास कर चुकी है। कोड ऑन वेजेस को लागू करने के लिये सरकार ने फ्रेमवर्क जारी कर दिया है।
- प्राइवेट सिक्युरिटी आज एक बड़ी रोज़गार प्रदाता इंडस्ट्री है। मौजूदा समय में करीब 90 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।

मानव अंतरिक्ष मिशन के लिये 12 पायलटों का चयन

- भारत के अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के पहले मिशन 'गगनयान' के लिये फाइनल ट्रेनिंग हेतु रूसी विशेषज्ञों की मदद से भारतीय वायु सेना (IAF) के 12 पायलटों को चुना गया है। इन सभी को 60 पायलटों में से चुना गया है।
- ये सभी रूस में यूरी गगारिन/गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 45 दिनों के शुरुआती अभ्यास के लिये गए थे। इनमें से 7 अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और अगले चरण के कठिन अभ्यास के लिये भारत लौटेंगे।
- इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद तीन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया जाएगा जो भारत के वर्ष 2022 के मिशन का हिस्सा होंगे। इन 'गगनयात्रियों' की ट्रेनिंग अगले साल रूस के गगारिन सेंटर में शुरू होगी। हालाँकि यह स्वास्थ्य मानकों पर की जाने वाली चयन प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रूस के साथ हुए समझौते के तहत भारत के पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन में रूस मदद कर रहा है। इसमें चयन से लेकर ट्रेनिंग और तकनीकी जानकारी तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी शामिल है।

डेज़ ऑफ मॉस्को

- भारत और रूस के बीच मैत्री संबंधों में मज़बूती के लिये देश की राजधानी नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम डेज़ ऑफ मॉस्को का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों की राजधानियों के बीच संपर्क बढ़ाना है।
- इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग और मॉस्को प्रशासन ने मिलकर किया।
- डेज़ ऑफ मॉस्को एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य दोनों शहरों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक खेलकूद, शैक्षिक और शहरी विकास क्षेत्र में संपर्क बढ़ाना है।
- यह मास्को में अवसरों का पता लगाने के लिये दिल्ली के छात्रों, नागरिकों और व्यापारिक समुदाय के लिये एक अनूठा कार्यक्रम है।
- इसमें कला और संस्कृति, विरासत, खेल एवं आपसी सहयोग के अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न गतिविधियों की पहचान की गई।
- यह व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों शहरों की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और कई क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारी की अपार संभावनाओं का पता लगाने के लिये आयोजित किया गया।

दिल्ली वायु प्रदूषण पर भारत-ब्रिटेन सहयोग

- ब्रिटेन और भारत के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिये मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं।
- मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने इसके लिये भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास से सहयोग किया है।

नोट :

- उनका नया और वर्तमान में चल रहा अध्ययन प्रदूषण के संकट के पीछे के कारणों की पहचान करेगा।
- बदलते मौसम में फसलों के अवशेषों को जलाया जाना भी प्रदूषण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

यह शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इससे जो कुछ जानकारियाँ मिली हैं उनसे पता चलता है कि शहर भर में पार्टिकुलेट मैटर (PM) के संकेंद्रण में कुछ भिन्नता है, लेकिन इसमें अलग-अलग स्रोतों का योगदान लगभग समान है।

फिनटेक स्टार्टअप्स के लिये VISA का Innovation Program

- हाल ही में वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क वीज़ा ने भारत में वीज़ा एवरीवेयर इनिशिएटिव (VEI) शुरू करने की घोषणा की है।
- यह बाज़ार में मौजूद डिजिटल भुगतान चुनौतियों को हल करने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाले फिनटेक स्टार्टअप को खोजने वाला एक नवाचार कार्यक्रम है।
- इसके तहत इच्छुक फिनटेक स्टार्टअप 13 नवंबर से 25 दिसंबर, 2019 तक वीज़ा एवरीवेयर इनिशिएटिव के लिये आवेदन भेजकर इसमें भाग ले सकते हैं।
- शॉर्टलिस्ट किये गए फिनटेक स्टार्टअप के पास मार्च 2020 तक विशेषज्ञ पैनल को अपने प्रस्तावित समाधान दिखाने का अवसर होगा, जिसके आधार पर विजेता की घोषणा की जाएगी।
- फिनटेक स्टार्टअप्स प्रोग्राम के लिये नामांकन करते हुए उन विषयों पर काम करना होगा, जो भारत में डिजिटल भुगतान के उच्च मानकों को अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।
- वीज़ा एवरीवेयर इनिशिएटिव के माध्यम से भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जा सकेगा जिसका उद्देश्य भारत में भुगतान के तरीकों में बदलाव लाना है।
- विदित हो कि वीज़ा एवरीवेयर इनिशिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2015 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था और बाद में 100 देशों तक इसका विस्तार किया गया।

गांधियन चैलेंज

- यूनिसेफ और माई गॉव की सहायता से नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने गांधियन चैलेंज के शीर्ष 30 विजेताओं की घोषणा की, जिसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में आयोजित किया गया था।
- गांधियन चैलेंज में वैश्विक तापन, बढ़ती हिंसा एवं असहिष्णुता आदि जैसी नई वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित समाधानों पर प्रश्न पूछे गए थे।
- कक्षा 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों से दो श्रेणियों– कला एवं नवाचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के तहत प्रविष्टियाँ मांगी गई थीं।
- महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पढ़ने और समझने तथा नई वैश्विक चुनौतियों के समाधान में उन्हें लागू करने के लिये प्रोत्साहित करना इस चैलेंज का लक्ष्य था।

इस चैलेंज को बाल अधिकार सम्मेलन (Children Rights Cinference-CRC) की 30वीं वर्षगांठ के वैश्विक आयोजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 20 नवम्बर, 1989 को विश्व भर के नेता एकत्रित हुए थे और बचपन पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते– CRC को लागू किया था। इससे बच्चों के जीवन में सुधार लाने में मदद मिली है। प्रत्येक वर्ष 20 नवम्बर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है।

ग्लोबल बायो-इंडिया कार्यक्रम

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग अपने सार्वजनिक उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से ग्लोबल बायो-इंडिया सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज और इनवेस्टर इंडिया भागीदार रहे।
- भारत में पहली बार ग्लोबल बायो-इंडिया का आयोजन किया गया और इससे अकादमियों, नवोन्मेषकों, शोधकर्त्ताओं, मध्यम और बड़ी कंपनियों को एक मंच उपलब्ध होगा।

नोट :

- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करने के लिये एक प्रमुख इंजन माना जाता है।
- इस सम्मेलन ने जैव-फार्मा, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाओं तथा संबंधित क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान करने, अवसरों का सृजन करने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, नियामक निकायों, MSMEs, बड़े-बड़े उद्यमियों, जैव समूहों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों, इनक्यूबेटर, स्टार्ट-अप और अन्य सहित वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों को साथ लाने के लिये यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

उत्तराखंड में पशुओं की UID टैगिंग

- प्रदेश के 12 ज़िलों में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के साथ ही उनकी UID टैगिंग की जाएगी।
- इसके लिये पशुपालन विभाग ने प्रत्येक जनपद में 100 गाँवों को चिन्हित किया है।
- मार्च 2020 तक एक गाँव से दो पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कर टैगिंग करने का लक्ष्य रखा गया है।
- टैगिंग के बाद नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के एप पर पंजीकरण किया जाएगा। इससे पशुओं को लावारिस छोड़ने पर मालिक का पता चल सकेगा, साथ ही पशुओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्र ने विदित हो कि पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देने को पशु प्रजनन के लिये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना शुरू की है।
- राज्य में पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार जनपद में चलाया गया था। अब ऊधमसिंह नगर को छोड़ कर सभी 12 ज़िलों में छह माह के इस योजना को चलाया गया है।
- इसमें दुधारू पशु का कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद UID टैगिंग की जाएगी, जिसमें 12 अंकों का टैग पशु को लगाया जाएगा। टैगिंग से पशु का पंजीकरण ऑनलाइन होगा।
- इससे विभाग के पास पशु के उपचार का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। यदि कोई किसान पशु को लावारिस छोड़ देता है तो टैगिंग से मालिक की पहचान हो जाएगी।
- हर गाँव से 200 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य रखा है। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पाद बढ़ेगा, पशु नस्ल में सुधार होगा तथा साथ ही UID टैगिंग से लावारिस पशुओं की समस्या भी दूर होगी।

SCO स्थायी कार्य समूह की 5वीं बैठक

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के सदस्य देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विभागों तथा विज्ञान एवं टेक्नालॉजी सहयोग पर स्थायी कार्य समूह की 5वीं बैठक रूस के मॉस्को में आयोजित हुई।

- SCO के 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने 3 दिन की बैठक के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 5वीं बैठक के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये।
- SCO के युवा वैज्ञानिकों तथा अन्वेषकों की बैठक वर्ष 2020 में आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।
- वर्ष 2020 के अंत तक SCO बहुपक्षीय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिये संयुक्त प्रतिस्पर्द्धाआयोजित करने की भी मंज़ूरी दी।
- संयुक्त प्रतिस्पर्द्धा तथा निधि और वित्तीय समर्थन व्यवस्था बाद में तैयार की जाएगी।
- गौरतलब है कि भारत वर्ष 2020 में SCO सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेज़बानी करेगा।
- इस शिखर बैठक में वर्ष 2021-2023 के लिये SCO सदस्य देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के प्रारूप रोडमैप को मंज़ूरी दी जाएगी।

SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी। उज़्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल, 1996 में गठित 'शंघाई पाँच' समूह के सदस्य हैं। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर भी ध्यान देना SCO का प्रमुख उद्देश्य है।

नोट :

रोहतांग टनल

लेह-मनाली नेशनल हाइवे पर बनाई जा रही 8.8 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग अगले छह महीने में चालू होने की संभावना है।

- देश की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक रोहतांग सुरंग हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे 10,171 फुट की ऊँचाई पर बनाई जा रही है।
- यह मनाली और जनजातीय ज़िले लाहौल-स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलांग के बीच की दूरी को लगभग 45 किलोमीटर कम कर देगी।
- गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रोहतांग को भी गिना जाता है। जून के महीने में यहाँ भारी मात्रा में सैलानी आते हैं।
- दिसंबर में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के बाद इसे बंद कर दिया जाता है और जून में इसे फिर से पर्यटकों के लिये खोल दिया जाता है।
- रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पहाड़ी रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है।
- रोहतांग सुरंग पर लगभग 2700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी नॉर्थ पोर्टल को जोड़ने वाली सड़कों, स्नो गैलरी और पुलों के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

सामरिक महत्त्व: भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर रोहतांग सुरंग सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सेना तक रसद पहुँचाने का काम भी आसान हो जाएगा।

सुमात्रन गैंडा

- मलेशिया में सुमात्रा प्रजाति का अब एक भी गैंडा नहीं बचा है। बोर्नियो द्वीप स्थित मलेशिया के सबा प्रांत में हाल ही में इमान नामक अंतिम मादा गैंडे की मौत हो गई।
- 25 साल की इमान कैंसर से पीड़ित थी। गौरतलब है कि मलेशिया के अंतिम नर गैंडे की मौत छह महीने पहले ही हो चुकी है। वह मलेशिया के सबा राज्य में बोर्नियो द्वीप पर इमान के साथ उसी रिज़र्व में रहता था।
- विलुप्त होने के कगार पर पहुँची इस प्रजाति के अब सिर्फ 80 गैंडे ही बचे हैं जो इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो के वनों में निवास करते हैं।
- इस प्रजाति के अस्तित्व को मुख्य खतरा जलवायु परिवर्तन और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिये बड़े पैमाने पर होने वाले इनके शिकार से है। ऐसे में इनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है और यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई है।
- गैंडों की सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रा राइनो को वर्ष 2015 में मलेशिया में विलुप्त घोषित किया गया था। पूरे विश्व में गेंडे की 5 प्रजातियाँ हैं। दो प्रजातियाँ अफ्रीका में और तीन प्रजातियाँ एशिया में पाई जाती हैं। सुमात्राई गैंडा सबसे छोटी प्रजाति का होता है।

विश्व स्तर पर 22 सितम्बर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से गैंडे की पाँच प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये मनाया जाता है. यह पाँच प्रजातियाँ- हैं काला, सफेद, एक सींग वाला गैंडा एवं सुमात्रा और जावा गैंडा।

राज्यपालों का 50वाँ सम्मेलन

- राज्यपालों का 50वाँ सम्मेलन नई दिल्ली में 23-24 नवंबर, 2019 को जनजातीय कल्याण एवं जल, कृषि, उच्च शिक्षा तथा जीवन की सुगमता पर बल दिये जाने के साथ संपन्न हुआ।
- राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस सम्मेलन में राज्यपालों के पाँच समूहों ने इन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी,ऐसे बिंदुओं की पहचान तथा गहन विचार विमर्श किया जिनके संबंध में राज्यपाल मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।
- सम्मेलन में जनजातीय कल्याण के मुद्दे पर विशेष बल दिया गया।
- गौरतलब है कि राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था में बेहद महत्त्वपूर्ण है और राज्यपालों को अपनी भूमिका से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिये।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2022 में भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ और वर्ष 2047 में 100वीं वर्षगाँठ मनाएगा। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी को देश के लोगों के करीब लाने और उन्हें सही राह दिखाने में राज्यपाल की भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

नोट :

IIT कानपुर का ड्रोन 'प्रहरी'

IIT-कानपुर के शोधार्थियों ने 'प्रहरी' नामक एक ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन न सिर्फ 4-5 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है, बल्कि किसी संवेदनशील क्षेत्र में लगातार तीन घंटे तक गश्त भी कर सकता है। इस ड्रोन का उपयोग निगरानी से लेकर भीड़ को नियंत्रित करने, आपातकाल में आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करने, किसी स्थिति विशेष का पता लगाने आदि में किया जा सकता है। इस ड्रोन में एडवांस ऑटो-पायलट सिस्टम है, यह अन्य ड्रोन को पकड़ने के दौरान वज़न के बढ़ने से होने वाले अचानक बदलाव को संभालने में सक्षम है। इसे खासतौर पर सीमा पर निगरानी रखने के लिये और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया गया है। यह सशस्त्र बलों द्वारा सीमा क्षेत्रों की निगरानी रखने में मदद करने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुश्मनों के ड्रोन को पकड़ने में भी काफी मददगार हो सकता है।

लोकपाल का लोगो और मोटो

नवगठित लोकपाल ने अपने प्रतीक चिह्न (Logo) और ध्येय वाक्य (मोटो) लॉन्च कर दिया है। 'इशावस्या उपनिषद' के एक श्लोक "मा गृधाह कस्यस्विधनम्" को 'ध्येय वाक्य' चुना गया है जिसका अर्थ है- 'किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हासिल करने का लोभ न करें।'

त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के आधार पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले प्रशांत मिश्र के डिज़ाइन को लोकपाल के 'लोगो' के लिये चुना गया है। यह 'लोगो' लोकपाल के शाब्दिक अर्थ पर आधारित है। इसमें 'लोक' का अर्थ जनता और 'पाल' का मतलब देखभाल करने वाला है। 'लोगो' में तीन रंग हैं जो लोकपाल के राष्ट्रीय तत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के तहत गठित लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कुछ विशेष श्रेणियों के नौकरशाहों/पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 23 मार्च,2019 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई थी।

47वाँ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन

47वाँ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन लखनऊ में 27-28 नवंबर, 2019 को आयोजित हुआ। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारियों ने इस वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में छह विषय चर्चा के लिये रखे गए थे। इनमें पुलिस सुधार, फॉरेंसिक विज्ञान और जाँच तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कट्टरपंथ से निपटने में सोशल मीडिया की भूमिका, पुलिस कर्मियों के समुचित दृष्टिकोण और एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली जैसे विषय शामिल थे। इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश पुसिल ने गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के सहयोग से किया।

इसरो का 'विक्रम' प्रोसेसर

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भविष्य में सभी भारतीय रॉकेटों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने के लिये स्वदेश निर्मित विक्रम प्रोसेसर बनाया है। 'विक्रम" प्रोसेसर ने 27 नवंबर को 'कार्टोसैट-3' सैटेलाइट के साथ लॉन्च किये गए PSLV-C47 रॉकेट का मार्गदर्शन किया। गौरतलब है कि PSLV-C47 रॉकेट में पहली बार स्वदेश निर्मित प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। PSLV-C47 रॉकेट को 'विक्रम' प्रोसेसर के साथ फिट किया गया था, जिसे चंडीगढ़ स्थित सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष विभाग के तहत डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया गया था। 'विक्रम' प्रोसेसर का उपयोग रॉकेट के नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण व सामान्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिये भी किया जा सकता है।

जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने विलुप्ति के कगार पर पहुँचे गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिये महराजगंज में 'जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र' बनाने का फैसला किया है। गोरखपुर वन प्रभाग के में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह केंद्र बनाया जा रहा है। संरक्षण व प्रजनन केंद्र से संबंधित सर्वेक्षण का 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है। यह केंद्र हरियाणा के पिंजौर में बने देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिये महराजगंज की तहसील फरेंदा के गाँव भारी-वैसी का चयन किया गया है। इसका निर्माण वन्यजीव अनुसंधान संगठन और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर करेंगे। कैंपा योजना के तहत इसके लिये धन की व्यवस्था की जाएगी। कैंपा (CAMPA-Compensatory Afforestation Management & Planning Authority) फंड का इस्तेमाल

नोट :

वनों के कटने से होने वाले नुकसान, पर्यावरण संरक्षण, खनन और विकास उपक्रम की स्थापना की वजह से विस्थापित लोगों की मदद के लिये किया जाता है। गौरतलब है कि महाराजगंज वन प्रभाग के मधवलिया रेंज में अगस्त माह में 100 से अधिक गिद्ध देखे गए थे। प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए गो-सदन के पास भी यह झुंड दिखा था। गो-सदन में निर्वासित पशु रखे जाते हैं, जो वृद्ध होने के कारण जल्दी ही मर जाते हैं। मृत पशुओं के मिलने से यहां गिद्धों का दिखना भी स्वभाविक है। इसीलिये भारी वैसी गाँव का चयन किया गया है। वर्ष 2013-14 की गणना के अनुसार राज्य के 13 ज़िलों में करीब 900 गिद्ध थे।

चक्रवात महा

हाल ही में केप केमोरिन/कोमोरिन (भारत के दक्षिणी छोर के पास स्थित) के समीप उत्पन्न निम्न वायुदाब एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है जिसे चक्रवात महा (Maha) का नाम दिया गया है।

- इस चक्रवात का नामकरण ओमान द्वारा किया गया है।
- यह चक्रवात लक्षद्वीप, दक्षिण-पूर्व अरब सागर तथा मालदीव के आसपास के क्षेत्रों के आसपास सक्रिय है।
- चक्रवाती तूफान महा, वर्ष 2019 में उत्तर-पूर्व मानसून से उत्पन्न दूसरा चक्रवाती तूफान है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अरब सागर में दो चक्रवाती तूफान सक्रिय हैं। इससे पहले सक्रिय चक्रवात क्यार (Kyarr) अरब प्रायद्वीप की ओर बढ़ गया है।

कॉस्मिक येती

हाल ही में खगोलविदों को आकस्मिक रूप से प्रारंभिक समय के ब्रह्मांड की एक विशालकाय आकाशगंगा के चिह्नों का पता चला है, इसे कॉस्मिक येती (Cosmic Yeti) की संज्ञा दी गई है।

कॉस्मिक येती के बारे में:

- इस प्रकार के चिह्न पहले कभी नहीं देखे गए।
- कॉस्मिक येती के अस्तित्व के साक्ष्यों की कमी के कारण खगोलविद इन्हें लोक कथाओं से संबंधित मानते थे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खगोलविदों ने पहली बार ऐसी आकाशगंगा की तस्वीर खींचने में सफलता प्राप्त की है।
- हाल ही के अध्ययन में पाया गया कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से कुछ बहुत तेज़ी से परिपक्व हुईं हैं जिन्हें अभी तक सैद्धांतिक रूप से नही समझा गया है।
- यह नई खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कारकों का पता लगाने में मददगार साबित होगी।
- खगोलविदों का मानना है कि इस आकाशगंगा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 12.5 बिलियन वर्ष लगे हैं।
- यह खोज अटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऐरे (Atacama Large Millimeter Array- ALMA) द्वारा की गई है।

अटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऐरे (Atacama Large Millimeter Array- ALMA)

- ALMA को कनाडा, ताइवान और दक्षिणी कोरिया के साथ यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Observatory- ESO), संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (National Science Foundation- NSF) तथा जापान के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संस्थान (National Institutes of Natural Sciences- NINS) के सहयोग से चिली मंझ स्थापित किया गया है।
- ALMA एक एकल दूरबीन है जो 66 सुस्पष्ट एंटीना के साथ उत्तरी चिली के चज़नंतोर पठार (Chajnantor plateau) पर अवस्थित है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Manager's Index- PMI) सितंबर (51.4) से अक्तूबर (50.6) में गिरकर दो वर्ष के सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

नोट :

PMI क्या है?

- PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है।
- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है।
- PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग-अलग की जाती है तथा फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है।
- PMI में 0 से 100 तक की संख्या होती है।
- 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है जबकि 50 से नीचे का आँकड़ा संकुचन (गिरावट) को दर्शाता है।
- PMI की तुलना पिछले माह के आँकड़ो से करके भी विकास या संकुचन का पता लगाया जा सकता है।
- PMI निवेशकों के साथ-साथ बॉण्ड बाज़ारों की स्थिति को भी दर्शाता है।

कुलिकोइड्स मक्खी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department Of Science & Technology) द्वारा कराए गए एक शोध के अनुसार, कुलिकोइड्स मक्खी (Culicoides Bee) के काटने से जानवरों की मौत हो रही है।

कुलिकोइड्स मक्खी के बारे में:

- इसका आकर चींटी से कई गुना छोटा होता है।
- यह मक्खी ब्लूटंग (Bluetongue) वायरस की वाहक है जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस ब्रीड कर लाई गई भेड़ों में पाया गया।
- इसके काटने के बाद जानवरों की जीभ नीली पड़ जाती है तथा वे कमज़ोर हो जाते हैं।
- इसके कारण उत्तर प्रदेश में ही प्रत्येक वर्ष लगभग 400 जानवरों की मौत हो रही है।
- इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि राज्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

युवाह पहल

हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा चलाई गई युवाह पहल (YuWaah Initiative) को लॉन्च किया है।

युवाह पहल:

- इसका लक्ष्य 10 से 14 वर्ष के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा वर्ष 2030 तक निजी क्षेत्रों के साथ कार्य करके 50 मिलियन युवा महिलाओं तथा 50 मिलियन युवाओं को इच्छुक आर्थिक अवसर प्रदान कराना है।
- विश्व के किशोरों की कुल जनसंख्या का 21% हिस्सा भारत में निवास करता है।
- यह पहल भारत में लिंगानुपात की चुनौती को भी कम करने में मददगार साबित होगी।
- भारत इस प्रकार की पहल की शुरूआत करने वाला विश्व का पहला देश है।
- यह पहल वर्ष 2018 में न्यूयॉर्क में हुए 'ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड' (Global Generation Unlimited) आंदोलन से संबंधित है।

ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड

- ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड की शुरुआत वर्ष 2018 में UNICEF द्वारा की गई थी।
- यह सभी देशों को युवाओं की शिक्षा, कौशल और सशक्तीकरण हेतु समर्थन करने तथा विस्तार करने के लिये एक एजेंडा प्रदान करता है।

नोट :

एलिफेंट बॉण्ड

हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (High Level Advisory Group- HLAG) ने सरकार को एलिफेंट बॉण्ड (Elephant Bonds) जारी करने का सुझाव दिया है।

एलिफेंट बॉण्ड के बारे में:

- एलिफेंट बॉण्ड किसी राष्ट्र द्वारा जारी 25 वर्षीय सॉवरेन बॉण्ड होते हैं।
- ये बॉण्ड उन लोगों को जारी किये जाते हैं जो अपनी पहले से अघोषित आय को घोषित करते हैं।
- बॉण्ड ग्राहक अपनी अघोषित आय का 40% एलिफेंट बॉण्ड में निवेश करेंगे तथा उन्हें एक निश्चित कूपन प्रतिभूति (Fixed Coupon Security) जारी की जाएगी।

HLAG के बारे में:

- HLAG को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत स्थापित किया गया था।

सुझाव:

- उच्च-स्तरीय व्यापार पैनल का अनुमान है कि इससे भारत के विदेशों में जमा काले धन का लगभग 500 बिलियन डॉलर तक प्राप्त किया जा सकता है।
- इससे वास्तविक ब्याज दर में भारी कमी आएगी तथा रुपए को मज़बूती प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।
- इन बॉण्ड से प्राप्त राशि का उपयोग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा।
- इसके अलावा बॉण्ड से प्राप्त राशि का 45% जमाकर्त्ता के पास जमा की जाएगी तथा शेष 15% राशि सरकार द्वारा कर के रूप में वसूली जाएगी।
- आय घोषित करने वालों को "विदेशी मुद्रा, काले धन कानूनों (Foreign Exchange, Black Money Laws) और कराधान कानूनों सहित सभी कानूनों से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।
- अघोषित संपत्ति वाले लोग केवल 15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगे और एलिफेंट बॉण्ड के प्रावधानों के तहत उनके लिये कोई दंड नहीं होगा।
- इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देशों ने भी बिना किसी दंड के जोखिम के अघोषित आय का खुलासा करने वाले व्यक्तियों के लिये कर माफी योजनाएँ शुरू की हैं।

ब्राउन ब्लॉटेड बंगाल ट्री फ्रॉग

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में मेंढक की एक प्रजाति ट्री फ्रॉग (Tree Frog) की उप-प्रजाति का पता लगाया है।

- इस नई प्रजाति का नाम ब्राउन ब्लॉटेड बंगाल ट्री फ्रॉग (Brown Blotched Bengal Tree Frog) है।
- ब्राउन ब्लॉटेड बंगाल ट्री फ्रॉग को पोलिपेडेट्स (Polypedates) वर्ग के तहत मध्यम आकार के मेंढक के रूप में 26वीं प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है।
- पॉलीपेडेट्स पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले मेंढक (Tree Frog) का एक वर्ग है।

नियामक सैंडबॉक्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox) स्कीम के तहत खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु नए उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं।

- विनियामक सैंडबॉक्स, नियंत्रित परिस्थितियों में नए उत्पादों या सेवाओं के परीक्षण को संदर्भित करता है।
- इस परीक्षण के सफल होने के बाद उन उत्पादों और सेवाओं को व्यापक स्तर पर लागू किया जाता है।
- सैंडबॉक्स विनियामक परीक्षण के दौरान उत्पादों और सेवाओं पर कुछ छूट भी प्रदान की जा सकती है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुँच सके।
- इसके अलावा सैंडबॉक्स विनियामक का उद्देश्य फिनटेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है, साथ ही इसके माध्यम से कंपनियों और उपभोक्ताओं को एक सहज वातावरण भी प्रदान करना है।

नोट :

फिनटेक क्या है ?

- फिनटेक (FinTech) Financial Technology का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है।
- दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है।

"विज्ञान समागम"

हाल ही में विश्व की प्रमुख मेगा विज्ञान परियोजनाओं को एक साथ लाकर भारत की वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी "विज्ञान समागम" का कोलकाता के साइंस सिटी में उदघाटन किया गया।

विज्ञान समागम प्रदर्शनी

- विज्ञान समागम प्रदर्शनी का मुंबई और बंगलूरू के बाद अब कोलकाता में 4 नवंबर से 31 दिसंबर, 2019 तक आयोजन किया जायेगा।
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस परियोजना का वित्तपोषण किया जा रहा है।
- इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (National Council of Science Museums-NCSM) इस प्रदर्शनी के आयोजन में भागीदार है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और यह देश का सबसे बड़ा वार्षिक वैज्ञानिक आयोजन बन गया है।

उद्देश्य

- विज्ञान समागम का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को ब्रह्मांड के रहस्यों और क्रमिक विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है।
- इसके अलावा उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कॅरियर बनाने हेतु उत्साहित और प्रेरित करना है जिससे वे राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी एवं वृद्धि में योगदान दे सकें।
- विज्ञान समागम के अंतिम चरण के बाद इसका आयोजन 21 जनवरी से 20 मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया जाएगा।
- इसके बाद यह नई दिल्ली में एक स्थायी प्रदर्शनी बनेगी जिसकी देखभाल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद करेगी।

पर्वतीय पिग्मी पोस्सम

न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी (University of New South Wales-UNSW) के शोधकर्त्ता, पिग्मी पोस्सम (Pygmy Possum) के संरक्षण के लिये उसके आवास स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं।

वैज्ञानिक नाम

- इसका वैज्ञानिक नाम बुरामिस पर्वुस (Burramys Parvus) है।

पर्वतीय पिग्मी पोस्सम

- पिग्मी पोस्सम अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्तनधारी है।
- वर्तमान में बर्फबारी का कम होना और तापमान बढ़ना इसके आवास के लिये खतरा बन रहा है जिसके कारण यह लुप्त होने के कगार पर है।
- वर्तमान में इसकी संख्या घटकर 2500 से भी कम हो गई है।

संरक्षण स्थिति

- पर्वतीय पिग्मी पोस्सम को IUCN की रेड डेटा बुक के अनुसार गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।

व्हाइट गुड्स सेक्टर

हाल ही में निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, दीपावली के अवसर पर व्हाइट गुड्स सेक्टर (White Goods Sector) तथा अन्य घरेलू उपकरणों की मांग में लगभग 20-35% की वृद्धि देखी गई है।

नोट :

व्हाइट गुड्स क्या हैं ?

- व्हाइट गुड्स बड़े घरेलू उपकरण जैसे- स्टोव, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वाशिंग मशीन, टम्बल ड्रिकर्स, डिशवॉशर और एयर कंडीशनर आदि होते हैं।
- ये ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं जो सामान्यत: सफेद रंग में ही उपलब्ध होते हैं।
- एक विस्तृत श्रृंखला में विभिन्न रंगों में खरीदने के उपरांत भी इन्हें व्हाइट गुड्स ही कहा जाएगा।
- इनकी समग्र वृद्धि दर 35% है।
- प्रीमियम उत्पादों में लगभग 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

मांग में वृद्धि का कारण

- उत्पादों की उच्च गुणवत्ता, उपभोक्ताओं के लिये आकर्षक ऑफर, सुविधाजनक वित्तपोषण के विकल्प आदि मांग में वृद्धि के कारक हैं।

भारत का नया मानचित्र

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से समाप्त करके जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके दो नए संघशासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का पुनर्गठन किया गया।

- वर्ष 1947 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्न 14 जिले थे – कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुँछ, मीरपुर, मुज़फ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास तथा ट्राइबल टेरिटरी।
- वर्ष 2019 में भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा इन 14 ज़िलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 ज़िलों में परिवर्तित कर दिया गया है।
  - नए ज़िले इस प्रकार हैं – कुपवारा, बान्दीपुर, गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपियाँ, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवार, साम्बा और कारगिल।
- नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह दो ज़िले हैं तथा जम्मू-कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य का शेष हिस्सा है।
  - कारगिल ज़िले को लेह और लद्दाख ज़िले के क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है।
- इस आधार पर भारत के मानचित्र में 31 अक्तूबर, 2019 को सृजित नए जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को दर्शाते हुए सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया (Surveyer General Of India) द्वारा तैयार किया गया मानचित्र इस प्रकार है।

स्किल बिल्ड प्लेटफार्म

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSDE) के तहत कार्यरत प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training- DGT) द्वारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी IBM (International Business Machines) के सहयोग से स्किल बिल्ड प्लेटफार्म कार्यक्रम (Skills Build platform) की शुरुआत की गई।

- इस प्लेटफॉर्म के तहत IBM के सहयोग से आईटी नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा दो वर्ष का एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- यह प्लेटफॉर्म छात्रों को MyInnerGenius (माई इनर जिनियस) के माध्यम से ज्ञान संबंधी क्षमताओं और व्यक्तित्व से संबंधित स्व-आकलन की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह प्लेटफॉर्म उन्नति और एडुनेट फाउंडेशन जैसे प्रमुख गैर सरकारी संगठनों की सहायता से शुरू किया गया है।

उद्देश्य

- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल जैसे कि बायो-डेटा तैयार करना, समस्या समाधान और संचार संबंधी मूलभूत ज्ञान प्रदान करना है।

नोट :

- यह पहल रोज़गार के लिये श्रम बल तैयार करने तथा नए कॉलर कॅरियर्स (New Collar Carriers) के लिए आवश्यक, अगली पीढ़ी के कौशलों का निर्माण करने की IBM की वैश्विक प्रतिबद्धता का अंग है।
- स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म भारत में आजीवन शिक्षण संभव बनाने और भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल के साथ समायोजन के प्रति IBM की संकल्पबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

नासा का वॉयजर-2 अंतरिक्षयान

नासा का वॉयजर-2 अंतरिक्षयान सौरमंडल की परिधि (Heliosphere) के बाहर इंटरस्टेलर क्षेत्र (Interstellar Space) में पहुँचने वाला दूसरा यान बन गया है।

वॉयजर-2

- वॉयजर-2 को 20 अगस्त, 1977 को लॉन्च किया गया था तथा इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर, 1977 को वॉयजर-1 लांच किया गया था।
- अंतरिक्षयान पर लगे प्लाज़्मा तरंग यंत्र पर प्लाज़्मा घनत्व की रीडिंग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वॉयजर-2 ने 5 नवंबर, 2018 को इंटरस्टेलर क्षेत्र में प्रवेश किया था।
- वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज़्मा का बढ़ा हुआ घनत्व इस बात की पुष्टि करता है कि अंतरिक्षयान सौर हवाओं के गर्म और कम घनत्व वाले प्लाज़्मा के घेरे से बाहर निकलते हुए ठंडे एवं अधिक प्लाज़्मा घनत्व वाले इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहा है।
- वॉयजर-2 से मिले प्लाज़्मा घनत्व के आँकड़े वॉयजर-1 के घनत्व के आँकड़ों से मिलते हैं
  - वॉयजर-2 से पहले नासा का ही वॉयजर-1 इस सीमा के पार पहुँचा था।
  - वायेजर-1 के बाद वॉयजर-2 इंटरस्टेलर क्षेत्र में पहुँचने वाला दूसरा मानव निर्मित अंतरिक्षयान बन गया है।
- वॉयजर-2 और वॉयजर-1 के इंटरस्टेलर क्षेत्र में पहुँचने पर यह ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में सौर हवाओं कि एक मज़बूत सीमा बनी हुई है।
- वॉयजर-1 और वॉयजर-2 ने अलग-अलग पथ से होते हुए सूर्य से लगभग बराबर दूरी पर इंटरस्टेलर क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पता चलता है कि हेलियोस्फेयर का आकार सममित (Symmetric) है।
  - हेलियोस्फेयर और इंटरस्टेलर
- सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फेयर और इसकी सीमा से बाहर के क्षेत्र को इंटरस्टेलर कहा जाता है।

बंजर भूमि एटलस- 2019

हाल ही में देश की बंजर भूमि हेतु डेटाबेस की उपलब्धता के महत्त्व को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बंजर भूमि एटलस-2019 (Wastelands Atlas– 2019) का विमोचन किया।

- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre- NRSC) द्वारा भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए बंजर भूमि मानचित्रण को 'बंजर भूमि एटलस- 2019' के पांचवें संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया है।
  - इससे पहले भूमि संसाधन विभाग ने अंतरिक्ष विभाग (Space Department) के NRSC के सहयोग से भारत के बंजर भूमि एटलस के वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2011 के संस्करण को प्रकाशित किया था।
- बंजर भूमि एटलस- 2019 में जम्मू-कश्मीर के अब तक के सर्वेक्षण नहीं किए गए 12.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।
- इसके अलावा एटलस में बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के ज़िले और राज्यवार विभाजन को प्रकाशित किया गया है।
- इस एटलस में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के बीच हुए परिवर्तनों को शामिल किया गया है।
- इसके अनुसार राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है।
- अधिकांश बंजर भूमि को फसलीकरण, वृक्षारोपण और औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया गया है।

नोट :

दनाकिल डिप्रेसन

नेचर एकोलोजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, दनाकिल (Danakil) पर सक्रिय और स्वाभाविक रूप से चलने वाला जीवन संभव नहीं है।

- यह उत्तरी-पूर्वी इथियोपिया में अवस्थित है तथा विश्व का सबसे गर्म स्थान के साथ-साथ विश्व के सबसे गहरे स्थानों में से एक है जिसकी गहराई समुद्र तल से 100 मीटर है।
- इसे रिफ्ट घाटी के उत्तरी छोर पर अवस्थित लाल सागर से एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा अलग किया जाता है।
- इस मैदान का निर्माण एक अंत:स्थलीय जल निकाय के वाष्पीकरण द्वारा हुआ था।
- दनाकिल में प्रवेश करने वाला सारा जल वाष्पित हो जाता है और यहाँ से जल की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है।
- यहाँ लगभग 10 लाख टन से अधिक लवण की मात्रा विद्यमान है।

कोर निवेश कंपनी

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India- RBI) द्वारा स्थापित तपन रे की अध्यक्षता में कार्यरत एक समूह ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (Core Investment Companies- CIC) के लिये कड़े कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव किया है।

- कोर निवेश कंपनियों (Core Investment Companies- CIC) पर लागू होने वाले विनियामक दिशा-निर्देशों और ढाँचे की समीक्षा करने के लिये RBI ने इस कार्यदल का गठन किया था।
- RBI के अनुसार, मौजूदा ढाँचा कंपनियों के जटिल कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को संभालने में असमर्थ है जिसके कारण उसकी समीक्षा करने और उसमें महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है।

कोर निवेश कंपनी

- CIC गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ((Non Banking Finance Comapnies- NBFC) हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक होती है और जो RBI की कुछ शर्तों के अधीन शेयरों एवं प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय करती हैं।
- इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बॉण्ड, डिबेंचर, ऋण या ऋण में निवेश के रूप में CIC अपनी शुद्ध संपत्ति का 90% से कम नहीं रख सकती हैं।
- 100 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति वाली CICs को RBI से पंजीकरण और विनियमन से छूट केवल तभी दी जाती जब वे वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करना चाहती हैं।

टाइगर ट्रायम्फ

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहला त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ (Tiger Triumph) का आयोजन 13-21 नवंबर, 2019 तक किया जाएगा।

- यह भारत और अमेरिका के बीच प्रथम त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास होगा तथा इसका मुख्य फोकस मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ऑपरेशन पर होगा।
- यह युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा तटों पर आयोजित किया जाएगा।
- इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से लगभग 1200 तथा अमेरिका की ओर से 500 सैनिक हिस्सा लेंगे।
- इसका आयोजन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (Integrated Defence Staff- IDS) के तहत किया जाएगा।
- यह ऐसा दूसरा अवसर होगा जब भारत थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित किसी दूसरे देश के साथ त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास करेगा।
- इससे पहले भारत ने रूस के साथ त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास 'इंद्र' में हिस्सा लिया था।

नोट :

बुलबुल चक्रवात

हाल ही में भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात बुलबुल को लेकर भारतीय राज्यों-पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिये ओरेंज अलर्ट जारी किया है।

- पूर्वी-मध्य और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी अंडमान सागर में बन रहा दबाव एक भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है।
- यह चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है।
- इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है।

बिलासुर्गम गुफा

आंध्र प्रदेश के कुन्नूर ज़िले में अवस्थित बिलासुर्गम गुफा (Billasurgam Caves) के जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है।

बिलासुर्गम गुफा का इतिहास:

- भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, ये गुफाएँ लगभग 5,000 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।
- इन गुफाओं की खोज सर्वप्रथम प्रसिद्ध ब्रिटिश भू-वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट (Robert Bruce Foote) ने वर्ष 1884 में की थी।
  - चेन्नई के पल्लावरम में पेलियोलिथिक काल के पत्थर के औजारों की खोज भी रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा की गई थी।
- बिलासुर्गम गुफा की खुदाई के दौरान पाए गए विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार, जानवरों के अवशेष और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्रागैतिहासिक काल में मानव गतिविधि के अस्तित्व को दर्शाते हैं।

ऑपरेशन माँ

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन माँ (Operation 'Maa') के माध्यम से इस वर्ष लगभग 50 युवक, आतंकी संगठनों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं।

ऑपरेशन माँ के बारे में:

- यह ऑपरेशन सेना के चिनार कोर द्वारा चलाया गया।
- यह एक प्रकार का मानवीय ऑपरेशन है जिसके अंतर्गत घरों से लापता हुए युवाओं का पता लगाकर और उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें वापस घर लाना था।

वैश्विक जलवायु आपातकाल Global Climate Emergency

हाल ही में दुनिया भर के 153 देशों के लगभग 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है।

वैश्विक जलवायु आपातकाल के आधार:

- बायोसाइंस ज़र्नल में भारत के 69 वैज्ञानिकों सहित विश्व के 11,258 हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के रुझान को प्रस्तुत किया तथा इससे निपटने के तरीकों को भी शामिल किया है।
- जलवायु आपातकाल की घोषणा 40 वर्षों से अधिक समय तक किये गए वैज्ञानिक विश्लेषण के डेटा पर आधारित है।
  - इस डेटा में ऊर्जा उपयोग, पृथ्वी का तापमान, जनसंख्या वृद्धि, भूमि क्षरण, वृक्षों की कटाई, ध्रुवीय बर्फ का द्रव्यमान, प्रजनन दर, सकल घरेलू उत्पाद और कार्बन उत्सर्जन सहित एक व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाले सार्वजनिक कारक शामिल है।
- वैज्ञानिकों ने उन छह क्षेत्रों को चिंहित किया है जिनमें मानव को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
  - इनमें ऊर्जा, अल्पकालिक प्रदूषक, प्रकृति, भोजन, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या शामिल हैं।

सुझाव:

वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-

- जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल

नोट :

- मीथेन गैस जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन रोकना
- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा
- वनस्पति जन्य भोजन का इस्तेमाल और मांसाहार भोजन न करना
- कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था का विकास
- जनसंख्या को कम करना

प्लायोसॉर

हाल ही में पोलैंड में अवस्थित स्वेतोक्रिज़्स्की पर्वत (Swietokrzyskie Mountains) के उत्तर में प्लायोसॉर (Pliosaur) सरीसृपों की अस्थियों के अवशेष पाये गए हैं।

प्लायोसॉर के बारे में:

- प्लायोसॉर एक प्रकार के विशालकाय मांसाहारी सरीसृप है जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में पाया जाता था।
  - इसलिये इन्हें समुद्री राक्षस की संज्ञा दी गई।
  - इन सरीसृपों की बड़ी खोपड़ी तथा बड़े एवं तीव्र दाँतों के साथ विशाल जबड़ा होता था।
- इन्हें सबॉर्डर प्लायोसाउरेडिया (Suborder Pliosauroidea) वर्ग में रखा गया है, इस वर्ग के सदस्यों को प्लायोसॉर कहा जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि ज़ुरैसिक काल में स्वेतोक्रिज़्स्की पर्वत एक द्वीपसमूह था इसके आसपास गर्म लैगून और छिछला समुद्री क्षेत्र था। यह समुद्री क्षेत्र जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए समुद्री सरीसृप का निवास स्थान था।
- जिन क्षेत्रों में अवशेषों की खोज की गई थी उन्हे समुद्री सरीसृपों के जीवाश्मों से समृद्ध माना जाता है।

डेमोसिल क्रेन

हाल ही में राजस्थान के जोधपुर के एक गाँव में लगभग 37 डेमोसिल क्रेन (Demoiselle crane) मृत पाई गई हैं।

- पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार, इन पक्षियों की मौत कीटनाशक युक्त खाद्यान्न के सेवन से हुई है।

डेमोसिल क्रेन के बारे में:

- सारस की प्रजाति डेमोसिल क्रेन को स्थानीय बोल चाल की भाषा में कुरजा कहा जाता है।
- ये प्रवासी पक्षी हैं जो साइबेरिया से हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करके भारत में प्रत्येक वर्ष आते हैं।
- राजस्थान में प्रत्येक वर्ष लगभग पचास स्थानों पर कुरजा पक्षी आते हैं और अक्तूबर से मार्च माह तक यहाँ निवास करते हैं।
- पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर और नागौर ज़िलों में लगभग 35,000 डेमोसिल क्रेन हैं।
- जिनमे से कुछ पक्षी यूरेशिया के क्रेन वर्किंग ग्रुप (Crane working Group Of Eurashia) द्वारा चलाये गए '1000 क्रेन प्रोजेक्ट' के तहत चिह्नित किये गए हैं।

पेडोफिलिया

विशेषज्ञों के अनुसार पेडोफिलिया (Paedophilia) का उपचार संभव है।

पेडोफिलिया क्या है ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार पेडोफिलिया एक ऐसा मनोरोग है जिसमें रोगी, बच्चों के प्रति यौन इच्छाओं से ग्रसित रहता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में लगभग 300 से अधिक रोगियों के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल के तहत परामर्श के लिये संपर्क किया गया है।
- इस मनोरोग को पूर्णत: उपचारित नहीं किया जा सकता परंतु दवा तथा परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है।

नोट :

- बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के अनुसार पुरुष आबादी का कम से कम 1% पीडोफिलिया से ग्रसित है जिसके लक्षण किशोरावस्था के बाद से प्रकट होते हैं।
- पीडोफिलिया बाल शोषण से अलग है।

स्वच्छ - निर्मल तट अभियान

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF&CC) द्वारा स्वच्छ- निर्मल तट अभियान (Swachh – Nirmal Tat Abhiyaan) 11 से 17 नवंबर, 2019 तक चलाया जा रहा है।

अभियान के बारे में:

- इस अभियान का उद्देश्य 50 समुद्र तटों को चिह्नित करके समुद्र तटों में तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- चिह्नित तट, 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों – गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं।
- इन समुद्र तटों को संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के परामर्श से चिह्नित किया गया है।
- इस अभियान के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत पर्यावरण शिक्षा प्रखंड ((Environment Education Division) और एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी (Society of Integrated Coastal Management- SICOM) को सौंपी गई है।
- इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभियान की निगरानी करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- अभियान की समाप्ति पर सर्वश्रेष्ठ तीन समुद्र तटों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा।

वायु और हेपा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण वायु और हेपा एयर प्यूरिफायर्स उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया है।

वायु के बारे में:

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute- NEERI) प्रयोगशाला द्वारा 'वायु' का विकास किया गया है।
- यह उपकरण लगभग आधे घंटे में पीएम 10 (PM10) को 600 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (ug/m3) से घटाकर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तथा PM2.5 को 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कर सकता है।
- यह उपकरण लगभग 500 वर्ग मीटर तक के दायरे में वायु को शुद्ध कर सकता है।
- इसमें एक पंखा लगा होता है जो हवा को सोखकर उसमे से धूल तथा PM तत्त्वों को अलग करता है।
- इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ सक्रिय कार्बन का लेप करके कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण किया जाता है।
  - फिर शुद्ध वायु को वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।

हेपा के बारे में:

- यह उपकरण 0.3 माइक्रोन के 99.9% कणों को शुद्ध करने में सक्षम है।
- यह वायु संदूषकों को तंतुओं के एक जटिल जाल में फँसा लेता है।

नोट :

अल्टिमा थुले

नासा के न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्षयान द्वारा खोजे गए सौर मंडल में सबसे दूर स्थित पिंड, अल्टिमा थुले (Ultima thule) का नाम परिवर्तित कर दिया गया है।

अल्टिमा थुले क्या है ?

- यह पृथ्वी से अब तक का सबसे दूर स्थित आकाशीय बर्फीला पिंड है।
- अल्टिमा थुले प्लूटो से करीब एक बिलियन (1.6 बिलियन किलोमीटर) मील दूर है।
- इस कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को वर्ष 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था।
- अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे 2014 MU69 के रूप में जाना जाता था और अल्टिमा थुले उपनाम दिया गया था।

परिवर्तित नाम

- वर्तमान में इसका आधिकारिक नाम अरोकोथ (Arrokoth) कर दिया गया है जो ब्रह्मांड तथा सितारों के बारे में सोच की प्रेरणा को दर्शाता है।

दुस्त्लिक अभ्यास-2019

हाल ही में भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण दुस्त्लिक अभ्यास-2019 (DUSTLIK Exercise -2019) का आयोजन किया गया।

दुस्त्लिक अभ्यास के बारे में:

- यह अभ्यास शहरी परिदृश्य में आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था।
- इसके अलावा हथियारों को चलाने की विशेषज्ञता और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिये शूटिंग तथा अनुभव साझा करना इसका उद्देश्य है।
- इस अभ्यास ने सेनाओं को सभी देशों की सांस्कृतिक समझ, अनुभवों को साझा करने, आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया।
- दुस्त्लिक अभ्यास- 2019 का आयोजन ताशकंद के निकट चिर्चिक प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया।

लिब्रहान आयोग

हाल ही में अयोध्या फैसले पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की तुलना वर्ष 1992 में गठित लिब्रहान आयोग (Liberhan Commision) की रिपोर्ट से की गई।

- न्यायालय ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराया जाना एक 'सोचा-समझा कृत्य' था।

लिब्रहान आयोग के बारे में:

- लिब्रहान आयोग का गठन न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता में वर्ष 1992 के बाबरी विध्वंस मामले की जाँच के लिये किया गया था।
- लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या में सारा विध्वंस 'योजनाबद्ध' तरीके से किया गया था।
- इस आयोग की रिपोर्ट जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपी गई।
- लिब्रहान आयोग देश में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला जाँच आयोग है, जिस पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

सबका विश्वास योजना

करदाताओं के लंबित विवादों के निपटारे के लिये शुरु की गई सबका विश्वास योजना (Sabka Vishwas Scheme) के तहत अब तक लगभग 5,472 करोड़ रुपए के बकाए का निपटान किया जा चुका है।

नोट :

सबका विश्वास योजना के बारे में

- वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है।
- यह योजना 1 सितंबर, 2019 से लागू है तथा 31 दिसंबर, 2019 तक क्रियान्वित रहेगी।
- योजना के तहत बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबंधित अपने बकाया मामलो के समाधान का लाभ उठाएंगे।
  - ये सभी मामले अब वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इनके समाधान के परिणामस्वरूप करदाता GST पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं- विवाद समाधान और बकाया कर में माफी
  - विवाद समाधान का लक्ष्य जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है।
  - बकाया कर में माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रहेगा।
- इस योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के बकाया कर के मामलो में बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज, जुर्माना और अर्थदंड में पूर्ण राहत देना है।
- योजना के अंतर्गत न्यायिक अपील के लंबित सभी मामलों में 50 लाख रुपए या इससे कम के मामले में 70% और 50 लाख रुपए से अधिक के मामलों में 50% की राहत मिलेगी।

ज़ियोकेमिकल बेसलाइन एटलस

हाल ही में भारत का पहला ज़ियोकेमिकल बेसलाइन एटलस (Geochemical Baseline Atlas) जारी किया गया है।

ज़ियोकेमिकल बेसलाइन एटलस के बारे में:

- यह एटलस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (Scientific and Industrial Research- CSIR) के तहत कार्यरत राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute- NGRI) द्वारा जारी किया गया है।
- इस एटलस का उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने हेतु किया जाएगा।
- इस एटलस में लगभग 45 मानचित्र शामिल हैं जिनमें देश में मृदा की सतह और उसके नीचे की धातुओं, ऑक्साइड्स एवं तत्त्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
- पृथ्वी की सतह पर होने वाले रासायनिक संरचना और परिवर्तन के आकलन में यह जानकारी देश की भावी पीढ़ी के लिये सहायक होगी।
- ये मानचित्र, उद्योगों या अन्य निकायों से निकलने वाले संदूषकों के कारण भविष्य में प्रदूषण स्तर का पता लगाने में भी मददगार साबित होंगे।

सिसेरी नदी पुल Sisseri River bridge

हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने वाले सिसेरी नदी पुल (Sisseri River bridge) का उद्घाटन किया गया।

सिसेरी नदी पुल के बारे में:

- इस पुल की लंबाई 200 मीटर है जो जोनाई-पासीघाट-राणाघाट-रोइंग (Jonai-Pasighat-Ranaghat-Roing) सड़क के बीच बना है।
- इस पुल के बन जाने से पासीघाट से रोइंग की यात्रा में लगने वाले वाले समय में लगभग पांच घंटे की कमी आ जाएगी।
- इस प्रकार की पहल से सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति (Act East Policy) द्वारा पूर्वोत्तर और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में तेज़ अवसंरचना विकास के नए द्वार खुलेंगे।
- सिसेरी नदी पर बने इस पुल से धोला-सादिया पुल के ज़रिये तिनसुकिया से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।

नोट :

- इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation-BRO) की परियोजना ब्रह्मांक (Brahmank) के तहत किया गया है।
  - वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में BRO की चार परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें वर्तक, अरूणांक, ब्रह्मांक और उद्यांक शामिल हैं।
- यह पुल सैन्य दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग का भी एक हिस्सा होगा।

ओपेक OPEC

हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) द्वारा जारी विश्व तेल आउटलुक-2019 (World Oil Outlook-2019) के अनुसार, वर्ष 2024 तक कच्चे तेल और अन्य तरल पदार्थों के उत्पादन में प्रति दिन 32.8 मिलियन बैरल की कमी आने की आशंका है।

ओपेक के बारे में

- OPEC 14 तेल निर्यातक विकासशील राष्ट्रों का एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है।
- इसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 में आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा किया गया था।
- इन पाँच संस्थापक सदस्यों के अलावा कुछ अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। ये देश हैं-
  - क़तर (1961), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
  - जनवरी 2019 में क़तर ओपेक से अलग हो गया, अत: वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है।
- OPEC के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में पाँच वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। 1 सितंबर, 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया।
- भारत OPEC का सदस्य देश नहीं है।

ओपेक प्लस (OPEC PLUS)

- कुछ विश्लेषक, गैर ओपेक देश जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं, ऐसे देशों के समूह को ओपेक प्लस कहते हैं।
- ओपेक प्लस देशों की श्रेणी में अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाकस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

आईन-ए-अकबरी

हाल ही में आए अयोध्या फैसले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि 16वीं शताब्दी के दस्तावेज़ आईन-ए-अकबरी (Ain-i-Akbari) में भगवान राम के जन्म के समय का उल्लेख है।

आईन-ए-अकबरी के बारे में:

- आईन-ए-अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है।
- यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फज़ल द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी।
- आईन-ए-अकबरी अबुल फज़ल द्वारा रचित 'अकबरनामा' का ही एक भाग है।
- अकबरनामा के तीन भाग हैं जिसमें से तीसरे भाग को 'आईन-ए-अकबरी' कहते हैं।
  - प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है।
  - दूसरा भाग अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है।
  - तीसरे भाग अर्थात् आईन-ए-अकबरी में अकबर के शासनकाल से संबंधित आँकड़े तथा शासन-व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन है।
- अकबरनामा का अंग्रेज़ी अनुवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था।

नोट :

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व Satpura Tiger Reserve

हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व (Satpura Tiger Reserve), के बफ़र क्षेत्र में एक महुआ के वृक्ष की उपस्थिति के कारण यह टाइगर रिज़र्व सुर्खियों में आया।

- इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के मध्य एक अंधविश्वास है कि महुआ का वृक्ष उनकी बीमारियों से तुरंत राहत दिला सकता है तथा उनके दुर्भाग्य को बदल सकता है।

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व के बारे में:

- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी तथा यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है।
- सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में तीन संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
  - सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य।
- इस रिज़र्व क्षेत्र में धूपगढ़ चोटी का भी विस्तार है।

जैव-विविधता

- यह रिज़र्व बाघों सहित कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों का आवासीय क्षेत्र है।
- यहाँ पाई जाने वाली अन्य प्रमुख प्रजातियों में ब्लैक बक, तेंदुआ, ढोले, भारतीय गौर, मालाबार विशालकाय गिलहरी, स्लॉथ बीयर आदि शामिल हैं।

महुआ के वृक्ष के बारे में:

- यह भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है जो मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी भारतीय मैदानों तथा जंगलों में पाया जाता है।

महादयी नदी

महादयी नदी (Mhadei River) पर प्रस्तावित कलासा बंदूरी परियोजना का गोवा राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है।

महादयी नदी के बारे में:

- महादयी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा नदी के रूप में माना जाता है।
- गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे अवस्थित है।
- यह नदी भारत की सबसे छोटी नदियों में से एक है तथा इस नदी का उद्गम कर्नाटक के बेलगाम ज़िले के खानपुर नामक स्थान होता है और यह उत्तरी गोवा के सतारी नामक स्थल में प्रवेश करती है।
- गोवा में प्रवेश करने के बाद इसमें कई धाराएँ आकर मिलती हैं जिसके बाद यह मंडोवी के नाम से जानी जाती है।
- लगभग 111 किलोमीटर लंबी इस नदी का दो-तिहाई भाग गोवा में है।
- चूँकि गोवा की अन्य नदियाँ लवणीय जल युक्त हैं, वहीं मंडोवी जो एक मीठे जल का स्रोत होने के साथ -साथ जल सुरक्षा, पारिस्थिकी और मछली पालन का भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- मंडोवी नदी बेसिन अपनी सहायक नदियों के साथ गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में जलापूर्ति करती है।

कलासा बंदूरी परियोजना

- कलासा बंदूरी परियोजना का उद्देश्य महादयी नदी के जल का डायवर्ज़न करके उसे उत्तरी कर्नाटक के तीन ज़िलों में पहुँचाना है।

ज़ायर-अल-बह्र

भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य पाँच दिवसीय (17 से 21 नवंबर, 2019 तक) द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ज़ायर-अल-बह्र (Za'ir-Al-Bahr) का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

ज़ायर-अल-बह्र के बारे में:

- यह अभ्यास कतर की राजधानी दोहा में किया जा रहा है।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धक जहाज़ आईएनएस त्रिकंड और गश्ती हवाई जहाज पी8-I हिस्सा लेंगे।
- कतर की नौसेना में एंटी-शिप मिसाइल बरजान क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट और राफेल युद्धक विमान शामिल हैं।
- यह अभ्यास तीन दिन बंदरगाह पर और दो दिन समुद्र में किया जाएगा। बंदरगाह पर होने वाले अभ्यास में विचार-गोष्ठी, पेशेवराना बातचीत, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जबकि समुद्र में किये जाने वाले अभ्यास में सतह पर की जाने वाली कार्रवाई, वायु सुरक्षा एवं समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, आदि शामिल हैं।
- ज़ायर-अल-बह्र के माध्यम से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग मज़बूत होगा और परिचालन क्षमता बढ़ेगी।
- इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद, समुद्री डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना

नई दिल्ली में किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (Kimberley Process Certification Scheme- KPCS) की बैठक (भारत की अध्यक्षता में) आयोजित की जा रही है।

किम्बर्ले प्रक्रिया

- किम्बर्ले प्रक्रिया (Kimberley Process) हीरे के दुरुपयोग को रोकने के लिये कई देशों, उद्योगों और नागरिक समाजों की एक संयुक्त पहल है।
- वर्तमान में KPCS के 55 सदस्य 82 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश भी शामिल हैं ।
- भारत, KPCS के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना की अध्यक्षता की ज़िम्मेदारी सदस्य देशों को बारी-बारी से सौंपी जाती है।
- आमतौर पर प्रत्येक वर्ष इसके उपाध्यक्ष का चुनाव किम्बर्ले प्रक्रिया प्लेनेरी (Kimberley Process Plannery) द्वारा किया जाता है, जिसे अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है।
- वर्ष 2019 के लिये रूसी संघ को KPCS का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

सूर्य ग्रहण Solar Eclipse

26 दिसंबर, 2019 को होने वाला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) केरल के चेरुवथुर (Cheruvathur) में दिखाई देगा।

- चेरुवथुर विश्व के उन तीन स्थानों में से एक है, जहाँ सूर्य ग्रहण सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- यह सूर्य ग्रहण कतर, संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान में शुरू होगा परंतु चेरुवथुर की विशेष भू-वैज्ञानिक स्थिति होने के कारण यह भारत में सर्वप्रथम दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण के बारे में

- जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई दिखती है, इस स्थिति को सूर्यग्रहण कहते हैं।
- सामान्यत: सूर्यग्रहण अमावस्या से संबंधित माना जाता है परंतु चन्द्रमा के कक्ष तल में 5 डिग्री झुकाव होने के कारण यह अमावस्या से आगे-पीछे हो जाता है।
- जब सूर्य का आंशिक भाग छिपता है तो उसे आंशिक सूर्यग्रहण तथा जब पूर्णत: सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्यग्रहण कहा जाता है।
  - पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग (Dimond Ring) या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है।

नोट :

इनसैट 3D और 3DR

इसरो के इनसैट 3D और 3DR (INSAT-3D - 3DR) उपग्रहों पर लगे हुए इमेज़र पेलोड द्वारा ज्ञात हुआ है कि गंगा के मैदान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में अक्तूबर तथा नवंबर के दौरान एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, PM2.5 एवं PM10 की सांद्रता सबसे अधिक है।

इनसैट 3D और 3DR के बारे में:

- इसरो के इनसैट-3D और 3DR उपग्रहों पर लगे इमेज़र पेलोड का उपयोग एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ Aerosol Optical Depth-AOD) की निगरानी के लिये किया जाता है
- AOD, जैवभार के जलने से होने वाले कणों और धुएँ का सूचक है जो दृश्यता को प्रभावित करता है तथा वातावरण में PM2.5 व PM10 की सांद्रता के बढ़ने का कारक है।
- इसके अलावा इस उपग्रह आधारित जलवायु वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2003 से 2017 के मध्य अक्तूबर-नवंबर के दौरान पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में आग की घटनाओं में 4% की वृद्धि हुई।

सोवा-रिग्पा राष्ट्रीय संस्थान

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा (National Institute of Sowa Rigpa- NISR) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान कर दी।

सोवा रिग्पा राष्ट्रीय संस्थान के बारे में:

- यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान होगा।
- NISR की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत 47.25 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।
- NISR सोवा-रिग्पा से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

सोवा रिग्पा क्या है ?

- सोवा-रिग्पा भारत में हिमालयी क्षेत्र की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है।
  - यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ-साथ पूरे भारत में प्रचलित हो रहा है।
- NISR की स्थापना से सोवा-रिग्पा को न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नया जीवन मिलेगा बल्कि भारत के साथ-साथ अन्य देशों के छात्रों को भी इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सीखने का अवसर मिलेगा।

यूरोपा ग्रह

हाल ही नेचर एस्ट्रोनोमी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यूरोपा ग्रह (Europa Planet) की सतह पर जलवाष्प की उपस्थिति है।

- यह अध्ययन अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित WM कीक वेधशाला (WM Keck Observatory) द्वारा किया गया है।
- जल की यह तरल अवस्था, यूरोपा उपग्रह पर मौजूद बर्फ की परत के नीचे उपस्थित है।

यूरोपा उपग्रह के बारे में:

- यूरोपा ब्रहस्पति ग्रह के 79 उपग्रहों में से एक है तथा यह 3.5 दिन में ब्रहस्पति की परिक्रमा पूरी करता है।
  - इसके अलावा यह सौर मंडल का 6वाँ सबसे बड़ा उपग्रह भी है।
- इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई होने के बावजूद भी यहाँ उपलब्ध जल की मात्रा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा से दोगुनी है।
- इसकी सतह पर बर्फ की अधिक मात्रा होने के कारण यह हमारे चंद्रमा की तुलना में सूर्य के प्रकाश का 5.5 गुना परावर्तित करता है।
  - सूर्य के प्रकाश को यूरोपा तक पहुँचने में 45 मिनट लगते हैं।

नोट :

कुफरी सह्याद्रि

हाल ही में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र (Central Potato Research Institute) शिमला द्वारा आलू की एक नई किस्म कुफरी सह्याद्रि (Kufri sahyadri) का विकास किया गया है।

कुफरी सह्याद्रि के बारे में:

- हिमाचल क्षेत्र में आलू में नेमोटोड्स पाए जाने के कारण आलू के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिसके लिये कुफरी सह्याद्रि का विकास किया गया।
- इस नई किस्म पर नेमोटोड्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह किस्म आलू की कुफरी ज्योति और कुफरी स्वर्ण किस्म का स्थान लेगी।

नेमोटोड्स क्या होते हैं ?

- नेमोटोड्स गोलकृमि होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता।
- ये आलू की जड़ों को प्रभावित करते हैं, इनसे प्रभावित आलू से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता परंतु आलू उत्पादन कम हो जाता है।

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

वर्तमान में टारगेट ओलंपिक पोडियम (Target Olympic Podium- TOP) योजना के तहत लगभग 352 एथलीट सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

TOP के बारे में:

- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष (National Sports Development Fund- NSDF) के तहत हुई थी।
  - अभी तक NSDF के कुल खर्च का लगभग 54.40% TOP योजना पर खर्च किया जा चुका है।
- इसका लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिये समर्थन तथा सहायता देना है।
- ऐसे खेल जिनमें भारत की ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना है, को उच्च प्राथमिकता वाले खेलों की सूची में रखा गया है, जो इस प्रकार हैं-
  - (i) एथलेटिक्स, (ii) बैडमिंटन, (iii) हॉकी, (iv) शूटिंग, (v) टेनिस, (vi) भारोत्तोलन, (vii) कुश्ती, (viii) तीरंदाजी (ix) मुक्केबाज़ी
- उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के अलावा अन्य खेलों को राष्ट्रीय खेल महासंघ (National Sports Federations- NSF) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करने, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और कोचिंग शिविरों का आयोजन कराने के लिये यह सहायता दी जाती है।

एमके- 45 नौसैनिक बंदूक

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 13 एमके- 45 (MK- 45) नौसैनिक बंदूकें और संबंधित उपकरणों की बिक्री किये जाने के समझौते को मंज़ूरी दी है।

MK-45 नौसैनिक बंदूक के बारे में:

- इसका इस्तेमाल तटों पर बमबारी, युद्धपोतों तथा युद्धक विमानों के खिलाफ किया जाता है।
- इनका निर्माण बीएइ सिस्टम्स लैंड एंड आर्मामेंट्स (BAE Systems Land and Armaments) द्वारा किया जाएगा।
- इसकी मारक क्षमता 20 समुद्री मील से भी अधिक है।
- ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के बाद भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। जिन्हें अमेरिका ने इस बंदूक के नवीनतम संस्करण (MOD4) बेचने का फैसला किया है।

नोट :

आँसू गैस- जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 Tear Gas- Geneva Protocol 1925

हाल ही में अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर एक विधेयक पारित किया है जो कुछ भीड़-नियंत्रण संबंधी सामानों जैसे- आँसू गैस आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा।

- आँसू गैस (Tear Gas) एक रासायनिक संघटक है जिसका इस्तेमाल अक्सर दंगा नियंत्रण के लिये किया जाता है।
  - यह एक विषैली गैस है।
- आँसू गैस के रूप में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ सिंथेटिक कार्बनिक हैलोजन यौगिक हैं।
- इसे औपचारिक रूप से एक लैक्रिमेट्री एजेंट (Lacrimatory Agent) या लैक्रिमेटर (Lacrimator) के रूप में जाना जाता है यह आंखों में कॉर्निया की नसों को उत्तेजित कर देता है जिससे आँखों में आँसू, दर्द और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है।
- पहली बार इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रुप में किया गया था।

जिनेवा प्रोटोकॉल 1925

- वर्ष 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
- यह प्रोटोकॉल 8 फरवरी, 1928 को लागू हुआ था।

कोआला भालू

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के जंगल में आग लगने से लगभग 350 कोआला भालुओं (Koala Bear) के मरने की आशंका जताई जा रही है।

कोआला भालू के बारे में:

- यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला धानी-प्राणी (Marsupial) है।
- यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34-36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के पाउच/थैले में इसका विकास होता है।
- इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड डेटा बुक के अंतर्गत सुभेद्य (Vulnerable) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेज़ी से कमी आई है।
- इनका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियाँ हैं।

बोगनविली Bougainville

23 नवंबर,2019 को होने वाले जनमत संग्रह के बाद बोगनविली (Bougainville), पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर विश्व का नवीनतम देश बन जाएगा।

बोगनविली के संदर्भ में:

- बोगनविली का नाम 18वीं शताब्दी के फ्राँसीसी खोजकर्ता के नाम पर पड़ा।
- यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे- तांबा आदि से समृद्ध है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1975 में पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता मिली जिसमें बोगनविली को एक अलग प्रांत बनाया गया।
- पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता के समय ही बोगनविली को भी स्वतंत्र किये जाने की घोषणा की गई जिसे पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
- इसी कारण यहाँ जन असंतोष उमड़ पड़ा और वर्ष 1988 से अलगाव के लिये युद्ध चलता रहा है।

नोट :

- वर्ष 1997 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मदद से यह युद्ध समाप्त हो गया।
- बोगनविली शांति समझौता, 2005 के तहत स्वायत्त बोगनविली सरकार का निर्माण और इसकी स्वतंत्रता हेतु एक गैर-बाध्यकारी जनमत संग्रह कराने का वादा किया गया था।

केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र- 2019 के दौरान लोकसभा में केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि (Central Road and Infrastructure Fund- CRIF) के बारे में चर्चा की गई।

केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि के विषय में:

- CRIF को पूर्व में केंद्रीय सड़क निधि के नाम से जाना जाता था तथा इसे वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित किया गया था।
- इस निधि में पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के साथ उपकर भी शामिल है।
- CRIF का प्रशासनिक नियंत्रण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है।
  - पूर्व में CRIF, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था।

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम (संशोधन), 2018

- इस संशोधन के तहत केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि कर दिया गया था।
- इसके अलावा CRIF के तहत सड़क उपकर से प्राप्त आय के उपयोग की अनुमति अन्य अवसंरचना परियोजनाओं जैसे- जलमार्ग, रेलवे बुनियादी ढाँचे का कुछ हिस्सा और यहाँ तक कि कुछ सामाजिक बुनियादी संबंधी ढाँचे की परियोजनाओं जैसे- शिक्षा संस्थान, मेडिकल कॉलेज आदि के वित्तपोषण के लिये दी गई।

हरित इस्पात

हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas & Steel) ने इस्पात उद्योग से हरित इस्पात (Green Steel) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है।

हरित इस्पात के बारे में:

- हरित इस्पात, इस्पात निर्माण की ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने और कम लागत के साथ-साथ इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करता है।
  - यह कार्य कोयले के स्थान पर गैस का प्रयोग तथा इस्पात के पुनर्चक्रण से ही संभव है।
- इसी संदर्भ में भारत के पूर्वी हिस्से में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत की गई है।
  - यह परियोजना इस क्षेत्र में स्थित सभी इस्पात संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी।
  - इसके अलावा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कोयले की जगह लेने में मदद करेगी क्योंकि कोयले के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का अधिक उत्सर्जन होता है।

समीर एप्लीकेशन

समीर एप्लीकेशन (SAMEER Application) वायु प्रदूषण शमन उपायों में से एक है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index- AQI) की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराता है।

समीर एप्लीकेशन के बारे में:

- इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (Central Polution Control Board- CPCB) द्वारा विकसित किया गया है जो देश भर के 100 से अधिक शहरों की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करता है।

नोट :

- यह एप्लीकेशन चिह्नित किये गए शहरों को वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर एक कोड (Code) रंग के प्रारूप में प्रदर्शित करता है।
  - वायु गुणवत्ता सूचनाओं का संग्रहण और प्रसार एक केंद्रीकृत स्थान से किया जाता है।
- इस एप्लीकेशन का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में कचरा डंपिंग, सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जन या अन्य प्रदूषण के मुद्दों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने या ट्रैक करने के लिये भी किया जा सकता है।

लिविंग रूट ब्रिज़

साइंटिफिक रिपोर्ट पत्रिका के अनुसार, मेघालय में उपस्थित लिविंग रूट ब्रिज़ (Living Root Bridges) को शहरी संदर्भ में भविष्य में वानस्पतिक वास्तुकला के संदर्भ के रूप में माना जा सकता है।

लिविंग रूट ब्रिज़ के विषय में:

- इन ब्रिज़ को ज़िंग कींग ज़ी (Jing Kieng Jri) भी कहा जाता है।
- इनका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़-तोड़ कर किया जाता है।
- सामान्यत: इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिये बनाया जाता है।
- मुख्यत: मेघालय की खासी ओर जयंतिया पहाड़ियों में सदियों से फैले 15 से 250 फुट के ये ब्रिज़ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का आकर्षण भी बन गए हैं।

लोकप्रिय पर्यटन स्थल:

- इनमें सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं-
  - रिवाई रूट ब्रिज (Riwai Root Bridge)
  - उम्शिआंग डबल डेकर ब्रिज (Umshiang Double Decker Bridge)।

प्रमुख गुण:

- ये लोचदार होते हैं।
- इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है।
- ये पौधे उबड़-खाबड़ और पथरीली मिट्टी में उगते हैं।

ग्लोबल बायो-इंडिया समिट- 2019

हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो-इंडिया समिट- 2019 (Global Bio-India Summit- 2019) का आयोजन किया गया।

क्रियान्वयन:

- इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर किया।
- इसके अलावा इस आयोजन में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII), एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज़ेज़ (Association of Biotechnology Led Enterprises- ABLE) और इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) भी भागीदार थे।

समयावधि

- इस तीन दिवसीय सम्मलेन का आयोजन 21- 23 नवंबर, 2019 तक किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।
- जैव-प्रौद्योगिकी तेज़ी से उभरने वाला क्षेत्र है जो वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है।

नोट :

किसान (फार्मर्स) क्लब

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) के अनुसार 31 अक्तूबर, 2019 तक विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 24,321 सक्रिय किसान क्लब (Farmers Clubs) मौजूद थे।

नाबार्ड का एक अनौपचारिक मंच

- फार्मर्स क्लब, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) का एक अनौपचारिक मंच है।

पृष्ठभूमि

- 5 नवंबर, 1982 को नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 'क्रेडिट के माध्यम से विकास' के पाँच सिद्धांतों' को प्रचारित करने के लिये 'विकास स्वयंसेवक वाहिनी' (Vikas Volunteer Vahini-VVV) कार्यक्रम शुरू किया।
- वर्ष 2005 में VVV कार्यक्रम को किसान क्लब कार्यक्रम (FCP) के रूप में नामांकित किया गया।

क्या है किसान क्लब ?

- किसान क्लब गाँव में किसानों का ज़मीनी स्तर का एक अनौपचारिक मंच है।
- बैंकों और किसानों के पारस्परिक लाभ के लिये नाबार्ड के समर्थन एवं वित्तीय सहायता के साथ बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा इस तरह के क्लबों का आयोजन किया जाता है।

उद्देश्य:

- इन्हें बैंकों और किसानों के आपसी लाभ के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य किसानों के लिये तकनीकी के हस्तांतरण, साख (क्रेडिट) के माध्यम से विकास, जागरूकता और क्षमता निर्माण करना है।
- फार्मर्स क्लब, बैंकों और राज्यों के संबंधित विभागों द्वारा प्रायोजित/कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण हेतु भी लाभदायक हैं।

ब्यूबोनिक प्लेग

हाल ही चीन में ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) के कुछ मामले सामने आए हैं।

कारक:

- ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है।
- यह येर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम (Yersinia Pestis Bacterium) के कारण होता है।

संस्करण:

सामान्यत: ब्यूबोनिक प्लेग के अलावा प्लेग के दो संस्करण और हैं-

- न्यूमोनिक प्लेग (Pneumonic Variant)
- सेप्टिकैमिक प्लेग (Septicaemic Plague)

उपचार:

- प्लेग एक जीवाणु संक्रमित महामारी है, प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है।

नौसैनिक अभ्यास मिलन- 2020

भारत वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन (MILAN) की मेज़बानी करेगा।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की श्रृंखला है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
- वर्ष 2018 तक इसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार कमान में किया जाता था।
- परंतु अभ्यास की बढ़ती संभावना और जटिलता के कारण पहली बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम कमान में किया जा रहा है।

मिलन- 2020 का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक-दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना है।
- यह अभ्यास विदेशी नौसेनाओं के ऑपरेशनल कमांडरों के लिये आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे से परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिये भी एक उल्लेखनीय अवसर उपलब्ध कराएगा।

अभ्यास में शामिल देश:

- इस अभ्यास में दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे 41 देशों को आमंत्रित किया गया है जिनके साथ भारत के सैन्य संबंध हैं।

डेफकॉम इंडिया- 2019

दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में दो दिवसीय (26-27 नवंबर, 2019) डेफकॉम इंडिया- 2019 (DEFCOM India- 2019) संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पृष्ठभूमि:

- यह पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों, शिक्षा, अनुसंधान और विकास, संगठनों तथा उद्योगों के बीच सहयोग के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं पर एक ऐतिहासिक संगोष्ठी के रूप में विकसित हुई है।

थीम:

- इस संगोष्ठी की थीम "संचार: एकता के लिये एक निर्णायक उत्प्रेरक" (Communications: A Decisive Catalyst for Jointness) है।

डेफकॉम इंडिया संगोष्ठी का आयोजन:

- इस संगोष्ठी का आयोजन संयुक्त रुप से भारतीय सेना की सिग्नल कोर तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) द्वारा किया गया।

उद्देश्य:

- इस संगोष्ठी का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों को एकता के लिये संचार माध्यमों का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करना है।
- इसके लिये संगोष्ठी में सेनाओं की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उद्योग जगत के सहयोग का आह्वान किया गया।

कृषि सांख्यिकी पर 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में दिल्ली में कृषि सांख्यिकी पर 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (8th International Conference on Agricultural Statistics- ICAS-VIII) का आयोजन किया गया।

आयोजन:

- इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, कृषि सांख्यिकी समिति, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व बैंक तथा विभिन्न अन्य संगठनों के सहयोग से किया गया।

थीम:

- इस सम्मेलन की थीम 'सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि परिवर्तन के आँकड़े' है।

नोट :

उद्देश्य:

- यह देश में कृषि सांख्यिकी से संबंधित इस तरह का पहला सम्मेलन है।
- सम्मेलन का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों और विभिन्न अग्रणी अनुसंधानों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये डेटा के उत्पादन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने तथा कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को चुनकर उन्हें अंतिम रूप देना है।
- इसके अलावा यह भारत में सांख्यिकीविदों, युवा वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को कृषि में आधुनिक प्रथाओं जैसे- बिग डेटा विश्लेषण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आदि को अपनाने का अवसर प्रदान करेगा।

ICAS के विषय में:

- ICAS दुनिया भर में कृषि सांख्यिकी से संबंधित सम्मेलनों की एक श्रृंखला है जिसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था।
- यह सम्मेलन प्रत्येक तीन साल में आयोजित किया जाता है, इससे पहले इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2016 में रोम में किया गया था।
- इस सम्मेलन के एजेंडे में खाद्य और कृषि सांख्यिकी से संबंधित कार्यप्रणाली, प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं के क्षेत्र शामिल हैं।

मित्रशक्ति सैन्य अभ्यास- 2019

भारत-श्रीलंका के बीच 01 - 14 दिसंबर, 2019 तक मित्रशक्ति सैन्य अभ्यास- 2019 (Mitrashakti Military Exercise- 2019) के सातवें संस्करण का आयोजन किया जाएगा।

- यह अभ्यास विदेशी प्रशिक्षण नोड (Foreign Training Node- FTN) पुणे में आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास के छठे संस्करण का आयोजन श्रीलंका में किया गया था।
  - इस अभ्यास का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत एवं श्रीलंका में बारी-बारी से किया जाता है।

उद्देश्य:

- इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण और संवर्द्धन करना है।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी और ग्रामीण परिवेश में जवाबी कार्रवाई तथा आतंकी कार्रवाईयों के मुकाबले के लिये उप इकाई स्तर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।

साँप की नई प्रजाति New Species of Snake

हाल ही में शौधकर्त्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में साँप की एक नई प्रजाति (New Species of Snake) की खोज की है।

प्रजाति का नामकरण:

- साँप की इस नई प्रजाति का नाम ट्रेकिसियम आप्टे (Trachischium apteii) रखा गया है।
  - इसे यह नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society- BNHS) के प्रसिद्ध समुद्री जीवविज्ञानी और निदेशक दीपक आप्टे के सम्मान में दिया गया है।

ट्रेकिसियम प्रजाति के विषय में:

- यह एक विषहीन बिल खोदने वाला साँप है जो अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो कस्बे में अवस्थित टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया गया है।
- ट्रेकिसियम प्रजाति के साँप आमतौर पर पतले होते है और वर्तमान में इसकी सात प्रजातियाँ हैं जो हिमालय, इंडो-बर्मा तथा भारत-चीन क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रजाति के साँपों की बिल खोदने की आदत के कारण इस वर्ग के साँप भूमिगत रहते हैं और मानसून के दौरान ही बाहर दिखाई देते हैं।

असम रूफ्ड टर्टल Assam roofed turtle

हाल ही में बहुउद्देशीय असमिया गमोसा (Assamese gamosa) बनाने वाले एक गैर-सरकारी संस्थान को दुर्लभ ताज़े पानी के कच्छुओं- असम रूफ्ड टर्टल (Assam roofed turtle) के संरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

नोट :

वैज्ञानिक नाम:

- असम रूफ्ड टर्टल का वैज्ञानिक नाम पंगशुरा सिलहेटेंसिस (Pangshura Sylhetensis) है।

आवास:

- यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर व दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ताज़े पानी में पाया जाता है।

संरक्षण:

- यह प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है।
- लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species- CITES) के परिशिष्ट II में शामिल है।
- इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है।

असमिया गमोसा के विषय में:

- यह एक प्रकार का सर्वव्यापी, सफेद सूती तौलिया है जिस पर हाथ से बुने हुए लाल रंग के रूपांकन होते हैं और इसकी किनारी भी लाल रंग की होती हैं।
- इस पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाया जाता है।
  - इस पर असम रूफ्ड टर्टल का चित्रण करके उसके संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है
- यह असम में आगंतुकों को एक मूल्यवान उपहार के रूप में दिया जाता है।
- इसका उपयोग दुपट्टे, सर पर पगड़ी बाँधने और मास्क के रूप में किया जाता है।

35वाँ इन्फैंट्री कमांडर सम्मेलन 35th Infantry Commanders Conference

हाल ही में इन्फैंट्री स्कूल महू में 35वाँ इन्फैंट्री कमांडर सम्मेलन (35th Infantry Commanders Conference) का आयोजन किया गया। यह एक द्विवार्षिक आयोजन था।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य इन्फैंट्री के संचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन पहलुओं की समग्र समीक्षा करना है, जो इसकी भूमिका को बरकरार रखने तथा बढ़ोतरी करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन की अध्यक्षता थलसेना प्रमुख द्वारा की गई।
- इस सम्मेलन में इन्फैंट्री के गठन कमांडर और कमांडिंग अधिकारियों सहित विभिन्न सेक्शनों के अधिकारियों ने भाग लिया।
- यह सम्मेलन प्रख्यात वक्ताओं और पेशेवरों को अपने विचारों को साझा करने तथा एक निर्भीक और स्पष्ट रूप में इन्फैंट्री से संबंधित मामलों का नए परिप्रेक्ष्य में आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस सम्मेलन के दौरान हुआ विचार-विमर्श राष्ट्र की सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिये इन्फैंट्री के योगदान को सुनिश्चित करने हेतु नवीन विचारों को व्यक्त करता है।

लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना Loktak Inland Water ways project

हाल ही में केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय (Ministry Of Shipping) ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना (Loktak Inland Water ways project) के विकास को मंज़ूरी दी है।

बजट:

- इस परियोजना पर 25.58 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

नोट :

लाभ:

पूर्वोत्तर अत्यंत आकर्षक भू-परिदृश्य वाला एक मनोरम क्षेत्र है और यहाँ पर्यटन के लिये अपार अवसर हैं। इस परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को विकसित किया जाएगा और इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोकटक झील की भौगोलिक स्थिति:

- लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है।
- यह मणिपुर के मोइरंग (Moirang) शहर में स्थित है। तैरते हुए द्वीप इस झील की मुख्य विशेषता है।
- विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (Keibul Lamjao National Park) इसी झील में स्थित है।
- यह आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में भी शामिल है।
- इस झील को 'लाइफलाइन ऑफ मणिपुर' (Life Line Of Manipur) भी कहा जाता है।

साक्षर भारत Saakshar Bharat

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले की महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

पृष्ठभूमि:

- जिला प्रशासन ने "अम्माकु अक्षर माला" (माँ के लिये वर्णमाला 'माला') विकसित कर कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को इसमें शामिल किया था।
- इन बच्चों को घर पर अपनी माताओं (अधिकतर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को, जो साक्षर नहीं हैं) को तेलुगु वर्णमाला को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाने के लिये कहा गया।
- यह प्रयास साक्षर भारत मिशन (Saakshar Bharat Mission-SBM) के सहायतार्थ किया गया क्योंकि साक्षर भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त संख्या में समन्वयकों की कमी थी।

साक्षर भारत (Saakshar Bharat):

- 'साक्षर भारत' कार्यकम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2009 को की गई थी।
- इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को आच्छादित किया जा रहा है।
- इसका विज़न राष्ट्रीय स्तर पर 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना है।
  - इसके अलावा साक्षरता दर में वर्तमान लैंगिक अंतर को कम करते हुए 10 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

लक्ष्य:

- इस कार्यक्रम के केंद्र में महिलाएँ हैं। इसका लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा, विशेष रूप से प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा को समुन्नत और सुदृढ़ करना है।

उद्देश्य:

- निरक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता और गणित की जानकारी देना।
- नवसाक्षर वयस्कों को उनकी बुनियादी साक्षरता से आगे की शिक्षा जारी रखने तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना।
- जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों और निरक्षरों में आवश्यक कौशल विकसित करना।
- नवसाक्षर वयस्कों के साथ-साथ पंचायत की पूरी आबादी को सतत् शिक्षा के लिये अवसर प्रदान करते हुए समाज को अध्ययन की दिशा में अग्रसर करना।

एलबी-1 ब्लैक होल LB-1 Black Hole

हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य से 70 गुना बड़े एलबी-1 ब्लैक होल (LB-1 Black Hole) की खोज की गई है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 100 तारकीय ब्लैक होल होने की संभावना है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अभी तक मिल्की वे आकाशगंगा में कोई भी ब्लैक होल सूर्य से 20 गुना बड़ा नहीं है तथा LB- 1 द्रव्यमान अनुमानित से लगभग 2 गुना ज्यादा है।

नामकरण:

- LB-1 ब्लैक होल का नामकरण चाइनीज विज्ञान अकादमी (Chinese Academy of Sciences- NAOC) की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।

अवस्थिति:

- यह पृथ्वी से लगभग 15000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है।

लाभ:

- LB-1 का प्रत्यक्ष दर्शन यह साबित करता है कि अति-विशाल तारकीय ब्लैक होल की यह आबादी हमारी अपनी आकाशगंगा में भी है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज उन्हें बड़े ब्लैक होल बनने के मॉडल की फिर से जाँच करने के अध्ययन को चुनौती देगी।

क्लाउनफ़िश Clownfish

इकोलॉजी लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, क्लाउनफ़िश (Clownfish), तीव्रता से बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रही है जिसके कारण इनकी संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है।

कारण:

- क्लाउनफ़िश में अनुकूलन की क्षमता का आनुवंशिक गुणों में न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है।
- वैज्ञानिक नाम:
- इसका वैज्ञानिक नाम एम्फिप्रियोन पेरकुला (Amphiprion Percula) है।

आवास:

- क्लाउनफ़िश ग्रेट बैरियर रीफ सहित हिंद और प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं।
- क्लाउनफ़िश आमतौर पर आश्रित भित्तियों या उथले लैगून में समुद्र के तल पर रहती हैं।

क्यूएस रैंकिंग QS Rankings

हाल ही में क्वैकेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds- QS) द्वारा एशिया के विश्वविद्यालयों के लिये रैंकिंग (QS World University Rankings for Asia) जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, एशिया महाद्वीप के 550 विश्वविद्यालयों में भारत के 96 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
  - रैंकिंग में शामिल 96 भारतीय विश्वविद्यालय में 20 नए विश्वविद्यालय शामिल हैं।
- इस रैंकिंग में चीन के सबसे अधिक विश्वविद्यालय (118) शामिल हैं जिनमें से 4 शीर्ष 10 में शामिल हैं
  - भारत के विश्वविद्यालयों में कोई भी शीर्ष 30 में शामिल नहीं हैं।
  - इस रैंकिंग में शामिल 550 विश्वविद्यालयों में शीर्ष 100 में भारत के 8 विश्वविद्यालय, और शीर्ष 250 में 31 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
- भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान IIT बॉम्बे है, जो एक स्थान नीचे गिरकर 34 वें स्थान पर है।
- इसके बाद आईआईटी दिल्ली 43 वें स्थान पर और आईआईटी मद्रास 50 वें स्थान पर है।

नोट :